राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का छठा दिवस [संख्या: 05

सोमवार,

15 फरवरी 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

अलवर जिले में प्याज के भण्डारण हेतु देय अनुदान

39. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसलें कौन-कौनसी हैं तथा उक्त फसलों का वर्गीकरण करने का क्या मापदण्ड है एवं कितना प्रीमियम किसानों से जनवरी, 2019 से अगस्त, 2020 तक जमा करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में प्याज को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में प्याज को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में फसल बीमा की गाइड लाइन बनी हुई है? यदि हां, तो गाइड लाइन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि किसानों को प्याज भण्डारण करने के लिये प्याज गृह निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? क्या उक्त अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा भी दिया गया है? यदि हां, तो राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का कितना-कितना हिस्सा होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में अलवर जिले के लिये बाजरा, ग्वार, कपास, ज्वार, तिल, मक्का, सरसों, चना, गेहूं एवं जौ तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत बैंगन एवं टमाटर फसलें अधिसूचित हैं। जिन फसलों की फसल कटाई प्रयोग की पद्धति राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित है, वे फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्गीकृत हैं। शेष फसलें विशेषकर उद्यानिकी फसलें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्गीकृत हैं। अलवर जिले के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जनवरी, 2019 से अगस्त, 2020 तक कृषकों ने निम्न प्रकार कृषक प्रीमियम बैंकों के माध्यम से बीमा कम्पनी को जमा कराया:-

क्र.सं.	**फसल मौसम**	**कृषक प्रीमियम राशि रुपये**
1.	खरीफ, 2019	11 करोड़ 76 लाख
2.	रबी, 2019-20	13 करोड़ 77 लाख
3.	खरीफ, 2020	10 करोड़ 69 लाख

(2) प्याज की फसल का बीमा मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही अंग है।

जी हां। अलवर जिले में प्याज फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कवर नहीं किया गया है, क्योंकि निविदा के अन्तर्गत उक्त फसल के लिये प्रीमियम दर अधिक प्राप्त हुई है, जिसके करण उसको स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया।

(3) भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार उक्त निविदाएं तीन वर्ष, 2020-21 से 2022-23 तक के लिये अनुमोदित की गई हैं, उसके बाद नई निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, जिनमें अलवर जिले में प्याज की फसल को शामिल करने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) जी हां। किसानों को कम लागत प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण हेतु इकाई लागत राशि रुपये 01 लाख 75 हजार का 50 प्रतिशत

(कृषि मंत्री)

अधिकतम राशि रुपये 87 हजार 500 का अनुदान देय है। उक्त अनुदान राशि में 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार व 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि कितनी बीमा कम्पनियों ने निविदा में भाग लिया तथा किसानों की फसलों का बीमा, बीमा कम्पनी के मुनाफे के आधार पर किया जाता है या किसानों को नुकसान से बचाने के लिये?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमा तो किसानों को बचाने के लिये ही किया जाता है, यह सभी जानते हैं, पर अलवर में गत वर्ष खरीफ में एक कम्पनी ने भाग लिया, जबकि गाइडलाइन में और भारत सरकार द्वारा 18 कम्पनियां हैं, एक कम्पनी के भाग लेने के बाद में बीमा प्रीमियम ज्यादा आया, जब कम्पनी से नेगोसिएशन की बात की गई तो उन्होंने मना कर दिया। प्रतिस्पर्धा में किसी कम्पनी ने भाग नहीं लिया। इस कारण यह बीमा नहीं हो पाया।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): मंत्री महोदय, अलवर जिले में कम से कम 60 हजार से एक लाख बीघा प्याज हर साल बोई जाती है, रोज पेपर में आ रहा है कि बीज में कालाबाजारी हो रही है। 3500 का एक किलो बीज आता है, उसको 5000 में बेचा जा रहा है। उसके बाद जब अधिकारियों को सूचित किया जाता है तो अधिकारी कहते हैं सबूत समेत हमें खबर करें तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो क्या मंत्री महोदय आप एक कमेटी बनाकर इस बात की जांच करेंगे कि जिले में किसानों को न लूटा जाये? पहले ही किसान बिल आ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। ऊपर से आज सिलेण्डर महंगा हो गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): ऊपर से एक किलो बीज में इतना भ्रष्टाचार, इसकी क्या आप कमेटी बनाकर जांच करेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अलवर जिला ऐसा है, जिसमें प्याज की दोनों फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की। यह बात सही है कि राजस्थान में प्याज के उत्पादन में अलवर जिला तीसरे नम्बर

(श्री लालचन्द कटारिया)

पर है। वर्तमान समय में जो खरीफ की फसल आयेगी उसका बीज अभी मार्केट में बिक रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कालाबाजारी हो रही है, निश्चित तौर पर एक कमेटी बनाकर दस दिन के अन्दर उनको इस फैसले से अवगत करा दिया जायेगा और जो कालाबाजारी की गई है, और जो लोग पकड़े जाएंगे, उन पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से व्यय राशि

40. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत जमा राशि को उसी जिले के विकास कार्यों में व्यय किया जाता है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में झुंझुनूं जिले में कितनी राशि डीएम.एफ.टी. फंड में जमा हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में उक्त राशि में से कौन-कौनसे विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत जमा राशि का उपयोग साधारणतया उसी जिले में किया जाता है परन्तु राज्य में प्रधान एवं अप्रधान खनिजों से प्राप्त डी.एम.एफ.टी. राशि, श्रमिकों की संख्या तथा संसाधनों के वितरण में विद्यमान सापेक्षिक असमानता को दृष्टिगत रखते हुए स्टेट मिनरल फण्ड का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न जिलों में प्राप्त डी.एम.एफ.टी. राशि का कुछ भाग हस्तांतरित किया जाकर राज्य की विभिन्न योजनाओं एवं लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश एवं जिला झुंझुनूं डीएम.एफ.टी. कोष में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (31.01.2021 तक) जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(डी.एम.एफ.टी. फण्ड में जमा राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला/प्रदेश	2019-20	2020-21 (31.01.2021 तक)	योग
1.	झुंझुनूं	1196.64	721.02	1917.66
2.	प्रदेश	102294.00	69617.00	171911.00

(खान मंत्री)

(2) उक्त राशि से सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है, परन्तु डी.एम.एफ.टी. फंड से सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि दो वर्ष से गवर्निंग कौंसिल की बैठक अभी तक क्यों नहीं की जा रही है और अब कब तक करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष में झुंझुनूं जिले में डीएम.एफ.टी. की बैठक नहीं हुई। विलम्ब का जो मुख्य कारण है, स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय हो सकें, इसके लिये जिला स्तरीय गवर्निंग कौंसिल का दो से तीन बार पुनर्गठन किया गया। उसके बाद एक के बाद एक चुनाव, शहरी निकाय, लोक सभा, पंचायती राज, इनकी आचार संहिता रहा। तीसरा मुख्य कारण कोरोना महामारी रहा। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी बैठक आयोजन के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। जल्दी से जल्दी बैठक आयोजित की जायेगी।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अभी तक कितना फण्ड 2019-20 और 2020-21 का प्रदेश में ट्रांसफर किया गया और दूसरा मेरा यह है कि 2019-20 और 2021 के प्रस्ताव एम.एल.एज. से कब तक लिये जायेंगे?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनरल फण्ड की पहली बैठक 12.01.2021 को हुई। स्टेट मिनरल फण्ड में 739.2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसी बैठक में जिला मिनरल फण्ड से, जो दो करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आये उनके 340.7 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। कुल 1089.27 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। जहां तक माननीय सदस्य ने अपने प्रस्तावों का जिक्र किया है, आप मुझे आपके क्षेत्र के प्रस्ताव दें, आगामी जो बैठक होगी, उसमें रखने के लिये, उसमें निर्णय के लिये अधिकारियों को निर्देश प्रदान करूंगा।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): बैठक कब तक होगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने और सदन ने, सबने जवाब सुना है। मैं सोचता हूं कि जिन कारणों को लेकर आपने झुंझुनूं जिले में खर्च होना नहीं बताया, मुझे बहुत अफसोस है, आप तो इतना बता दो कि डी.एम.एफ.टी. का पैसा खर्च करने के लिये जिले की कोई कमेटी है और कमेटी है तो उसके चैयरमेन कौन-कौन हैं और पिछले दो सालों में झुंझुनूं जिले में ही, इन दो वर्षों में यह जो जिला स्तर की कमेटी है, उसकी बैठक कब-कब हुई?

प्रदेश में जो खर्चा आप बता रहे हो, 1713 करोड़ रुपया, 1719 करोड़ रुपया आपके पास है आज की तारीख में। यह जो आप बता रहे हो जमा राशि जो प्रदेश की है, वह इतनी है तो उसके आधार पर प्रदेश में इस राशि का उपयोग कहां-कहां कितना-कितना हो गया?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया है, दो वर्ष में बैठक नहीं होने के कारण मैं पूर्व में बता चुका हूं और मैं यह भी पहले बता चुका हूं कि झुंझुनूं जिले में कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं हुआ, पुराने जो कार्य स्वीकृत थे, उनका पेमेंट इन दो साल में हुआ।

नम्बर तीन, स्टेट मिनरल फंड का आपने जो पूछा है, उसका भी मैं जवाब दे चुका हूं कि इतने करोड़ के, 1089.27 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं और विभिन्न जिलों में हुए हैं। जहां-जहां से प्रस्ताव आये उनको हमने स्वीकृत किया है। यह पहली बैठक थी और आगे जो और प्रस्ताव आएंगे उनको भी हम प्राथमिकता से गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं एक यह कमेंट करूंगा कि डी.एम.एफ.टी. का फंड माइन्स डिपार्टमेंट सैंक्शन करता है पर क्वालिटी मेंटेन करने का काम नहीं है। आप डी.एम.एफ.टी. के फंड के जितने काम हैं, चाहे इर्रिगेशन के हैं, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. के हैं, चाहे और किन्हीं डिपार्टमेंट्स के हैं, उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी का एक प्रोविजन करिए जिससे क्वालिटी मेंटेन हो अदरवाइज डी.एम.एफ.टी. के पैसे का जो उपयोग हो रहा है, वह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से ... (व्यवधान) आप बैठें। यह इतनी बड़ी राशि है जिससे इसका सदुपयोग हो सके। सरकार ने

(श्री अध्यक्ष)

हैल्थ के लिए भी रखा है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में रखा है, स्कूल्स की बिल्डिंग्स भी बन रही हैं पर डी.एम.एफ.टी. फंड में जो कांट्रेक्टर है, वह कांट्रेक्टर बिलो काम लेकर काम कर रहा है, जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। इस पैसे का सदुपयोग तब ही अच्छा होगा जब इसमें इनबिल्ट यह सिस्टम रखें क्योंकि एम.ई. आपका है, एक एम.ई. लगा हुआ है, वह सैंक्शन करता है, उसका पावर है। आपका इसमें दूसरा सिस्टम नहीं है इसलिए थर्ड पार्टी का जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो, तब तक पेमेंट नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन होगी और चीजों की अच्छी व्यवस्था होगी। यह मेरा सरकार को निर्देश है कि इस पैसे का जुडीशियस क्वालिटेटिव उपयोग हो, उस संबंध में कोई निर्देश दिये जाने चाहिए। अगला प्रश्न, श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली जिले में किसानों को देय कृषि ऋण

41. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रबी एवं खरीफ फसलों हेतु किस अवधि के अंदर किसानों को ऋण दिए जाने का प्रावधान है?

(2) जिला पाली में वर्ष 2016 से 2020 तक उक्त फसलों हेतु किस-किस अवधि में ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 एवं 2020 में कृषि ऋण देने में अत्यंत देरी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वर्षों में फसलों की बुवाई के प्रारम्भ में कृषि ऋण देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) रबी फसल हेतु 01 सितम्बर से 31 मार्च तक एवं खरीफ फसल हेतु 01 अप्रैल से 31 अगस्त तक किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित किये जाने का प्रावधान है।

(2) पाली जिले में पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2016 से 2020 तक इन फसलों हेतु जिस अवधि में ऋण दिया गया, उसका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) राज्य में खरीफ, 2019 से सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 में आरम्भ की गई, जिसके कारण ऋण वितरण में आंशिक देरी हुई एवं योजनान्तर्गत जुलाई, 2019 से ऋण वितरण प्रारम्भ हुआ।

वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही ऋण वितरण प्रारम्भ कर दिया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब रबी की फसल की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम भरने की अंतिम तारीख आपके 15 दिसम्बर है और आप ऋण देते हो 31 मार्च तक और खरीफ की फसल की अंतिम तारीख है प्रीमियम भरने की आपकी 15 जुलाई और आप अधिकांश ऋण देते हो अगस्त तक तो जो काश्तकार आपका ऋणी है न, जिसको आपने देरी से ऋण दिया तो वह तो फसल बीमा से वंचित रह जाएगा, उसका जो नुकसान है न, उसकी भरपाई एक तो कौन करेगा? यह जवाब दे दो।

मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि पिछली सरकार ने किसान के लिए दो योजनाएं बनाई थीं, एक तो कृषक, किसान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, इसमें यदि किसान की दुर्घटना हो जाती है जो आपका ऋणी है तो दस लाख रुपये की राशि बीमा कम्पनी उसको मुआवजे के रूप में देती थी और दूसरी योजना थी किसान सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो आपका ऋणी है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसका ऋण है, वह बीमा कम्पनी चुकाती थी।

अब 01 मार्च, 2019 के बाद, 01 अप्रैल, 2019 के बाद आपको एम.ओ.यू. करना था कम्पनी से, आपने वह एम.ओ.यू. नहीं किया। आपने एम.ओ.यू. किया दुर्घटना में तो नवम्बर, 2020 में तो इस अंतराल में जिस-जिस किसान की दुर्घटना से मौत हो गई, आपने प्रीमियम काटी, एक तो उसकी राशि कौन देगा और एक जो ऋणी था, उसकी सामान्य मौत हो गई और आपने बीमा वापस कराया, एम.ओ.यू. हुआ आपका सितम्बर, 2020 में तो इस अवधि में कोई ऋणी की अगर मृत्यु हो गयी तो उसका ऋण आप माफ करोगे या नहीं करोगे? यह मेरा दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो-दो प्रश्न पूछ चुके हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तीन होते हैं सप्लीमेंट्री।

श्री अध्यक्ष: तीन का एक साथ जवाब ही नहीं आएगा, आप तो एक-एक करके पूछें। दूसरा आपका अभी थोड़े ही, एक साथ ही तीन मत पूछें। एक साथ ही तीन पूछ लिये, तीन पूछेंगे तो छह हो जाएंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है कि बीमा होने में विलम्ब होता है और 15 जुलाई से पहले ऋण वितरण कर दिया जाए तो प्रीमियम कटने में ठीक रहता है लेकिन यह परिपाटी शुरू से ही, ऋण की जो तारीखें अभी बताई हैं, 31 दिसम्बर और अगस्त, जब तक चलता रहा है, अगर यह संशोधन की आवश्यकता हुई तो उसमें तारीखों में संशोधन कर देंगे ताकि बीमा में कोई दिक्कत नहीं आए। वैसे 28 अगस्त तक जाकर प्रीमियम कटती है। अब 15 जुलाई को आप कह रहे हो तो 15 जुलाई तक का समय निर्धारित कर देंगे क्योंकि फसल बुवाई का समय भी वही रहता है जब ऋण की आवश्यकता होती है। यह पुरानी परिपाटी चली आ रही है, इसको भी बदल देंगे।

दूसरा, आपने बीमा के संबंध में पूछा है। नि:संदेह बीमा में विलम्ब हुआ है, इसको मैं भी मानता हूं और किसी न किसी कारण से वह होता रहा, उसके लिए हमने एक जांच कमेटी बैठा दी है एडिशनल रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में तो वह जांच करके जब रिपोर्ट देगी, आपने जो बात बताई उससे पहले ही मेरे मन में यह आया था कि बीमा तो नहीं हुआ है, यह मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं इसलिए एक जांच कमेटी बैठा रखी है और जांच रिपोर्ट आने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, इस दौरान एम.ओ.यू. सरकार ने लेट किया। कृषक का प्रीमियम कट गया, कृषक की कोई गलती नहीं है इसमें तो, इस अवधि में जब बीमा कम्पनी से एम.ओ.यू. आपका लेट हुआ, उस दौरान किसी की दुर्घटना में मौत हो गई तो उसका पैसा सहकारी बैंक देगी और दूसरा जो ऋणी जिसकी मृत्यु हो गई और आपने उसका बीमा किया हुआ है तो क्या आप उसका ऋण माफ करोगे? यह थोड़ा मुझे बता दो।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): ऐसी विसंगतियां आई हैं या प्राप्त हुई हैं और विशेषकर झालावाड़ जिले से, उसकी मैं जांच करवा रहा हूं और संबंधित जो दोषी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, नहीं हर जिले में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह सीधा प्रश्न है कि कृषक ने जब अपना पैसा जमा करवा दिया, सरकार ने एम.ओ.यू. लेट किया। इनका कहने का मतलब यह है कि जो एम.ओ.यू. और इसके ऋण के बीच में जिनकी डैथ हो गई, उनके संबंध में क्या हम उस किसान को लाभ देंगे या नहीं देंगे? यह प्रश्न है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): साहब, एम.ओ.यू. हुआ ही नहीं। सर, हुआ ही नहीं। बीमा होना शेष रह गया इसलिए दुख हुआ है। यह जांच का विषय है और जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारियों के दोषी होने पर कार्यवाही करेंगे। जो बात सत्य है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जांच करवाई जा रही है और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है और किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय यदि हुआ है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आप अलग ढंग से प्रश्न लाएं, मैं अलाउ करूंगा। अलग ढंग से प्रश्न लाएं, इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्न के संबंध में नहीं है। आप अलग ढंग से प्रश्न लाएं, इसको मैं अलाउ करूंगा। अगला प्रश्न, श्रीमती शकुन्तला रावत।

शेरगढ़ में रोडवेज बस संचालन हेतु स्वीकृत नवीन मार्ग

42. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) (श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़) के स्थान पर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी, 2021 तक रोडवेज बसों के संचालन हेतु नये बस मार्ग स्वीकृत किए गए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में रोडवेज बसों के संचालन हेतु नये बस मार्गों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जोधपुर शहर से शेरगढ़ क्षेत्र के गांवों को सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सिटी बसों के नए मार्ग को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने कौन-कौनसे व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंहजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो श्रीमती मीना कंवर का लगाया हुआ है। श्रीमती शकुन्तला रावत का नहीं है, मेरे पास तो श्रीमती मीना कंवर का क्वेश्चन है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हां, प्रश्न श्रीमती मीना कंवरजी का ही है।

श्री अध्यक्ष: हां, प्रश्न तो आपके पास सही है। माननीय मंत्रीजी, परंपराएं समझें। मैं अलाउ करता हूं कि किसको अलाउ करना है।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): मैं समझ गया। ठीक है।

श्री अध्यक्ष: उनका प्रश्न है और इनको अलाउ किया है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): (1) जी नहीं।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के निम्न ग्रामीण मार्गों पर ग्रामीण बस सेवा योजना के अन्तर्गत वाहन संचालन के प्रस्ताव तैयार किये हुए हैं-

1. गुमानपुरा से शेरगढ़
2. जेठानिया से गड़ा
3. चान्दसमा से शेरगढ़
4. सावरसर से नागणा

सरकार की घोषणा 'ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना' के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। जोधपुर से शेरगढ़ क्षेत्र के लिये नगरीय परिवहन सेवा की सिटी बस सेवाएं उपलब्ध नही करवाई जा सकतीं क्योंकि उक्त सेवाएं शहर के नगरीय मार्ग के लिये स्वीकृत की गई हैं।

जोधपुर से शेरगढ़ मार्ग के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करने पर वर्तमान में 2 अनुज्ञापत्र एवं 12 सेवाएं जारी हैं।

निजी वाहनों को शेरगढ़ के लिए निम्नानुसार अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं:-

(परिवहन मंत्री)

मार्ग का नाम	अनुज्ञापत्रों की संख्या	सेवाओं की संख्या
औसियां से शेरगढ़	10	19
बालोतरा से शेरगढ़	5	8
पोकरण से शेरगढ़	5	6
शेरगढ़ से फलसूण्ड	4	7
सोयला-औसियां-शेरगढ़ एकीकृत मार्ग	8	15

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चार गांव लिखे हैं, इसके अलावा मीनाजी ने यह सूची दी हुई है। क्या जो लम्बे रूट हैं, उन रूटों पर भी आप बस चलाने का मानस रखेंगे और यह प्रक्रिया 2021 तक चलेगी या 2022 तक चलेगी?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण परिवहन सेवा को लेकर खुद मुख्य मंत्री और पूरी सरकार गंभीर है। पिछली सरकार के समय यह ग्रामीण परिवहन सेवा बंद हो गयी थी, लेकिन अब सब एम एल एज से प्रस्ताव मांगे गये हैं और मीना कंवर जी के शेरगढ़ के प्रस्ताव भी मुझे मिल गये हैं। पूरे राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर यह सारी प्रक्रिया विचाराधीन है। जल्दी से जल्दी सबको इन मार्गों पर ग्रामीण परिवहन सेवा की बसें देखने को मिलेंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हीराराम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा ग्रामीण परिवहन बस सेवा के लिये सरकार गंभीर है। आपका सवा दो साल पूरा हो गया। अभी गंभीरता ही रहेगी क्या? यह गंभीरता कितने साल में टूटने वाली है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विपक्ष के नेता महोदय, जो बहुत सीनियर हैं, यह गंभीरता तब इनको दिखानी चाहिए थी, जब इन्होंने ग्रामीण परिवहन सेवा बंद की थी। यह कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गयी थी। 2008 से 2013 में जब मुख्य मंत्री

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

अशोक गहलोत बने, तो राजस्थान के हर ग्रामीण मार्ग पर यह चलायी गयी और अब बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। इतनी जबर्दस्त तैयारी से आ रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी जल्दी ही घोषणा करेंगे और आपने जो बंद की है, वह ग्रामीण परिवहन सेवा के लिये मैं इतना प्रोमिस करता हूं, आप सब एम एल एज से भी मैंने प्रस्ताव मांगे हैं। मन में सपना एक ही है। इस कोरोना में बड़ी लड़ाई लड़ी, सब समय मुख्य मंत्रीजी ने लगाया, आपने लगाया, लेकिन आप देख लेना ऐसी फुलप्रूफ योजना लेकर आ रहे हैं कि राजस्थान का एक भी मार्ग नहीं बचे और सब जगह बसें चलें, यह हमारी नीयत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री हीराराम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं देना चाह रहा हूं, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि हमने घोषणा की, हम नहीं कर पाये। आपने आते ही घोषणा की, वह अभी प्रक्रियाधीन है सवा दो साल में, तो आखिर इसका एण्ड कितने साल बाद आने वाला है? इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर जवाब दे दूं, क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान जिनका हो, उनको पूरा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता का इतना बड़ा कद है, यदि इनके सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया तो फिर गलत संदेश जाएगा, क्योंकि मैं बचपन से आपको देख रहा हूं। मैं यह मानता हूं ...(व्यवधान) भाषण से कोई दर्द हो रहा है क्या? भाषण भी सुन लो, जब सवाल पूछा है तो।

अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल ठीक कहा, जिस दिन सरकार बनी, उस दिन से इच्छा थी कि ग्रामीण परिवहन सेवा जल्दी से जल्दी चालू हो। ग्रामीण परिवहन सेवा में जो पहले कमियां थीं, आज मैं यह अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि नियम-कायदा-कानून भी कुछ है। जो योजना मुख्य मंत्रीजी खुद देख रहे हैं और खुद उस पर डिस्कस करके फुलप्रूफ ऐसी योजना लाना चाहते हैं कि पहले जिन कारणों से बंद हुई, एक तो वह कारण डवलप नहीं हों, और ग्रामीण परिवहन सेवा को लेकर पूरा सदन चिन्तित है। पक्ष और विपक्ष के सब सदस्य, मैंने खुद मेरे यहां से पत्र लिखा है सब विधायकों को और लगभग सबको मिला है। यदि किसी को पत्र नहीं मिला हो तो मेरे से मिल लेना। मैंने खुद ने मेरे यहां से लैटर लिखा है कि आप अपने यहां पर रूट बता

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

दो। उसमें यह पाइंट डाला है, अध्यक्षजी, ऐसे मार्ग बताइए जहां पर एक भी बस नहीं चलती है। उसमें इच्छा यह है, कुछ लोगों ने यह कहा है कि आजादी के बाद ऐसे मार्ग हैं, जहां पर आज तक एक बार भी बस नहीं चली, तो उनका क्या गुनाह है? अब यह प्रक्रियाधीन है। विदिन, मैं आपसे प्रोमिस करता हूं विदिन मंथ, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक महीने में आपके सामने पूरी योजना आ जाएगी। आप निश्चित रहिए, पूरी तैयारी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हीराराम।

बिलाड़ा में मदरसों को देय अनुदान

43. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कौन-कौन से गांवों में मदरसे संचालित हैं व उक्त में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मदरसेवार विद्यार्थियों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन-कौन से मदरसों को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मदरसा पैराटीचर्स के कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वक्फ मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के 15 गांवों में 32 मदरसे संचालित हैं जिनमें 1412 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मदरसेवार विद्यार्थियों की संख्या सहित विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2019-20 में मदरसा सुविधा अनुदान योजनान्तर्गत 16 मदरसों को राशि रु. 94,000 का अनुदान दिया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) मदरसा पैराटीचर का नियमित पद नहीं है। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में संविदा के आधार पर पैराटीचर लगाए जाते हैं। वर्तमान में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 44 पैराटीचर मदरसों में कार्यरत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में शेष रहे

(श्री हीराराम)

मदरसों में अनुदान की राशि कब तक आ जाएगी जिससे बच्चों के लिये कम्प्यूटर, पुस्तकें एवं शौचालयों का निर्माण कराया जा सके?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मदरसों को जो अनुदान दिया जाता है, मदरसा सुविधा अनुदान, यह भारत सरकार अनुदान देती है। 2018-19 और 2019-20 में भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इनके द्वारा अनुदान नहीं दिया गया। हमने शिक्षा विभाग के माध्यम से भी प्रस्ताव भेजा। अनुदान नहीं मिलने पर हमने अभी 2019-20 के लिये राजस्थान सरकार से 1.87 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। उसमें बिलाड़ा के 16 मदरसों को अनुदान मिला है। जहां पर 20 और 20 से ज्यादा नामांकन हैं, उन सबमें अनुदान हम जल्दी ही दे देंगे।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उचियाड़ा, बोरूंदा, खारया एवं खेजलड़ा के मदरसों में एक भी पैराटीचर नहीं है। इन रिक्त पदों पर कब तक पैराटीचर नियुक्त कर दिये जाएंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपने जवाब में भी कहा है, क्योंकि मदरसा पैराटीचर का कोई नियमित पद नहीं है। हम सुविधा के आधार पर पैराटीचर लगाते हैं। अभी 2013 के बाद में कोई नई भर्ती नहीं आयी है। जब नई भर्ती आएगी तब इनमें पैराटीचर्स लगा देंगे। इसके अलावा भी हमने सभी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, जिलेवाइज हमने सबको एक परिपत्र भेजा है, जहां पर समायोजन के आधार पर जहां पर पैराटीचर ज्यादा हैं, जल्दी ही समायोजन के निर्णय लेकर जोधपुर जिले में यदि कहीं पर पैराटीचर्स ज्यादा हैं तो बिलाड़ा में लगा दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़।

इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना

44. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति निधि सृजन करने की नीतिगत घोषणा की थी? यदि हां, तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उक्त योजना को किस प्रकार वित्त पोषित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निधि में से कितनी राशि 1 जनवरी, 2021 तक व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व साथिन के प्रशिक्षण हेतु इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त संस्थान से 01 जनवरी, 2021 तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 1,000 करोड़ की इंदिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा पांच वर्ष के लिये की गई थी। उक्त को इंदिरा महिला शक्ति योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का वित्त पोषण राज्य आयोजना मद से किया जा रहा है। योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत संचालित योजनाओं में 01 जनवरी, 2021 तक व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अन्तर्गत राशि 19 करोड़ 70 लाख 18 हजार रुपये व्यय कर 1 लाख 47 हजार 84 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 51 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा साथिनों के प्रशिक्षण हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) जयपुर व राज्य में स्थित अन्य राजकीय संस्थानों के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी। साथ ही एचसीएम रीपा जयपुर में इंदिरा महिला शोध संस्थान भी स्थापित किया जायेगा।

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) जयपुर में इन्दिरा महिला शोध संस्थान की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास के सम्बंध में शोध करना है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा साथिनों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न राजकीय संस्थानों के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

वर्ष 2020 में कोविड वैश्विक महामारी के कारण संस्थागत आवासीय प्रशिक्षण स्थगित रहने के कारण प्रशिक्षण कार्य नहीं हो सका।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न में मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहा था कि आपकी जो बजटीय घोषणा है 2019-20 की, उसमें आपने एक हजार करोड़ की इंदिरा आवास महिला शक्ति निधि सृजित करने की घोषणा की थी, उसका वित्त पोषण कैसे किया? मेरे पूछने का आशय यह था कि आपने इस योजना के अन्तर्गत 2019-20 में कितनी राशि का प्रावधान किया? क्योंकि यह बजटीय घोषणा थी और 2010-21 में इस योजना के अन्तर्गत एक हजार करोड़ की योजना थी, उसमें कितनी राशि का प्रावधान किया? दूसरा मैं इसके साथ ही पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न पूछो। एक हजार करोड़ पांच साल के लिये है।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक हमने, क्योंकि मैंने अपने मूल प्रश्न के जवाब में बताया है कि लगभग 01 लाख 47 हजार 84 महिलाओं को हमने 19 करोड़ 70 लाख, लगभग 20 करोड़ के माध्यम से लाभान्वित किया है और कई अन्य योजनाओं के भी हमने प्रारूप तैयार किये हैं, जिनका आगामी बजट घोषणा में बजट में हम लोग प्रावधान करेंगे। अभी लगभग हमने 20 करोड़ के करीब खर्च किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कुल-मिलाकर सवाल इतना है कि आपने पांच वर्ष के लिये जिस दस हजार करोड़ की योजना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक हजार करोड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक हजार करोड़ के लिये जिस योजना के लिये आपने नीतिगत घोषणा की थी, उसमें इन दो वर्षों में, पिछले वित्तीय वर्ष में, बिना बजट प्रावधान के तो होता नहीं, आपने कितना खर्च किया?

श्री अध्यक्ष: बताया न 20 करोड़, 19 करोड़ 70 लाख के करीब बताया है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वह तो ठीक बात है, मैं मान गया, पर इसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रावधान किया होगा, तब ही तो खर्च किया होगा। मैं प्रावधान पूछ रहा हूं 2020-21 का।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट घोषणा थी इसमें कहीं पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि पांच साल के अन्दर इस साल 200 करेंगे कि इस साल 100 करेंगे। मेरे पास में यह जो बजट की कापी है, इसमें यह है कि हम लोग एक हजार करोड़ खर्च करेंगे महिलाओं की तरक्की, प्रगति और उनको शिक्षित करने पर। किस वर्ष के अन्दर कितना करेंगे, यह इसमें नहीं लिखा हुआ। उसके बावजूद भी हमने आगामी वर्ष के लिए, 2020-21 और 2021-22 में जो हमारी अनुमोदित योजनाएं हैं उसमें हमने 420 करोड़ की योजनाएं हमने अनुमोदित कर ली हैं।

प्रस्तावित नवीन योजनाओं में 250 करोड़ की नवीन योजनाओं का वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है व नवाचार अन्य विभागों के माध्यम से, जिसमें हम लोग कई विभागों के साथ में महिलाओं को नवाचार के लिए मौका देंगे, उसके लिए हमने 310 करोड रुपये, कुल राशि 980 करोड़ का प्रावधान हमारे विभाग द्वारा कर लिया गया है। जिसमें महिलाओं को नि:शुल्क आरएस-सीएफए के लिए 20 करोड़, महिलाओं को नि:शुल्क कम्प्यूटर बेसिक कोर्स सिखाने के लिए आरएस-सीआईटी के माध्यम से 100 करोड़, शिक्षा सेतु जिसमें ओपन स्कूल के अन्दर बच्ची पढ़ेंगी उसमें 50 करोड़, कौशल सामर्थ्य योजना के अन्दर 20 करोड़, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान के कार्य करने के लिए 55 लाख, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना के लिए 55 लाख, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम इसमें 8.60 लाख, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो कि पांच जिलों के लिए क्रियान्वित की जा चुकी है, इसके लिए 120 करोड़, कुल 420 करोड़, जो हमारी योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं, उसका यह विवरण मैंने सदन के समक्ष पेश किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न अभी भी है, मेरे को उत्तर नहीं मिला। खैर, मंत्री जी, अभी आपने खण्ड तीन में जो बात कही है, 2020-21 के बिन्दु संख्या 51 में आपकी बजटीय घोषणा थी इंदिरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महिला शोध संस्थान, इंदिरा जी के नाम की संस्था है, इंदिरा जी के नाम की योजना है, उसमें आपने कहा, घोषणा कर दी कि हमने एम.ओ.यू. किया है हरिश्चंद्र माथुर रीपा के साथ तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो एम.ओ.यू. किया है, इस एम.ओ.यू. में निश्चित तौर पर एक नया संस्थान खुलेगा तो कोई बजटीय प्रावधान किया होगा, कितने करोड़ का है, कितने लाख का है, कहां बिल्डिंग बनेगी, कैसे होगा, उसका कितना बजटीय प्रावधान है? एक मुझको यह बता दो और एक आपने किस तारीख को एम.ओ.यू. किया, एम.ओ.यू. के अनुसार यह शोध संस्थान कब बन जाएगा? उसके बारे में बता दो।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, हम लोगों ने शोध संस्थान का एम.ओ.यू. 22 दिसम्बर, 2020 को किया और यह एचसीएम रीपा के अन्दर, जो कि अपने आपमें एक बहुत बड़ा संस्थान है, राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशिक्षण संस्थान है, यह आपको पता है। इसके लिए 25 लाख रुपये का वित्त स्वीकृत कर चुके हैं जो कि हमने उनके खाते में डाल दिया। अब वे हमको बिल्डिंग में कौन सा स्थान देंगे, उसका भी तय हो चुका है। कोविड के बाद अब 31 मार्च तक बहुत कुछ प्रशिक्षण इसके अन्दर शुरू भी कर लिए जाएंगे। हमारी पूरी तरह से तैयारी विभाग की है, एम.ओ.यू. तैयार होने के बाद में एचसीएम रीपा में शुरू होने की स्थिति में है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

तीरंदाजी खेल का आयोजन

45. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत 02 वर्ष से तीरंदाजी खेल का आयोजन नहीं हो रहा है? क्या सरकार द्वारा उक्त खेल को बन्द कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): जी नहीं। तीरंदाजी खेल का आयोजन तीरंदाजी राज्य संघ द्वारा विगत दो वर्षों से निम्न प्रकार से किया जा रहा है:-

1. राजस्थान स्टेट सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2017- दिनांक 29 मार्च, 2018, बीकानेर।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

2. राजस्थान स्टेट सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2018- दिनांक 24-25 फरवरी, 2019, बीकानेर।
3. राजस्थान स्टेट जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता- 1 फरवरी, 2019, कोटपूतली, जयपुर।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा वर्ष 2019-20 में जयपुर में दिनांक 03.01.2020 से 06.01.2020 आयोजित स्टेट गेम्स में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय जी, आबूरोड भी टीएसपी में आता है, जनजाति छात्रावासों के अन्दर दो साल से तीरंदाजी खेल बंद है, टेबल टेनिस का खेल खिलाया जाता है जबकि बच्चे रुचि नहीं रखते हैं तो मैं सरकार से कहूंगा कि क्या आप छात्रावासों के अन्दर तीरंदाजी खेल शुरू करवाएंगे? क्योंकि जनजाति क्षेत्र में तो तीरंदाजी खेल विशेष प्रकार से होते हैं जबकि दो साल से छात्रावासों में तीरंदाजी का खेल नहीं खेला जाता। क्या आप मंशा रखते हैं कि छात्रावासों में वापस तीरंदाजी का खेल शुरू करवाएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय की बात को समझ गया हूं। हमारे राजस्थान में तीरंदाजी की दो एकेडमी हैं, गर्ल्स एकेडमी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के अन्दर और बायज एकेडमी उदयपुर के खेल गांव के अन्दर और इसमें सालाना 25-25 लाख रुपये का व्यय होता है, 15-15 बच्चे और 15 बच्चियां, दोनों एकेडमी में रहते हैं। क्योंकि इसी साल, इसके ट्रायल्स मई-जून में होते हैं और जुलाई से मार्च तक का इसका सेशन होता है लेकिन हॉस्टल्स और स्कूल्स नहीं खुलने की वजह से गर्मियों में लॉकडाउन में ट्रायल नहीं हो सका और लॉकडाउन के दौरान जो कोविड गाइडलाइंस थी, हॉस्टल में बच्चों को नहीं रख सकते थे लेकिन इस साल हमारी तैयारी है कि आने वाला जो जुलाई है, गर्मियों में उसके ट्रायल्स लेकर दोनों एकेडमी में, केवल यह एक ही साल है जब चालू नहीं हुआ और अगले साल यह चालू रहेगा, यह पूर्व की तरह निरन्तर चलता रहेगा।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय जी, सिरोही

(श्री समाराम गरासिया)

जिले को भी शामिल किया जाए क्योंकि सिरोही जिला हमेशा नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि नया टीएसपी है, इसमें सिरोही जिले का भी नाम रहे।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): आप सिरोही जिले की सामग्री के लिए कह रहे हैं, निश्चित रूप से आप डिमांड भिजवाइयेगा, हम वहां पर निश्चित रूप से खेल सामग्री मुहैया करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में श्रमिक कार्ड के लाभार्थी

46. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाते हैं? सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड से श्रमिकों को किन-किन लाभकारी योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में विगत पांच वर्ष में श्रमिकों को क्या-क्या लाभ कब-कब दिये गये? श्रमिकों से लाभकारी योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितनों का निस्तारण हो गया तथा कितने किस कारण से शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सभी श्रमिक कार्डधारियों को समय पर उक्त योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किए जाने का प्रावधान है। मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में विगत पांच वर्षों में 2211 हिताधिकारियों को मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिसके अतर्गत प्राप्त कुल 4173 योजनाओं के आवेदनों में से 2211 आवेदन स्वीकृत, 926 स्वीकृत, 284 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर

(राज्य मंत्री, श्रम)

तथा 752 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

मुख्यतः निर्माण श्रमिकों द्वारा पूर्ण आवेदन प्रस्तुत नहीं करना, काट -छांट किये गये दस्तावेज अपलोड करना, स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना, वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने के कारण आवेदन लम्बित हैं।

(3) संवेदनशीलता के आधार पर लम्बित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण का हर सम्भव प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर 'पहले आओ पहले पाओ' पद्धति से किया जा रहा है। मण्डल में उपलब्ध सीमित सोर्स की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए निस्तारण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभागीय व हितधारियों के स्तर पर वर्षवार कितने कितने आवेदन किस-किस श्रेणी के लम्बित हैं और उसके क्या कारण है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): मैंने आपको पूरा वर्षवार विवरण दिया है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: वर्षवार विवरण ले लेना, आप प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सर, आपने पांच वर्ष का मांगा है, मैंने आपको पांच वर्ष का स्कीमवाइज विवरण उपलब्ध करवा दिया है और आप चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं। निर्माण श्रमिकों के 68 आवेदन आए हैं, निर्माण श्रमिक भविष्य सुरक्षा योजना के पांच आए हैं, निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल योजना के 3429 आवेदन आए हैं, निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के 17 आवेदन आए हैं, प्रसूति सहायता योजना के 84 आवेदन आए हैं, शुभ शक्ति योजना के 530 आवेदन आए हैं और हिताधिकारी की सामान्य दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने के 40 आवेदन आए हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने यह नहीं पूछा। मैंने पूछा कि किस-किस वर्ष के कितने-कितने आवेदन अभी तक लम्बित हैं? मैंने यह पूछा है।

श्री अध्यक्ष: वह कागज आपके उसमें नहीं आया क्या? है इसमें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लम्बित हैं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सर, इनके जो आवेदन लम्बित हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27.07.2009 से और 2018 तक के आपके समय में कुल 396 आवेदन स्वीकृत हुए थे और हमारे इन दो वर्षों में 8 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। यानी कि आपके लगभग 9 साल और हमारे 2 साल।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सरकार के पूछ रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनक उत्तर नहीं सुनना है? मंत्री बोल रहे हैं, आप खुद मंत्री रहे हुए हैं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): इनके 9 वर्ष में और हमारे 2 वर्ष में, 4 गुना ज्यादा आवेदन आप लोगों के यहां पर स्वीकृत हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामगंज मण्डी में पिछले 2 वर्षों में 1770 बेनेफिशरियों को हमने सहायता दी है। लगभग 1 करोड़ 70 लाख का भुगतान हमने किया है। आपके समय में 396 लोगों को पूरा आपका और हमारा पिछला समय लगा लेंगे 9 साल का, उसमें सिर्फ 54 लाख का भुगतान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पहले से कई गुना ज्यादा बेनेफिट हम श्रमिकों को दे रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरियां भी रही हैं। कोविड का समय आ गया और आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं। बजट की जरूर हमारे पास दिक्कत है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे काम करने में आपको कहीं भी कोई कोताही नहीं मिलेगी। हम वरीयता के आधार पर काम कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन-कौनसे वर्ष के कितने-कितने विभागीय स्तर पर और हितधारी के स्तर पर पैंडिंग हैं? वह क्यों पैंडिंग हैं?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न समझ में आए, इसका आपरेटिव पार्ट पूछ लो। क्या चाहते हो इससे? इस सूचना से आप क्या चाहते हो? वह बोलो आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं यह चाहता हूं कि किसी का आवेदन तो 5 साल से लंबित है और किसी के कल के आवेदन का भुगतान हो गया है। इन्होंने यह विभागीय स्तर पर बताया है। कितने-कितने किस वर्ष के हैं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को तो हम भी उसको तुरंत रिजेक्ट कर सकते हैं। नियम तो यह है कि वह 30 दिन में अगर जवाब पेश नहीं करता है और उसके कोई आब्जेक्शन लगा है, उसकी पूर्ति नहीं करता है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हिताधिकारियों को मौका देने के लिए, हमने मानवता दिखाते हुए उसको 30 दिन से बढ़ाकर के 60 दिन का समय दिया है कि वह 2 अपील भी कर सकता है। हम उसको एसएमएस से भी सूचना देंगे। उसके बाद भी अगर वह पूर्ति नहीं करता है तब उसको रिजेक्ट करने का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोविड की वजह से पूरी छूट दी है। हमने इस वर्ष किसी का भी आब्जेक्शन की वजह से रिजेक्ट नहीं किया है। वह पूर्ति कर दे, हम उसका अब भी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनके जितने पैंडिंग केस हैं, उनको 2 महीने में आप डिस्पोज करने का निर्णय करें। उनको मालूम पड़े कि हैं कि नहीं हैं। इसमें यह बात कहकर छुट्टी करें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 महीने नहीं, एक महीने में ही शुभ शक्ति के अलावा सारे इनके क्लियर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अब बोलें आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह था कि विभागीय स्तर पर कोई खामी नहीं है। हितधारी के स्तर पर कोई खामी नहीं है। 700 के ऊपर आवेदन बताए हैं। जो विभागीय स्तर पर लंबित हैं, विभागीय स्तर पर वह लंबित क्यों हैं और उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? हिताधिकारी के तो मान लेते हैं कि कुछ कमियां होंगी।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): मैं माननीय सदस्य को समझाना चाहूंगा कि यह जो 700 आवेदन हैं इसमें ज्यादातर छात्रवृति के आवेदन हैं, जो कि अभी आए हैं। पिछले 1-2 महीने के जो आवेदन हैं, वह इसी वर्ष के हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि वर्षवार कितने-कितने हैं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वर्षवार पहले क्वेश्चन में नहीं था। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें 90 परसेंट जो केस हैं वह पिछले 2 या 3 महीने के हैं। कोविड की वजह से इसमें छात्रवृति के लिए जो आवेदन किए जाते हैं, वह लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के अंदर आवेदन आते हैं। कोविड की वजह से वह तारीख हम लगातार बढ़ाते रहे हैं। वह आवेदन लंबित हैं। पुराना कोई बहुत ज्यादा इसमें लंबित नहीं है। सारे नए आवेदन हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसलिए मैं जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्योंकि मेरे पास समाचार यह है कि जो पैसा दे देता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आप रिलीफ चाहते हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी बात समझ में आ गई। जितने पैंडिंग केस हैं, उनके संबंध में विभाग समय पर निर्णय लेकर के उनको डिस्पोज करे। यही कहा है उन्होंने। अब उसको रिपीट करने से तो कोई परपज नहीं होगा।

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

राज्य पशु ऊंट की संख्या में वृद्धि की कार्ययोजना

47. श्री अमीन खां (शिव): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में जब से ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है उसके पश्चात् से उक्त पशु आवारा हो गया हैं? क्या यह सही है कि ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद ऊंटों की संख्या कम हुई है? यदि हां, तो सरकार उक्त पर रोकथाम हेतु क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी नहीं। ऊंट को वर्ष 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया है, जबकि प्रदेश में ऊंट वंश की संख्या में वर्ष

(पशुपालन मंत्री)

1992 से निरन्तर कमी दर्ज हो रही है। राज्य में ऊंटों के संरक्षण के लिए प्रदेश की प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्थाओं पर ऊंटों की चिकित्सा जांच व उपचार की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही वर्तमान में ऊंटों के वध को रोकने तथा राज्य से बाहर निकासी/अस्थाई प्रव्रजन पर रोक के लिए ''राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम, 2015'' प्रभावी है।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिंपल और सीधा-सा है। यह बात हम सभी जानते हैं कि पेशे से जितने भी पशुपालक लोग हैं इनमें ज्ञान कम होता है। मजदूर में भी ज्ञान ज्यादा होता है। मेरा सवाल पूछने का एक ही मकसद है कि ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के पीछे सरकार का इरादा क्या है? यह पशुपालकों की भलाई के लिए किया है या बर्बाद करने के लिए किया है? यह भी जवाब दे दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य सभी इस बात को जानते हैं कि इस पवित्र सदन ने जब कानून बनाया और उसके बाद क्या स्थितियां बनीं। 16 सितम्बर, 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। उसके बाद 2015 में कानून बन गया। उसके बाहर जाने पर रोक लगी। वध पर रोक लगी। वर्तमान समय में आधुनिक यंत्रों के कारण ऊंट को जो परिवहन के काम में लिया जाता था, जो सामान्य रूप से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था, उसकी संख्या में गिरावट आई है। लोगों ने ऊंटों को पालना बंद कर दिया है। उनको जंगलों में छोड़ दिया है। यह बात मैं सदन में खुद मानता हूं।

मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि ऊंट को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि हमने ही इसे राज्य पशु घोषित किया है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। कमेटी की हमने 1-2 मीटिंगें की हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने 3 वर्षों के लिए 23 करोड़ 65 लाख की एक योजना बनाई है। यह आरकेवाई से भारत सरकार को भेज रखी है। राजस्थान सरकार में भी हमने वित्त विभाग को लिख रखा है। उसके लिए जैसे ही हमको अनुमोदन प्राप्त होगा, हम निश्चित रूप से ऊंटों को बचाने के लिए यह योजना लागू करके इनके संरक्षण का काम करेंगे।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊंट को जिस दिन राज्य पशु घोषित किया है, मेरा यह दावा है कि उस दिन से आज तक राजस्थान में ऊंटों की संख्या 50 परसेंट से भी कम रह गई है। हमारी भाषा में तो उसको 'पौंग' कहते हैं। वैसे आम आदमी को समझने के लिए यह खुजली की बीमारी है। ऊंट आवारा हो गया है। ऊंट को कोई हाथ नहीं लगाता है। हजारों ऊंट मर गए। किसानों के लिए सबसे पहले परेशानी जंगली सूअरों ने की। उसके बाद में गाय आवारा हो गई। तीसरा यह ऊंट आवारा होने से गरीब काश्तकार की खेती के बचाव का कोई जरिया नहीं है।

ऊंट बहुत कीमती चीज है। ऊंट का दूध कई बीमारियों की भी सफाई करता है। ऊंट से खेती की जाती है। ऊंट से लोग पानी भरते हैं। ऊंट से चारा लाते हैं। ऊंट से लोग बारातें ले जाते हैं। ऊंट से लोग कुआं सींचते हैं। आप इसको रिजेक्ट करके, आपकी कमेटी पशुपालकों की बनाओ। शहर में इन बंगलों में बैठे हैं, इनको क्या पता कि ऊंट क्या चीज है और किस काम में आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें बस।

श्री अमीन खां (शिव): आप मेहरबानी करके इस पर गंभीरता से विचार करो अन्यथा तो बहुत ज्यादा पशुपालकों की त्राहि होगी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी बनी हुई है उसमें मैं माननीय सदस्य को भी आमंत्रित करूंगा। पश्चिमी राजस्थान के भी जो हमारे पक्ष और विपक्ष के साथी हैं, वह भी अपना सुझाव दें। मैं उनसे भी व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा कि वह जो भी इसके संरक्षण के लिए कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, उनको हम शामिल करेंगे।

रही बात ऊंटों की बीमारी की, जिसको लोकल भाषा में 'सररा' रोग कहते हैं, उसके लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसमें 2 इंजेक्शन लगते हैं। वह इंजेक्शन हर चिकित्सालय पर उपलब्ध हैं। समय-समय पर तहसील स्तर पर और गांव में करते हैं।

एक माननीय सदस्य: 3 लगते हैं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): हां, 3 इंजेक्शन लगते हैं। जी, वह लगाने का काम निरंतर जारी है। आपके पास यदि कोई सूचना हो तो जरूर मुझे बताएं। मैं उन कैंपों की और व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन लोगों ने ऊंट खुले छोड़ दिए हैं। यह तकलीफ जरूर है। जो पालक थे उन्होंने अपनी आमदनी के

(श्री लालचन्द कटारिया)

चक्कर में उनको जंगलों में छोड़ दिया। वहां कैंप लगाकर के भी हम व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री अमीन खां (शिव): अस्पतालों में आज कौन ऊंट लाता है? वहां कोई नहीं लाता है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): बिलकुल। नहीं लाते हैं।

श्री अमीन खां (शिव): फिर इंजेक्शन कहां लगेगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): हम कैंप लगाकर के कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री अशोक लाहोटी।

नंदीशालाओं की स्थापना हेतु आबंटित बजट

48. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा अब तक कितनी पंचायत समितियों में नंदीशाला की स्थापना की गई है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नंदीशालाओं की स्थापना हेतु कितना बजट कहां-कहां पर आबंटित किया जा चुका है व कितना बजट शेष है? वर्तमान कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं स्थापित करने बाबत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान तक पंचायत समिति स्तर पर बजट घोषणा की पालना में स्थापित नंदीशालाओं की संख्या शून्य है।

(2) बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं स्थापित करने बाबत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा आवारा एवं निराश्रित नर गौवंश के संरक्षण हेतु बजट घोषणा (64) की गई जिसके क्रम में नंदीशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत जिला स्तरीय नंदीशाला खोले जाने हेतु 16 जिलों (अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, हनुमानगढ़, दौसा, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बारां, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर,

(गोपालन मंत्री)

नागौर एवं जालौर) को राशि रुपये 45-45 लाख आबंटित किये गये हैं। कुल राशि रुपये 720.00 लाख आबंटित की गई।

जिला झुंझुनूं एवं भरतपुर में नंदीशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जिला पाली, अजमेर, दौसा में नंदीशाला का कार्य प्रगति पर है।

जिला बीकानेर, करौली, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाडमेर, बारां, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, नागौर एवं जालौर में नंदीशाला का कार्य प्रारम्भ होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, बजट घोषणा में उस समय कितनी पंचायत समितियों पर नंदीशालाएं खोलनी थीं और बजट घोषणा 2019-20 और 2020-21, इन दो वर्षों में कितना-कितना बजट एलोकेट किया गया और इस वर्ष जो प्रीबजट बीएफसी की मीटिंग हुई है, 2021 में, उसमें इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है, प्रश्न एक।

दूसरा, जो 16 जिले आपने बताएं हैं 2018 की घोषणा में थे, उसमें किस-किस जिले में शैड बनकर तैयार हो गए हैं और उसमें कितने-कितने पशु हैं।

तीसरा, आपने जो नंदीशालाएं खोलने की मंशा बजट में रखी, जो पहले से गौशालाएं चल रही हैं और ये नंदीशालाएं खोली हैं, इन दोनों में आपने क्या फर्क समझा कि आपको नंदीशाला खोलने की जरूरत पड़ी और उसका कितना बजट दिया? ये तीन प्रश्न हैं।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार की जो जिला नंदी गौशाला योजना थी, उसमें कई कमियां रहीं, उस कारण वह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। इस कारण माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2019-20 में पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला की जो घोषणा की, वह पूर्ण रूप से सफल हो, इसके लिए मैंने कई गौशालाओं से जुड़े संत समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिकारियों की बैठकें लीं, अधिकारियों के साथ मैंने कई गौशालाओं का निरीक्षण किया। विलम्ब का एक कारण यह रहा। जो योजना बनाई वह पहले की जिला स्तरीय नंदी गौशालाओं की तरह असफल हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। विलम्ब का दूसरा कारण कोरोना महामारी भी रहा। पंचायत स्तरीय नंदी गौशालाओं का मॉडल लगभग फाइनल हो चुका है और

(श्री प्रमोद भाया)

जल्दी से जल्दी हम उसका परिपत्र जारी करने वाले हैं। विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी योजना तैयार की है और उसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे।

बजट की जो बात माननीय सदस्य ने कही है कि उसके लिए कितना प्रोविजन किया तो जो योजना अभी प्रक्रियाधीन है, जब फाइनल होगी तो उसके बाद में आपको बजट की जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

आपने कहा कि कब तक स्थापित होगी तो मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी, एक महीने के अंदर-अंदर नंदी गौशाला के परिपत्र को जारी करके इनको जल्दी से जल्दी स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल तीन सवाल पूछे थे।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 जिलों में जो जिला स्तरीय नंदी गौशालाओं की जानकारी आपने चाही, इसमें 2 जिलों में नंदी गौशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है, 3 जिलों में कार्य प्रगति पर है, 11 जिलों में कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी परेशानी इसमें सामने आ रही है कि पिछली जिला स्तरीय नंदी गौशाला जो पिछली सरकार ने स्वीकृत की, उसमें राशि 50 लाख रुपये थी, जिसमें 45 लाख रुपये विभाग के द्वारा और 5 लाख रुपये संस्था के द्वारा प्रोविजन किया गया था। वह राशि बहुत कम थी, इस कारण से संस्थाओं का रुझान इसमें बहुत कम रहा, इस कारण से पिछली वाली योजना डिले हुई और पंचायत समिति नंदी गौशाला वाली है उसको हम व्यावहारिक योजना बनाना चाह रहे हैं कि इसकी पहले वाली योजना जैसी दुर्गति न हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल यह पूछा है कि यह बजट घोषणा थी, कितनी पंचायत समितियों पर यह खुलनी थी और उनके लिए कितना-कितना बजट आपने दो वर्षों में अलाट किया और यदि नहीं किया है तो आपने लिखा है कि 'शून्य' खुली, मान लिया नहीं खुली तो 2021 की प्री-बजट मीटिंग हो चुकी है, क्या उसमें बजट का प्रावधान किया गया है क्या, नम्बर एक।

दूसरा मैंने पूछा, जो आपने कहा कि 16 जिलों में पूर्व सरकार ने घोषणा की थी 2018-19 के बजट में, उनमें से आपने लिखा कि 2 में पूरा हो

(श्री अशोक लाहोटी)

गया है, 5 में प्रक्रियाधीन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इनमें शैड बन गए? जो 45 लाख रुपये आबंटित किए, उनमें से कितना खर्च हो गया? जो आबंटित किया वह सरकार कर गई 2018 में, लेकिन उसमें से कितना खर्च हो गया 2 साल में और कितने-कितने पशु वहां हैं? वहां शैड बन गए हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये। यह क्या कर रहे हैं आप? माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रावधानों की आपने जो बात की, बजट अब घोषित होगा लेकिन जैसे ही हमारी योजना का प्रारूप हम क्रियान्वित करेंगे, उसके बाद हमारे पास गो-निधि में पैसा है उसको हम तुरंत लागू कर देंगे।

दूसरा, आपने जिला स्तरीय गौशालाओं की जानकारी चाही, इसमें 2, झुंझुनूं में श्री गोपाल गौशाला, राणी सती खुर्द झुंझुनूं और भरतपुर में लोहागढ़ नंदी गौशाला, ग्राम इकरण, नगर निगम, भरतपुर, इनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 3 नंदी गौशालाएं, पाली, अजमेर, दौसा, पाली में श्री बोकाजी महाराज नंदी गोरू गौशाला, जीतड़ा, तहसील रोहट, अजमेर में श्री नंदी गोसेवा समिति, सरवाड़ और दौसा में गौ-सदन, दौसा, झालरा का बास, इन तीनों में कार्य अभी प्रगति पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत सीधा है। जिस समस्या के निदान के लिए आपके बजट में पहले घोषणा थी जिला स्तर पर बनाने की, आपने उसको बढ़ाकर पंचायत समिति पर भी गौशाला समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाई। जब आपने बजट बनाया तो पहले जो जिले पर था उसको आपने पंचायत समिति स्तर पर कर दिया, जिनकी संख्या 300 से अधिक है। उसके लिए बजट प्रावधान क्या रखा था आपने उस समय, वह बजट का हैड बताओ जिसके तहत पंचायत समिति पर इन नंदी शालाओं को खोलने का विचार बजट घोषणा में किया तो बिना बजट के तो कोई बजट घोषणा हो नहीं सकती। या तो विभाग ने आपको भ्रम में रखा। पहले बजट तय होता है फिर घोषणा होती है। आप तो बजट घोषणा के तहत बताओ कि आपने कितना पैसा स्वीकृत किया था।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री प्रमोद भाया)

माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि पहले बजट प्रावधान होता है फिर घोषणा होती है, बिलकुल सही बात है और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त गो-निधि में बजट है उसी के अनुरूप यह घोषणा की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कितना है वही तो बताओ?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): लेकिन जो पहले जिला स्तरीय नंदी गौशाला की घोषणा थी वह अव्यावहारिक थी, सफल नहीं हो पाई, इसलिए हम उसको व्यावहारिक योजना का मूर्त रूप दे रहे हैं, इसलिए वह डिले हो गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह अव्यावहारिक थी, वह अव्यावहारिक थी तो क्यों खोल रहे हो ये? ये जिले पर, भरतपुर और झुंझुनूं में जो आपने तैयार कर ली जो अव्यावहारिक है, तो फिर इसको खोलने की आवश्यकता क्या है? यदि अव्यावहारिक है तो फिर 16 और क्यों बना रहे हो आप? या तो आप बोल रहे हो वह ठीक नहीं और यदि आप जिले पर खोल रहे हो वह ठीक नहीं? जवाब देते हो आप 16 खोल रहे हैं, तैयारी हो रही है, इधर आप कहते हो कि व्यावहारिक नहीं है तो फिर क्यों खोल रहे हो? (व्यवधान) कमाल है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। अलाउ नहीं। (व्यवधान) बैठें, नीचे बैठें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमाल है। क्या जवाब है? (व्यवधान)

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब बिलकुल सही दिया है। पिछली जिला स्तरीय नंदी गौशाला की योजना थी, मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया कि उसमें राशि बहुत कम रखी गई थी, इस कारण से वह योजना सफल नहीं हो पाई, हम उसके लिए भी राशि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली जो योजना असफल हुई, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला की स्थिति वैसी नहीं बने इसलिए उसको व्यावहारिक बनाने के लिए हमें इतना समय लगा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा फसली ऋण देने में अनियमितताओं की शिकायतें

49. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर अल्पकालीन फसली ऋण वितरण में हो रही अनियमितताओं एवं वंचित राशि के ऋण अनुपलब्धता की शिकायतों पर संज्ञान एवं निस्तारण की कार्यवाही समय पर नहीं हो रही है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी संस्थाओं के अवधिपार ऋणी सदस्यों द्वारा ऋण राशि का भुगतान करने के उपरांत भी उन्हें अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) सहकारी संस्थाओं के अवधिपार ऋणी सदस्यों द्वारा ऋण राशि का भुगतान करने पर पात्रतानुसार पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक सप्लीमैंटरी पूछ लें वे? टाइम भी होने वाला है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जिन गांवों की सहकारी समिति की शिकायत आयी है- माजरा, ढाकोड़ा, बाबरिया, मोरोड़ी, क्या उनकी जांच आप कराएंगे? यदि हां तो कब तक करा देंगे? जिस घर के मुखिया की डैथ हो जाती है, उनके परिजन कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं तो क्या उनकी कर्ज माफी करेंगे या कोई छूट देने का प्रावधान है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जीएसएस पर अनियमितता की कुल पंद्रह शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से 2 जांच पूर्ण की जाकर चार कर्मियों को 16 सीसीए की चार्जशीट जारी की जा चुकी है। 13 जांचें अभी लम्बित हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी और किसी की शिकायत आप देंगे तो उनकी जांच भी करा लेंगे। जिस मुखिया की डैथ हो

(श्री अंजना उदयलाल)

जाती है और उसके परिजन ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, उसके लिए कमेटी विचार कर रही है। यदि सरकार छूट देगी तो उन्हें छूट दे दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कृषि व घरेलू विद्युत की अघोषित कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में सड़कों की खराब स्थिति होने के बावजूद टोल वसूलने से हो रही आम जनता को परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पिछले 2 वर्षों से मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृतियां जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न भर्तियों के पेपर लीक होने से युवाओं में अवसाद की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से पिछले कई दिनों से शाहजहांपुर बोर्डर पर नेशनल हाई-वे पर जाम होने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में घनी आबादी से 11 के.वी. व 33 के.वी. विद्युत लाइनों को अन्यत्र शिफ्ट करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में पिपल्या चौराहे से रुणजी के बीच स्टेट हाई-वे पर खान मालिक द्वारा अवैध नाले का निर्माण व अवैध खनन से जनहानि होने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा शहर में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर में अमृत कौर अस्पताल रोड पर अवैध रूप से काम्प्लेक्स का निर्माण करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा जिले के रामगंज मण्डी में अपराधियों के बढ़ते आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में नलकूल और ट्यूबवैल पर लगी पाबंदी हटाने से हो रहे अंधाधुंध भू-जल दोहन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप-खण्ड रानीवाड़ा एवं जसवन्तपुरा में जलदाय अभियन्ताओं के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की कोल हैण्डलिंग प्लांट के रख-रखाव व परिचालन निविदाओं में कथित रूप से हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में हैड व टेल क्षेत्र के किसानों को समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से प्रदेश में सामान्य जाति के कमजोर वर्ग की महिलाओं को EWS प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से राजस्थान पटवार संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में पशुओं के बीमे की योजनाएं बन्द होने व अन्य राज्य में पशु चराने गये पशुपालकों पर हो रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह, श्री हमीर सिंह भायल, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री अर्जुन लाल जीनगर, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या एवं श्री संयम लोढ़ा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से बानसूर को प्रशासनिक दृष्टि से एडीएम कार्यालय, भिवाड़ी के अधीन करने से आमजन को रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के अधीन सरकारी ट्यूबवैल/बोरिंग के विद्युत बिल का भुगतान करने हेतु ग्राम पंचायतों को अलग से बजट उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से बोर्डर होमगार्ड में ड्यूटी लगाने में कथित रूप से हो रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर स्थित महाराजा भर्तृहरि जी एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमाओं को आमजन के लिए नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी उन्दरी का गांव बोहरा फलां आवागमन हेतु सड़क से नहीं जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही घोर उदासीनता एवं लापरवाही के कारण पाली जिले के सोनाई लाखा व बिठू में नये उच्च जलाशय के निर्माण की स्वीकृतियां जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ को जिला नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से न्यूक्को सीमेंट लि. एवं अल्ट्राटेक सीमेंट टूंकडा द्वारा विधान सभा क्षेत्र जैतारण के निवासियों को रोजगार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से फतेहपुर के कस्बा रामगढ़ में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाये जाने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री पदमाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति सेड़वा अथवा धनाऊ में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की पट्टे से वंचित आवासीय कच्ची बस्तियों को पुन: सर्वे करवाकर पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री अमृत लाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा किसानों के कृषि व घरेलू विद्युत बिलों में मिलने वाली सब्सिडी/अनुदान को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में फसलों की सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से किसानों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री प्रताप सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में कोल हैण्डलिंग प्लांट के रख-रखाव व परिचालन निविदाओं में भ्रष्टाचार

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन निगम ने छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में कोल हैण्डलिंग और उसके संचालन का ठेका हक्का लॉजिस्टिक कम्पनी, कोलकाता को दिया है। 2017 से इस कम्पनी ने काम चालू किया। 2017-18 का ठेका 18 करोड़ 24 लाख रुपये में इस कम्पनी को दिया गया। 2018-19 का ठेका इस कम्पनी को 19 करोड़ पंद्रह लाख में दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा पहले यही काम स्थानीय ठेकेदार मात्र 8 करोड़ रुपये में कर रहे थे। इतने करोड़ों रुपये बढ़ाकर ठेका देने के क्या कारण रहे?

मैं यह राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण रहे कि 8 करोड़ में जो काम हो रहा था, उसके 19 करोड़ हमें देने पड़ रहे हैं? लगातार इस कम्पनी को ठेके दिये जा रहे हैं, लगातार तीन-चार वर्षों से यह काम कर रही है और एग्रीमेंट के हिसाब से प्रतिदिन 700 लोगों की लेबर वहां काम करनी चाहिए थी, पर उनकी जगह मात्र 200-300 मजदूरों से ही काम लिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सभी मजदूर अन्य प्रदेशों के आये हुए हैं।

यही नहीं, वह जो पांचवीं-छठीं इकाई है, उसका ठेका भी इसको दे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी को जो ठेका दिया है, वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट की रेट्स के हिसाब से दिया गया है और सेम काम जो एक दूसरी कम्पनी को दिया गया है, वह राजस्थान की रेट के हिसाब से दिया गया है। यह अपने आपमें दर्शाता है कि कहीं न कहीं नैक्सस है, भ्रष्टाचार है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप इसकी जांच करवाएं। यही नहीं आज भी स्थानीय मजदूर और ठेकेदार इस काम को 8-9 करोड़ रुपये में करने को तैयार हैं। वहां के लोग बेरोजगार हैं। 700-800 लोगों को काम पर लगाना चाहिए था, उसकी जगह मात्र 300 लोग लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिपीटिशन हो गया।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा यह निवेदन है कि इस लॉजिस्टिक

(श्री प्रताप सिंह)

कम्पनी को जो ठेका दिया गया है, इसकी पूरी जांच सरकार एसीबी से करवाएं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने समय दिया। मेरा निवेदन रहेगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र के सिवाना और सिणधरी के सभी गांवों में पीने का पानी दिये जाने की पोकरण-फलसूंड जो बायतू-बालोतरा-सिवाना योजना 2003 में बनी थीं जिसमें करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी सिवाना, सिणधरी को अभी तक मीठा पानी नहीं मिल पाया है। इसमें सिवाना के 103 गांव और सिणधरी के 52 गांव सम्मिलित हैं। सिणधरी के 13 गांव नर्मदा प्रोजेक्ट से जोड़े गये हैं जिनमें आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ है। पोकरण-फलसूंड-सिवाना योजना में प्रथम, दूसरे, तीसरे और चौथे फेज के काम हुए हैं, लेकिन सिवाना तक पानी नहीं पहुंच पाया है। गांवों में जो उच्च जलाशय बने हुए हैं निर्माण का कार्य चल रहा था वह भी दो वर्षों से बन्द पड़ा है। सिवाना का मुख्य जल स्टोरेज जो बन रहा था, उसका काम भी बन्द कर दिया है। वहीं सिणधरी के मुख्य कस्बे तक उक्त योजना का पानी थोड़े दिन के लिए गया था पर वह भी आज बन्द पड़ा है, लेकिन अभी सभी गांवों में अधूरी लाइनों के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सर्दी के मौसम में भी पानी के लिए तरस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, गर्मी के आते ही हालात काबू से बाहर हो जाएंगे यह आज की तारीख में स्थिति पैदा हो गई है। सिवाना की जो 12 किलोमीटर लाइन मेन लाइन से है वह काम अधूरा पड़ा है, स्टोरेज वाला काम अधूरा पड़ा है और दो वर्षों से एक किलोमीटर या एक फीट भी पाइप नहीं लगा। आज सभी क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनती जा रही है। जल स्तर इतना गिर गया है कि पानी है ही नहीं। 2003 से लेकर आज 2021 तक जिस स्कीम को 2017-18 में पूरा होना था पर आज की आज की तारीख में भी अगर इसको समय पर नहीं किया गया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्मी में हालत खराब हो जाएगी।

एक मेरा छोटा-सा निवेदन है कि पूरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट पर एक एक्स.ईएन. डेपुटेशन पर लगा हुआ है। हमारे दो ए.ईएन. की

(श्री हमीर सिंह भायल)

पोस्ट हैं जिनमें एक ए.ईएन. डेपुटेशन पर है। जे.ईएन. की चार पोस्टें हैं और चारों ही खाली पड़ी हुई हैं और पूरा विधान सभा क्षेत्र एक पम्प ड्राइवर के भरोसे चल रहा है, अधिकारीविहीन कर दिया है। मैंने मंत्री महोदय को भी कई बार निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी निवेदन किया कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर और राजस्थान का अंग है, मेहरबानी करके आप अधिकारी लगायें और पेयजल का समाधान निकालें। यही मेरा निवेदन रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जगदीश जी। माननीय सदस्य।

केशोरायपाटन में सिंचाई के पानी की समस्या

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहूंगी कि जो हाड़ौती की धरती सिंचाई के नाम से जानी जाती है, चम्बल की बायीं मुख्य नहर जो कि कोटा बैराज के बायें छोर से निकलते हुए बायीं नहर के चैन संख्या 85 से कापरेन ब्रांच, बूंदी ब्रांच निकलती है। बायीं मुख्य नहर के कमांड क्षेत्र के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 1/3 हिस्सा तो हमारे बूंदी का बनता है जिसमें लगभग 33 हजार हैक्टेयर एवं अगर देखा जाए तो 2/3 भाग कापरेन ब्रांच का है जिसमें 68 हजार हैक्टेयर कमांड एरिया आता है। उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं और जब से मैं विधायक बनी हूं तब से मैं लगातार देख रही हूं कि हमारे पानी की समस्या बनी हुई है तथा न तो हैड पर पानी है, न टेल पर है। आज किसान लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पांच दिन अगर किसान को पानी नहीं मिला तो आप देखिये कि किसानों की जो तीसरे पानी के इंतजार में फसल सूखेगी, उसके बाद किसानों की क्या हालत होने वाली है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो रेगुलेशन की मीटिंग होती है जिसमें हम लोग समय तय करते हैं पर उसमें सांसद को, विधायक को कभी बुलाते हैं, कभी नहीं बुलाते हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम इसमें हमारे पंचायत समिति के प्रधानों को बुलायें, जिला परिषद् के सदस्यों को बुलायें और अगर हो सके तो हम सरपंचों से भी राय लेंगे तो निश्चित तौर पर समय पर पानी मिलेगा। आज ये हालात बने हुए हैं कि लगातार सात-आठ

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दिन से किसान कभी कमिश्नर कार्यालय जाते हैं, कभी एस.ई. कार्यालय जाते हैं। कम से कम जो बूंदी के हमारे एक्स.ईएन. हैं जिनको चार्ज दे रखा है उस चार्ज को हटाकर क्योंकि सिर्फ 1/3 हिस्सा ही उनका आता है और 2/3 हिस्सा हमारा आने के बावजूद हमें, हमारे एक्स.ईएन. का चार्ज नहीं दिया गया है। इसके लिए कम से कम जो हमारा नान्ता हैड है वहां से 175 क्यूसेक्स पानी देने का वादा कर रखा है वह पानी आज तक कभी नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि जो हमारे 1957 के नियम हैं उनमें परिवर्तन करें और 2021 के अनुसार नीति बनाते हुए 175-180 क्यूसेक्स पानी हमें वर्तमान में मिलेगा तो हमारे हैड और टेल तक पानी पहुंच पायेगा, यही मेरा निवेदन है। आज फिर दुबारा मंत्री जी से निवेदन है कि कल से ही इस पानी का....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। माननीय सदस्य, हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): प्रवाह बढ़ा दिया जाए तो ठीक है वरना पांच दिन बाद किसानों की फसल चौपट हो जाएगी तीसरे पानी के इंतजार में और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन जीनगर।

ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र बनवाने में समस्या

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मेरा आपसे आग्रह है कि कोई नियमों में संशोधन हो जाएगा तो विवाहित महिलाओं को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में सहूलियत होगी। आर्थिक कमजोर वर्ग, इकोनोमिकली वीकर्स सैक्शन के व्यक्तियों को राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु इन्कम एण्ड असेसमेंट असैट सर्टिफिकेट जारी करने के सम्बन्ध में समस्याएं आ रही हैं। राजस्थान राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के द्वारा, 22.09.2019 के द्वारा मानदण्डों में कुछ संशोधन भी किये गये हैं। राज्य के आर्थिक कमजोर, इकोनोमिकली वीकर्स सैक्शन के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु दस प्रतिशत के आरक्षण का लाभ

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

दिया जाता रहा है, लेकिन इनके सर्टिफिकेट बनाने के लिए सामान्य वर्ग की महिलाएं जो विवाहित हैं, उन महिलाओं को प्रमाण पत्र बनाना होता है तो उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उसकी स्वयं की इन्कम, पति की इन्कम और उसके पिता की इन्कम का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कोई महिला या बच्ची शादी के बाद पति के घर रहती है, 10-15 साल से पति के घर रह रही है और उसको इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ गई तो उसका प्रमाण पत्र पिता की आय के साथ बनेगा। मेरा आग्रह है कि उस महिला का पिता आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकता है, लेकिन पति आर्थिक दृष्टि से यदि कमजोर है तो उसका सर्टिफिकेट बनाने के लिए पिता का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यह गलत है। पिता आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, पति कमजोर है तो भी उस महिला का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जब बच्ची अविवाहित है और बच्ची को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना हो तब तो उसको पिता की आय के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन यदि बच्ची शादीशुदा हो गई, ससुराल में रह रही है, पति के साथ रह रही है और उससे यदि इस प्रकार से पिता की आय का सर्टिफिकेट मांगे तो मेरा आग्रह है कि इस नियम में थोड़ा-सा संशोधन करा दें तो विवाहित महिलाओं के सामने आ रही इस समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

पटवारियों की हड़ताल

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश की अति महत्वपूर्ण पटवारियों की ज्वलंत समस्या के ऊपर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारियों के पद खाली होने के कारण एक-एक पटवारी के पास 3-3, 4-4 जगह का चार्ज है जिससे पंचायतों पर काम नहीं हो पा रहा है और वहां की जनता सरकार की इस लचर व्यवस्था से दु:खी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारियों के पद खाली होने के कारण सरकार प्रमोशन नहीं कर पा रही है जिसके कारण तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद खाली हैं। पटवारियों पर अतिरिक्त बोझ होने के कारण पटवारियों ने हड़ताल कर रखी है जिससे आम लोगों पर असर पड़ा है और रेवेन्यू सिस्टम

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

चरमरा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 अप्रैल, 2018 में लिखित में मुख्य सचिव एन.सी. गोयल की अध्यक्षता में पटवारियों के साथ समझौता हुआ था उसमें पीएस फाइनेंस, पीएस रेवेन्यू भी शामिल थे। उसमें लिखित में समझौता हुआ था कि पटवारियों की ग्रेड-पे 2400 से बढ़ाकर 3600 की जाएगी, परन्तु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी पालना नहीं हुई जिसकी वजह से दिसम्बर, 2019 से समस्त पटवारी गांधी जी को प्रेरणा स्रोत मानकर अहिंसा के पथ पर चलते हुए अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 जनवरी, 2021 से राजस्थान में 2400 पटवार सर्किल के अतिरिक्त चार्ज थे वे बस्ते तहसील में जमा करवा दिये हैं, जिससे पूरे राजस्थान में 15 जनवरी से रेवेन्यू के काम बन्द पड़े हैं, जिससे आम जनता परेशान है। 11 फरवरी से सभी 8 हजार पटवारियों ने राजस्व मण्डल, अजमेर से जयपुर के लिए पैदल कूच कर दिया है जिससे विधान सभा का घेराव कर सकें। आज वे 200 फीट बाई पास के पास पहुंच चुके हैं और शाम तक यहां पहुंचेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पटवारियों के साथ किये गये समझौते की पालना के आश्वासन पर सरकार ध्यान दे, जिससे 2018 से आंदोलन कर रहे पटवारियों को न्याय मिल सके। रेवेन्यू का जो सिस्टम चरमरा रहा है, वह सुचारु हो सके और नये पटवारियों की भर्ती भी करें क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में एमएसपी पर तुलाई भी नहीं हो पाएगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: अब हो गया।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): राजस्थान में हालत खराब है पटवारियों की हड़ताल के कारण, इसलिए सरकार ध्यान दे। इस हड़ताल को कैसे खतम किया जा सकता है, उसकी पालना कैसे कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए इसको करवायें और आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

राज्य में बंद पशु बीमा योजना व अन्य राज्यों में पशुपालकों पर हमला

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी

(श्री संयम लोढ़ा)

हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। राजस्थान में आज किसी भी पशु के बीमा की कोई व्यवस्था नहीं है। गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सांड हो, पाडा हो, गधा हो, सारी बीमा योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भामाशाह पशु बीमा योजना 2018 से बंद है और बहाना यह है कि प्रीमियम को लेकर के भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में फुटबाल का मैच चल रहा है। प्रीमियम की राशि राजस्थान सरकार कहती है, भारत सरकार उतनी नहीं दे रही है। पशुपालक जब उसका पशु मरता है या मरने की स्थिति में पहुंचता है तो फोन पर रोने लगता है।

अभी मेरे क्षेत्र के अंदर खेजड़िया में, मैं गया। एक देवासी परिवार की 68 भेड़ें मर गईं। पूरे परिवार में ही नहीं, पूरे समाज में इस तरह का शोक का माहौल था, जैसे कोई घर का सदस्य मर गया और उसका सबसे बड़ा कारण, वह चिंता कि इन 68 भेड़ों के बदले उस पशुपालक को पशुपालन विभाग पांच पैसे की सहायता नहीं दिला पाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सीडीपी, जो 'ऊष्ण विकास योजना' है। वह बंद पड़ी है। 10 हजार रुपये उसके जन्म पर तीन किश्तों में जो सरकार देती थी, वह बंद कर दी। 'अविका कवच योजना', वह तीन साल से बंद पड़ी है। 'अविकापाल जीवन रक्षक योजना', जो पशुपालक की जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई थी, वह बंद पड़ी है। 'जनश्री योजना' वह बंद पड़ी है। 'अभिरक्षक योजना', वह बंद पड़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के बिन्दु 2.3 में राजस्थान की जनता से यह वादा किया था कि हम लघु एवं सीमांत काश्तकारों के पशुओं का मुफ्त बीमा करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज राजस्थान के लाखों पशुपालक चिंता में डूबे हुए हैं। उसकी चिंता पर ध्यान देकर के ये जो योजनाएं बंद की गई हैं, उनको वापस शुरू करिये। आज क्या हालात हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1992 में राजस्थान में 7 लाख 46 हजार ऊंट थे और आज मात्र 84 हजार ऊंट राजस्थान में रह गये हैं। ये सब हमारी नीतियों का नतीजा है कि पशुपालक को हम यह भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि पशुपालन कोई मुनाफा का धंधा हो सकता है। अपने परिवार को आगे

(श्री संयम लोढ़ा)

बढ़ाने का माध्यम हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने का माध्यम हो सकता है और इसके कारण से ये परिस्थितियां बन गई हैं। (समय -समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हजारों की तादाद में पशुपालक पड़ौस के राज्यों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अपने पशु चराने के लिए जाते हैं। आये दिन उन पशुपालकों पर वहां हमला हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है और उनको किसी तरह की वहां कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। अभी जागरा में पूलाराम देवासी के काफिले पर, रेवड़ पर हमला हुआ। सेमलिया, मगरा, मध्य प्रदेश में हमला हुआ, बांदा में हमला हुआ, हरियाणा के फरीदाबाद में हमला हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शिवपुर में भेड़ें चोरी कर ली गईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये पूरे राजस्थान के पशुपालकों का प्रश्न है। सदन में भी सैकड़ों पशुपालक यहां बैठे हुए हैं। मंत्रीजी विराजमान हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप राजस्थान के पशुपालकों को कोई भरोसा दिलाइये, आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया है उसके आधार पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अनुदानित पशु बीमा योजना प्रदेश में 23.07.2016 में प्रारम्भ की गई थी और वर्तमान स्थिति में माननीय सदस्य ने जो बात की है, वह सही है कि अक्टूबर, 2018 से यह बंद है। अध्यक्ष महोदय, इस क्रम में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई, वह प्रीमियम को लेकर आई, प्रीमियम दरों की सीमा को बढ़ाये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में भारत सरकार से अवगत कराया गया है कि ईएफसी के अनुमोदन के पश्चात् कैबिनेट अनुमोदन एवं नवीन मार्गदर्शिका अनुमोदन का कार्य प्रक्रियाधीन है, आने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवीन मार्गदर्शिका संचालन अपेक्षित है। मार्गदर्शिका अनुमोदन के पश्चात् कार्य संचालन की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(श्री लालचन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, जो हमले की बात आपने कही है। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी जो-जो जगह चिन्हित हैं, को लेकर हमारा विभाग निश्चित तौर पर जिन-जिन राज्यों में ये घटनाएं घटी हैं, वहां हम सम्पर्क करेंगे और उनको राहत दिलवाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: 295, श्रीमती शकुन्तला रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बानसूर को अलवर एडीएम कार्यालय के अधीन करने से समस्या

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक...

श्री अध्यक्ष: मैंने कॉल कर लिया है। राजेन्द्र जी, प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव-

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बानूसर को प्रशासनिक दृष्टि से एडीएम कार्यालय भिवाड़ी से जोड़ दिया गया है, जो कि बानसूर के साथ न्यायसंगत नहीं है। चूंकि इसे अलवर से हटा दिया गया है। बानसूर से 40 किमी की दूरी पर अलवर कलेक्टर तथा एडीएम कार्यालय पड़ता है। भिवाड़ी में 6 बस स्टैण्ड पार करके जाना पड़ता है। चैनपुरा से व्यक्ति चलता है तो यहां कराना, ज्ञानपुरा, बानसूर, ततारपुर तथा यहां से खैरथल, इसके पश्चात् किशनगढ़, यहां से फिर 135 किमी पर भिवाड़ी पहुंचता है। इससे बानसूर क्षेत्र की जनता को निराशा हाथ लगती है।

मैं यह मांग करती हूं कि पुन: अलवर एडीएम कार्यालय को जोड़कर बानसूर की जनता को राहत पहुंचाई जाए या बानसूर के नजदीक सभी क्षेत्रों का मिलाकर एक नया जिला बनायें या बानसूर को ही एक नया जिला बनाने का कष्ट करें अथवा बानसूर विधान सभा क्षेत्र को अलवर एडीएम कार्यालय के अधीन करने का कष्ट करें। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय की स्थापना

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महवा की तहसील मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय खोलने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मंडावर कस्बा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कस्बा है एवं इसके अधीन करीबन 21 से ज्यादा ग्राम पंचायतें आती हैं। मण्डावर कस्बे में पुराना रेलवे स्टेशन होने के साथ ही कालेज एवं तहसील कार्यालय भी वर्तमान में संचालित है। उक्त कस्बे में पंचायत समिति कार्यालय नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय खोल दिया जाता है तो मेरे सम्पूर्ण क्षेत्र के सर्व-समाज को इसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत बालाहेडी, टुडियाना एवं गगवाना पंचायत समिति महवा से सटी हुई है तथा महवा से उनकी दूरी 03 से 05 किलोमीटर ही है। तीनों ग्राम पंचायतों का उपखण्ड मुख्यालय भी महवा है। तीनों ग्राम पंचायतों के निवासियों की मांग है इन ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति महवा में शामिल किया जाए।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित मुद्दे पर मैं राजस्व मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय खोला जाए तथा उक्त ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति महवा में शामिल करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। जय हिन्द, जय सर्व-समाज।

श्री अध्यक्ष: कान्ति प्रसाद।

ग्राम पंचायतों के अधीन सरकारी ट्यूबवैल/बोरिंग के विद्युत बिलों हेतु बजट प्रावधान

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था के लिये जनता जल योजनाएं चालू हैं, जिनका बिल ग्राम पंचायतों द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें विद्युत बिल की राशि व्यावसायिक श्रेणी

(श्री कान्ति प्रसाद)

की आती है जबकि ये राशि सामान्य श्रेणी में आनी चाहिए, क्योंकि इस योजना के तहत सार्वजनिक रूप से जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है।

दूसरा ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के विद्युत बिल भुगतान करने हेतु ग्राम पंचायतों को अतिशीघ्र अलग से राशि आबंटित की जाए।

पंचायती राज के चुनाव होने के बाद आदिनांक तक राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को कोई राशि आबंटित नहीं की है, जिसके कारण विद्युत बिलों का भुगतान नहीं हो पाने से भी उक्त भुगतान हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पेयजल के लिये लगी बोरिंग कनेक्शनों को काटा जा रहा है।

अधिकांश ग्राम पंचायतों में ऐसे बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत द्वारापुर में 30 लाख रुपये जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पहले से बकाया चले आ रहे हैं, जिनका संशोधन करवाया जाए।

सभी ग्राम पंचायतों के बिलों की राशि व्यावसायिक श्रेणी में शामिल कर रखी है, जिसके कारण बिलों के बकाया की रकम निरंतर बढ़ती जा रही है। अत: उक्त बिलों की राशि को सामान्य श्रेणी में शामिल करना चाहिए।

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि प्रदेश में बिजली की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण कराते हुए फसल बीमा ऋण की भांति उक्त बिलों को माफ किये जाने की समुचित कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सिन्दरू, बांगड़ी, कानपुरा, भाचुन्दा, अणगौर उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति करीब 20 वर्षों पूर्व हुई थी। इन केंद्रों पर एएनएम भी कार्यरत हैं। 20 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है। इन केंद्रों पर

(श्री जोराराम कुमावत)

भवन नहीं होने से एएनएम को चिकित्सा कार्य करने, गर्भवती महिलाओं को चेक करने, बुजुर्गों को उठने बैठने, आमजन को भवन के अभाव में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एएनएम के कार्य करने व बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से एएनएम का गांव में ठहराव कम रहता है जिससे मरीजों को अन्यत्र बड़े शहरों में इलाज हेतु जाना पड़ता है। वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहता है, मरीज को उप स्वास्थ्य केंद्रों पर परीक्षण करवाने व इलाज की सुविधा नहीं मिलती है।

अतः भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति एनआरएचएम या अन्य योजना से कराने का श्रम कराएं तथा भांगेसर, डीगाई, सोडावास, सोनाईमांजी, निम्बाड़ा, खरोकड़ा, खिमाड़ा, अकदड़ा, धनापुरा, बलाना, जाखौड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हैं। भवन पुराने व जर्जर हो गए हैं। आम सड़क से भवन नीचे रह गए हैं। भवन मरीजों के व एएनएम के बैठने लायक भी नहीं हैं। इन्हें ऊपर उठाकर नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता है। उपरोक्त भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भवन निर्माण की स्वीकृति एनआरएचएम योजना से व क्षतिग्रस्त भवनों का नवीनीकरण करवाने का श्रम कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

बोर्डर होम गार्ड में ड्यूटी लगाने में अवैध वसूली

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा विभिन्न विभागों/ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निजी संस्थानों की मांग पर बोर्डर होमगार्ड की ड्यूटी पर तैनाती नियमानुसार की जाती है। होमगार्ड सैनिक विगत 50 वर्षों से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे हैं। उन्हें पुलिस के समकक्ष ट्रेनिंग दी जाती है। होमगार्ड के जवान कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी, बाढ़ नियंत्रण, अग्निशमन, बचाव कार्य, जेल सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने कर्तव्य का पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। वे पुलिस कांस्टेबल के समान ही जिम्मेदारी से कार्य करते हैं फिर भी उन्हें पुलिस कांस्टेबल से बहुत

(श्रीमती अनिता भदेल)

कम वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं। होमगार्ड को स्वयंसेवी के नाम पर कम वेतन, भत्ते व सुविधाएं दिया जाना मानव अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन है तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के नियम का उल्लंघन है।

प्रदेश में 4 कंपनियों में करीब 2560 बोर्डर होमगार्ड हैं। होमगार्ड के जवानों की विभिन्न स्थानों पर उच्चाधिकारियों द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन ड्यूटी लगाने के लिए भी उच्च अधिकारियों द्वारा बोर्डर होमगार्ड के जवानों से मंथली वसूलने का मामला सामने आया है। जैसलमेर की डी कंपनी के 22 जवानों ने कमांडेंट मुख्यालय से मामले की जांच कराने का फैसला किया। कमांडेंट के खिलाफ एक विभागीय जांच चल रही है। जवानों ने कमांडेंट पर आरोप लगाए थे। जांच तत्कालीन डीआईजी विकास कुमार को सौंपी गई। उन्होंने शिकायतों को सही माना। इस समस्या के समाधान हेतु होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी पर रखा जाना आवश्यक है ताकि वे भ्रष्टाचार एवं शोषण का शिकार होने से बच सकें।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाने संबंधी अवैध मंथली वसूली व वेतन भत्ते के संबंध में समस्या का समाधान हो।

श्री अध्यक्ष: श्री संजय शर्मा।

महाराजा भर्तृहरि जी एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमाओं को आमजन के लिए खोलना

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर स्थित महाराजा भर्तृहरि जी एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमाओं को आमजन के लिए खोलने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में बहरोड़ मार्ग पर राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के द्वारा महाराजा भर्तृहरि जी एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमा का उद्घाटन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को किया था। उक्त दोनों पैनोरमाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हुए करीब 2 साल 4 माह से अधिक होने के बावजूद आज

(श्री संजय शर्मा)

तक उक्त दोनों पर नोर्मल को आमजन व पर्यटकों हेतु खोला नहीं गया है, जिसके चलते अलवर के पर्यटन क्षेत्रों में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के महाराजा भर्तृहरि के स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को उक्त पैनोरमाओं को देखने में निराशा ही हाथ लगती है।

अतः इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर स्थित उक्त महाराजा भर्तृहरि जी एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमाओं को आमजन के लिए खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी उन्दरी का गांव बोहरा फलां में सड़क निर्माण

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के तहत निवेदन है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला श्री रतन लाल मीणा बड़ी उन्दरी गांव बोहरा फलां का रहने वाला देश सेवा में कार्य कर रहा था जो सन् 2002 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था और वह उस गांव में रहने वाला था जिस गांव में आज भी आने जाने वालों के लिए रास्ता रोड नहीं बना हुआ है।

मैं मांग करता हूं कि हमारे ऐसे जनजाति परिवार में छोटा-सा गांव का रहने वाला एक जवान जिसने देश सेवा में, अपने देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा दी और आज हर गांव व ढाणियां रोड से जुड़ी हुई हैं या जोड़ी जा रही हैं तो 20 वर्षों में भी एक शहीद, जो देश सेवा में शहीद होने वाले, के इस गांव को रोड से क्यों नहीं जोड़ा गया? इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे वंचित गांव तक रोड बनाकर एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर नियमानुसार रोड बनती है तो ठीक है, नहीं तो टीएडी (जनजाति) विभाग द्‌वारा उक्त रोड को बनवाया जाए। हमारे जनजातीय युवाओं को देश की सेवा में जाने हेतु प्रभावित करेगा व युवा वर्ग भी जागरूक होंगे। मेवाड़ के जनजाति समाज को भी पूरा सम्मान मिलेगा एवं एक शहीद जवान का गांव का नाम भी होगा व शहीद परिवार का क्षेत्र में नाम विख्यात होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली जिले के सोनाई लाखा व बिठ्‌ठू में नये उच्च जलाशयों के निर्माण की स्वीकृतियां

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत माननीय जलदाय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पाली जिले के उपखंड रोहट में निंबलीउर्रा, ढाबर, खारड़, कानावास, सांवलताकला, लालकी, रोहटकलाली, भुरयासनी, खांडी, फेकारिया, कुलथाना, वायद, दिवान्दी, चेंडा, खुटाकी, गोलाबास, मांडावास, जैतपुरा, भाकरीवाला, खुटानी, राणा, धोलरिया शाशन, खुंडावास में उच्च जलाशय बने हुए हैं। इन उच्च जलाशय से इन गांवों के अतिरिक्त कालापीपल की ढाणी, सरदार समंद फार्म, आटणा, सांवलताखुर्द, निम्बलि पटेलान, निम्बाली ब्राह्मण, बांडाई, चोटीला, सिणगारी, दुदली आदि गांव में प्रत्येक गली तक पाइप लाइन लगी हुई है।

मंडली जेतपुरा पुख्तारी पेयजल योजना के द्वितीय चरण में भी मालवा, सुकरलाई, नेहड़ा, मुरड़िया, सिराणा, बस्सी, पांचपदरिया, भीलों की ढाणी खुटणी, बस्सी, सरदारपुरा की ढाणी सहित अन्य गांव की गली तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य स्वीकृत है। स्वीकृत राशि से पांचपदरिया एवं सिराणा में नए उच्च जलाशय भी बनाए जा सकते हैं।

रोहट, जेतपुरा, कानावास में पर्याप्त क्षमता के फिल्टर प्लांट वर्षों से संचालित हो रहे हैं। उपरोक्त सभी गांव को जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत प्रति कनेक्शन हेतु निर्धारित राशि व्यय कर प्रत्येक घर तक कनेक्शन दिए जा सकते हैं। साथ ही सोनाई लाखा व बिठ्ठू में नए उच्च जलाशय के निर्माण करवा दिए जाते हैं तो पूरे रोहट खंड के प्रत्येक घर तक पहुंचाया जा सकता है। रोहट खंड में जल जीवन मिशन के निर्धारित मापदंड के अनुसार पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता है परंतु विभाग के अधिकारियों की घोर उदासीनता एवं लापरवाही के कारण अभी तक इनके प्रस्ताव तक नहीं बनाए गए हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अधिकारियों को कड़े निर्देश देकर तत्काल ही इनके जल जीवन मिशन में प्रस्ताव बनावें एवं स्वीकृति हेतु भिजवायें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ को जिले का दर्जा

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत अनूपगढ़ को जिला नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

महोदय, अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा 7 फरवरी, 2012 से कार्मिक अनशन शुरू किया गया था। इसमें किसान, मजदूर, विकलांग, व्यापारिक और सभी सामाजिक संगठन एक साथ हैं, जिसको 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति व विभिन्न संगठन जिले की मांग को लेकर, पैदल संघ भी मुख्य मंत्री जी से मिलकर अपनी मांग को बता चुके हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में भी संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन का सहयोग किया गया। श्रीगंगानगर जिले की उप तहसील 2KLD (365 हैड), 215 कि.मी. की दूरी पर है और अनूपगढ़ श्रीगंगानगर जिले से 135 किमी है। यहां के काश्तकार एवं व्यापारियों को छोटे-मोटे काम के लिए भी मुख्यालय आना-जाना रहता है, जिसमें समय व पैसे की बर्बादी होती है। अनूपगढ़ भौगोलिक दृष्टि से भी पैमाने पर खरा उतरता है। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्तर पर भी कमेटी के द्वारा सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक अनूपगढ़ को जिला नहीं बनाया गया है। अनूपगढ़ में तहसील, उपखंड, अधिशासी अभियंता स्तर के सभी कार्यालय स्थापित हैं और जिला स्तर की भी सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पूर्ति भी करता है। अनूपगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए जिला बनाया जाना समय की मांग है। मैं सदन के माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान शीघ्र ही अनूपगढ़ को जिला बनाये जाने की ओर आकर्षित कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत (अनुपस्थित)। श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर के रामगढ़ में बाईपास सड़क का निर्माण

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कस्बा रामगढ़ की बाईपास सड़क बनाने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, सीकर फतेहपुर में बिसाऊ जाने वाली सड़क रामगढ़ मुख्य बाजार से होकर गुजरती है, जिसके कारण शहर में ट्रैफिक जाम लगा रहता है तथा जनता को काफी परेशानी होती है। इस सड़क पर हरियाणा से सालासर आने वाले यात्रियों की आवाजाही भी बहुत रहती है तथा लोकल आवागमन भी बहुत रहता है।

(श्री हाकम अली खां)

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त समस्या को देखते हुए रामगढ़ की बाईपास सड़क का निर्माण कार्य करवाने हेतु आवश्यक बजट स्वीकृत कर बाईपास सड़क का निर्माण कार्य करवाकर जनता को इस समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री पदमाराम मेघवाल।

सेड़वा अथवा धनाऊ में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय की मांग

श्री पदमाराम (चौहटन): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- विधान सभा क्षेत्र चौहटन की समिति धनाऊ या सेड़वा में अल्पसंख्यक आवासीय बालिका विद्यालय स्वीकृत करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में है। यहां रहने वाली अल्पसंख्यक वर्ग की जनता शिक्षा की मूल धारा से वंचित है और बालिका शिक्षा में शून्य के बराबर है। हमारी सरकार का यह बहाना है कि राजस्थान में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा की मूल धारा में जोड़ें। मेरे यहां रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का मूल धंधा खेती करना, पशुपालन करना है। शिक्षा से वंचित वर्ग को शिक्षा की मूल धारा में जोड़ने एवं इनके जीवन स्तर का सुधार करने के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए और देश और दुनिया में जो विकास हो रहा है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विधान सभा क्षेत्र चौहटन की जनता तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की मांग के अनुरूप पंचायत समिति सेड़वा या धनाऊ में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत करावें, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में शिक्षा की अलख जगेगी और बालिकाओं को शिक्षा की मूल धारा में जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उच्च करने व सुधार करने में लाभदायक होगा। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा में पट्टे से वंचित आवासीय कच्ची बस्तियों का पुन: सर्वे

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के विशेष उल्लेख के तहत सरकार का

(श्री संदीप शर्मा)

ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में कई आवासीय कालोनियां एवं कच्ची बस्तियां हैं, जो काफी लंबे समय से बसी हुई हैं। इन बस्तियों में बड़ी संख्या में पक्के मकान बन चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवायी जा रही हैं। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शिवपुरा, हनुमान बस्ती, किशोरपुरा, बरडा बस्ती आदि को घड़ियाल अभयारण्य या वन विभाग की सीमा में होने के कारण लोगों को पट्टे जारी नहीं किये गये, जबकि सच्चाई यह है कि ये बस्तियां पूरी तरह से घड़ियाल अभयारण्य या वन सीमा में नहीं है। इन बस्तियों का कुछ भाग ही वन या घड़ियाल अभयारण्य की सीमा में है, बाकी एक बड़ा भाग घड़ियाल और वन सीमा से बाहर हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के संतोषी नगर, हनुमान बस्ती, शिवपुरा, गोबरिया बावड़ी, किशोरपुरा, केशवपुरा सेक्टर 6 व 7, बालाकुण्ड, जवाहर नगर, अनन्तपुरा, दुर्गा बस्ती, संजय नगर, श्याम नगर, साजीदेहडा और कोटा शहर में ही रंगबाड़ी, वीर सावरकर, आंवली, रोजडी नयागांव, प्रेम नगर, श्याम नगर, बरडा बस्ती, गांधी नगर, विज्ञान नगर ऐसी कई बस्तियां एवं कालोनियां हैं, जिनमें हजारों मकानों के पट्टे जारी होना अभी शेष है। कच्ची बस्तियों का जो सर्वे हुआ था, उसमें भी कई गरीब लोगों का जानकारी के अभाव में सर्वे नहीं हो पाया। इस कारण न तो इन लोगों को पुनर्वास हो पाया, न ही इनके मकानों का पट्टा जारी हो सका। बड़ी संख्या में लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन शुल्क तक जमा करवा दिया है, लेकिन उन्हें पट्टा जारी नहीं हुआ है। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे भी लंबे समय से जारी नहीं हुए हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कोटा शहर की इन बस्तियों का पुन: सर्वे करवाया जाए तथा जो परिवार पट्टे से वंचित हैं, पुनर्वास से वंचित हैं, उनको शिविर लगाकर पट्टा दिया जाए, लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाए तथा इन बस्तियों को वन एवं घड़ियाल क्षेत्र से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

किसानों के कृषि व घरेलू विद्युत बिलों में मिलने वाले अनुदान को रोकने से परेशानी

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत मेरा निवेदन है कि गत खरीफ सीजन से ही लगातार किसान बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, टिड्डी हमला व

(श्री अमृतलाल मीणा)

पाला गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे। इस दौरान ब्याज मुक्त सहकारी ऋण में कटौती, कम विद्युत उपभोग को आधार मानकर गलत विजिलेंस कार्यवाही, डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद सिंचाई हेतु नहीं देने, समर्थन मूल्य पर खरीद औपचारिकता के साथ ही विद्युत विभाग की ओर से विद्युत बिल में मिलने वाला 833 रुपये का मासिक अनुदान रोककर व विद्युत बिलों में पैनल्टी शुरू कर दी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गयी, जिससे किसान कृषि विद्युत के बिल जमा करवाने में भी समर्थ नहीं हैं। इस संबंध में किसानों की जो मांगें हैं:- किसानों के घरेलू व कृषि बिल माफ किये जाएं, 833 रुपये की सब्सिडी पुन: शुरू की जाए, विद्युत बिलों में लगने वाला एनपीएस खतम किया जाए, कृषि कनेक्शन काटने पर रोक लगायी जाए, प्राथमिकता वाले कृषि विद्युत कनेक्शनों के मांग पत्र जारी करने से रोक हटायी जाए, डिस्काम में बकाया ब्याज सहित विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए, फसलों की खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करें, स्वीकृत व प्रस्तावित सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए, समर्थन मूल्य से नीचे भाव रहने तक फसलें आयात नहीं की जाएं।

अत: आपसे निवेदन है कि किसानों की इन सभी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें, जिससे किसानों को अपनी फसलों का पर्याप्त मूल्य मिल सके और वे सम्मानजनक तरीके से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीना।

पीपल्दा में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल सिंचाई परियोजना में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में फसलों को समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए नहरों के अंतिम छोर के ग्रामों में सिंचाई हेतु अविलम्ब पानी पहुंचाने के लिए नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मान्यवर, चम्बल नदी पर बने कोटा बैराज से निकल रही दायीं मुख्य नहर से सिंचाई के लिए नहरो से पानी नहीं पहुंच पा रहा है जिससे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के किसानों को 40 दिन से नहरी पानी की आपूर्ति नहीं होने से लगभग 85 गांवों की हजारों बीघा कृषि भूमि पर खड़ी गेहूं एवं अन्य फसल नष्ट होने के कगार पर है। इटावा ब्रांच कैनाल के चैन संख्या 1832 के आगे

(श्री रामनारायण मीना)

गोठड़ा खुर्द तक के हिस्से गैंता, खातौली डिस्ट्रीब्यूटरी व संलग्न माइनरों, अयाना ब्रांच की लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं संलग्न माइनरों, मुंगेना डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल क्षेत्र सुल्तानपुर क्षेत्र के उजाड़ा क्षेत्र, कोटड़ापुरा, किशनगंज, बूढ़ादीत, कोटड़ा दीप सिंह माइनर आदि क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है।

फसल नष्ट होने की स्थिति बनती जाने से किसान भयंकर आक्रोश में हैं तथा आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं। सिंचाई के अभाव में सूख रही फसलों को बीमा कंपनियों तथा सरकार द्वारा मुआवजा राशि नहीं दी जा रही है। अंतिम छोर के ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए पूर्ण जल पहुंचाया जाना अत्यंत आवश्यक होने के बावजूद बड़ी नहर से कम पानी छोड़ने एवं नहरों में बीड़ की सफाई नहीं की जाने के कारण निचले हिस्सों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

चम्बल बृहद् सिंचाई परियोजना (गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई सहित) के प्रारम्भ से 60 वर्ष की अवधि में करोड़ों रुपये राजकोष से व्यय करने के उपरांत भी बाराबंदी प्रणाली लागू नहीं हो पाने तथा धोरों के सही रख-रखाव नहीं किये जाने से मौजूदा प्रणाली के मार्फत टेल क्षेत्र की कृषि भूमि को समयबद्ध तरीके से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है। कमाण्ड क्षेत्र अवस्थित संपूर्ण कृषि भूमि को शत-प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के लिए सिंचाई प्रणाली के सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपयों को अनुपयोगी ढंग से उपयोग में लेने तथा नहरों के सैक्शन को छोटा कर नहरों की जलवाहक क्षमता संकुचित की जाने से सिंचाई सघनता को बड़ा झटका लगेगा।

अत: अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के किसानों को सिंचाई के लिए अविलम्ब जलापूर्ति की व्यवस्था करवाने तथा भविष्य में समयबद्ध एवं सुचारु सिंचाई पानी आपूर्ति के नहरी तंत्र को सुधारने हेतु कार्यवाही करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी, आप 295 के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधायकों के विभिन्न प्रस्तावों के उत्तर देने में सरकार द्वारा विलम्ब

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन साढ़े सात करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन में नियम और प्रक्रियाओं के नियम के तहत माननीय सदस्य जो बात कहते हैं, उसका मंतव्य यही रहता है कि शासक दल के सामने वह सारे प्रसंग और सारी समस्याएं चली जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये 15 माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र की अति-आवश्यक बातों पर शासन दल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अवसर दिया। अफसोस इस बात का है कि 295, पिछले दो सत्रों में 295 के अंतर्गत जो प्रस्ताव यहां पढ़े जाते हैं विशेष उल्लेख के, मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यह शासक दल इस विधान सभा के प्रति धीरे-धीरे गंभीरता समाप्त करता जा रहा है। 295 में जितने भी प्रस्ताव माननीय सदस्य पढ़ते हैं, उनका लिखित में उत्तर आने की हमारी परम्परा भी रही है, अध्यक्षीय व्यवस्था भी रही है, कौल एंड शकधर भी यह बात कहते हैं, परंतु 295 के लिखित उत्तर आने की परम्परा लगभग बंद हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के अंदर जो हमारे अनस्टार, स्टार क्वेश्चन थे, जो लिस्ट नहीं हुए, उनके उत्तर भी अब आ रहे हैं। मैं आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 295 के लिखित उत्तर आने की परम्परा बंद हो गयी दो सत्रों से। हमारे अनलिस्टेड सवाल जो स्टार व अनस्टार सवाल हैं, उनके उत्तर आने की पहले परम्परा थी कि अगर लिस्टेड नहीं हुए तो लिखित में उत्तर आते थे। वे अब आ रहे हैं, वह भी कभी-कभी। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना है कि आपने बड़ी कृपापूर्वक कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप लगाएंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना इतने विलम्ब से मिलती है कि हमारा जो मूल प्रस्ताव है, उसका मंतव्य ही नष्ट हो जाता है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 295 में 15 माननीय सदस्य प्रतिदिन अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका उत्तर सरकार निश्चित अवधि में दे। कम से कम इस सत्र के अंदर, चलते सत्र के अंदर नहीं तो आप निश्चित समय तय कर दें। सचिवालय कई बार मुख्य सचिव महोदय को लिखता है परंतु इसका असर नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा शून्य काल को आप देखें। शून्य काल के अंदर आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। शून्य काल के अंदर आफिसर गैलेरी के अंदर होना तो यह चाहिए कि जिस विभाग का स्थगन प्रस्ताव लगा, उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। एक भी अधिकारी उस विभाग का उपस्थित नहीं होता। विडम्बना देखिए कल जब सत्र चल रहा था पूरी आफिसर गैलेरी खाली हो गयी। अब आप जैसा व्यक्ति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बैठा हो तो इसके बारे में आप कुछ ऐसी व्यवस्था फरमाएं कि हमें इन बातों का उत्तर मिल जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदन के प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने यहां पर कहा कि 295 का जवाब नहीं मिलता। मुझे आप वह फिगर दे दें कि कितने तो 295 आए सदन में और कितनों को जवाब नहीं मिला। आपके वक्त में भी ये देखा है हमने, जब आपकी पिछली सरकार थी, तब भी यह देखा है कि विलम्ब से आता था, लेकिन आ जाता था। विलम्ब से इस बार भी आ जाएगा। चाहे विलम्ब हो जाए लेकिन निश्चित तौर पर उसका जवाब आपको मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। संसदीय मंत्री हैं। I'll not allow it.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कहलवाने से कुछ नहीं होता। यह आप कहलवा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल इस बात का कि जो और दूसरी व्यवस्थाएं आपने बताई स्थगन प्रस्ताव की तो हमने तो यहां तक बर्दाश्त किया है कि आप सरकार के खिलाफ ऊटपटांग बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत तथ्य बोल रहे हैं तो भी हमने जवाब देने की इसलिए कोशिश की क्योंकि आसन की यह व्यवस्था थी। रहा सवाल इस बात का कि आप कहते हैं कॉल अटेंशन मोशन, कॉल अटेंशन मोशन का जवाब बहुत समय बाद में मिलता है। क्वेश्चन-क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से संबंधित है तो एक डिपार्टमेंट का जवाब आपको फटाफट मिल जाता है, तीन दिन के अंदर असेम्बली में पेश हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए वही स्थगन प्रस्ताव अगर 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट से संबंधित हो तो उसमें समय लगता है। समय लगता है, सदन जब तक चलेगा, उसके पहले-पहले उसका जवाब आ जाएगा। इसमें तकलीफ क्या है? 15 को नहीं आया 25 को आ जाएगा। जवाब आएगा, सरकार बाकायदा जवाब देगी। जिस तरीके से

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

व्यवस्थाएं आपने अपनी सरकार के वक्त में बिगाड़ी, हम तो उसको सुधारना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हमने..

व्यवस्था

विधायकों के प्रस्तावों के उत्तर सरकार द्वारा दिए जाएं, इस विषय में नियमों की पालना की जाएगी

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी बात की गंभीरता को भी समझता हूं और सरकार की बात को भी समझता हूं। कभी आप सरकार में रहे, कभी विरोध में रहे। कुल मिलाकर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नियमों का पालन किया जाए। यदि इसमें कोई कमी-खामी है तो नियमों का पालन करने की कार्यवाही की जाएगी। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लिस्ट में लगाया है, उसमें ज्यादा सूचना कलेक्ट करने के लिए मैंने माननीय सदस्य कटारिया जी से अनुरोध किया था। वह इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि जब दोबारा असेम्बली मिलेगी तब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रखेंगे, इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री परसादी लाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.23(11)उद्योग/I/2020 दिनांक 03.11.2020 जिसके द्वारा 'विनिधान बोर्ड (Board of Investment) का गठन किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.23(17)उद्योग/I/2019 दिनांक 26.11.2020

(श्री परसादी लाल)

जिसके द्वारा राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री।

परिवहन विभाग

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं-

अधिसूचना संख्या: एफ6(229)परि/कर/मु./11/24451 दिनांक 29.12.2020 जिसके द्वारा ताराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट, जोधपुर के वाहन को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2020-21) के प्रतिवेदन

(क्र.सं. 71 से 92)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2020-21 के 22 प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 1.2.3 वित्त, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 71वां प्रतिवेदन।

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 2.1, पर्यावरण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 72वां प्रतिवेदन।

3. जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 214वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2020-21 का 73वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

4. जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 219वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2020-21 का 74वां प्रतिवेदन।

5. जन लेखा समिति, वर्ष 2016-17 (14वीं विधान सभा) के 161वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2020-21 का 75वां प्रतिवेदन।

6. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 के अनुच्छेद संख्या 2.3.4.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 76वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 2.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 77वां प्रतिवेदन।

8. जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20 (15वीं विधान सभा) के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2020-21 का 78वां प्रतिवेदन।

9. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र), वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.9 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 79वां प्रतिवेदन।

10. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.12 तक के मामलों/प्रकरणों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 80वां प्रतिवेदन।

11. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.11 तक के मामलों/प्रकरणों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 81वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

12. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट वित्त (पंजीयन एवं मुद्रांक) विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 5.1 से 5.13 तक के मामलों/प्रकरणों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 82वां प्रतिवेदन।

13. जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 के 226वें प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा) में समाविष्ट वित्त (आबकारी) विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2020-21 का 83वां प्रतिवेदन।

14. जन लेखा समिति, वर्ष 2015-16 के 74वें प्रतिवेदन (14वीं विधान सभा) में समाविष्ट वाणिज्यिक (बिक्री) कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2020-21 का 84वां प्रतिवेदन।

15. जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 241वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2020-21 का 85वां प्रतिवेदन।

16. जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20 (15वीं विधान सभा) के 13वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2020-21 का 86वां प्रतिवेदन।

17. जन लेखा समिति, वर्ष 2019-20 (15वीं विधान सभा) के 15वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2020-21 का 87वां प्रतिवेदन।

18. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 2.1 आयुर्वेद विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 88वां प्रतिवेदन।

19. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र), वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद 3.11 सामाजिक न्याय

एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 89वां प्रतिवेदन।

20. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र), वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद 3.12 तथा वर्ष 2018-19 का 3.11 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 90वां प्रतिवेदन।

21. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद 1.2.3 वित्त, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 91वां प्रतिवेदन।

22. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद 1.2.4 वित्त, महिला एवं बाल विकास, खनिज, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा वन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2020-21 का 92वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय के मुख से अभिभाषण के द्वारा जो कुछ भी आपने कहलवाया, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी हम लोगों को देखने को मिली। कोरोना का भी इसमें जिक्र हुआ और अभिभाषण के माध्यम से बताया गया कि किस तरीके से सरकार ने कोरोना के समय चाहे हमारे अनेक फंड हों, उसे भी सम्मिलित करते हुए राजस्थान की जनता को एक सहूलियत प्रदान की। कहीं न कहीं उन्हें इलाज में रिलीफ मिला। इस तरह से बहुत-से काम करने का सरकार ने प्रयास किया।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(13.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने कोटा व बूंदी की धरती पर देखा, कोटा का एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन सरकार की मंशा है कि कुछ अच्छा हो। हमने देखा कि वेंटीलेटर पहुंचने के बाद भी महीनों तक धूल खाते रहे। जनता को उसका सही लाभ नहीं मिल पाया। इस ओर अगर हमारा ध्यान जाता है, तो कहीं न कहीं अधिकारियों की गलती है, उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा बहुत से नवाचार भी किए जा रहे हैं। उन नवाचारों के माध्यम से जनता को राहत प्रदान करने का काम भी किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा 265 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है, जो आपने घोषणा की। राजस्व विभाग के माध्यम से काश्तकारों को, आमजन को घर बैठे इससे सुविधा भी मिलेगी, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि नैनवां तहसील में 14 पंचायतें केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र की पड़ती है। वे लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं। उनको बहुत परेशानियां आ रही है। उनका नामकरण नहीं हो पा रहा, उनकी जमाबंदी के लिए परेशानी आ रही है। गिरदावरी के लिए परेशानी आ रही है। यानी कि एक ही पंचायत समिति में दो-दो नियम चल रहे हैं। हम नैनवां पंचायत समिति, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की बात करें, तो वहां जनता को, किसानों को राहत मिली है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनता सब की होती है। जनता को समय-समय पर हमें समान अधिकार देना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए।

आपने जिक्र भी किया कि प्रदेश में दो आरओबी और चार आरयूबी बनाए गए, उनका निर्माण भी पूर्ण हो गया। 25 आरओबी व 41 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूं कि कितना बड़ा टैक्नीकल फाल्ट केशोरायपाटन की धरती पर आरओबी का निर्माण चल रहा है। हम कोटा से माधोपुर हाईवे पर जाएंगे, आप देखिए कि उसका किस तरह से डिजाइन तैयार किया गया है कि जनता को कितना नुकसान होगा, कितनी जन हानि हो सकती है। कोटा टू माधोपुर रोड पर रोजाना दो हजार गाड़ियां गुजरती हैं, वहां पर किसी तरह का कोई टी नहीं दिया गया है। केशोरायपाटन से सीधे हम लेसरदा बूंदी रोड पर जाएं, मात्र पांच

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

गाड़ियां गुजरती हैं, वहां टी दे दिया गया है। कितना बड़ा नुकसान उसमें हुआ है, मुझे लगता है कि सरकार के पैसों को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। आज भी समय है, निर्माण शुरू हो चुका है। मेरा निवेदन है कि कम से कम 200 व्यापारी वहां उजड़ेंगे, उन्हें कहीं दूसरी जगह पर बसाने का काम करें, वरना उनकी बद्दुआ भी हम लोगों को मिलेगी।

पीने के पानी के लिए आपने घोषणा पत्र में कहा कि पीने के पानी के लिए इतनी-इतनी स्कीम हम लोग लागू कर चुके हैं, इतना काम चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र, इसमें पूरे बूंदी ज़िले का हम लोग आंकलन करें, कोटा की भी हम बातचीत करें तो आज भी कोटा शहर की 25 कॉलोनियां ऐसी हैं, जो पीने के पानी के लिए तरस रही हैं। टैंकरों से जहां पर पानी सप्लाई होता है, चम्बल नदी के किनारे हम लोग बसे हुए हैं, वहां पर ये हालात हैं। हम केशोरायपाटन को देख लें, जो नगरपालिका है, हम कापरेन का देख लें, हम इन्द्रगढ़ नगरपालिका को देख लें, लाखेरी को देख लें। सारी नगरपालिकाओं के ये हालात हैं कि लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। उनके दांत पीले हो रहे हैं, उनकी हड्डियां गल रही हैं, आज तक कोई योजना नहीं बनी है।

(13.04 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। सम्माननीय वसुन्धरा जी के समय झालीजी का बराना एक पेयजल स्कीम बनी, टेंडर भी लग चुके थे, दुबारा री-टेंडर करवाए गए, री-टेंडर होने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि अब तो कही न कहीं काम शुरू होगा लेकिन सैकण्ड नम्बर जो भी संविदा, जिसका टेंडर हुआ, जो रह गया था, उससे कोर्ट में केस करवाया गया और हमारी पूरी स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे हमारे 75 गांवों में पानी पहुंचता। करवर वाली 14 पंचायतों की बात करें, वहां यह हालात हैं कि एक हैण्डपम्प के लिए जनता तरस रही है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर आपने सच्चे मायने में माननीय राज्यपाल महोदय जी के मुख से कुछ कहलवाया है तो उस बात को पूरा करके दिखाइये, क्या हम जनता को एक हैण्डपम्प लगाकर नहीं दे सकते, एक ट्यूबवैल लगाकर नहीं दे सकते? हमने पहले भी देखा है, हम 100-100 हैण्डपम्प लगाया करते थे लेकिन आज यह हालत है कि एक हैण्डपम्प के लिए

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भी हम लोग इधर-उधर ताक रहे हैं।

सड़कों की हालत देखिए। हमने बोल दिया कि हमने इतने किलोमीटर सड़क बना दी, मिसिंग लिंक का अता-पता नहीं है। मंदिरों की सड़कें बना करती थीं, नोन पेचेबल में सड़कें बनाया करते थे, सड़कें रिपेयर हुआ करती थीं। वसुन्धरा जी के समय खटकड़ से जैतपुर की सड़क सैंक्शन की गई, लेकिन उस सड़क की हालत देखिए। बूंदी से खटकड़ तक निर्माण पूरा हो चुका है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया। इसके साथ ही, रोटेदा की सड़क देखिए, पिछले ढाई साल से गिल्टी-डामर पडा हुआ है। आचार संहिता तक काम चल रहा था लेकिन आज तक ठेकदारों को पेमेंट नहीं दिया गया, इसी वजह से मेरी चार सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। वहां लगातार एक्सीडेंट होते हैं।

पिछली बार भी हम लोग देख रहे थे, चम्बल में बाढ़ आई, उसकी वजह से 25 गांवों के मकान ढह गए। उसमें भी आप देखिए कितनी पार्शियलिटी वहां के स्थानीय लोगों के साथ हुई, जिसका मकान नहीं गिरा, उसको पैसा मिल गया और जिसका मकान गिरा है, हकीकत में वह आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहा है। कभी एसडीएम साहब के पास जाता है, कभी कहां जाता है। नियम ऐसे बने हुए हैं आपदा प्रबंधन का पैसा बारिश में ही आता है, उसके बाद कोई भी गांव का गरीब चक्कर काटे तो कोई अता-पता नहीं है।

मुझे आज भी मालूम है केशोरायपाटन से विधायक सीएल प्रेमी जी हुआ करते थे, उस समय कापरेन के अंदर आईटीआई का शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक आईटीआई कालेज का अता-पता नहीं है। प्रत्येक उपखंड स्तर पर आईटीआई खोलने की घोषणा की गई। अभिभाषण में मैंने देखा कि इतने कालेज हमारे चालू हो गए, केन्द्र सरकार के माध्यम से इतने मेडीकल कालेज भी खोल रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के लिए एक कालेज तक नहीं मिला। स्टूडेंट पढ़ने के लिए या तो 130 किलोमीटर दूर कोटा आएंगे या फिर बूंदी जाएंगे, यह हालात बने हुए हैं। जिन कालेजेज को सरकारी कालेज करने की घोषणा सरकार ने की थी, उनका भी आज तक कोई अता-पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि किसान परेशान है। आए दिन किसान परेशान है। मैंने अभी नियम 50 के माध्यम से ध्यान आकर्षण करवाया, आज देखिए किसानों की क्या हालत हो रही है। किसान कितनी मेहनत करके, दिन-रात एक करके अपनी फसल तैयार करने में लगा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

रहता है, लेकिन पहला पानी मिले उसके लिए लगातार डंडे खाने पड़े, दूसरे पानी की मांग करे तो मुझे खुद को धरने पर बैठना पड़े, तीसरे पानी की वजह से हमारा किसान दिन-रात टकटकी लगाए खड़ा है, वह देख रहा है, मुझे तीसरा पानी मिले तो मैं गेहूं की फसल बचा सकूं।

नाव दुखान्तिका, हमने इसमें जिक्र किया है कि हम इतने पुल बनाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन जनता किन हालातों में जी रही है, इस बात की ओर हमें ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। चंदा खुर्द में नाव दुखान्तिका हुई। कितने मासूम बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष काल के ग्रास बन गए, देखते ही देखते, आंखों के सामने चम्बल नदी में डूब गए। क्या हम वहां पुल नहीं बना सकते, क्या मेज नदी पर पुलिया नहीं बना सकते? एक साथ 19-20 मौतें हुई, यह हालात हो गए।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जहां इस तरह की स्थितियां है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तरफ मेज नदी है, एक तरफ चम्बल नदी है। दोनों ही तरफ हम लोगों को पुलिया की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने मुझे ढाई साल में एक पुलिया नहीं दी। चाहे हम कोटा की बात करें, बूंदी की बात करें, बारां, झालावाड़ की बात करें, आज तक ढाई साल में एक पुलिया नहीं बना पाए। हम देख रहे हैं कि पटवारी किस तरह से हड़ताल कर रहे हैं, हमारी आशा सहयोगिनियां लगातार हड़ताल कर रही हैं। महिला बाल विकास की बात करें, मैंने पिछले सत्र में क्वेश्चन लगाया कि किस तरह से महिला बाल विकास विभाग में बैठने वाले बाबू हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ लगातार लूट-खसोट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक बाबू को सस्पेंड भी किया, यह जानकारी भी मुझे मिली है लेकिन कहीं न कहीं जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों पर सरकार का ध्यान होना चाहिए।

साथ ही साथ, हम बात करें, हम सोच रहे थे कि राजस्थान आत्म निर्भर बनेगा। कहीं न कहीं इस बात के लिये सरकार विचार कर रही होगी। हमारे जो नैचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे हम लोग काम चलायें, लेकिन हमने कोरोना काल में देखा है कि किस तरह के हालात हो गये। गांव, ढाणी से लेकर शहर तक की जनता की हम बात करें तो मजदूर किस तरह से बिलख

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी केन्द्र सरकार को कि किस तरह से इतना गेहूं वितरण करके आमजन को राहत प्रदान की। किस तरह से उन्होंने जनता को राहत दी। मैं इस बात के लिये भी केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज हम देख रहे हैं कि किसानों के खाते में जो पैसा डलवाने का लगातार सरकार काम कर रही है, वह हम सबके सामने है।

हम राज्य सरकार की बात करें। मेरा इस तरह का कोई मन नहीं है कि मैं राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाऊं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो हमें कुछ नहीं, सड़कों के हालात बिलकुल जर्जर हो चुके हैं। एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो कुछ नहीं। बिजली की व्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है, वह हम सबकी आंखों के सामने है। आज आपने वादा किया था, घोषणा पत्र में लिखा था कि हम एक बार भी बिजली के दाम नहीं बढ़ायेंगे, लेकिन क्या हुआ, हमने लगातार गुपचुप तरीके से बिजली के दाम बढ़ाये। आप देखिये, एक किसान, जिसके एक छोटा-सा कमरा है, उसके कितने, बीस-बीस हजार के बिल आ रहे हैं। बिल हमारे पास लेकर आये। ऐसी क्या हालत, ऐसी स्थिति बन गई, ऐसे क्या कारण रहे कि हम गरीबों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर मेरी बात को सुन रहे हों तो प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर आर.एस.ई.बी. विभाग के आपके एस.ई. साहब को भेजिये, एक्स.ईएन. को भेजिये। वहां पर शिविर लगायें और सारे बिलों को मंगायें कि आखिर क्या कारण हैं कि वी.सी.आर. के नाम से लूट-खसोट मचा रखी है। एक आम आदमी जाकर अगर उस वी.सी.आर. को ए.ईएन. के पास ले जाएं, एक्स.ईएन. के पास ले जाएं तो दो मिनट के अन्दर, जिसकी चाहे उसकी, आधे से कम कर दे। अगर कोई फोन करता रहे कि ईमानदारी से उसने कोई बिजली चोरी नहीं की, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहती हूं कि मैंने खुद ने कोटा एस.ई. से बात की। एक दुकान पर, जिस पर कोई बिजली चोरी नहीं है और पास का पड़ोसी बोल रहा है कि मैंने बिजली चोरी की है। फोटो के आधार पर हमने पहचान की और मैंने खुद ने फोन किया कि जब बिजली चोरी नहीं की तो उसके 60 हजार रुपये की, 40 हजार रुपये की किस तरह से वी.सी.आर. भर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी आर.एस.ई.बी. विभाग के जो हालात हैं, वे किसी की सुनने वाले नहीं हैं।

आप देखिये, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करें, भले ही सरकार ने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जनता से वादा किया है और घोषणा की है कि हम लोग जल्दी से जल्दी 2023 तक दिन को किसानों को बिजली देंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): घोषणा कर देते हैं, करते ही नहीं हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बिलकुल सही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र, मैं बूंदी जिले की बात कर रही हूं। एक जिले के अन्दर दो कानून, आप देखिये, कितनी लड़ाई लड़ी देश के अन्दर हम लोगों ने कि एक देश में दो विधान और दो संविधान नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हालात कि हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में किसान को दिन को बिजली मिले और केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में रात को बिजली मिले। ट्रांसफार्मर की यह हालत और आज भी लगातार आठ दिन से पूरे बूंदी जिले के अन्दर, जो काम चल रहा है, किसान के बिल जमा नहीं हैं तो उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

आप देखिये, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसान की फसल का पैसा कब आता है, हम देख रहे हैं। फिर ऐसी हालत में हम कुछ महीनों के लिये, 15 दिन के लिये, 20 दिन के लिये अगर विभाग को इस तरह का निर्देश दें कि आप किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं काटेंगे तो कौनसा पहाड़ टूट पड़ेगा। आज यह हालात बने हुए हैं कि जैसे ही गांवों के कनेक्शन काटे, आप गेडोली, पोलाई में चले जाइये, ट्यूबवैल तक नहीं चल पा रही है, ट्यूबवैल तक। पीने के पानी के लिये दूसरे गांवों में लोग जा रहे हैं और आज चार दिन से हमारी पोलाई, गेडोली की लाइटें बंद पड़ी हैं। बिजली के बिल जमा नहीं हैं। किसान हैं, हम सबको किसानों के हालात का मालूम है।

कहने को बातें बहुत सारी हैं। मैं फिर भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी। आयुष्मान भारत की हम लोग बात करें। आप देखिये, हमने राजस्थान के कितने लोगों का नुकसान किया। कितने गरीबों का नुकसान किया। अगर इसी योजना को हम दो साल पहले पूरा करते तो कम से कम दो हजार लोगों को इसका लाभ हम लोग दे चुके होते, लेकिन हमने जिद के कारण इसको अटका कर रखा। सिर्फ हम अधिकारियों के इशारों पर चलना चाहते हैं। अधिकारी जो बोल दें, वही बात हम लोग करें।

कल सम्माननीय मदनजी दिलावर साहब, रामंगज मण्डी से आने वाले

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सदस्य चर्चा कर रहे थे कि किसानों को काबली बांध का पैसा नहीं मिल रहा है। किसानों को आपने मुआवजा दे दिया। किसानों को आपने प्लाट के बदले प्लाट दे दिये। आज भी मुझे याद है, 2012 में और उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई। कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो हमारे जिले की कमेटी बनी हुई है, उस जिले की कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डिसिजन लिया गया कि एक्स-ग्रेशिया में इनको छूट दी जाएगी, राहत प्रदान की जाएगी और 18 वर्ष से ज्यादा के जितने भी जने हैं, उनको अलग से मकान की राशि दी जाएगी। उन लोगों का हमने तय किया, लेकिन उसके बावजूद भी 21 करोड़ रुपये की वजह से हमने इस स्कीम को कितने करोड़ों पर पहुंचा दिया। मात्र किसानों को हम नहीं देना चाहते। यह ओछी मानसिकता, जो हमारी है, कहीं न कहीं इस पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा।

साथ ही साथ, हम लोग नहरी तंत्र की बात करें तो हमारे 1275 करोड़ रुपये आज भी बिलकुल एक तरह से रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये। इस तरह के हालात, जब किसान को पानी नहीं मिल रहा है, हमारी नहरें जर्जर हो रही हैं, हमारे धोरों का अता-पता नहीं है, जगह-जगह किस तरह के हालात हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार का पैसा पड़ा हुआ, लेकिन अधिकारियों की मानसिकता देखिये, अपने लिये बंगले में पैसे लगा रहे हैं, अपने लिये 9-9 गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन किसान का पैसा किसान के खेत पर नहीं लग रहा है। यह हालत हमारे राजस्थान के हैं, तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिये।

साथ ही साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज हम देख रहे हैं कोरोना काल से गुजरे हैं, किस तरह से नगरपालिका में हमारे हालात बने हुए हैं। नगरपालिका क्षेत्र में अगर हम नरेगा को चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां के मजदूर को, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, जैसे मेरे नगरपालिका क्षेत्र इन्द्रगढ़ है, आप देखिये, वहां की 8 हजार कुछ आबादी है। वह पंचायत हैड क्वार्टर होना चाहिए, उसको नगरपालिका बना दिया गया। आज यह हालात हैं कि लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। गांव छोड़-छोड़कर या तो जयपुर आ रहे हैं या माधोपुर जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर हम पूरे राजस्थान के नगर निकाय क्षेत्र के अन्दर नरेगा को चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ इससे मिल सकता है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही साथ, मैं कहना चाहूंगी कि पीएम. आवास योजना के मकान, मैं मानती हूं कि पंचायत से हमारा पूरा प्लान तैयार होकर आता है, पूरी लिस्ट आती है, हम ऊपर भेजते हैं, जिसके मकान नहीं हैं, उसके मकान बनते हैं। लेकिन कभी-कभार हमारे अधिकारियों की गलती की वजह से आप देखिये, कितने गलत डिसिजन होते हैं, कितने गलत काम होते हैं। मैंने पी.एम. आवास योजना में देखा है, मैं खुद जाकर देखकर आई हूं। मेरी मोहनपुरा पंचायत सुमेरगंज मण्डी, हमारी पंचायत हैड क्वार्टर, आप देखिये, हमारी जो लास्ट किस्त आती है, जब हमारे बी.डी.ओ., हमारे सैक्रेटरी इस तरह की रिपोर्टिंग दे रहे हों कि यह मकान पूर्ण हो चुका है, जब मकान को हमने पूर्ण शो कर दिया तो फिर देखिये, हमें तीसरी किस्त कैसे मिलेगी जो नरेगा में मिलती है। आज भी कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र के 700 से 800 लोग, जिनको गत वर्ष पी.एम. आवास योजना के मकान मिले हैं, उनको लास्ट किस्त नहीं मिल पा रही है। लास्ट में, अधिकारियों ने उनको यह बोल दिया कि आपको किसी भी हिसाब से यह पैसा नहीं मिल सकता तो कम से कम हम यहां से निर्देश दें, हमारे सेक्रेटरीज को बतायें, हमारे बी.डी.ओज. को बतायें कि आप इस तरह के आनन-फानन में आदेश नहीं निकालें जिससे हमारे गांव के गरीब का नुकसान हो।

इसके साथ ही साथ देखिये, पी.एम. आवास योजना में और सी.एम. आवास योजना के जो मकान बने हैं, कितनी बड़ी खामियां रही हैं। मीडिया के माध्यम से मैंने खुद ने भी पढ़ा, जाकर भी पूछताछ की। आप देखिये, उस पंचायत से बाहर का रहने वाला व्यक्ति, उसके अकाउंट में तीसरी किस्त डल जाए। ऐसा कैसे? मैं कहूंगी कि यदि ऐसा किसी अधिकारी ने किया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि जिस गरीब का नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई हो सके। यह मेरा आप लोगों से निवेदन है।

साथ ही साथ, डी.एम.एफ.टी. की हम लोग बात कर रहे थे। कितने हमारे कार्य डी.एम.एफ.टी. के माध्यम से होते थे।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): आज दो सौ करोड़ से

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

ज्यादा तो कोटा के हैं और इतने ही पैसे हमारे बूंदी के हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि डी.एम.एफ.टी. के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव की क्या हालत रहती है। जहां खनन होता है, वहां पर एक ट्यूबवैल के लिये इंसान तरस जाता है, क्योंकि जहां माइनिंग होती है, वहां पानी नहीं मिलता। ट्यूबवैल कितनी भी गहरी, हम 3-3, 4-4, 7-7 सौ फुट गहरा खोद दें, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिलता। वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, मैं मेरी बात को समाप्त ही कर रही हूं। मेरा निवेदन है कि जो डीएम.एफ.टी. में 2017 में हम लोगों ने वर्ष 2018 से पहले जो प्रस्ताव लिये थे, उन प्रस्तावों को पूर्ण किया जाए क्योंकि बहुत सारी टंकियां बननी थीं, बहुत सारे पाइप लाइन के काम हम लोगों ने उसमें दिये थे अगर वह काम हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता को राहत मिलेगी वर्ना डी.एम.एफ.टी. के पैसे का जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट ने दुरुपयोग किया है, चिह्नित जगह पर अगर हास्पिटल्स में पैसे लगे हैं तो माननीय मंत्री महोदय ने लिस्ट दे दी और चिह्नित जगह पर, एक जिले और दो जिले में पैसा लग जाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। पूरी राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमने जनता के साथ न्याय किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही जिस तरह से हमने अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय के मुखारविंद से जो कुछ कहलवाया, हम आगे से ऐसा नहीं करें। जो कुछ काम हाथ में लें, उसे पूर्ण करें और जनता को राहत प्रदान करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर चर्चा करने

से पहले दो मिनट में 000

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया, शांत रहें। कृपया, सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): 000

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: आप विराजिये, प्लीज, सहयोग करो। आप विराजिये, मुझे पता है।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मकराना की यात्रा आपकी पूरी हो गयी हो तो अब आप जयपुर में आ जाओ। सीधे जयपुर आ जाओ। (व्यवधान) ...

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): 000

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं करना है।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): 000

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: आप सब विराजिये। प्लीज, मंत्री महोदय, विराजिये आप। विराजिये। आसन आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप सब विराजिये। प्लीज, विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: आसन को सब पता है, क्या गलत है, क्या सही है।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आसन पैरों पर है। विराजिये आप। विराजिये। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, विराजिये आप। प्लीज, सहयोग करें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का, माननीय नेता, प्रतिपक्ष का स्पीच भी आज होना है। मैं आप सबसे यह अपेक्षा करता हूं कि ऐसी कोई बात पैदा नहीं करें जिससे अनावश्यक रूप से सनसनी पैदा हो और ऐसी कोई बात आप अंकित नहीं करें जो इधर-उधर की रखी हो, उसको बिलकुल विलोपित कर दिया जाए।

श्री रूपा रामजी, मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि सीधे-सीधे आप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे और इधर-उधर की आप कोई बात नहीं करेंगे। यदि आपके पास बोलने के लिए कोई मसाला नहीं है, यदि आप कोई तैयारी करके नहीं आये हैं तो माननीय उप नेता महोदय से कहूंगा कि आप किसी अन्य का नाम दे दें ताकि वह समय पर अपनी बात को समाप्त करें। हाउस को इस तरह से मजाक नहीं बनाने दूंगा मैं बिलकुल भी। यह कोई चौपाल नहीं है, जहां जिसकी जैसे मर्जी हो, वैसे बोलेगा, बिलकुल नहीं बोलने दूंगा।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय मंत्री महोदय, विराजिये आप। प्लीज, विराजिये आप। आप एक बार विराजिये। मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं। श्री रूपा रामजी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आप विराजिये। किस बात पर बोल रहे हैं आप? किस बात पर?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री सभापति: किस बात की? जब सारी बात समाप्त हो गयी। विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, विराजिए आप। (व्यवधान) विराजिए आप। प्लीज सहयोग करें। विराजिए माननीय सदस्य। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य का कोई अंकित नहीं होगा। विराजिए आप। विराजिए। (व्यवधान) कोई नहीं

बोलेगा। विराजिए। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): 000

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए आप। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। आसन पैरों पर है। विराजिए आप। मैं दोनों पक्षों से यह अपेक्षा भी रखता हूं। आज का दिन विशेष दिन है। सी.एम. का भी अपना समय तय है, वह उस समय पर ही बोलेंगे। नेता, प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे। मैंने निर्देश दे दिया है कि कोई ऐसी बात अंकित नहीं होगी, जो विषय से हटकर है। अब आप प्लीज सहयोग करें और जब कोई बोल रहा है तो बीच में आप इंटरवीन नहीं करें। कुछ अच्छी परम्पराएं सीख लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। एड़ी-चोटी का जोर लगाकर हम सदन में पहुंचे हैं। आपको भाग्य से यह सदन मिला है, लेकिन अब मैं यह देख रहा हूं कि यह सदन आपको कांटों के जैसे चुभ रहा है। आप अपनी बात नहीं रखना चाहते, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बाहर बैठना चाहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरा जोर और पता नहीं किन-किनके आशीर्वाद से आपको इस सदन में बैठने का मौका मिला है। इसके बाद भी आपको यह सदन कांटों की तरह चुभ रहा है। यह अच्छा लगता है आप सबको? मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि कृपया उत्तेजना पैदा नहीं करें। आज विशेष दिन है, माननीय नेता, प्रतिपक्ष और माननीय सी.एम. साहब का रिप्लाई होना है। समय पर ही रिप्लाई होना है। इधर-उधर की बात नहीं करें। ऐसा कुछ भी अंकित नहीं होगा, जो विषय से हटकर है। माननीय रूपा राम जी, सीधे-सीधे आप अपनी बात पर आएंगे। मैं अपेक्षा करता हूं सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से, प्लीज बीच में उत्तेजना पैदा नहीं करें और सहयोग करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय जोशी साहब, बिलकुल बर्दाश्त से

(श्री रूपा राम)

बाहर है। अपने सदस्यों से कहिए कि वह अनुशासन में रहें।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मेरी नजर में, मैं भावुक हूं। मैंने शब्दों में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में गिरे हुए शब्द नहीं निकाले। यह मेरे बारे में बच्चा-बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।

श्री सभापति: आप सीधे अभिभाषण पर आ जाइए। आप अपनी बात रखिए।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मेरी भी भावना है। मैंने भी पांच साल पहले और अब इन दो सालों में विधान सभा की कार्यवाही को और माननीय सदस्यों को देखा है। चुने हुए प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री या पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में जो चाहे शब्द निकाले हैं, मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। अगर मैं किसी के बारे में बुरा शब्द बोलूंगा तो बुराई तो मेरी होगी। इनको परेशानी क्या है, मैं एक मिनट में ही बोल दूं। इनको परेशानी यह है कि कल +++ आने से बीजेपी को फायदा हुआ है। कारण क्या है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जब कांग्रेस को नुकसान होता है तो बीजेपी को फायदा होना है। यह हम सदस्य मानते हैं। एक सदस्य का नुकसान होता है तो हम अपने आप स्वत: ही मान लेते हैं कि हमारा फायदा हुआ। एक ही बात कहूंगा, फिर उसके बाद मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर आ जाऊंगा। आप सब माननीय सदस्य मेरे अजीज भी हैं और विद्वान भी हैं। मैं एक बात कहूंगा कि कोई आदमी अच्छा है, भोला है, सीधा है और सादा है। ईश्वर प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। जरूरी नहीं कि राजनीतिक प्राप्ति हो कि नहीं हो। यह शास्त्रों में लिखा है। अब मैं एक बात बता दूं हरीश जी या जो भी नेतागण हैं।

श्री सभापति: अब कोई बात अंकित नहीं होगी।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: सब्जैक्ट से हटकर जो भी बात है, बिलकुल अंकित नहीं होगी। सीधे-सीधे अपनी बात पर आइए, वरना मुझे दूसरा नाम पुकारना पड़ेगा।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: कोई टीका-टिप्पणी नहीं होगी।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: महेश जोशी, ऐसे सदन चलाना है? (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: विराजए। जो भी असंसदीय होगा, वह अपने आप विलोपित हो जाएगा। आप उत्तेजना पैदा नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री रूपाराम (जैसलमेर): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अपने आप यह व्यवस्था है कि ..(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

(भारी व्यवधान एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शोरगुल एवं नारे)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)... जो भी असंसदीय होगा, अपने आप विलोपित होगा। प्लीज सहयोग करें, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। प्लीज सहयोग करें। मैं सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि प्लीज सहयोग करें। आज का विशेष दिन है, इस बात का महत्व समझें आप। आप प्लीज सहयोग करें। माननीय मंत्री महोदय, जोशी जी, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

(श्री सभापति)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, कम से कम आपसे तो अपेक्षा रख सकता हूं। प्लीज सहयोग करें। राजेन्द्र राठौड़ साहब, प्लीज सहयोग करें। जो भी असंसदीय होगा, अपने आप विलोपित होगा। प्लीज सहयोग करें। प्लीज, प्लीज सहयोग करें। विराजिए। आज के विशेष दिन का महत्व शायद आप दोनों नहीं समझना चाह रहे हैं। सी.एम. साहब का और माननीय नेता, प्रतिपक्ष का रिप्लाई टाइम पर होना है। यदि आप अनुशासन में कर लेंगे तो कोई छोटे थोड़े ही न हो जाएंगे आप। मैं पुन: आप लोगों से अनुरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। मत बोलिए बीच में। ऐसा कुछ भी अंकित नहीं होगा, जो असंसदीय होगा। केवल वह वक्ता जिसका मैंने नाम पुकारा है, उसके अलावा किसी का भी अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें।

माननीय उप नेता महोदय, अपने दल के सदस्यों से आप कहें सहयोग करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। प्लीज, गुढा साहब, आप विराजिये, विराजिये आप। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें, विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप विराजिये, प्लीज सहयोग करें। एक बार आप सहयोग करें, एक बार आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। प्लीज एक बार सहयोग करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। गौड़ साहब, प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, क्या अपेक्षा करूं आपसे? प्लीज सहयोग करें, प्लीज, प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): 000

श्री सभापति: माननीय राजकुमार गौड़ साहब, विराजिये आप, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, न तो मेरा उद्देश्य शोर कराना था, न किसी को बोर करना था और न किसी को कहता कि तेरा जोर करना था।

'भटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ,

न आ सको वापस कोई बात नहीं, तनिक ठहर तो जाओ,

वरना अनचाही राहों में इतने दूर चले जाओगे,

लाख चाह कर भी वक्त वापस आने का निकाल नहीं पाओगे।'

'वो इतने नादान हैं कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं,

मुझे देखो, उनके गुनाह से हम अपने आप में शर्माते हैं।'

मैं फिर कह रहा हूं अगर टूट खाट गई तो क्या करे बापड़ा जाट इसमें मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है। यह तो उनके जो खाती ने बनाया उसको दोष दो कि भई, ऐसी क्यों बना दी। (व्यवधान)

श्री सभापति: थोड़ा सहयोग कर लो, छोटे नहीं हो जाओगे आप।

श्री रूपा राम (मकराना): साहब, 'आए हैं सो जायेंगे राजा रंक फकीर,

एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधा जंजीर।' अब मैं शुरू करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान) प्लीज। मजाक मत बनाओ, बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री रूपा राम (मकराना): समय पूरा होगा तो ही अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोल लिए वे क्या कर लेंगे? मैं तो बोल रहा हूं कुछ होता है तो। मैं तो सोचता हूं कि भई आपके अपनत्व है, प्रेम है, आप बोलने का मौका देते हैं और मौका मिलने से तो एक दूसरे को धोखा देते हैं इसलिए मैं भी बोल जाता हूं। वैसे तो हम नेताओं ने दिया ही दिया है, लिया क्या है।

मैं यह कह रहा हूं कि हमारी विधान सभा के एक माननीय सदस्य हैं, तीन दिन पहले उन्होंने एक भावनात्मक भाषण दिया। मैं उनसे मिला हूं, आपके यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, कभी हमारा भी नम्बर आएगा। उनके गंभीर बीमारी है, मैं उनसे मिला हूं, माननीय सदस्य हैं, उनके बड़ी बीमारी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता

(श्री रूपा राम)

और कल आपरेशन कराने जा रहे हैं तो मैंने उनको हाथ देखकर कहा कि मैं हस्त रेखा विशेषज्ञ भी हूं and there are many qualities in my body. भगवान मनै बणायो जणा, जाट हूं, but, nothing is happening here, according to rules and regulations.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री रूपा राम (मकराना): मैं गायक हूं, जन नायक हूं, लायक हूं, विधायक हूं और आप कहते हैं कि नालायक हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात कहने जा रहा हूं, उनका आपरेशन होने वाला है, मैंने कामना की है कि प्रभु पिता परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, वापस आएं। मेरा भी अभी इन 6 महीनों में दो बार आपरेशन हुआ। जब आदमी बीमार होता है, आपरेशन होता है तो कई तरह से सोचता है। मैं विधान सभा में बैंक में पैसे निकालने आया तो मैंने कहा, हे विधान सभा मेरी मां, मनै दुबारा बुला लीजै सा, डर तो लागै ही है सगळा न ही।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। अंकित नहीं होगा किसी का। माननीय मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें।

श्री रूपा राम (मकराना): किसान आंदोलन के बारे में मैं यह कहने जा रहा हूं, सुनो। माननीय सभापति महोदय, किसानों के आंदोलन की बात जायज हो सकती है, कुछ कानून या नियम, यह बनने में कमियां रह सकती हैं लेकिन, माननीय सदस्यों, कमी के बाद में उसका जो स्वरूप है क्या वह सड़कों पर होगा? लोक सभा और विधान सभा और चुने हुए नेताओं का प्रजातंत्र में उपयोग है या नहीं है? लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, कब कहा हमारे मोदी जी ने कि इसमें गद्दार हैं या इसमें फलां-फलां हैं? वे अपने आप ही पैदा कर रहे हैं। आज भी किसानों के आंदोलन को हमारे प्रधान मंत्री जी ने पवित्र माना है। बोलते कौन हैं? अपने आप ही बोलते हो कि मोदी जी ने यह कह दिया, मोदी जी कब कहेंगे, गद्दार है। मोदी जी ने यह कहा कि इस सच्चे और पवित्र आंदोलन को लोगों ने, ऐसे लोगों ने अगवा कर लिया है जिनका उद्देश्य किसानों का भला नहीं, जिनका उद्देश्य और है, जो मिले हुए हैं, जो देश में अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, जो आजादी को खतम करना चाहते हैं। याद रखो, मैं मोदी जी की एक ही बात कह रहा हूं, मोदी जी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मोदी जी कहते हैं 'जियो और

जीने दो।' न तो हिंदू का है न मुसलमान का है, यहां सभी का है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री रूपा राम (मकराना): अब मुझे मोदी जी पर बोलने का कहा और वह भी नहीं बोलने दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री रूपा राम (मकराना): साहब, मुझे मोदी जी पर बोलने की कही, हालांकि मैं बोलता नहीं, बोल गया तो वह भी नहीं बोलूं? देखो, मैं तो एक बात बताता हूं। मैं आपकी खुशी के लिए, अगर आप खुश हो तो, माननीय सभापति महोदय, मुझे कह दीजिए, बैठ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो मान सम्मान का भूखा हूं लेकिन समझो मैं इस बात पर बोलना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय,

'आदमी आदमी की पहचान खोता जा रहा है।
इसीलिए तो दुखी होता जा रहा है,
हंसने के बजाय रोता जा रहा है,
थोड़ा पाने की चाहत में सब कुछ होता जा रहा है,
आदमी आदमी की पहचान खोता जा रहा है।
सच कम और ज्यादा झूठ जहां, पग-पग पर नित दिन लूट जहां,
भाई-भाई में फूट जहां और जाएं स्वार्थ पर रिश्ते टूट जहां,
भाई को भाई देता है मुंह खोलकर खुद मां की गाली,
हे भारत के रखवाले, तब तुम कैसे करोगे रखवाली,
बगिया जब लूटी जाएगी और शह दे देगा जब खुद माली।'

माननीय सदस्यों, मैं एक बार फिर कह रहा हूं,

'हम रहें ना रहें खुशबू हमारी रहा करेगी',
लोग कहें न कहें जमीं जरूर कहा करेगी,

जमीं बोलती है आदमी के जाने के बाद और आदमी तो बोलता है सिर्फ आदमी के आने के बाद,

बहार भी आती है पतझड़ के जाने के बाद,
कभी हम भी आ जाएंगे जमाने से जाने के बाद।'

हम हमारे कर्मों के द्वारा याद आएंगे कि वह अच्छा था कि सच्चा था।

(श्री रूपा राम)

माननीय सभापति महोदय, जिंदगी में लड़ाई क्या है, लड़ाई है झूठ और पाप और पुण्य, धर्म-अधर्म की। आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग क्षणिक फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए हम दूसरों को झूठा और बेईमान बता देते हैं। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, यह मेरी सोच है कि दूसरों को दु:ख देकर खुद के सुख की कामना में इतनी ही सच्चाई है जितनी झरनों के रूप में उतरे पानी के पहाड़ से दोबारा चढ़ने में है। हम दूसरों को दु:ख देकर, दूसरों को अपमानित करके, दूसरों का हित काटकर, दूसरों की भलाई को अपनी भलाई बताकर कभी सुखी नहीं हो सकते।

यह शायद अभिभाषण में नहीं है लेकिन मेरे जीवन का सार है, मैंने जो सोचा है, अभिभाषण पर आप एक-एक घंटे, दो दो-दो घंटे बोल लिये। आप अपनी आत्मा को पूछो न, खुद का मूल्यांकन कीजिए न। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को कहो खुद का मूल्यांकन कीजिए कि खुद के घट की खुद जानो या फिर आपका रब जाने, दूसरा कहने वाला तो खुद झूठा, बेचारा वह आपके कब जाने। आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि इस लोकतंत्र के माध्यम से आपने गरीब जनता को क्या दिया है और सेवा के नाम से आपने अपना कितना पेट भर लिया है। मूल्यांकन कीजिए पिता परमेश्वर, ईश्वर जो ग्रंथों में है, जो धर्मों में है। ये विधान सभा गोल है, माननीय सभापति महोदय, सारे सदन गोल ही होते हैं क्या? इसमें कोई कोना नहीं है। किसी ने कह दिया कि विधान सभा में जाकर कोने में बैठ जा, वह दिन भर घूमता रहा कोना नहीं मिला। जब इसमें कोना नहीं है तो मेरी सोच है कि ज्यादातर सदस्य जनता के बजाय अपनी पार्टी और खुद के फायदे के लिए सोचते हैं। यह लोकतंत्र में सबसे बड़े दु:ख की बात है, यह बुराई की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। (व्यवधान) गीत तो मैं पेली कहूं न, अबार करो न, थोड़ी देर बाद म गीत सभा राख ल्यो, अठै मैं गीत गाऊं और मैं जठै जीतर आयो हूं बा जनता चावै है कि मैं बीकी अबार तो हाल पानी पर बोलूं, थोड़ो बिजली पर बोलूं, थोड़ो किसाना पर बोलूं, थोड़ी म्हारी शान पर बोलूं, किसाना की शान पर बोलूं। मैं केऊं, कांई होवै है राजनीति? म्हारै म पांच साल मै कांई बीती? मैं देखो जस की भर ग्यी

(श्री रूपा राम)

झोली, उलटी की तो री रीति की रीती। अरे म्हारी राजनीति, तूं कत्ती गई बीती, रूपल्यो बापड़ो हार्यो और जीत्यो पण म्हारी जनता तो जीती ही जीती। ये राजनीति है। यह राजनीति है, मैंने कहा पवित्र गंगा से भी पवित्र है, मंदिर से भी पवित्र है, गीता कुरान से भी पवित्र है क्योंकि राजनीति के माध्यम से हम चाहें तो मैंने पहले कहा स्वर्ग में जा सकते हैं, इसमें सेवा का मौका बहुत है लेकिन अब जैसा करोगे वैसा भरोगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को पूरे सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झूठ कपट, बेईमानी और गलत तरीके से कमाया हुआ धन और मान-सम्मान उतना ही सुख देगा जितना हम हमारे लिए एक मकान बना रहे हैं जिसमें ईट कमजोर, सीमेंट कमजोर, सरिया कमजोर, बजरी कमजोर। मकान बनाने के बाद में क्या आप बता सकते हैं कि हमने मकान बनाया जिसमें सारी ही त्रुटियां हैं। क्या हम उसमें आराम से नींद ले सकते हैं? क्या उसमें सो सकते हैं? नहीं सो सकते। इसलिए झूठ, कपट, बेईमानी से कमाए हुए धन से आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको पता है कि मैंने क्या-क्या गड़बड़ियां की हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। जो मैंने 20 साल पहले लिखी है। आप मुझे टाइम देना, ऐसा नहीं कि मेरे बिजली, पानी और सड़क वाले मुद्दे रह जाएं। मेरा बनाया हुआ सपना ऐसा नहीं हो कि ढह जाए। मैं यह कहूंगा कि उस प्रजातंत्र, लोकतंत्र का, राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होगा कि जीता हुआ जन प्रतिनिधि जनता के हित की बजाय खुद के हित की सोच में लगा है। सेवा की बजाय खुद की सेवा करने में लगा है।

माननीय सभापति महोदय, जब उस नेता पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे तो वह सीधी-सादी, भोली-भाली जनता फिर से उसको बचा लेगी। यह तो हमारा रूपा है। यह तो जाट है। यह पता नहीं कि यह जाट 5 साल में आपको चाट गया। फिर भी इसकी बड़ाई करते हो। यह हिन्दुस्तान की जनता बहकावे में आ जाती है। यह भोली-भाली है। चाहे पार्टी के माध्यम से आए, चाहे जाति के माध्यम से आए। मैं एक बात बताऊं, अगर किसी जाति का आदमी अच्छा और सच्चा है तो उस जाति का नाम होगा। आज यह परम्परा पड़ चुकी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): समाप्त कर दूं? पानी, बिजली पर बोल लूं।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री रूपा राम (मकराना): हमारी तैयारी है। मैं एक बात कहूं बिजली के बारे में, किसानों के बारे में।

श्री सभापति: हां, फरमाएं।

श्री रूपा राम (मकराना): मुझे 2 मिनट तो और दे दो। राहुल जी वाले काट लो, जमा कर लो उधर। मेरी मुख्य बात तो यही है अन्यथा मैं मकराना में जाकर के क्या कहूंगा कि मैं क्या बोला।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): मैं तो भागा-भागा आया। देखो, घर में मेरी काकीजी वेंटिलेटर पर हैं, बीमार हैं, फिर भी मैं बोलने के लिए आया हूं। एक मिनट बोलने दो। मैं तो आपकी बड़ाई करूं ही नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के विधेयक की राजस्थान की सरकार को और कांग्रेस वालों को चिंता है। मकराना में और राजस्थान में बिजली कितनी देते हो? पैसों से मां-बाप के अलावा सब खरीद सकते हैं। किसान अपनी फसल के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए करता है। आज बिजली 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। गांव का बच्चा चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, पढ़ भी नहीं पा रहा है। 5-5, 6-6 घंटे बिजली मिल रही है और फिर कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात कहूंगा, माननीय सदस्यों को बता रहा हूं कि जब हम घर में ट्यूबवैल खोदते हैं तो साढ़े 4 लाख में खुद जाता है और जब सरकारी हो तो वह 8-10 लाख में खुदता है। वह भी पूरी तरह से चलता नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, एक सड़कों के बारे में भी कहा है। सड़कें हम कितना ही अच्छा मसाला लेकर के बनाते हैं, 3 साल में टूट जाती हैं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमित चाचाण।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट तो बोलने दो।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। प्लीज, सहयोग करें आप। समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट, ठहरो न। मैं सड़कों की दशा पर बोल गया। सड़कों के बारे में आप रटी-रटाई बातें बोल गए। हमारे यहां भी सड़कें टूटी-फूटी हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निरोगी राजस्थान पर बोलूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करो।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आप राजस्थान को निरोगी रखना चाहते हो? मैं तो इतना ही कहूंगा कि मिलावट की चीजों को आप थोड़ा पकड़ें। बाकी आपके प्रयास की मैं सराहना करूंगा।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम तो पकड़ते हैं ...(व्यवधान) कटारिया जी का फोन आ जाता ...(व्यवधान)

श्री रूपा राम (मकराना): यह मिलावट की चीजें जिंदा इंसानों को मार रही हैं।

श्री सभापति: विराजिए। रूपा राम जी, प्लीज सहयोग करें। श्री अमित चाचाण।

श्री रूपा राम (मकराना): डाक्टरों को अस्पतालों में लगाएं।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य ...(व्यवधान) विराजिए ...(व्यवधान)

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, यह 2020 का वर्ष पूरे विश्व में डरावने रूप में आया। विश्व के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक बच्चे के मन में भय देखा गया। आंखों में डर देखा गया, लेकिन राजस्थान की जनता भाग्यशाली थी कि इस कठिन दौर में उनके मुखिया, उनके मुख्य मंत्री

(श्री अमित चाचाण)

एक सरल स्वभाव के धनी और 36 बिरादरी के बारे में सोचने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ देश के नागरिक और देश का दुर्भाग्य था कि देश के गद्दी पर एक कठोर दिल वाला और तानाशाही रवैया अपनाने वाला, हम दो हमारे दो की चिंता करने वाला बैठा था। राजस्थान की जनता को इस कठिन दौर से बाहर निकालने के लिए लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने सदैव चिंता करते हुए प्रत्येक घर के बारे में सोचा। जहां दूसरी तरफ आप लोग थाली बजवा रहे थे, वहीं हम लोग भोजन की थाली प्रत्येक घर तक भिजवा रहे थे। जहां आप लोग ताली बजवा रहे थे, वहीं हम लोग कोरोना पीड़ितों का मुफ्त इलाज करवा रहे थे। जहां आप लोग दीपक जलवा रहे थे वहीं हम लोग बेरोजगार, जरूरतमंद मजदूरों को उनके गंतव्य घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, इस कठिन दौर में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने कठोरता के साथ और उनका साथ निभाते हुए माननीय रघु शर्मा जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हरियाणा बोर्डर का रहने वाला हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा बोर्डर पर है। जहां हरियाणा में भाजपा की सरकार है। राजस्थान में कोरोना पीड़ितों का जहां मुफ्त इलाज किया जा रहा था वहीं हरियाणा में कोरोना पीड़ितों द्वारा भारी राशि वहन की जा रही थी। वहां के छोटे-छोटे हास्पिटलों में कोरोना पीड़ितों से लाखों रुपये लिए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने एक गाइडलाइन बनाते हुए बड़े से बड़े चिकित्सालय के रेट निर्धारित किए और कम शुल्क में कोरोना पीड़ितों का इलाज हो रहा था।

माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना काल के दौरान साढ़े 4 करोड़ घरों तक भोजन और किट पहुंचाई गई। प्रत्येक घर तक माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशों से राजस्थान के प्रत्येक विधायक ने अपना धर्म मानते हुए घरों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। खाद्य सामग्री किट पहुंचाने का काम किया। इस समय में हर व्यक्ति न तो व्यापार की सोच रहा था और न ही विकास कार्यों की सोच रहा था। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक इसी बात से चिंतित था कि किस तरह से हम अपना और अपने परिवार का जीवन बचा सकें। प्रत्येक नागरिक यही चाहता था कि इस कठिन समय से निकलते हुए हम अपना जीवन बचा लें तो वह बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हमें गर्व है कि

(श्री अमित चाचाण)

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की सोच के कारण राजस्थान की जनता में जो डर था, उनके कुशल प्रबंधन की वजह से वह डर बाहर निकला। उन्होंने एक अंकुश लगाया। राजस्थान का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी स्वर्णाक्षरों में लिखा गया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कोरोना प्रबंधन बनाया, चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, इनके नेता मोदी जी ने भी इसको सराहा कि माननीय अशोक जी गहलोत ने जो काम किया है वास्तव में वह ऐतिहासिक काम है। यह सदियों तक याद रखा जाएगा। जब इस कोरोना काल में पूरा विश्व भयभीत था, वहीं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने मिलकर यहां की जनता को कोरोना से बाहर निकालने का काम किया। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने इसके साथ-साथ ही अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू रखीं। उन्होंने विधायकों से भी एक करोड़ रुपये चिकित्सा के लिए और सवा करोड़ रुपये अपने क्षेत्र की घोषणाओं को पूरा करने के लिए दिए। वहीं दूसरी तरफ जिन हमारे 25 सांसदों को राजस्थान की जनता ने जीताकर भेजा, मारवाड़ी में एक कहावत है कि 'खावे खसम को और गीत गावे बीरा का', इन 25 सांसदों ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण भी, इस कठिन दौर में भी कभी राजस्थान की पैरवी नहीं की। अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करने का काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने नेता को खुश करने के लिए ताली और थाली बजवाने का काम किया।

वहीं दूसरी तरफ मोदी जी, जो कि हमारे प्रधान मंत्री हैं, राजस्थान की जनता के हिस्से का जो पैसा था उसमें दिन प्रतिदिन कटौती करने का काम किया। एक से एक कुठाराघात करने का काम किया, लेकिन वह 25 के 25 सांसद अपनी आंख बंद करके, मुंह बंद करके सदन के अंदर ताली और थाली बजाते रहे। अब इन 25 सांसदों ने जनता की फिक्र नहीं की। राजस्थान की जनता की चिंता नहीं की जबकि इन 25 सांसदों को जनता ने वोट देकर के भेजा था।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हमने यह किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी थी जिसने 70 सालों तक पूरे देश को एक धागे में पिरोकर के रखा। आपने तो गद्दी संभालने के

(श्री अमित चाचाण)

साथ ही देश के भाई चारे में जहर घोलकर के जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर दिया। आपने लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर दिया। आपने भाई से भाई को लड़ाने का काम कर दिया। आपने कभी धर्म, कभी जाति और कभी सेना के नाम पर सत्ता हथियाने का काम किया। आज तक प्रधान मंत्री जी एक उपलब्धि नहीं गिना सके कि हमने यह काम किया है लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सदियों तक काम करती आई है।

आज हमारे देश के प्रधान मंत्री ने जो 70 साल की कमाई थी वह 7 साल में उड़ाई है। अब यह पूछ रहे हैं कि 70 सालों में क्या किया? वह यही पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में किया, जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठान बनाए, आने वाले सालों में उन प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में देकर चंद पूंजीपति घरानों के घर एवं तिजोरी भरने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं।

(14.00 बजे)

आज हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का किसान जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भरता है और पूरे देश का पेट भरता है, आज उसकी दशा पूरे देश और विश्व में देखी जा रही है कि किस तरह से लाखों किसान पार्टीबाजी से ऊपर उठते हुए, जाति धर्म से ऊपर उठते हुए, राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। 80 दिनों में सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी, वहीं दूसरी तरफ हमारे मुखिया, जो देश के मुखिया हैं, वे आंख बंद कर बैठे हैं। उन्होंने एक बार भी उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि देने का काम भी नहीं किया। उन्होंने एक बार ही उस अन्नदाता की तरफ देखने का काम नहीं किया क्योंकि अब तो विश्वास भी होने लग गया है कि ऐसे लाखों किसानों को, लाखों बेरोजगारों को, लाखों मजदूरों को दरकिनार करके आज वह दावे के साथ कहते हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे तो मुझे यह लगता है कि उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है, उनका जनता से विश्वास उठ गया है, उनका अगर विश्वास है तो उन्हीं ईवीएम मशीनों पर है, तभी वे ताल ठोककर कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। ऐसी तानाशाह सरकार, ऐसे कठोर दिल की सरकार जो देश को मिली, आज देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि पूरा युवा अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि ऐसी कैसी गलती कर दी कि ऐसे तानाशाह रवैये वाले आदमी को देश की गद्दी पर बैठा

(श्री अमित चाचाण)

दिया।

माननीय सभापति महोदय, एक तो राजस्थान है, राजस्थान के मुखिया हैं जो 36 बिरादरी के बारे में सोचते हैं, पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे किसान, मजदूर के बारे में सोचते हैं और उसे आगे लाने का काम करते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारी कांग्रेस सरकार ने 150 करोड़ रुपये की पेयजल योजना भी शुरू की जो भाजपा राज में मेरे 27 गांवों के किसान पानी के लिए तरस रहे थे। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने निर्देश दिया और जिला प्रशासन पूरा लग गया और उस पानी चोरी को रोकने का काम किया और एक लम्बे अरसे के बाद 27 गांवों के खेतों तक, किसान के घर तक, खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज उन 27 गांवों का प्रत्येक किसान चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट कर रहा है कि आपके निर्देशों की वजह से हमने 15 वर्षों के बाद हमारे खेत में पानी देखा है, ऐसा काम हमारी लोक कल्याणकारी सरकार कर रही है, ऐसा काम हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत कर रहे हैं। विपक्ष तो सिर्फ हल्ला मचाने का काम कर रहा है। उनका एक ही मकसद है, न तो काम करेंगे, न काम करने देंगे। जो भी जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, हम उनका विरोध करेंगे। इसी नीति पर वह काम कर रहे हैं लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी, चाहे हमारे आज राहुल गांधीजी की बात कर रहे हैं, ये वही राहुल गांधीजी हैं जो आपको नाकों चने चबा रहे हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, हर प्रदेश में जाकर वह किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं लेकिन आप उन्हीं अन्नदाताओं पर, उसी किसान की छाती पर हल चलाकर उसको दबाना चाहते हो, उसको कुचलना चाहते हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ओर सरकार और हमारे नेता प्रत्येक किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम इस आंदोलन को दबने नहीं देंगे, आपका कुठाराघात चलने नहीं देंगे क्योंकि हम 36 बिरादरी के आशीर्वाद से जीतकर यहां आए हैं। हमें अंतिम छोर तक की चिंता है। हम पूंजीपति घरानों के इशारों पर यहां नहीं बैठे हैं, हम उनकी कठपुतली बनकर नहीं बैठे हैं, हमें 36 बिरादरी का मान और सम्मान करना है। राजस्थान के अंतिम छोर पर विकास की गंगा को बहाना है, राजस्थान के प्रत्येक गांव और ढाणी तक

(श्री अमित चाचाण)

विकास के नये आयाम स्थापित करने हैं, राजंस्थान के अंतिम छोर के किसान मजदूर को आगे लाने का काम करना है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार पुन: मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।

श्री सभापति: श्री मुकेश भाकर।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण यहां पढ़ा, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी सदन में लेकिन जो मेरे से पहले मकराना से आने वाले मेरे साथी विधायक, जिनसे राजनीति में आने से पहले भी हमारे आपसी घरेलू संबंध थे लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने जो बातें सदन में रखीं उन पर मैं आपकी अनुमति से दो मिनट का समय चाहूंगा।

श्री सभापति: आप सीधे-सीधे राज्यपाल महोदय की स्पीच पर अपनी बात कहें। वह बात हो गई, आप तो उस पर बोलो।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य रूपा रामजी ने कहा कि मैंने अपने अभिभाषण में वीर तेजाजी महाराज, मीरा बाई, करमा बाई को याद किया, बलदेव राम मिर्धाजी को याद किया, जिन्होंने किसानों को हक दिलाने के लिए सामंतवाद के खिलाफ किसान आंदोलन की शुरुआत की। उस समय मेरे से जो नाम छूट गया था, वह अच्छा हुआ मेरे से पहले रूपा रामजी बोले और मुझे उस पर बोलने का मौका मिला। वह नाम स्वर्गीय नाथूरामजी मिर्धा का था, जिनकी वजह से रूपा रामजी मुरोवतिया ने पहली बार इस विधान सभा का दरवाजा देखा और पहली बार ही इस विधान सभा में आए।

माननीय सभापति महोदय, मकराना में जो लाखों किसान इकट्ठे हुए इन कृषि कानूनों के खिलाफ, उनसे बौखलाई यह भारतीय जनता पार्टी उसको विभिन्न तरह के मुद्दों में, विभिन्न तरह की बातों में ले जाना चाहती है। कभी खाट की, कभी जाट की, कभी तेजाजी की, जो बातें हैं, सदन में पिछले दो दिन से, तीन दिन से चल रही है, यह उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। राहुल गांधी राजस्थान आए, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे किशनगढ़

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

से लेकर मकराना तक, जिस तरीके से किसानों का हुजूम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में राहुलजी को सुनने के लिए आया, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो बौखलाहट है उसी की बात रूपा रामजी मुरोवतिया ने की।

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन महीनों से हमारे जो किसान है वह बोर्डरों पर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, पहले इस आंदोलन को इस रूप में बांटा गया कि जो सरदार हैं, वे पंजाब के बोर्डर पर विरोध कर रहे हैं। उसके बाद यह कहा गया कि हरियाणा के सिर्फ जो किसान हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब राकेश टिकैत के आंसू राजस्थान ने और पूरे देश ने देखे तो इसको बांट दिया कि जाट कम्युनिटी को एक जगह लाने के लिए राहुल गांधीजी, कांग्रेस इस आंदोलन को हवा दे रही है। माननीय सभापति महोदय, 200 किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान की बलि दे दी लेकिन केन्द्र की सरकार पर किसी तरह की जूं नहीं रेंगी। मैं आज यहां सदन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनसे चाहूंगा कि आप लोग जिन वोटों से जीतकर आए हैं, जिन किसानों के साथ से आप जीतकर आए हैं, कम से कम उनकी एक बात तो आप इस सदन में रखते तो हम इस बात को मानते कि आपकी विधान सभा में आने की बात सही साबित होती।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, पिछले एक साल कोरोना काल में पूरे देश ने, विदेश ने, राजस्थान ने भोगा, किस तरह से भय का माहौल बना, किस तरीके से हम लोग पिछले एक साल से इस कोरोना की बीमारी से लड़े, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार और जिला प्रशासन से लेकर नीचे ब्लाक स्तर तक उस नर्स, कम्पाउण्डर, डाक्टर, जिला कलेक्टर, उप खंड अधिकारी, सब लोगों का जिन्होंने एक कड़ी के रूप में इस पूरे एक साल में हम लोगों को राहत देने का काम किया है। मैं उन कोरोना वॉरियर्स को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने हम लोगों को, इस देश के लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी।

माननीय सभापति महोदय, जब कोरोना का समय था, हर जिले पर सरकार ने टैस्ट की व्यवस्था करवाई थी, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ सकती थीं राजस्थान में, उन पर ध्यान दिया गया। जब लोग मजदूर कारखानों से और देश के विभिन्न भागों से अपने घरों को जा रहे थे, पूरे देश ने वह माहौल देखा, किस तरीके से रेलगाड़ियों पर, किस तरीके से बसों पर, हजारों

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

किलोमीटर पैदल चलकर जो मजदूर गए, राजस्थान की सरकार ने उस समय भी उन लोगों के लिए बसों की सुविधा करवाई और जो मजदूर गांव में आ गए थे, जिनके खाने के लाले पड़ गए थे, रोटी की समस्या हो गई थी, उन लोगों को नरेगा में पूरे देश में टोप पर कोई स्टेट रहा तो राजस्थान रहा। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमने राजीव गांधी की जयंती पर इंदिरा रसोई शुरू की, 8 रुपये में एक करोड़ से ज्यादा थालियों की व्यवस्था पूरे राजस्थान में कराई गई।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कुछ समस्याएं जो मेरे सैक्टर की हैं वह मैं मुख्य मंत्रीजी और सदन के सामने रखना चाहूंगा। कृषि उपज मंडी, क्योंकि लाडनूं एरिया जो है वहां पर सरसों, मूंग और मूंगफली का उत्पादन काफी होता है। हमें सब सेंटर तो दिया गया है लेकिन कृषि उपज मंडी की मांग मैं यहां पर रखता हूं। ट्रोमा सेंटर जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है, उसकी वित्तीय स्वीकृति की मैं मांग करता हूं। एडीजे कोर्ट को लेकर हमारे वहां के अधिवक्ता पिछले एक महीने से धरने पर हैं, मैं चाहूंगा कि एडीजे कोर्ट खोलने के लिए जितनी मान्यताएं, जितनी चीजें होती हैं वे सारी हमारे उस कोर्ट की पूरी कर ली गई हैं। मुझे लगता है कि उस पर ढंग से सुनवाई होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक बार मैं पुन: आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय किसान।

सूचना

सूरतगढ़ में चरमराती विद्युत व्यवस्था

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि पिछले दो वर्ष से आप आसन पर विराजमान हो, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है। माननीय मंत्री महोदय, बहुत बार व्यक्तिगत रूप से आपसे मिल चुका हूं। आज किसानों ने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि अगर इलाके में आये तो बिजली की समस्या का समाधान करवा के आना, अन्यथा इलाके में मत आना।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): क्या है समस्या?

श्री सभापति: कृपया विराजिए। विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): वोल्टेज डाउन है...

श्री सभापति: एक मिनट, विराजिए आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): साहब, एक मिनट मैं बता दूं, मंत्री जी पूछ रहे हैं।

श्री सभापति: आप माननीय मंत्री महोदय से उनके कक्ष में मिल लें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मंत्री जी पूछ रहे हैं साहब, मैं बता दूं, एक मिनट लगेगी।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में किसानों को 6 घंटे बिजली दिन में, रात को 7 घंटे और कंज्यूमर्स को 24 घंटे बिजली दी जा रही है।

श्री सभापति: आप इन्हें इनके कक्ष में जाकर बताइएगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बिजली नहीं मिलने के कारण पानी नहीं मिल रहा है, फसलें जल रही हैं। वोल्टेज डाउन है, मोटरें जल रही हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। हकीकत में प्रोब्लम है। हजारों की संख्या में मोटरें जल रही हैं।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज भारत के बारे में दुनिया में कुछ खबरें हैं। देश और दुनिया के समाचार माध्यमों ने भारत की बढ़ती साख के बारे में उल्लेख किया है, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समर्थन किया है। बात चाहे कोविड महामारी की हो या चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शांति रक्षा मिशनों की हो या जलवायु परिवर्तन की हो या

(श्री सतीश पूनियां)

आर्थिक क्षेत्र की हो या आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने की, आज दुनिया के देश भारत की ओर आशा और विश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं। अब वैश्विक मंचों पर भारत को लेकर दुनिया के देशों की ओर से दिये जा रहे संदेश प्रमुखता से उजागर होने लगे हैं। पिछले ही सप्ताह विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2021 को सम्बोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की उप-महासचिव अमीना मोहम्मद ने अपने सम्बोधन में कहा, ''भारत पर वैश्विक समुदाय का भरोसा बढ़ा है। दुनिया के देश भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगे हैं। भारत जी-20 में शामिल दुनिया के देशों में इकलौता ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के उद्देश्यों को बेहतरीन तरीके से हासिल करेगा।''

माननीय सभापति महोदय, दूसरी खबर है, आत्म निर्भरता के लिए भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी 'इसरो' ने, क्योंकि अब दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो गयी है, सोशल मीडिया एक बड़ा मंच बन गया है और ऐसे में हम निर्भर थे दुनिया के दूसरे किस्म के एप्स पर, उस डिजिटल वर्ल्ड पर, लेकिन मुझे खुशी है कि ट्विटर की जगह 'कू' और व्हॉट्सएप की जगह 'संदेश' नेविगेशन एप जो भारत की इसरो ने बनाया है, वह दुनिया में भारत की एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है।

आज आप लोगों ने दूसरे समाचार देखे होंगे, भारत की सेना की कई बार समीक्षा होती है, चर्चा होती है, लेकिन मुझे खुशी है कि दुनिया के अखबारों में भारतीय सेना के हंटर किलर टैंक, जो पूर्णत: स्वेदशी हैं और अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है, को जगह मिली है, लेकिन इसके विपरीत एक समाचार और है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा गिरफ्तार हुई है। बहुत लोगों के संज्ञान में होगा अथवा नहीं, लेकिन ऐसी एक एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भारत के खिलाफ एक साजिश में शामिल हुई और उसने टूलकिट के माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश रची, देश को कमजोर करने की कोशिश की और आतंकवादियों से उस टूलकिट के माध्यम से इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की। वह गिरफ्तार हुई। इसका अर्थ सीधा-सीधा है, एक तरफ तो भारत तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ भारत को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं।

सभापति महोदय, लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को लगभग 70 वर्ष हो जाएंगे, मुझे खुशी है कि देश में एक ऐसी सरकार आयी जिसने बुनियादी

(श्री सतीश पूनियां)

विकास से लेकर देश के वैचारिक मुद्दों के समाधान के लिए काम किया। इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में सरकारें आती हैं, जाती हैं, लोग भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भारत का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि इन 70 वर्षों में जो 70 ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, उनमें आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि, नागरिकता संशोधन कानून, बोडो समझौता, तीन तलाक, आत्म निर्भर भारत, नयी शिक्षा नीति, खुले में शौच से मुक्ति, जन-धन के खाते, हर गांव को बिजली, नेशनल बैकवर्ड कास्ट के कमीशन को संवैधानिक दर्जा, आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण, अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ, जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तीकरण, स्ट्रीट वैंडर्स के लिए स्वनिधि, देश के लोगों को आयुष्मान भारत का बीमा, वन नेशन-वन राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि केवल देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी किसानों की डायरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर स्कीम है जिसमें हिन्दुस्तान के 10 करोड़ लोगों को 90 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं।

एक लाख करोड़ रुपये कृषि के इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिए पहली बार हुए, 10 हजार एफपीओ और छोटे किसानों को पेंशन। ये उस किस्म के फैसले हैं जिनसे भारत की ताकत बढ़ी है, भारत के किसान की ताकत बढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी अभिभाषण की पृष्ठभूमि में यहां की सरकार भी काम करती है और दिल्ली की सरकार भी काम करती है, लेकिन जो बजट अभी पेश हुआ, उससे पहले कोरोना की वैश्विक महामारी थी। यह एक ऐसी महामारी थी जिससे दुनिया, देश और प्रदेश, सभी को चुनौती थी। उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से भारत ने यह जंग लड़ी, मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के वैज्ञानिकों की ताकत के बूते भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया जिसने स्वदेशी वैक्सीन बनायी और उसे तीन करोड़ लोगों को पहले चरण में लगाने का काम भी शुरू हुआ। यह भारत की उस सरकार की ताकत है, उन वैज्ञानिकों की ताकत है।

कोरोना के कालखण्ड में, आप बेशक उसका उपहास उड़ाएं, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों को उनकी इच्छा शक्ति जागृत करना, उनके भीतर भरोसा पैदा करना और इस बीमारी से लड़ाई लड़ना बड़ा काम था, इसलिए आरबीआई के 27 लाख करोड़ के पैकेज ने भारत के हर तबके को मजबूती दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब यह बजट आया, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, क्योंकि

(श्री सतीश पूनियां)

कोरोना के समय यह विश्लेषण हुआ, समीक्षा हुई कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह भारत ही नहीं, दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जिसने 137 प्रतिशत बढ़ोतरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में की है। 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा और 35 करोड़ रुपये कोरोना वैक्सीन के लिए, अरबन जल जीवन मिशन के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1 लाख 40 हजार 678 करोड़ रुपये, क्योंकि पर्यावरण की एक बड़ी समस्या देश में है।

इसी तरह से जो हमारे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं, वे भारत की बड़ी ताकत हैं जिसमें 11 करोड़ लोग सीधे-सीधे रोजगार पाते हैं। 15700 करोड़ रुपये एमएसएमई को देकर 11 करोड़ कार्मिकों को एक बड़ा सम्बल देने का काम भारत सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा दृश्य भी है। आज देश के अनेक समाचार माध्यमों में राजस्थान की भी चर्चा हुई है। एक खबर है कि फर्जी आरटीओ ने 6 हजार से भी ज्यादा लाइसेंस बना दिये। प्रदेश के तस्करों के हौसले बुलंद हैं और थाना प्रभारी पर कार चढ़ाने का प्रयास हुआ। सोनोग्राफी की मशीन के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में लम्बी कतारें लगती हैं। कोटा मेडिकल कालेज की चर्चा आगे करूंगा, लेकिन नवजात गहन चिकित्सा इकाई के ठेके में गड़बड़ी का अंदेशा है।

राजस्थान में नशे के कारण सर्वाधिक 338 मौतें पिछले एक वर्ष में हुई हैं। गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक नशे का एक कोरिडोर डवलप हुआ है सरकार के संज्ञान में है अथवा नहीं, मुझे पता नहीं। हनुमानगढ़ की पुलिस को बंधक बनाया गया। सहकारी बैंकों को अपात्रों के हवाले कर दिया गया। गंगानगर के बोर्डर पर 6 किलो हेरोइन की तस्करी पकड़ी गयी। राजस्थान के लाखों परीक्षार्थी अपनी भर्ती के लिए परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी अभिभाषण हुए हैं, 2019-20 और अब 2021 का, इससे पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया, अनेक पृष्ठों में कई चीजों की घोषणाएं हुईं, कई प्रश्नों के माध्यम से, अनेक भाषणों के माध्यम से उसका यहां उद्धरण हुआ है, मैं उसे दोहराऊंगा तो नहीं। राज्यपाल महोदय ने अपना संवैधानिक कर्त्तव्य पूरा किया और अपने मुख से उस अभिभाषण को पढ़ा, लेकिन अफसोस यह हुआ कि महामहिम के मुख से भी सरकार ने असत्य कहलवाने की कोशिश की।

(श्री सतीश पूनियां)

आज यदि मैं उनका उल्लेख करूंगा तो किसानों की कर्जा माफी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें से 78 तो सीधे सत्यापित बिन्दु हैं जिन पर सरकार ने घोषणा की और उनमें एक की भी क्रियान्विति नहीं हुई और उसका परिणाम शून्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में इस तरीके की कई बातें कही गईं जिनका ताल्लुक भारत की राजनीति से भी है, देश की, केन्द्र की सरकार से भी है, लेकिन किस तरीके से सदन को गुमराह करके केवल झूठी वाहवाही लूटने का काम हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि 70 साल की राजनीति में लगभग 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का अवसर मिला। 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो हिन्दुस्तान के किसानों के लिए पहला अवसर था जब उन वाजपेयी जी ने देश के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देकर उनके जीवन को सम्बल दिया और सक्षम बनाने की कोशिश हुई।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री बीमा योजना, इस देश में मोटर का बीमा, मकान का बीमा, बकरी का बीमा, लेकिन हिन्दुस्तान के किसान की जीती-जागती फसल का बीमा नहीं होता था। मैं देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री वाजपेयी जी को श्रद्धा से याद करूंगा जिन्होंने इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करके हिन्दुस्तान और राजस्थान के किसानों को एक बड़ी ताकत दी।

माननीय सभापति महोदय, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड देखते होंगे। कदाचित प्रधान मंत्री जी के मन में यह बात रही थी कि गांव का किसान शहर से जुड़े और अपनी उपज को ठीक तरीके से, सहूलियत से ले जा सके। मुझे खुशी है कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक लाख 64 हजार किलोमीटर सड़क राजस्थान की धरती पर उसी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की देन है। माननीय सभापति महोदय, तीन कृषि के बिल आये, बड़ी चर्चाएं हुईं और मैंने जिस ग्रेटा थनबर्ग का जिक्र किया, जिस दिशा का जिक्र किया, इस आंदोलन की आड़ में भारत में अराजकता फैलाना, अशांति फैलाना, यह पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें विदेशी ताकतें शामिल थीं, लेकिन भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने पूरी

(श्री सतीश पूनियां)

विनम्रता के साथ, पूरी उदारता के साथ और इस देश के अन्नपूर्णा करने वाले इस देश की धरती के किसान ये तीनों ही बिल इसलिए लेकर आये कि बीज से लेकर बाजार तक किसान को आजादी मिले, उसको सम्मान मिले।

सभापति महोदय, हमारे यहां पारम्परिक खेती होती है, बोना, काटना और बेचना। न नवाचार थे, न उन्नत खेती थी, न फसलों का जोखिम था और न उनको कीमत थी। राजस्थान का किसान चना बेचने के लिए चोरी-छिपे हरियाणा जाता था, राजस्थान का किसान चोरी-छिपे गुजरात में मूंगफली बेचने जाता था क्योंकि कीमत ज्यादा मिलती थी इसलिए बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था की। प्रधान मंत्री जी ने साफ तौर पर जब लोक सभा और राज्य सभा में साफ तौर पर कहा तो मुझे लगता है कि किसी भ्रम की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तीनों ही बिल मेंडेटरी नहीं है, ये वैकल्पिक हैं। इन बिलों के बारे में पृष्ठभूमि यह है कि 2019 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इस एपीएमसी का जिक्र है। इसी तरीके से बाकी बातों का उल्लेख उसमें है। 2000 से यह प्रक्रिया चल रही है। भारत के नीति आयोग ने इसका विश्लेषण किया, कांग्रेस के तत्कालीन नेता कमलनाथ जी की समिति मिली और अनेक राज्यों की सरकारों ने इसका उल्लेख किया और इसको अपनाया भी। आज भी पंजाब में कांट्रेक्ट फार्मिंग होती है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है पर अफसोस यह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के रहते हुए जो कांट्रेक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, सभापति महोदय, केन्द्र के बिलों का प्रावधान तो बिल्कुल उलटा है क्योंकि ये किसान को पूरी ताकत देते हैं, पूरी आजादी देते हैं और कोई माई का लाल किसान की जमीन को छीन नहीं सकता, यह प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, लेकिन पंजाब के उस कांट्रेक्ट फार्मिंग के एक्ट में यह साफ प्रावधान है कि यदि कांट्रेक्ट टूटेगा तो किसान को पांच लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और उसको जेल होगी। यह पंजाब के कांट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें स्पष्ट हो गईं लोक सभा और राज्य सभा में प्रधान मंत्री का वक्तव्य, उन्होंने शीशे की तरह सारी चीजें साफ कर दी हैं कि एपीएमसी जारी रहेगी। यदि एपीएमसी के बारे में सरकार को भ्रम होता तो एपीएमसी के लिए इस बजट में प्रावधान नहीं होता। एमएसपी जारी रहेगी। सरकार ने 11 बार 45 किसान संगठनों से बात की है और सरकार हर तरीके से बात करने के लिए तैयार है। इन 11 बार में सरकार ने कहा कि एपीएमसी जारी रहेगी, एमएसपी के लिए सरकार लिखित में देने

(श्री सतीश पूनियां)

के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी किस्म की सियासत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अफसोस हुआ कि राजस्थान की विधान सभा में लोक सभा से पारित किये हुए बिलों पर यहां की सरकार ने, यहां की मौजूदा सरकार ने इस विधान सभा में बिल पारित करवाया। किस हैसियत से करवाया? कौनसे संवैधानिक प्रावधान थे? समवर्ती सूची के विषय को, अनुच्छेद 252 (2) यह साफ कहता है कि संसद द्वारा प्रचारित किसी विधि को, वही विधि मान्य होगी इसलिए इस सरकार ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों ही अभिभाषण और कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र। इसका पहला पेज और पहले पेज पर ही किसानों के बारे में लिखा है। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं कि वीडियोज खूब लोगों ने देखे हैं। अलवर के मालाखेड़ा में देखा, पीलीबंगा का वीडियो देखा, जालौर की सभा का देखा पर अफसोस इस बात का है कि उसमें साफ कहा गया था कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो दस दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देगी। पूरा कर्जा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसमें पूरा लिखा हुआ है क्या? (व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं बताता हूं, पूरा भी बताता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बता दो न। (व्यवधान) आप कह रहे हो कि पूरा कर्जा तो उसमें पूरा लिखा हुआ बता दो आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) बैठिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): आप बाहर बयान दे देना, आप यह बयान दे देना कि 2018 में आपने किसानों के पूरा कर्जा माफी की बात नहीं कही, आप सड़क पर निकालकर बता देना इस बात को कि आपने कर्जा माफी की बात नहीं की। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

(श्री सभापति)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर, विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय, विराजिए प्लीज। विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज, सहयोग करें, विराजिए आप। (व्यवधान) एक मिनट विराजिए आप। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करूंगा कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है, माननीय मुख्य मंत्री जी का भी होना है और समय निर्धारित किया हुआ है। प्लीज, सहयोग करें और बीच-बीच में आप इंटरवीन नहीं करें। वे अपनी बात कहने में सक्षम हैं, उनको अपनी बात कहने दें और माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब अपना जवाब देंगे तो यदि कोई ऐसी बात होगी तो अपने-आप जवाब देंगे। प्लीज सहयोग करें। माननीय श्री सतीश पूनियां। आपसे भी अपेक्षा है कि बीच में आप उत्तेजना पैदा नहीं करें। प्लीज, सहयोग करें, विराजिए आप।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, ये जो बातें कही गईं, उनमें साफ तौर पर लिखा है। यह पृष्ठ नम्बर 3 है जो किसान कल्याण का है जिसमें है 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। यह पहला बिन्दु है। इसमें न तो नेशनलाइज बैंक है, न अधूरा है। इस कृषि ऋण को माफ करने की मेरी भावना यह है, इसका मैं आगे उल्लेख करूंगा कि राजस्थान के किसानों ने, क्योंकि बड़ा कर्जा होता है, साहूकार का भी, नेशनलाइज का भी, शिड्यूल्ड का भी और को-आपरेटिव्ज का भी। इसकी बानगी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से राजस्थान का किसान इनके जाल में फंसा और हो सकता है कि 0.5 प्रतिशत के अन्तर को पूरा कर दिया होगा।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल ने राजस्थान विधान सभा में 17 जनवरी, 2019 के बिन्दु 15 पर कहा- 'प्रदेश के कई किसानों द्वारा गत वर्षों से आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाये गये हैं। वर्तमान सरकार किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान कर यह प्रयास करेगी कि भविष्य में कोई भी किसान अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण आत्महत्या जैसे कदम

(श्री सतीश पूनियां)

नहीं उठाये।' लेकिन हकीकत यह है कि 2019 के इस अभिभाषण के बाद चितौड़गढ़ जिले के कानोड़ के चमलावादी गांव के किसान सुरेश 11 जनवरी, 2021 को अपने खेत पर रखवाली करने गया था और जब परिजनों ने ढूंढा तो उसकी लाश पेड़ पर लटकी हुई पाई गई। मामला जानकारी में आया तो सुरेश ने केसीसी से कर्ज ले रखा था, जिसे जमा नहीं कराने के कारण वह परेशान था, परिवार में कमाने वाला इकलौता था, कर्जा माफी नहीं होने के कारण सुरेश ने आत्महत्या कर ली। सुरेश के बारे में जानकारी मिली कि वह पर्यावरण प्रेमी था, आस-पास के क्षेत्रों में काफी पेड़ लगाये, लेकिन कर्ज न चुकाने के कारण उसको मजबूरी में फांसी लगानी पड़ी। इसी तरीके से अभी कांग्रेस के माननीय नेता का दौरा हुआ और उस दौरे के दौरान पीलीबंगा में कुछ किसानों की विधवाएं वहां धरने पर बैठीं, पिछले दो साल से उनको न्याय नहीं मिला। यह जो कहा गया सरकार की तरफ से, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के नहरी क्षेत्र के किसानों ने, जिसमें हनुमानगढ़ के नौलखी, रावतसर के किसान राधेश्याम ने कर्ज व कुर्की से परेशान होकर 11 फरवरी, 2019 को अपने खेत में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पीलीबंगा के ब्रजलाल ने कृषि लोन नहीं चुकाने व राज्य सरकार द्वारा बार-बार भूमि नीलाम करने के नोटिस से परेशान होकर 7 फरवरी, 2019 को अपने खेत में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। इसी जिले के किकरालिया ग्राम पंचायत के रामपुरा मटोरिया के सूरजाराम ने कर्ज से परेशान होकर 21 मई, 2019 को पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली।

माननीय सभापति महोदय, अफसोस की बात है कि गंगानगर, रायसिंहनगर के ठाकरी गांव के सोहनलाल कडेल ने जो किया, वह तो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक भी है। मुझे लगता है कि इन दो सालों में सरकार को अभी तक जवाब क्यों नहीं सूझा, मुझे पता नहीं है लेकिन, उनका एक लाइव वीडियो है। उस किसान ने सुसाइड करते हुए लाइव वीडियो जारी किया, सुसाइड नोट जारी किया और उन्होंने आत्महत्या के लिए मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी को आत्महत्या का दोषी ठहराया और साक्षी के तौर पर उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, जिस कर्जे की मैंने बात की है। उसमें अभी तक 20 लाख 56 हजार किसानों के, इन्होंने कहा था, 30 नवम्बर, 2018 के बाद ये ऋण माफ किये हैं जबकि राजस्थान के ऐसे कर्जदार किसानों की संख्या 59 लाख है और लगभग 99 हजार करोड़ का कर्जा उन पर है। अब यदि इसमें नेशनलाइज बैंक लिखा होता तो हम मान लेते। इसमें शिड्यूल्ड बैंक लिखे होते तो मान लेते, साहूकार का लिखा होता तो मान लेते, इसमें तो एक लाइन लिखी है कि कर्जा माफ किया जाएगा, सभाओं में सम्पूर्ण कर्जा कहा गया, उसके वीडियोज हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इसका उल्लेख जरूर करें कि इन 59 लाख किसानों का 99 हजार करोड़ का कर्जा कब माफ होगा? सवा दो साल सरकार को हो गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की संवदेनशील सरकार ने 17 जनवरी, 2019 को इसी अभिभाषण के बिंदु 21 में कहा कि प्रदेश में किसान आयोग का पुनर्गठन होगा। आयोग किसानों की आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। सरकार जवाब दे दे कि किसान आयोग बना या नहीं बना, मेरी जानकारी में नहीं है।

इसी तरीके से राजस्थान के किसानों को एक सहूलियत थी। पिछली सरकार में 833 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। मैंने मंत्री जी का बयान देखा उन्होंने टैरिफ की सब्सिडी को सब्सिडी बताकर 833 के लिए इंकार कर दिया तो मुझे लगता है कि जो 10 हजार की टोप-अप सब्सिडी दी जाती थी, वह राजस्थान के किसानों का हक है। मुख्य मंत्री महोदय, अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दें, तो राजस्थान के किसानों को सहूलियत हो जाएगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, बेशक ये कुछ भी कहें लेकिन राजस्थान के 64 लाख 40 हजार किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, एक सम्बल देने का काम किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने प्रदेश की तरफ से किसान कल्याण के लिए कोष के माध्यम से किसानों को सम्बल देने का काम किया, क्या राजस्थान की सरकार विचार रखती है?

माननीय सभापति महोदय, 13 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री फसल

(श्री सतीश पूनियां)

बीमा योजना फिर से लागू हुई। मुझे खुशी है कि केन्द्र की इस योजना से राजस्थान के किसानों को, इस योजना से रबी और खरीफ की फसलों के लिए 65 हजार करोड़ रुपये जारी किये गये हैं राजस्थान के किसानों के लिए। मैं समझता हूं कि केन्द्र की सरकार का एक ऐसा ताकतवर कदम है, जिससे राजस्थान के किसानों को ताकत मिली है। फसलों के लिए देश में 23 करोड़ इस तरीके के आवेदन हुए, 23 करोड़ किसानों के, जिसमें 7.2 करोड़ किसानों को भुगतान कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, देश-प्रदेश के लगभग 54 लाख किसान, जिसमें 50 लाख किसान केसीसी का लाभ ले रहे हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर राजस्थान की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय कि इसी सरकार के जन घोषणा पत्र में, अभिभाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया गया। राजस्थान में किसान के बाद सबसे पीड़ित कोई तबका है तो वह राजस्थान के बेरोजगारों का है। आपकी सरकार ने अनेक अवसरों पर जन घोषणा पत्र में भी कहा, अभिभाषण के दौरान भी कहा और 24 जनवरी, 2020 को अभिभाषण के बिंदु संख्या 86 में आपने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 31 हजार 513 पदों पर युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। 28 हजार 601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं और इस प्रकार कुल मिलाकर 60 हजार 114 पदों पर नियुक्ति की गई है जबकि ये भर्ती पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2021 को इस अभिभाषण के दौरान बिंदु संख्या 93 में आपने कहा कि विगत दो वर्षों में 81 हजार 893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और इस प्रकार इन दो वर्षों में सरकार ने 21 हजार 769 पदों पर ही नियुक्ति दी है, जो पिछली सरकार के समय थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सेन्टर फोर मानिटरिंग इंडियन इकोनोमी की रिपोर्ट कहती है, इस समय राजस्थान में सर्वाधिक 28.2 प्रतिशत बेरोजगारी, राजस्थान की धरती पर इस समय है। यह मार्च, 2020 की रिपोर्ट है।

सभापति महोदय, ये दृश्य भी राजस्थान के नौजवानों ने देखा है कि परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और पेपर

(श्री सतीश पूनियां)

तभी लीक होता है, जब सरकार वीक होती है। नौजवानों का पेपर लीक और इधर सरकार वीक। कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती, पटवारी की भर्ती, दूरसंचार, फार्मासिस्ट, मेडिकल आफिसर, लाइब्रेरियन, इस तरीके की वाट्सएप के जरिये पूरी एक गैंग काम कर रही है और सरकार की नजर में नहीं है।

सरकार ने 24 जनवरी, 2020 को कहा बिंदु संख्या 87, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, 1 लाख 58 हजार 576 बेरोजगारों को इसमें कहा गया और फिर ये एक आदेश 10 फरवरी, 2021 को बिंदु संख्या 95 में कि 2 लाख 50 हजार युवाओं को लाभान्वित किया गया, 2 लाख 50 हजार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता। सभापति महोदय, इसमें स्नातक की शर्त थी। हालांकि, जो अपंजीकृत या जो चर्चा में है लगभग 27 लाख बेरोजगारों की सूची आती है। फिर भी रोजगार कार्यालय में 12 लाख 50 हजार के लगभग बेरोजगार नौजवान हैं, जो भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने दिया कितना, 2 लाख 50 हजार, सीधा-सीधा नौजवानों के साथ कुठाराघात।

सभापति महोदय, राजस्थान के ढाई लाख संविदाकर्मी और आपने 17 जनवरी, 2019 के अभिभाषण के बिंदु संख्या 24 में कहा, संविदाकर्मी व अन्य कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु विगत 6 माह में गत सरकार द्वारा लिये निर्णयों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है, परन्तु मंत्री समूह और प्रशासनिक अधिकारियों की लगभग 8 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक संविदाकर्मियों की पहचान और उनकी समस्याओं का निस्तारण ही किया जा रहा है, उनके नियमितीकरण की कोई कार्यवाही नहीं की गई। ढाई लाख संविदाकर्मी सरकार से न्याय चाहते हैं जो अर्जेंट टैम्परेरी बेसिस के डाक्टर्स हैं, नर्सिंगकर्मी हैं। उनसे आपने कोरोना के कालखण्ड में पूरा काम लिया और उसके बाद उनको आपने लात मार दी।

सभापति महोदय, सत्ता में आये हुए 26 माह हुए हैं, क्या 34 माह में सरकार फैसला करेगी? अभी बी.डी. कल्ला जी के नेतृत्व की कमेटी और संविदाकर्मियों के नियमितीकरण का इंतजार ही कर रही है। 26 महीने हुए हैं, मंत्री जी ने भी कहा है, कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसको बताया नहीं जा सकता कि इसमें क्या है। विधान सभा सत्र खतम होने के पहले या बाद में इसकी रिपोर्ट को कमेटी में रखेंगे और कमेटी ने अब तक आठ बैठकें कर ली हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से...

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, कैबिनेट सब कमेटी के बारे में कोई चर्चा ऐसे नहीं की जाती है। आपके बीजेपी के कार्यकाल में संविदाकर्मियों को भर्ती करने की कमेटी बनी थी। पांच वर्ष में आपने क्या किया? चूरू से आने वाले माननीय सदस्य उसके अध्यक्ष थे। पांच वर्ष तक उस कमेटी ने कुछ नहीं किया, हमने तो 8 मीटिंग्स कर ली हैं और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका चूरा कर दिया।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): इसी तरीके से 6000 पंचायत सहायक दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में किसान कर्जा, बेरोजगारी के बाद जो तीसरा बड़ा मुद्दा है, इसको पूरी दुनिया जानती है कि राजस्थान हिन्दुस्तान का शांतिपूर्ण प्रदेश है, लोग पर्यटन के लिए यहां आते हैं, बसने के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं लेकिन पिछले दिनों के आंकड़े इस राजस्थान की हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस पूरे प्रदेश में जिस तरीके का दृश्य है, कुछ बातों का उल्लेख में आपके समक्ष करूंगा। 8 दिसम्बर, 2020 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पुलिस की मौजूदगी में पथराव होता है। दिसम्बर के महीने में ही अलवर जिले के खैरथल में पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठों को फाड़ने का मामला सामने आता है और इसी तरीके से फरवरी, 2021 में जयपुर के महावीर जैन मंदिर में अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी का मामला सामने आता है। न मंदिर सुरक्षित हैं, न मूर्ति सुरक्षित है, न पुजारी सुरक्षित हैं, न गांव देहात सुरक्षित हैं, न कस्बे सुरक्षित हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में गैंगवार चल रही है। भू-माफिया, बजरी माफिया, सूदखोर माफिया, शराब माफिया और आमजन में पूरा भय है। 13 जनवरी, 2021 को भरतपुर के ग्राम चक सामरी में पुलिस थाना रूपवास में जहरीली शराब पीने से 7 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसी तरीके से भीलवाड़ा में 10 लोग अंधे हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। 220 प्रकरण दर्ज हुए। 219 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जप्त की गई और इसी तरीके से अनेक इस तरह की घटनाएं हुईं। नागौर जिले में बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर बैंक से 20 लाख रुपये लूटे और

जेलों में बंद बदमाशों के माध्यम से चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं हो रही हैं मुझे अफसोस है कोटा जिले के रामगंज मंडी में...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, यह जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, यह तो सब अखबारों में छप गया, आपके भाषण का कंटेंट क्या है? कोई नयी चीज बताओ आप।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं कंटेंट पर ही आ रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप पहली बार सदन में आये हो। आप कंटेंट बताओ क्या है? अखबारों की कटिंग पढ़-पढ़ करके बोल रहे हो।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, विराजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इतने वरिष्ठ मंत्री हैं इस प्रकार से अगर आपने दखलंदाजी की तो मैं सोचता हूं कि यह इस सदन की मर्यादा के खिलाफ है। आप इस बात को मत करिये जिससे अशांति हो। आपको कोई जवाब देना है तो आप समय लेकर के उसके अनुसार कहना चाहो तो कह दीजिए लेकिन इस तरह से बीच में खड़े होकर के बोलना ठीक नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन जो चीज अखबारों में पहले छप चुकी है, अब उन्हीं को यहां पर दोहरा रहे हो। हम तो इनके मुंह से चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, इनके मुंह से कोई अच्छी बात सुनना चाहते थे। कंटेंट सुनना चाहते थे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है।

श्री सभापति: श्री सतीश जी पूनियां, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि कोटा से आने वाली माननीय सदस्य और हमारे मंत्री जी श्रद्धा के पात्र हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिष भी हैं। ज्योतिष इसलिए हैं कि

(श्री सतीश पूनियां)

मेरी अगली लाइन ही थी कि कोटा जिले के रामगंज मंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक दीपक शाह पर जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमला हुआ, उस पर हमने पिछली बार निवेदन किया था कि उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसकी सोशल मीडिया पर यदि फेसबुक पेज पर जाएंगे तो डीपी पर महामहिम की, माननीय की फोटो है। वह जो आयुष पाया है, इतना ही नहीं आप चाहेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए आप। अंकित नहीं होगा किसी का भी। समय हो गया, प्लीज।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं अभी खतम कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जब चाहें तब स्पष्टीकरण दे दें। इनकी फोटो है और आयुष पाया उसका नाम है। +++ उसकी डीपी है, कांग्रेस का झंडा लगी हुई गाड़ी है। उसका यह जब चाहेंगे तब जवाब दे देंगे लेकिन मुझसे यह... (व्यवधान) आपको जवाब नहीं देना है मुख्य मंत्री जी देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। सनसनी पैदा मत करो आप लोग। माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए आप। माननीय श्री पूनियां साहब, जिस विषय पर आप बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ में नेता प्रतिपक्ष और उप नेता और आप भी शायद साथ ही थे, इस बारे में यह तय हो चुका कि इस सब्जैक्ट पर यहां सदन में चर्चा नहीं होगी और इस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ही अपना जवाब देंगे तो कृपया आप इस तरह से यह बार-बार कहकर के उत्तेजना पैदा नहीं करें। जो सब्जैक्ट आपको पता है पहले से ही उस पर आप बेवजह उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हैं? प्लीज, ये सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिए। हर बात में उचक-उचक कर खड़े होते हो आप लोग। श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, उसका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया था कि मुझसे आंकड़े मांग रहे थे। कांग्रेस के सवा 2 साल के

(श्री सतीश पूनियां)

इस शासनकाल में छह लाख 13 हजार के लगभग हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, चोरी, लूट और डकैती अपराध हुए हैं। पिछले 2020 के मुकाबले अपराधों की संख्या इस समय जनवरी 2021 में 43.35 प्रतिशत है। 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति अपराधों में 64.96 की वृद्धि हुई है 65% की, बलात्कार के मामलों में 25.97 की हुई है और अपहरण के मामलों में 41.65 प्रतिशत की हुई है। इसी तरीके से जनवरी, 2021 में आदिवासी अपराधों में 31.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और दलितों के प्रति 21.9 की हुई है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, न अखबार में छपे हैं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि महिलाओं के अपराधों में राजस्थान का स्थान दूसरा है। यहां न डोली सुरक्षित है और न कोई मूर्ति सुरक्षित है जो भ्रष्टाचार के मामले इन दिनों चर्चित हैं मुझे उन पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने जीरो टोलरेंस की बात कही थी, पर सरकार कितनी कायम है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश की चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था की, उसमें 24 जनवरी, 2020 को इसकी चर्चा पहले हुई है। आपने अभिभाषण के बिंदु संख्या-10 में कहा, प्रथम चरण में जयपुर में 12 जनता क्लीनिक खोले गये परंतु सरकार की घोषणा थी कि प्रदेश में 1000 खोले जाएंगे। जो मेडिकल कालेज खोलने की रफ्तार है उसमें कहीं जमीन नहीं मिल रही, कहीं भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा के जेके लोन को किस तरीके से..

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, कोई भी माननीय सदस्य सदन में बोले तो जिम्मेदारी के साथ बोले। मुझे एक भी जिला बता दो आप आमेर से आने वाले माननीय सदस्य, जहां जमीन अलाट नहीं हुई हो। आपको अगर मालूम हो तो एक जिला बता दो आप तो।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं बता दूंगा। अलवर जिले में तो आपने ईएसआई के अस्पताल के लिए जमीन नहीं ली।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बताइए न आप। आप आरोप लगा रहे हो, आप एक जिला बता दो जहां जमीन अलाट नहीं हुई।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं अलवर की बात कर रहा हूं, यहां ईएसआई के हास्पिटल के लिए आपके पास जमीन ही नहीं है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): है, क्या बात कर रहे हो। गैर जिम्मेदाराना बात सदन में बिलकुल नहीं करनी चाहिए। अलवर का प्रकरण भी आपको मालूम नहीं है। अलवर की जमीन अलाट हो चुकी है। अलवर में राजस्थान गवर्नमेंट खुद का मेडिकल कालेज बना रही है। (व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अच्छी बात है, खुशी की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर यही बात है तो क्या मुख्य मंत्री जी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, ये ही सक्षम हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन में तथ्यहीन बात भी नहीं होगी, सभापति महोदय। हम लोग बैठे हैं न यहां जवाब देने के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, ये इसलिए तकलीफ में हैं कोटा में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और लगातार दूसरी साल भी वही रिपीटिशन होता है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अलवर में जिस तरीके से...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बच्चों की बात पर राजनीति कर रहे हो। (व्यवधान) यह आपके चिकित्सा मंत्री ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जवाब देने वाले कौन हैं। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं राजस्थान का चिकित्सा मंत्री हूं ...(व्यवधान) उन्होंने क्या किया 5 साल में? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। आप भी विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनके तौर-तरीके मालूम नहीं है इनको।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अपनी बात।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बच्चों की मौत के जिम्मेदार...

श्री सभापति: बैठ जाएं। अंकित नहीं होगा। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय पूनियां साहब।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में मेरे से पहले बहुत लोग बोले और आगे भी बोलेंगे लेकिन इस बात पर दर्द क्यों हुआ, यह हकीकत नहीं है क्या या सरकार की लापरवाही नहीं है क्या? कमजोरी नहीं है क्या और नहीं है तो मैं आपको प्रमाण दे दूंगा?

माननीय मंत्री महोदय की पुत्रवधू ने अस्पताल में यह कहा कि यदि अस्पताल इलाज नहीं कर सकता तो इस अस्पताल के ताले लगा दें। माननीय धारीवाल जी की पुत्रवधू का उल्लेख उसमें स्पष्ट तौर पर है। मैं वह प्रमाण आपको दे दूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। बिजली के बारे में निवेदन किया गया कि राजस्थान के लोग 833 रुपये की बिजली की सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। आपने इतनी महंगी कर दी, राजस्थान 96 परसेंट बिजली उत्पादन करता है। 8 से 13 रुपये 6 राज्यों में, कम से कम राजस्थान ऐसा राज्य है, जिसमें सर्वाधिक टैरिफ है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर गौर करें।

आपने पंचायती राज संस्थाओं की और मजबूती की बात की, सशक्तीकरण की बात की। आपने पिछले दिनों पीडी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात की और फिर आपने यू-टर्न ले लिया, क्योंकि राजस्थान के तमाम सरपंचों ने पंचायतों पर ताले लगा दिये। आपके सरपंच भी शामिल थे। पंचायती राज संस्थाओं के 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश को पहली किश्त के 965 करोड़ रुपये भारत सरकार ने जारी किये। अभी राजस्थान सरपंच संघ ने ज्ञापन दिया जिसमें राज्य वित्त आयोग के 2964 करोड़ रुपये में से प्रदेश की सरकार केवल 1100 करोड़ रुपये देना चाह रही है, जबकि दोनों मदों को मिलाएं तो यह 5 हजार करोड़ होते हैं। प्रदेश में सरकार के दो बार बजट पारित किये गये हैं। ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली ग्रांट राशि का जो प्रावधान किया गया है, वह अभी तक पंचायतों को नहीं दिया गया और यह राशि किस मद में खर्च की गयी, यह सरकार बता तो सकती है। माननीय सभापति महोदय, राज्य वित्त आयोग के मद से सरपंच एवं पंचों को मानदेय, पम्प चालकों और फिटर्स की मजदूरी, बैठक और बिजली का खर्चा, ये भी प्रभावित हो रहे हैं।

एसएफसी के तहत जो अनुदान मिलता था, वह नहीं मिलने के कारण पीएम आवास, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, मैटेरियल का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन, ये तमाम कार्य रुके हुए हैं। मैं भारत की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत एक मिशन शुरू किया, जिसमें भारत की सरकार का बड़ा योगदान है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): राजस्थान के 1 करोड़ 1 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे और 2024 तक प्रदेश के 33 जिलों में 43 हजार 363 गांवों में हर घर में पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 5 हजार 330 करोड़ रुपये की राशि अलाट कर दी है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): एक आखिरी बात है। राजस्थान की सरकार ने बजरी के बारे में.. जब ये विपक्ष में थे तो यहां शोर मचाते थे, लेकिन राजस्थान में बजरी का आतंक ..

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक साल में जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा, उसका दिग्दर्शन कराता है। मैं आपको आपका चित्रण दिखाता हूं कि पिछला आपने जो 2019-20 का बजट पेश किया, उसकी क्या दुर्गति 31 मार्च, 2020 को हुई है। इस समय का कोरोना का बहाना नहीं, 2020-21 का तो कोरोना का बहाना हो सकता है कि उसमें कम आमदनी हुई होगी, कम कुछ हुआ होगा, लेकिन मार्च तक तो यह स्थिति नहीं थी जो 1 लाख 18 हजार करोड़ का कर राजस्व आना था, उसकी जगह आपको 22 हजार 810 करोड़ रुपये रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कम हुई है, एक तरह से सीधा-सा सीधा प्रभाव इस प्रदेश के आगे के बजट पर निश्चित रूप से पड़ेगा। राजस्व व्यय की दृष्टि से भी आपने एक और ट्रेंड इसमें देखा होगा कि लास्ट के जो तीन महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें मैक्सिमम बजट एडजस्ट हो जाता है। उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहले के 9 महीनों में जो खर्चा होता है, जैसे राजस्व व्यय जो कि 1 लाख 93 हजार करोड़ रुपये था, उसकी जगह आपने 1 लाख 15 हजार किया, 60 परसेंट खर्चा 9 महीने में हुआ। लास्ट के तीन महीने में आपने 58 हजार करोड़ रुपया खर्च किया, इसका मतलब न काम की गुणवत्ता होगी। पैसे की बुकिंग होती है, यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जब कोई डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाता है तो वह किसी पीडी खाते में ट्रांसफर करके उस खाते से निकालते है, उस खाते में ट्रांसफर कर देता है और अपना खाता क्लीयर बताता है कि हमने इसको काम में ले लिया।

इसी तरह से पूंजीगत व्यय, जिससे आपके असैट बनते हैं, आपके जो 19 हजार करोड़ रुपये खर्च होने थे। पहले 9 महीने में उन 19 हजार करोड़ में से आपने 10 हजार करोड़ रुपया खर्च किया। जो अंतिम तीन महीने रहे, उन तीन महीने में आपने 1/3 पैसा मतलब 5 हजार करोड़ खर्च किये। इसको सुधारने की गुंजाइश है, सुधारना चाहिए। इसकी कोई न कोई मानिटरिंग करनी चाहिए।

इसी तरह से आर्थिक सेवाओं में, मैं सोचता हूं कि आपने 2019-20 में 57 हजार 742 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा था, उसमें से पहले 9 महीनों में आप 29 हजार करोड़ रुपये खर्च कर पाये, 50 परसेंट पैसा ही खर्च कर पाये। आर्थिक सेवा, वास्तव में उस गरीब की मदद के लिए होती हैं। इसका केवल 50 परसेंट आपने 9 महीनों में खर्च किया और उसके बाद भी लास्ट में आपने 3 महीनों में 22 हजार 259 करोड़ रुपये एक साथ। मेरा आपको फिर कहना है कि यह तो जब बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे तब डिटेल से करेंगे, यह पैसा केवल इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम होता है।

हमने और हमारी पार्टी ने कोविड के लिए पूरी मदद करने का अन्तर्मन से आपको पूरा भरोसा दिलाया था। हमारी एक्टिविटी से भी आपको लगा कि हम और हमारी पार्टी के सारे लोग और हमारे संगठन के सारे लोग इस सेवा के भाव में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। चाहे किट बांटना हो, चाहे जूते पहनाना, सभी दृष्टि से काम किया। दुर्भाग्य क्या हुआ कि आप लोगों के जो एमएलए हैं, वे तो अपना नाम लिखकर किट बांटें और हम जो पैसा देते हैं, वे सरकारी अधिकारी अपने हाथ में लेकर बांटे, यह जो अंतर दिखा, इस अंतर के कारण अंतर्द्वंद्व पैदा हुआ। मैं सोचता हूं कि इसको कंट्रोल करने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जरूरत है। अगर एमएलए लिखना है तो सभी एमएलए लिख दो, नाम मत लिखो, एमएलए फंड के द्वारा हुआ है, एमएलए फंड चल रहा है। मैं गुलाब चन्द कटारिया दूं, उसको तो आपका सरकारी अधिकारी बिना गुलाब चन्द के या बिना एमएलए करे और भीम का एमएलए बांटे तो अपना नाम और फोटो भी उसके पीछे छपाकर बांटे, ये दोनों में अंतर तो है। इस तरह से हमने कुछ अच्छी परम्परा शुरू की थी, उस अच्छी परम्परा के बारे में हमने कहा, लेकिन आप जितना खुश होते हो, जितना धन्यवाद देता हूं।

मैं आपको आपका नक्शा दिखाता हूं। आपने स्वास्थ्य की विभिन्न गतिविधियों के लिए जो 6 हजार 403 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, लेकिन 31 दिसम्बर तक आपने इसमें मात्र 50 प्रतिशत पैसा खर्च किया है, जो कि इस कोविड बीमारी के लिए रखा था। पूंजीगत व्यय के लिए आपके पास 185 करोड़ रुपये थे, उसके अंगेस्ट में आपने 67 करोड़, इसका मतलब कि केवल 36 परसेंट पैसा खर्च किया है। इसका मतलब यह सारी व्यवस्था कहीं न कहीं से आयी होगी। 'दे कोई और, गीत किसी दूसरे के गाओ', यह तो न्याय नहीं है न। आपकी व्यवस्था से तो यह पता चल रहा है कि आपने 36 परसेंट पैसा ही खर्च किया है। भामाशाह बीमा योजना में आपको जो बजट अलाट हुआ, वह 1241 करोड़ रुपये हुए। आपने भामाशाह योजना में केवल और केवल 350 करोड़ रुपये खर्च किये, मतलब केवल 28 परसेंट। इसका मतलब इस पैसे से उस गरीब को मदद इस पैसे से मिल सकती थी, पैसा आपके पास था, बजट का प्रावधान था, लेकिन आपने उसको रोक दिया और उसके कारण से गरीब मरने के लिए मजबूर हुआ कि नहीं हुआ। यह आपके आंकड़े बता रहे हैं।

मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं निशुल्क जांच योजना, इसमें सब बार-बार उठ रहे हैं कि धन्यवाद, धन्यवाद। आपने जब नि:शुल्क दवा योजना चालू की थी तो मैंने स्वयं यहां आपकी तारीफ की थी कि गरीब को यदि यह सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में बड़ी खुशहाली और आनंद का अनुभव होगा, लेकिन उसकी कितनी क्रियान्विति होती है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं निशुल्क दवा योजना के लिए जो आबंटित बजट 220 करोड़ का था, इसमें से आपने 11 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च किये हैं, जो केवल 19 परसेंट है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(14.59 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

इसका मतलब क्या हुआ कि कोविड की जांच के अलावा बाकी जितने भी मरीज थे, या तो आपके अस्पताल बंद थे या जांच नहीं हो रही थी या उन लोगों को जांच की सुविधा नहीं मिली, यह फीगर इस बात को बताता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने बिंदु संख्या 16 में चिकित्सकों के 2 हजार पद अतिरिक्त सृजित कर उनकी नियुक्ति की बात की, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपकी प्रगति रिपोर्ट यह बताती है कि उसी दिन 2227 चिकित्सक के पद रिक्त हैं। आज जिसके लिए अपने आपको धन्यवाद दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ओर भी देखो कि वास्तव में 31 दिसम्बर को 2120 चिकित्सक के पद खाली थे। राज्यपाल के अभिभाषण में आपने 11 हजार नर्सिंग की भर्ती की, उसके लिए धन्यवाद, बजाओ ताली।

(15.00 बजे)

लेकिन खाली कितने हैं, 35 हजार, इसके लिए भी बजाओ एक ताली। इससे लगेगा कि वास्तव में हम काम के बारे में प्रोपर मोनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पैसा होते हुए भी, मैं सोचता हूं कि केन्द्र सरकार ने आपको हर प्रकार से इस कोविड की महामारी में सशक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन आप में से एक बंदा भी ऐसा नहीं निकला और सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण से भी कहलाने का प्रयास नहीं किया कि उन्होंने जो-जो मदद की, उसके लिए उनका आभार। आवश्यकता होती तो उसके लिए और कहें। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से स्वभाव बना है, यह डिबेट होती है पक्ष और विपक्ष में कि गोली से आदमी मर सकता है या नहीं मर सकता है? डिबेट में तो मैं कह सकता हूं नहीं मर सकता है, यह होगा, वह होगा, ये तर्क हैं क्या? सदन का उपयोग इस बात के लिए हो कि कोई कमी रह गयी तो उसको बताएं और उसके आगे सुधार के रास्ते क्या हो सकते हैं, उसका उपयोग करो। परंतु दुर्भाग्य से मैं यह देख रहा हूं कि आप अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए जो-जो तर्क दिये जा सकते हैं, वह तर्क देकर उसको जिस प्रकार की ऊंचाई चाहिए, वह नहीं है। क्या इस बात के लिए आपको गर्व नहीं है? मुझे गर्व नहीं है, परंतु एक बंदा भी इस बारे में नहीं बोला कि दो वैक्सीन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हिन्दुस्तान ने तैयार कर दीं। हिन्दुस्तान के उन वैज्ञानिकों को आपको कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए कि सारे देश और दुनिया कोविड के जिस वैक्सीन के लिए प्रयत्नरत थे, उस प्रयत्न में हिन्दुस्तान के लोगों ने भी दो वैक्सीन निकाली हैं। उसके कारण से आज नि:शुल्क वैक्सीन, मैं सोचता हूं दुनिया के किसी और देश में गयी तो उसका उदाहरण आप जवाब दें तब बता देना, लेकिन हिन्दुस्तान में नि:शुल्क वैक्सीन सब लोगों को लग रही है, यह कोई सामान्य घटना है। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में भी आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है कि इतनी बड़ी सुविधा जनता को इस महामारी के समय में दी।

कोविड-19 में यह जो आप 50 लाख रुपये का बीमा कह रहे हैं, ये केन्द्र सरकार ने पहले ही घोषित कर दिया है या नहीं कर दिया? आपने उसमें कुछ संख्या एक्स्ट्रा बढ़ाई है तो वह आप कहें, वहां तक तो ठीक है कि ये तो केन्द्र सरकार ने 50 लाख तक का बीमा में इनको कवर किया था। इनके अलावा ये बच गये थे, जिनको हमने राजस्थान में इन लोगों को और कवर किया और दायरा बढ़ाया है, बात समझ में आ सकती है, परंतु इसके बारे में भी आप ये कहें कि हमने 50 लाख रुपया का बीमा कराया, ये गलतफहमी लोगों के पास मत भेजो।

आपने देखा होगा राजस्थान को क्या 1888 करोड़ रुपया नहीं दिया इस कोविड की महामारी के समय में और उसमें से 1780 करोड़ रुपया तो आपके पास आ चुका है। आप अपना खाता देखकर बताना। क्या इसके अतिरिक्त राजस्थान में 50 हजार पीपीई किट नहीं दिए, एक लाख एन. 95 मास्क नहीं दिए, 2 लाख ट्रिपल मास्क नहीं दिए? 3 करोड़ 71 लाख रुपया आपको इन सामान को खरीदने के लिए दिया। आपने और हम सबने पढ़ा होगा कि रात को एक तरह से लाकडाउन लगा दिया। आप तो उससे पहले ही लगा चुके थे। क्या जवाब है आपका? आप लगा दें तो बहुत अच्छा और देश का प्रधान मंत्री लाकडाउन लगा दे, वह आपको बड़ा खराब लगता है। जहां कहीं आपको भाषण देना है तो आप खड़े होकर कहते हैं सबसे पहले हिन्दुस्तान में लाकडाउन लगाने वाला मुख्य मंत्री कौन, तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी। जब देश का प्रधान मंत्री, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं केवल शब्दों के आधार पर विश्लेषण मत कीजिए। अगर उस समय लाकडाउन नहीं लगता तो आपके पास पीपीई किट था क्या? आपके पास मास्क तैयार था क्या? आपके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पास हास्पिटल तैयार था क्या? आपके पास बैड तैयार था क्या? आपके पास वेंटिलेटर तैयार थे क्या मरीजों के हिसाब से? मैं सोचता हूं कि इस महामारी को तुरंत कंट्रोल करने के लिए उस कठिनतम स्टेप को उठाना पड़ा केवल इसलिए कि जनता को किसी भी प्रकार से इस महामारी से बचाया जाए। इसमें तो और कुछ नहीं था लेकिन आपने उसकी भी आलोचना की।

आपने देखा होगा कि उस समय जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थीं कि कोरोना में, इस महामारी में कोरोना वारियर्स के रूप में जो लोग काम कर रहे थे, उन पर हमले हुए थे। वह जहां कहीं भी जा रहे थे, उन पर आत्मघाती हमले हुए। उस पर जमानतीय अपराध घोषित किया या नहीं। गैर-जमानतीय अपराध घोषित करने का कानून बनाया या नहीं बनाया लाकडाउन की समयावधि के दौरान। मैं सोचता हूं कि आपको, आप अपना खाता देखकर बताना, आपको 9.14 लाख मैट्रिक टन अनाज राजस्थान को केन्द्र की सरकार ने दिया या नहीं दिया? मेरे आंकड़ों को झुठला देना कि वास्तव में हमारा आंकड़ा झूठा है। ये किसके लिए दिया था? गरीब को मदद करने के लिए दिया कि भूख से न मरे इसलिए दिया। भूख से नहीं मरेगा-भूख से नहीं मरेगा, आपकी गांठ का क्या लगा है? अगर लगा हो तो मुझे अकाउंट बता देना कि आपका भूख से नहीं मरने के लिए जो अनाज आया, वह आपका था या केन्द्र सरकार का था। भगवान के लिए उस आंकड़े को स्पष्ट कर देना ताकि समझ में आ जाए।

बीपीएल कार्ड के लिए भी उन्होंने पैसा, 80 करोड़ लोगों को, यह हिन्दुस्तान में पहली बार हुआ होगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, वह भी अप्रैल से लेकर नवम्बर तक, केवल राजस्थान नहीं, हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने का काम, जो ऐतिहासिक काम हुआ, उसके बारे में भी आप एक शब्द नहीं बोल सकते। राज्यपाल के भाषण को आप पढ़ो और थोड़ा मनन करो। यह भी हो रहा है, यह प्रगति है-यह प्रगति है, हुआ क्या ये बताओ? हुआ क्या, ये तो बोलते नहीं हैं। आगे चल रहा है, हो रहा है, देख रहे हैं, चल रहा है, ये मैं बताता हूं आपको।

आपने जो ये बताया है 25 आरओबी और 41 आरयूबी के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, अब मार्च 31 को साल एंड हो जाएगा और अभी तक ये प्रगति पर हैं। ये दो चार साल बाद पूरा होगा। प्रदेश में 500 से अधिक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आबादी के सड़कों से वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना के तहत, ये पैसा तो केन्द्र से मिलता है, 296 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम प्रगति पर है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज के प्रथम चरण में 1 हजार 139 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 198 किलोमीटर में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और 237 कार्य एवं 383 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 252 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। कब? आज तारीख हो गई 15, केवल डेढ़ महीना बाकी रहा है और प्रगति पर ही चल रहा है।

प्रदेश के प्रत्येक शहर, गांव और ढाणी में फ्लोराइड रहित शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2018, कब, मंत्री महोदय, 2018 से जो 44 वृहद पेयजल योजनाएं चल रही थीं, प्रगतिशील थीं, अभी तक केवल 11 पूरी हुई है, 25 परसेन्ट। किसको समझाना चाह रहे हैं? कम से कम हमारे काम की गति को सुधारना हमको ही पड़ेगा। जितनी भी योजनाएं हैं, प्रगतिरत-प्रगतिरत। वास्तव में जिस प्रकार से केन्द्र की सरकार ने आपको मदद की है, आप सब लोग खड़े होकर के पेट्रोल का दाम बढ़ा-पेट्रोल का दाम बढ़ा, क्या हिन्दुस्तान में सब जगह बढ़ रहा है या अकेले आपका ही बढ़ रहा है? आपके लिए कोई अलग कानून बनाया है केन्द्र ने? यह कानून बनाने का अधिकार किसने दिया था कि ये कंपनियां जो हैं, समय-समय पर अपना हिसाब देखकर जब इनको लगे कि इसमें दाम बढ़ रहा है तो सारे देश में एक साथ ही बढ़ते हैं। आपके अधिकार में था क्या? ये अधिकार किसने दिया था? आपकी सरकार थी यूपीए की। तब सरकार ने इन कंपनियों को दिया था जिसके कारण से रोज भाव आते हैं। कभी 5 पैसे बढ़ गया, कभी 25 पैसा बढ़ गया, ये उसके तहत बढ़ता है। अब आपके अधिकार क्षेत्र में जो था, उस अधिकार क्षेत्र में तो प्रयोग नहीं और केवल 2 परसेन्ट आपने वैट कम कर दिया तो बजाओ ताली, बजाओ ताली। इसकी दुर्गति देखी आपने? इस वैट की क्या दुर्गति आपने कर रखी है? राजस्थान, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट लेता है, सबसे ज्यादा। राजस्थान लेता है 2 परसेन्ट छोड़ने के बाद भी 36 परसेन्ट पेट्रोल पर और 26 परसेन्ट डीजल पर। बिहार लेता है पेट्रोल पर 26 प्रतिशत और 19 प्रतिशत। छत्तीसगढ़ लेता है 25 प्रतिशत और उसके बाद 25, दिल्ली लेता है 30 प्रतिशत पेट्रोल पर और 16 प्रतिशत डीजल पर, आपका गुजरात लेता है 20 परसेन्ट दोनों पर, हरियाणा लेता है 25-25, इसकी दुर्गति क्या हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रही है? इसकी दुर्गति ये हो रही है कि जो बोर्डर पर हमारी स्टेट है, चाहे वह हरियाणा है, चाहे वह दिल्ली है, चाहे गुजरात है, वहां हमसे 9 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है इसलिए तस्करी भी होती है और वहां के जो किनारे के जितने पेट्रोल-डीजल पम्प हैं, वह सब उबासियां खा रहे हैं। उनका पैसा भी नहीं मिल रहा है क्योंकि कौन भराएगा? इसके कारण से इल्लीगल शराब और पेट्रोल लाने की एक नई गैंग आपने तैयार कर दी। इस बारे में देखने की जरूरत है।

मैं सोचता हूं कि आप कुछ अपने काम के बारे में देखें। आप इसमें लिखते कि हमने यह काम किया। अब ये जो भर्तियां हैं, आप और हम रोज आंकड़े पढ़ते हैं कि भर्तियां-भर्तियां, पहले बजट में कह दिया, हम 75 हजार कर रहे हैं, फिर कह दिया 56 हजार कर रहे हैं। भले आदमी जो भर्तियां हो रही हैं उनकी क्या दुर्गति है, कोई इसको देखना भी चाहेगा या नहीं चाहेगा? अधिकारी किस काम के हैं? इस कारण से बच्चों को जिस प्रकार से बर्निंग होता है कि वह परीक्षा की तैयारी करता है और पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। चिकित्सा विभाग में रेडियोलोजिस्ट के 1058 पद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के 30 पद हैं, टेक्निशियन के 1119 पद हैं, भर्ती निकाली गई लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ।

बिजली कम्पनियों के विभिन्न पदों पर 2300 पदों की भर्ती विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई। पटवारियों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी, 2021 में तय थी, इसमें 13 लाख विद्यार्थियों ने फार्म भरे हैं, रोज सड़क पर आते हैं क्योंकि नौकरी तो सबको ही चाहिए न। कनिष्ठ अभियंता के 533 पद थे, इसमें 31 हजार बच्चों ने फार्म भरा, लेकिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हो गई, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। पेपर लीक हो जाए तो किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहीं एकाध को तो दाग लगाओ, जिनके कारण से स्टेट को इतना बड़ा नुकसान होता है, बच्चों को मन में बर्निंग होती है, आपका और मेरा बच्चा भी जब परीक्षा देता है तो उसको कितना लगता है।

आपने पुलिस की भर्ती 5400 की निकाली। एक ही दिन, एक ही पेपर हुआ, लेकिन आपने मैरिट बना दी ज़िले के अनुसार। वह हाई कोर्ट गया और रिजल्ट रुक गया। इन छोटी-छोटी गलतियों के कारण, मैं समझता हूं कि इन बातों में आप समझते हो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब मैं था तब दूरसंचार की 233 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। उसके लिए लगभग 10 हजार अभ्यर्थियों ने एप्लाई किया, लेकिन चार साल बाद आपने एक आदेश निकाला कि भर्तियां रद्द की जाती हैं। अब आप सोच लीजिए, इसमें जो लोग योग्यता रखते थे, उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। किसी को कष्ट हो तो वास्तव में देखना चाहिए।

शिक्षा मंत्री जी बड़े खुश हुए कि हमने थर्ड ग्रेड की 31 हजार की भर्ती निकाली, पर उसमें रोक क्या लगाई कि इसमें बीएड का विद्यार्थी नहीं बैठ सकेगा। क्यों? अधिक योग्यता रखना पाप है क्या? आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। उसके कारण से क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने आपको रिजेक्ट किया और कहा बीएड वालों को मिलाओ। बीएड वालों को मिलाने के कारण परीक्षाएं अप्रैल तक गईं। अगर यह समय पर होती तो यह तकलीफ नहीं आती। आपने 1350 पदों पर पूर्व प्राथमिक की परीक्षा की, जब इनके डाक्यूमेंट का वैरिफिकेशन हुआ तो 850 फर्जी डाकूमेंट, यह बहुत बड़ा धंधा और गेंग बन गई है। राजस्थान में नौकरी पाने के लिए, चाहे वह लाइब्रेरियन हो, या किसी में भी हो, बहुत बड़ी तादाद में कोई गेंग काम कर रही है, जो बच्चों को इस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट लाकर देती है। कई तो नौकरी भी लग गए। मैं आज विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं। आज की तारीख में आपके लगे हुए बड़ेबड़े अधिकारी, अगर ईमानदारी से उनके डाकूमेंट से चैक करो तो फर्जी निकलेगा। क्या यह प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं है? हम इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं।

अभी रीट की परीक्षा के बारे में कहा, महावीर जयंती है, दो दिन पहले कर लो। इतने बच्चे परेशान होंगे। इतने स्कूल और कालेज हमारे भी समाज के द्वारा चलते हैं, वहां सेंटर है तो स्टाफ को तो जाना ही पड़ेगा, 100 परसेंट काम देखना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको आगे करो, बच्चों को बहुत हार्ट बर्निंग होती है, चाहे वह बच्चा मेरा हो, किसी और का हो। लंबे समय के बाद एक तारीख तय हुई और उसमें अगर कोई बदलाव होता है तो उसके मन में पीड़ा तो होगी। मैं चाहता हूं उसको 5 दिन पहले कर लो, 7 दिन पहले कर लो, जो भी ठीक प्रकार से व्यवस्था हो।

पेपर लीक होने का भी एक सिलसिला चल पड़ा है। आरएएस भर्ती 2013 में 978 पदों के लिए भर्ती निकाली। 11 जून, 2014 को जारी भी किया, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द भी कर दी। इस स्तर की परीक्षाएं भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर पेपर लीक के कारण रद्द हो जाए और उसमें किसी को सज़ा नहीं मिले, किसी पर दाग नहीं लगे कि यह पेपर लीक कैसे हुआ, आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? जो लोग मेहनत करते हैं उनकी पीड़ा को नहीं समझते।

आरपीएससी की तरफ से एपीपी के 159 पदों पर 2011 में भर्ती परीक्षा हुई, प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द हो गई, आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा? कांस्टेबल भर्ती 2018, जब मैं ही था। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई डर नहीं है। मैं कहता हूं कि 2018 की भर्ती में 15 हजार कांस्टेबल की भर्ती निकाली, 7 मार्च, 2018 को कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन आयोजित हुई, 11 मार्च को प्रश्न पत्र आउट हो गया, ऐसी हमको जानकारी मिली, हमने उसको निरस्त किया। लेकिन उन बच्चों को तो कष्ट हुआ न, जिन्होंने परीक्षा दी थी तो उन लोगों को भी तो आइडेंटिफाई करो, जिनके कारण से पेपर लीक हुआ। अगर हम उन लोगों को नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा।

इसी तरह से 2014 आरपीएमटी का, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान का, इसमें भी पेपर लीक हुआ। 6 जून को जारी हुई थी, उसमें 86 सवालों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा। पेपर सैटिंग ही ऐसा हो गया जिसमें 86 प्रश्न गलत थे।

लाइब्रेरियन के 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 हजार पदों के लिए 29 दिसम्बर, 2019 को परीक्षा आयोजित हुई, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हुई। एलडीसी भर्ती परीक्षा, 2013 जो मैंने अभी आपको बताया, वह रद्द की। सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेईएन सिविल डिग्रीधारी 533 पदों के लिए 6 दिसम्बर, 2020 को परीक्षा आयोजित हुई, पेपर लीक होने के कारण से परीक्षा को निरस्त किया गया। यह सब कहने के पीछे मेरी यह भावना है कि इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करते हैं, इनको समय पर करवाओ। इसके लिए जो भी उत्तरदायी है उस आदमी को आइडेंटिफाई करके सज़ा दिलाओ, ताकि भविष्य में पेपर लीक होने की जो समस्या आती है वह कम से कम वह नहीं आए।

आपने यह बातें कीं, हम नौजवान को 3500 रुपये देंगे। थोड़ा बहुत तो आदमी के मन पर असर रहता है या नहीं रहता? मेरी बच्ची ने भी मुझे पूछा, पापा नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, हमको 3500 रुपये हाथ खर्ची तो मिलेगी। वास्तव में बच्चे के मन में स्वाभाविक होता है। आपने अपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घोषणा पत्र में लिखा कि बेरोजगार बच्चों को या तो नौकरी मिलेगी या फिर भत्ता मिलेगा। सबके दिमाग में यह तो आया कि कम से कम 3500 रुपये तो मुझे मिलेंगे। बच्चे का मन स्वाभाविक हुआ, उन्होंने आपको वोट दिए, कितने ज्यादा मिले, 50 हजार ज्यादा ही मिले न। आपके और हमारे बीच वोटों का अंतर तो 50 हजार का ही था न, 52 हजार तो पोलिंग स्टेशन हैं। इसका मतलब एक पोलिंग पर एक वोट ही ज्यादा मिला। इतना अभिमान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पैर की तरफ झांकने की जरूरत है कि जिन आधारों पर हमने वोट कलेक्ट करने का प्रयास किया, वह वास्तव में उचित नहीं था।

राठौड़ साहब को हमने संविदाकर्मियों के लिए चेयरमैन बनाया, पर हमने यह कभी नहीं कहा, हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि जितने भी संविदाकर्मी हैं उनको हम राजकीय नौकरी में लगा देंगे। यह हमने कभी नहीं कहा। हमने उनकी मदद करने के लिए जो-जो भी हो सकता है, जितनी उनकी सैलेरी बढ़ाई जा सकती है, जो कुछ किया जा सकता है, वह करने का जरूर प्रयास किया। पर, आपने तो सीधा गुड़ लगा दिया। वह बच्चा घूमेगा नहीं क्या? यह भी एक-दो संख्या नहीं है, 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, जिनको आपने कोहनी पर गुड़ लगाया, यह कहकर कि आप सबको राजकीय नौकरी में लगाएंगे। कोई नहीं लग सकता तो नहीं लग सकता, जितना हो सकता है उतना ही कह देते। नरेगा में 60 हजार, पंचायत सहायक में 27 हजार, आपको और हमको दया नहीं आती है? पंचायत सहायक 8-8 साल से नौकरी कर रहे हैं और रुपये 6 हजार देते हो। घर जाएगा तो अपने बच्चों को जहर खिलाएगा, क्या खिलाएगा? अगर आपका और मेरा बच्चा भी इसमें नौकरी लगा हुआ हो और दो छोटे बच्चे हों तो वह 6 हजार में क्या कर सकता है। कम से कम मिनिमम वेजेज तो दीजिए, ताकि कम से कम वह बच्चा जिंदा तो रहे। हम सब पराकाष्ठा पार कर गए। हमारे पास पैसा कम है, बजट कम है, यह सब बेकार की बातें हैं। पैसा कम है तो जहां से काटना है वहां काटो लेकिन उस बच्चे का पेट काटकर, उसके परिवार को बरबाद करने का काम करते हो।

विद्यार्थी मित्र 24 हजार, पैराटीचर 15 हजार, फार्मेसी 1500, एनआरएचएम 4500, प्रेरक 1750, जनता जल योजना 10 हजार, आंगनबाड़ी 62 हजार, यह सारा मिलाकर तीन लाख से अधिक लोग। मैं अगर पढ़ूं आपने घोषणा की थी वह क्या है? सरकार ने संविदाकर्मी, एनआरएचएम और एनयूएचएम, पैराटीचर, उर्दू टीचर, लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शिक्षक कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक आदि के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की समस्या का समाधान नियमित किया जाएगा। यही लिखा न? यह लिखने के बाद, सवा दो साल बाद अगर आप यू टर्न कर जाओ, 8-8 मीटिंग्स करो, बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही है, बहुत बढ़िया काम है। वह बच्चा लटका रहता है कि अब की मीटिंग में कुछ होगा, अब की मीटिंग में कुछ होगा। 8 में तो हुआ नहीं, अब 9वीं में कोई आसमान पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो जो कर सकते हो वह कहना चाहिए। कम से कम वह बच्चा कहीं और जगह तो जाए। यहां का यहां लटका रहता है। यह सोचता है कि आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाऊंगा। उसे पता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना है तो और रास्ता ढूंढेगा अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन आपके इस गुड़ के कारण न इधर जा सकता है, न उधर जा सकता है।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, यह अभी तक मैंने कभी नहीं देखा, मैं भी इतने साल से इस विधान सभा में हूं कि आप कालेज खोलो और उसका बजट प्रावधान नहीं हो। आपने 88 कालेज खोले, लोगों को ताली बजाने के लिये खोले? आखिर उनका होगा क्या। उसके कारण से, 88 कालेज खोलने के बाद आपके एक पैसे की व्यवस्था नहीं है। अभी भी आपने उत्तर दिया है कि हम माइनिंग फण्ड से करेंगे। क्यों, आपका माइनिंग फण्ड इसके लिये था क्या? माइनिंग फण्ड के अपने नोर्म्स हैं, कैसे खर्च होता है। लेकिन आपने उसमें से कमरे बनाने के लिये, बिल्डिंग बनाने के लिये दे दिया। मैं सोचता हूं यह दुर्भाग्य है राजस्थान का।

आप लोगों ने, जब कुछ भी बात होती है न, तब आप अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र पृष्ठ 11, बिन्दु संख्या 21 में वादा किया था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भयमुक्त वातावरण स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार जन घोषणा पृष्ठ संख्या 36 के बिन्दु संख्या 80 में वादा किया कि सरकार द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, जीरो हरेसमेंट सिद्धांत का पालन किया जायेगा। कर रहे हैं न, आपके और तकनीक मंत्रीजी के स्टेटमेंट को पढ़ो तो कितना बढ़िया लगता है? एक ट्रांसफर करता है, दूसरा रुकवाता है। फिर आप कुछ बोलते हो। क्या जनता को देख करके दु:ख नहीं होता है कि यह क्या तमाशा हो रहा है। कम से कम वह काम करना चाहिए, यह सारा ढांचा चरमरा गया है। मैं आपको बहुत सही, बहुत दु:खी मन से कह रहा हूं। मैं सोचता हूं कि जितनी हमारी क्षमता है, उतना ही कर लें न। कोई जरूरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थोड़े ही ऐसे लोक लुभावना, आज की तारीख में कालेज एजुकेशन में ढाई हजार पद रिक्त हैं। और पढ़ा कौन रहा है बच्चा, गेस्ट फैकल्टी, वह भी वैल क्वालीफाइड है, टोपर है, आपने उसको ऐसे ही नहीं लिया कि किसी ने, गुलाब चन्द जी ने कहा जो भर्ती किया, नहीं। आपने उसकी मैरिट के आधार पर भर्ती किया। वह बच्चा आठ-आठ साल से, अभी तक 12 हजार और 14 हजार की तनख्वाह में पढ़ाता है। कहां पढ़ाता है, कालेज लैक्चरार है और घर जाकर देखता है तो क्या लगता होगा। कम से कम इस पर विचार नहीं हो सकता कि आखिर इसका क्या होना है, क्या नहीं होना है।

मैं सोचता हूं कि आपने कहा कि हमने एक हजार सहायक आचार्यों के पद की भर्ती, यह तो किरणजी के समय निकली हुई भर्ती है। यह अपने खाते में ताली बजवाने से क्या फायदा निकलेगा। यह भर्ती उस समय की नहीं निकली हुई है? उस भर्ती को भी आप अपने खाते में डालने का प्रयास कर रहे हो।

अब विश्वविद्यालय, जैसे आपका सीकर है, अलवर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा है, अभी तक खुलने के बाद एक भी टीचर की भर्ती नहीं हुई, सिंगल, कितनी, सिंगल। यूनिवर्सिटी चल रही है, एक अध्यापक की भर्ती नहीं हुई। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं, उनके बारे में जब आब्जेक्शन किया तो आपने कहा कि ये तो पत्रकारिता के बहुत विद्वान आदमी हैं थानवीजी, इनको लगाना चाहिए। तो फिर यह लॉ कालेज खुला है न आपका, विश्वविद्यालय, जो लागू हुआ, अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, इसका कुलपति क्या वकील है? नाम बता देना एक बार, यह कहां से आया है, कौन है। एक जगह कानून दूसरा, दूसरी जगह कानून दूसरा। यह कौनसा तरीका होता है।

मैं समझता हूं जन घोषणा पत्र के 10, बिन्दु संख्या 4 में वादा किया था कि सभी वर्ग के छात्र, समस्त छात्राओं की प्रारम्भ से अंत तक की राजकीय विद्यालय, महाविद्यालयों में सम्पूर्ण शिक्षा नि:शुल्क की जायेगी। अब ईमानदारी से, मेरे पास है, मैं वह लेकर आया हूं, जो बच्चों ने अपना पैसा जमा कराया। आप बिल्डिंग के नाम से तीन सौ रुपये ले रहे हैं। इसके नाम से तीन सौ रुपये ले रहे हैं और केवल उसकी ट्यूशन फीस है, वह आप नहीं ले रहे हो। यह छात्राओं के साथ न्याय है। किसने कहा आपको यह लिखो। जिसको भर्ती होना है, आयेगा, जिसके घर से लाना होगा, लायेगा। लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पहले आप लिखाते हो कि बच्चियों को हम नि:शुल्क शिक्षा देंगे और नि:शुल्क शिक्षा दे करके फिर आप उन बच्चियों को वह रसीद पकड़वाते हो तो पीड़ा तो जरूर होती है। पहले से उसे पता है कि मेरी जेब में पैसा हो तो जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा तो उसकी व्यवस्था करेगा। आपने पोलीटेक्निक इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, आयुर्वेद जैसे अन्य विद्यालयों के छात्रों की ट्यूशन फीस भी ली है। इनमें अन्य सब बच्चियों की ट्यूशन फीस भी ली है। इनमें किसी प्रकार की रियायत नहीं है। बात कुछ और कहते हो और करने का काम कुछ और करते हो। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं, कि अगर नहीं हो सकता है तो ठीक है, जो हो सकता है उतना कहो।

अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, आपने और हमने, सबने खूब तालियां बजाईं। यह अच्छा काम है। वह क्या था कि समय पर चुनाव हो जाएं। यही मंशा थी न कि आपका चाहे पंचायती राज हो, चाहे नगर परिषद् हो, हर पांच साल में, इतने सालों तक हो रहा था। अब की बार यह कोरोना कब आ गया, 2019 में ही आ गया था क्या, जिसके कारण से नहीं हुआ। आपने मेरी नगर निगम के साथ, नवम्बर, 2019 में जयपुर का, जोधपुर का और कोटा का होना था, लेकिन आपने केवल इसलिये बहाना बना करके कि वहां अधिकारी लग जाएं, जो यह 73वें और 74वें अमेंडमेंट का अर्थ था या मायना था, वह यह था कि जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि ही चार्ज दे। अगर आपके और हमारे यहां भी दिल्ली की सरकार कोई ऐसा करे कि नहीं, कोई भी प्रशासन से दो साल, चार साल चलाओ तो आपको और हमको पीड़ा नहीं होगी? लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? लेकिन हमने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। मैं सोचता हूं जो छह नगरपालिकाएं बनाई हैं, आज आप खुश हो जाओ कि आपने बहुत महापौर बना दिये, बने तो तीन ही थे न बहुमत के आधार पर। फिर वे ज्यादा बन गये तो वह पकड़ा-धकड़ी का ही धंधा हुआ न। चुनाव पहले भी होते थे। कम से कम रिजल्ट निकलने के बाद दूसरे दिन अध्यक्ष का हो जाता, उसके दूसरे दिन उपाध्यक्ष का हो जाता। अब छह-छह, सात-सात दिन का गैप आता है, क्यों? उदयपुर के पार्षद को ढूंढने के लिये अमेरिका जाना है क्या, सात दिन का समय इसलिये लगता है क्या? क्या तमाशा है और जिस प्रकार से आपने वार्डों में किया, आप खुश हो जाओ, लेकिन हकीकत में यह पाप कभी न कभी सर पर चढ़कर बोलेगा कि जिस प्रकार की रचना की न, उसमें जहर डाल दिया जहर। आगे चल करके ये सारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शहर जलेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में जहर का क्या परिणाम निकला और क्या नहीं निकला।

अब आपने, कब चुनाव कराने थे और कब चुनाव करा रहे हो। मैं सोचता हूं कि अगस्त का महीना सबके लिये ड्यू था, 129 नगरपालिकाओं का अगस्त के महीने में ड्यू था। अब उस अगस्त के महीने में आपने प्रशासक लगाकर उनको आगे पहुंचाया। चार चुनाव कराये हमारे इस विधान सभा में आने के सवा दो साल में एक साल तो केवल चुनाव और आचार संहिता में निकल गया। चुनाव और आचार संहिता में, सरपंच कभी बनेगा तो अलग बनेगा, फिर सरपंच के बाद जिला परिषद् और पंचायत समिति बनेगी तो अलग बनेगी। क्या कारण है। इतने सालों तक अपन सब साथ कर रहे थे। ऐसा क्या तूफान हो रहा था कि सरपंच तो सुन लेगी, गांव की जनता वोट डाल जायेगी। अगर जिला परिषद् का वोट डालना है तो कोरोना हो जाएगा। इस कारण से ही चेंज किया न उनको। मैं सोचता हूं हम लोगों का सोच और काम करने का तौर-तरीका इतना है कि मैं सोचता हूं कि आपने 13 दिसम्बर के दिन इन 50 नगरपालिकाओं का चुनाव कर दिया होगा, यह सात दिन का समय दे करके। अब उस समय आपके कितने लोग आये, 15 का बहुमत आया 50 में से, अगर मुझे सही याद रहा तो। 50 में से आपने बना दिये, कितने, क्यों ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इलेक्शन का शिड्यूल इलेक्शन कमीशन तय करता है। सरकार का कोई लेना-देना नहीं होता है इसमें। यह आप भी जानते हो। वह सात दिन दे या दस दिन दे, यह उसका काम होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गलत बात बोल दी क्या उन्होंने? इलेक्शन कमीशन ही शिड्यूल तय करता है। सरकार नहीं तय करती। किस बात पर हंस रहे हैं अपन? पता नहीं, अजीब हैं बिलकुल ही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं भी जानता हूं कि सरकार की रिकमंडेशन पर ही होता है। बिना सरकार की रिकमंडेशन के ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी, आप खुद रहे हैं। Please listen, Election Commission is an autonomous body. Government can give direction, but इलेक्शन कमीशन अपने विवेक से ही इलेक्शन का शिड्यूल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नियुक्त करती है और इलेक्शन कमीशन ने ही यह शिड्यूल बनाया है। मैं समझता हूं कि इस, यह तो आप खुद मंत्री रहे हैं, समझते होंगे कि इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार का काम नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन भी इस तरह से एक चुनाव की जगह चार चुनाव कराये तो क्या हम रोक नहीं सकते तो फिर यहां काहे को आते हैं। जनता के प्रतिनिधि के नाते हम यहां पर कानून बनायें। क्या बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष: Let me speak. ...(Interruption)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप खुद उठाते इस बात को। आपने क्यों नहीं उठाया इस बात को, अगर आप यह गलत समझ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को इतना टाइम नहीं देना चाहिए था तो आपको उठानी चाहिए थी यह बात। आप काहे के लिये बैठे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम लोगों ने जिस स्तर पर भी आपके वार्डों के पुनर्गठन और इस चुनाव को ले करके जहां-जहां जाना था, सब जगह गये। कोई ऐसी जगह नहीं, जो हमने छोड़ी लेकिन किसी ने भी इसको नहीं माना। अगर आप इसको अच्छा समझते हो तो 7 दिन के बजाय 15 दिन कर लो, ताकि और माल खरीदने में सुविधा रहे। चलो करो, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम आपकी बात पर एग्री कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या करें, इलेक्शन कमीशन तय करने के लिये खुद स्वतंत्र है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वाह-वाह नहीं है। हम सब लेजिस्लेशन बनाते हैं। कानून बनाने वाले हम हैं। हमने कानून बनाया कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। उसके बाद सरकार की कोई भूमिका नहीं है। Please appreciate it. यह बात सही है कि जो कटारियाजी कह रहे हैं, उस कारण आज राजस्थान में स्थिति बन गई, अलग-अलग चुनाव हो रहे हैं। तकलीफ है, यह बात सही है पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। It's a total prerogative of Election Commission. As per the Constitution they are autono-

mous and independent and we have to appreciate it. हम इधर बैठें, चाहे उधर बैठें। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हमने ही अधिकार दिये हैं, उस अधिकार के कारण यह स्थिति बनी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इलेक्शन कमीशन को अधिकार भी हमने ही दिये हैं न तो लेने का अधिकार हमारा नहीं है?

श्री अध्यक्ष: नहीं है। कटारियाजी, कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रोविजन है, उस कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन को ही आप एड्हियर करेंगे तब ही तो कर पाएंगे। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इलेक्शन कमीशन जो करेगा उसको मानना पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह सोचता हूं कि आखिर हमको इस समस्या के बारे में गंभीरता से यह विचार करना चाहिए कि 73 और 74वां अमेंडमेंट करने को, धूली में डालने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए और न सरकार को होना चाहिए कि यह रिकमंडेशन करे कि यहां पर प्रशासक लगा दो। क्यों लगा दो? कानून है तो कानून के हिसाब से चलो। जिसका बनना होगा जो बन जाएगा। सरपंच बनता है तो जिला परिषद् भी बन जाएगी। अलग-अलग करने का औचित्य समझ में तो आना चाहिए न और जो पचास, पहले आपने पचास नगरपालिकाओं का चुनाव किया, बहुमत 15 में ही आया था न? 36 में बोर्ड बना लिया यह अपनी सफलता है या यह 7 दिन के गैप का तमाशा है? है कि नहीं है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपसे 34 जगह पर ज्यादा बहुमत था इसलिए बनी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी, आप बोलें। डोंट डिस्टर्ब। आप बैठें, प्लीज। कटारियाजी, आप बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह जानता हूं कि इस 50 चुनाव में 14 लाख वोटर ही थे। 14 लाख थे कि ज्यादा थे? 14 लाख वोटर में और 1775 वार्ड्स का चुनाव हुआ था कि नहीं इन पचास में? उसमें आपको 619 सीट्स मिलीं या नहीं मिलीं? यह 35 परसेंट है कि नहीं है? 35 परसेंट लोग आपको पार्षद जिताये और 65 परसेंट आपको हराये तो लगाओ पीठ पर थपथपा कि हमने बहुत बढ़िया कीर्तिमान कर लिया। लगाओ, लगाओ,

कोई बात नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, पार्लियामेंट में कौनसे 60 परसेंट पर आप सरकार बना लेते हो और यहां पर जो दो-तीन बार सरकार आपने बनाई, वह क्या 60 परसेंट पर बनाई थी क्या? वही 33, 34, 35 परसेंट पर सरकार बन जाती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको 1775 वार्ड इसीलिए गिना रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप संसदीय परंपराओं का निर्वहन करें, उन्होंने यील्ड नहीं किया है, वह बोल रहे हैं। इन्होंने यील्ड अब किया है, मैं खड़ा हुआ हूं इसलिए यील्ड किया है। वह बोल रहे हैं। लीडर आफ अपोजीशन बोलें। Please, don't intervene in it... (व्यवधान) परमिशन मैं दूंगा, यह थोड़े ही देंगे। परमिशन तो मैं दूंगा। अब इनको बोलने दो। प्लीज, कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी आपने नगरपालिका 90 का चुनाव किया। पहले यह 2276 कुछ वार्ड थे। आपने इनको तोड़कर 3035 वार्ड बनाये। अब एक ही नगरपालिका में एक वार्ड 185 का बनता है और एक वार्ड 800 का बनता है, यह कौनसा तौर-तरीका है? यह कौनसा तौर-तरीका है? उसमें भी जाति विशेष के लोगों को ही रखकर यह जो आपने डिवीजन किया है न, वार्ड लगभग 2300 के आसपास थे उसकी जगह पर 700 वार्ड बढ़ा दिये और इस तरह से वोटों को डिवीजन करके आपने वार्ड अधिक जीत लिये और अपनी पीठ थपथपा रहे हो। यह विष बेल बोया है जो हर नगरपालिका आज नहीं तो कल जलेगी, आप उसको देखना।

अब पंचायती राज में 2 करोड़ 41 लाख लोगों ने वोट दिया। कितना? 2 करोड़ 41 लाख लोगों ने। आपके इन दोनों में कितना दिया? एक में 29 लाख लोगों ने वोट डाला और एक में 14 लाख लोगों ने वोट डाला। इसका तो आप यश लेने के लिए कर रहे हो और जो आपको 21 जिलों में चुनाव हुए हैं अभी 11-12 और बाकी हैं, मतलब, क्या कलाकारी है, मैं तो यह सोचता हूं बड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर इस तरह से तीन-तीन स्टेप में, चार-चार स्टेप में चुनाव हों और उसके बाद भी पंचायती राज में आपके 21 में से 5 ही जिला प्रमुख बने न या ज्यादा बने? वह भी आपने देखा होगा, मैं सोचता हूं कि यह ग्राम पंचायतों के भी चुनाव आपने दो बार में कराए। अब यह आपने जो, जितने आपके प्रधान थे, उसमें से 1989 पंचायत समितियां हमारी बनीं,

वह भी आपने यह गैप देकर इधर से उधर जो किया, बाकी जितनी भी, हमारा बहुमत है तो हम बनाएं। मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि यह खरीद-फरोख्त का धंधा बंद होना चाहिए। चाहे हमारी दो कम बने या दो ज्यादा बने। इसके कारण से राजनीति को इतना गिरा दिया हमने, इतना गिरा दिया है कि जिसको संभालना मुश्किल होगा, यह मैं सोचता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप यह प्रधान मंत्रीजी को बताओ, अमित शाह को बताओ कि यह खरीद-फरोख्त बंद करे। चुनी हुई सरकारों को गिराना बंद करे। किसको भाषण दिला रहे हो? किसको भाषण दिला रहे हो? किसको दिला रहे हो भाषण? पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): चुनी हुई सरकारों को आपने गिराया है जगह-जगह पर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप खुद गिरा रहे हैं। (व्यवधान) हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नो, वही बोलो जो बोलना हो। उतना ही बोलो जितना बोलना हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो। जितना बोलना आवश्यक है, उतना ही बोलो। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, यह गलत परंपरा है। आप नीचे बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, आप नीचे बैठें, प्लीज। प्लीज, आप बैठें। माननीय सदस्य, क्या मैं हाउस बंद कर दूं? आप बैठो न। मैं हाउस एडजोर्न कर दूं? नीचे बैठें, प्लीज। नीचे बैठें। मैं हाउस एडजोर्न कर दूं? यह अधिकार मेरे को दिया है, आपको नहीं दिया है यह अधिकार। (व्यवधान) अर्जुन जीनगरजी, आपको नहीं दिया है। अब कौन बोल रहा है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनको तो बोलो।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष: माननीय मदनजी, क्या बोलूं मैं? आपको बोला है, आप सुन रहे हैं? इनको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो? आप तो बोल लेंगे, इनको बोलूं मैं? मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय परंपरा का हम पालन करें, उत्तेजित नहीं हों। जब लीडर आफ अपोजीशन बोल रहे हैं तो प्लीज, उसका जवाब देने के लिए लीडर आफ हाउस काम्पिटेंट है। इसलिए मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि हाउस में इस तरह से डिबेट नहीं होगी और यदि आप चाहते हैं कि हाउस एडजोर्न करना है तो forthwith I will adjourn it. मैं यह अधिकार नहीं दूंगा, राठौड़ साहब, किसी को भी कि आप इनको प्रोवोक करो और आप इनको प्रोवोक करो, हाउस चलाना है या नहीं चलाना है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं जिस पद पर, कुर्सी पर बैठा हुआ हूं मैं नियम और कानून का पालन करवाऊंगा, चाहे कोई नाराज हो या कुछ भी हो, इसलिए मैं फिर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। क्षण आते हैं, उत्तेजित होते हैं और राजनीति में उत्तेजित होने से राजनीति का फैसला नहीं होता है। यह हाउस डिबेट, डिस्कशन और डीसेंट के लिए है। आपको पूरा अधिकार है, अपनी बात कहने का। यह अपनी पूरी बात कहेंगे और सत्ता पक्ष को भी अपनी पूरी बात कहने का अधिकार है। इसलिए मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह यूट्यूब पर लाइव जा रहा है। जो नई जनता, जो हमारी नई पीढ़ी है, वह क्या संसदीय परंपराओं को सीखेगी? हम यह संसदीय परंपरा सिखाना चाहते हैं? हम हाउस में इसलिए इलेक्ट होकर आये हैं? हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, मैंने सोच-समझकर पूरी हाउस की प्रोसीडिंग को यूट्यूब पर डाल रखा है इसलिए हमारा प्रदेश का जो नौजवान आदमी है, जो जनता है, वह सब देख रही है कि हम किस तरह से हाउस में बिहेव कर रहे हैं?

हम संसदीय परंपराओं को बनाये रखने के लिए अपने आचरण को इस तरह से व्यवहारित करें कि जिससे संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे और यदि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास कम हो जाएगा तो मैं यह समझता हूं कि हमारे देश में अराजकता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में यह निवेदन कर रहा हूं कि जब हम इस बात को जानते हैं कि लीडर आफ अपोजीशन बोल रहे हैं तो जब तक वे नहीं बैठें, तब तक कोई इंटरवीन नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करे। जब आपके लीडर आफ द हाउस बोलेंगे, वे काम्पिटेंट हैं, वह उनकी पूरी बात का जवाब दे पाएंगे इसलिए शांतिपूर्वक डिबेट को होने दें। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने चुनाव के समय में यह घोषणा की थी कि हम पांच साल तक बिजली का किसी प्रकार का पैसा नहीं बढ़ाएंगे। मैं अब जानना चाहता हूं, या तो मेरे पास फीगर गलत है तो सुधार देना या अगर मैं सही फीगर बता रहा हूं तो उसको स्वीकार कर लेना और उस जनता से यह कहना कि जो आपको पांच साल का आश्वस्त किया था, वह पालन हुआ या नहीं हुआ?

मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो जीरो से 50 यूनिट तक जलाता है, उसके ऊपर अपने 3.85 रुपये की रेट की जगह पर 4.75 रुपये की रेट लगा दी है और उसके कारण से 90 पैसे प्रति यूनिट अंतर आ गया। उस समय फिक्स चार्ज जो 50 यूनिट तक का 100 रुपये था, उसको 125 रुपया कर दिया, 25 रुपया और बढ़ गया। ऐसा करके 65 रुपया आपने इसमें बढ़ा दिया। इसी प्रकार से आपने विद्युत शुल्क 40 पैसा, संरक्षण उपकर 15 पैसा, नगरीय उपकर 10 पैसा, फ्यूल चार्ज वर्तमान में 55 पैसे, यह सब मिलाकर आपने यह जो चार्ज किया 1 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट, प्रति यूनिट, इसका मतलब, सीधा ही जो आदमी अपने घर में एक लट्टू जलाता है, उसको भी 60 रुपया अतिरिक्त देना है महीने से। मैंने इसका केलकुलेशन किया कि जो 50 यूनिट जलाता है, जो कंजूमर केवल 50 यूनिट जलाता है, उसका सालाना बिल बनेगा 4350 रुपया। मैं यह सोचता हूं कि क्या वह गरीब दे पाएगा? इसके कारण से भी कई बार वह इल्लीगल रास्ते अपनाता है और उसके कारण से उसका यह मन होता है कि मैं किसी तरह से इससे भी बच जाऊं और बिजली जली रहे। यह 51 से लेकर 150 यूनिट है, उसका बिल आएगा सालाना 14940 रुपया। फिर उसके बाद सामान्यत: अपने सबके घर में 150 से लेकर 300 यूनिट तक आती हैं। हमारा जो बिल आएगा, वह 37,440 रुपये सालाना आएगा। मैं सोचता हूं कि जो एक छोटा-मोटा काम करता है, कैसे भी करके परिवार चलाता है, क्या वह इस बिल को दे पाएगा? इसी तरह से 300 यूनिट से लेकर 500 यूनिट वालों का 59,760 रुपया सालाना आएगा। यह केवल उपभोक्ता है। इसी तरह से आपने देखा होगा किसान का भी पैसा आपने बढ़ाया है। यानी उसके लिये भी कई प्रकार के चार्जेज लगा दिये। मैं यह समझ नहीं पाया,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करता हूं कि आखिर इसके बारे में किसी को सोचना चाहिए कि जो बिजली हम 4 रुपये 15 पैसे से लेकर 4 रुपये 80 पैसे में खरीदते हैं, राजस्थान की बिजली की जो खरीदने की रेट है, वह 4 रुपये 15 पैसे से लेकर 4 रुपये 80 पैसे तक है और हम उपभोक्ता से वसूल करते हैं 8 रुपये से लेकर 12 रुपये प्रति यूनिट। अब उसके बाद भी घाटा होता है तो कहीं न कहीं सिस्टम में खराबी है। मैं सोचता हूं कि इतना तो प्राइवेट आदमी भी अगर कमाई करे न तो वह भी नहीं कर सकता। जो 4 रुपये 15 पैसे से लेकर 4 रुपये 80 पैसे में खरीदते हैं, उसको हम छोटे से छोटे उपभोक्ता को 8 से लेकर 12 रुपये प्रति यूनिट बेचते हैं और उसके बाद भी दिवालिया हो जाते हैं तो कहीं न कहीं सोचने की आवश्यकता है।

मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बिजली का दाम किसी का है तो वह हमारे राजस्थान का है। उस प्रान्त का है, जो अपनी आवश्यकता की 96 प्रतिशत बिजली पैदा करता है और आने वाले दो साल में हम सरप्लस बिजली पैदा करने की स्थिति में आ जाएंगे, उस राज्य की यह स्थिति है। हरियाणा में 6 रुपये 29 पैसा, दिल्ली में 6 रुपये 32 पैसा, गुजरात में 6 रुपये 82 पैसा, मध्य प्रदेश में 7 रुपये 5 पैसा, पंजाब में 7 रुपये 72 पैसा और राजस्थान में, यह जो मैंने छोटे उपभोक्ता का कैलकुलेशन निकाला, उसका आता है 13 रुपये 31 पैसा। उस उपभोक्ता का, जिसकी कैपेसिटी 150 यूनिट तक जलाने की है, उसको यह सारा फिक्स चार्ज जोड़कर लग रहा है तो मैं सोचता हूं इसके बारे में विचार करना चाहिए।

आखिर हमने यह जो इतनी कम्पनियां बनायी हैं, यह शायद जुलाई, 2000 में बनायी थीं। यह सोचकर बनायी थीं कि हम यह कम्पनियां इसलिए बना रहे हैं ताकि इन सब कमियों को निकालते हुए राजस्थान का बिजली का तंत्र अच्छा बनेगा, लेकिन यह तो डुबाने वाली संस्थाएं बन गयीं। अब आप हमसे कहेंगे कि आपने यह कर दिया। 2008 में जब हमारी सरकार गयी थी और हमने आपको सत्ता दी थी, उस समय बिजली बोर्ड 15 हजार करोड़ के कर्जे में था। आपने जब हमको वापस सुपुर्द किया तो आपने उसे 80 हजार करोड़ कर दिया। हालत यह हो गयी कि रोजाना कर्जे का पैसा चुकाने के लिये, उसका ब्याज चुकाने के लिये फिर कर्जा लेना पड़ा और इन संस्थाओं को जिन्दा रखा और इसके कारण से केन्द्र सरकार से आग्रह करके वसुन्धराजी ने उदय योजना का लाभ लेते हुए केन्द्र सरकार से मदद ली और 60 हजार करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपये हमने उसके खाते में जमा कराया। उस समय फिर 20 हजार करोड़ रुपये रह गये। आज जवाब दो तब बताना, आज यह फिर से आपकी कम्पनियां 80 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चली गयी है। अब इसके बारे में किसी न किसी को सोचना तो पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि शायद यह घाटा एक लाख भी पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। एक लाख करोड़ रुपये का घाटा इन बिजली कम्पनियों का फिर से पहुंच जाएगा। थोड़ा-सा इनको सम्हालना पड़ेगा। यह बड़े-बड़े हाथी और नीचे के लोगों को नौकरियों से बाहर निकालते चले जा रहे हो, पोस्टें खाली पड़ी हैं और कोई सम्हालने वाला नहीं है। आप सिस्टम को ही खराब कर रहे हो, इसके बारे में आप जरूर विचार करना।

अभी आप नाराज होंगे, नाराज नहीं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से। मैं सोचता हूं इस देश का महापुरूष केवल एक यही परिवार तो नहीं हुआ है, और भी लोग हैं, जिन्होंने इस देश के लिये कुछ किया है। अगर उनके नाम से भी किसी संस्था का नाम हो जाए तो क्या बुरा लगता है। लेकिन मैंने जो सारा चार्ट देखा न तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैं सोचता हूं कि हम केवल व्यक्ति पूजा में लगते हैं। हमने उनके आदर्शों की पूजा नहीं की, उनके मान-सम्मान की पूजा नहीं की, उनके त्याग की पूजा नहीं की, उनके देश के प्रति समर्पण की पूजा नहीं की। हम तो केवल और केवल व्यक्ति पूजा में लग गये। मैं आज आपको बताता हूं, आप सब लोग थोड़ा-सा सुनें तो आपको स्वयं को लगना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। अपने यहां 23 स्टेडियम बने हुए हैं, उन 23 में से 12 तो राजीव गांधी के नाम, 7 इंदिरा गांधी के नाम और 4 जवाहरलाल जी के नाम से बने हुए हैं। ऐसे ही हवाई अड्डे 5 बने हुए हैं, तो उसमें 2 राजीव गांधीजी के नाम और 2 इंदिरा जी के नाम पर हैं। विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं 102, उनमें से 55 राजीव गांधी के नाम से हैं, 23 इंदिरा गांधी के नाम पर और 24 नेहरू जी के नाम पर हैं। राजीव गांधी बहुत बड़े आदमी थे। देश के संघर्ष में उनका बड़ा योगदान रहा, उसको मानने में कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं सोचता हूं कि यह व्यक्ति पूजा की ओर इंगित कर रहा है देश को। इसके बारे में समझने की जरूरत पड़ेगी। व्यक्ति पूजा मत करो, उसके काम की और उसके समर्पण की पूजा करो तो आने वाली पीढ़ी तैयार होगी। बाकी केवल और केवल इन नेताओं के पीछे भागने वाली फौज बन जाएगी तो देश का ध्यान नहीं रखेगी, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करेगी। इसको समझने का आप प्रयास करो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ऐसे ही आपने 50 पुरस्कार घोषित कर रखे हैं, उनमें 17 राजीव जी के नाम से, 22 इंदिरा जी के नाम से और 11 जवाहरलाल जी के नाम से हैं। छात्रों की जो स्कालरशिप आपने निकाल रखी है 16, उसमें से 10 राजीवजी के नाम से, 1 इंदिराजी के नाम से और 5 जवाहरलाल जी के नाम से है। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और संग्रहालय 15 हैं, उनमें 4 राजीव जी के नाम से, 7 इंदिराजी के नाम से और 4 जवाहरलाल जी के नाम से। अस्पताल और चिकित्सालय संस्थान, यह 40 हैं। इनमें 15 राजीव जी के नाम से, 15 इंदिरा जी के नाम से और 10 जवाहर लाल जी के नाम से हैं। संस्थान अध्यक्ष और त्यौहार, यह भी 37 हैं, इनमें से 17, 10 और 10, सड़कों और भवनों का नाम, 77 का मेरे पास रिकार्ड है, उसमें से 22 राजीव जी के नाम से, 23 इंदिरा जी के नाम से और 32 जवाहरलाल जी के नाम से हैं। हमने जवाहरलाल जी को पूरा सम्मान दिया। जितने भी नवोदय विद्यालय बने, उनको हमने प्रारम्भ से ही जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के नाम से किया, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस परिपाटी से बाहर आना चाहिए। शास्त्रीजी ने भी कुछ किया होगा। 1965 का छोटा-सा ठिगना आदमी नहीं होता न तो छोटे-छोटे बच्चों को भी एक दिन का उपवास नहीं कर सकते। मैं एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर था। मैं देखकर दंग रह गया, जब मेरे यहां तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा भी उस दिन टिफिन नहीं लेकर आया तब मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा नहीं, मेरे सोमवार का व्रत है। जो देश को जगा सकता है, देश की आत्मा को जिसने हिलाकर रखा, उस आदमी के नाम पर कोई संस्था बन नहीं सकती, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी व्यक्ति के पुजारी बनते चले जा रहे हैं।

अभी आपने देखा होगा जल जीवन मिशन, मंत्री महोदय, आप नाराज मत होना। यह एक ऐसी छूट मिली हमको, अगर हम इसका उपयोग करें तो राजस्थान का आपका जो सर्वे है, वह 01 करोड़ 32 लाख लोगों को नल से कनेक्शन होने का आपका प्रोजेक्ट है। 01 करोड़ 32 लाख का लक्ष्य रखा। भारत सरकार ने आपको 2019-20 में 01 हजार 51 करोड़ रुपये इस काम के लिये दिये और आपको इस आशा से दिये कि आप यह करोगे लेकिन उस 01 हजार 51 करोड़ में से 605 करोड़ रुपया आप उपयोग ही नहीं कर पाये। 2019-20 का समय निकल गया और आप उपयोग ही नहीं कर पाये। उसके बाद भी उन्होंने आपका पैसा काटा नहीं बल्कि और पैसा बढ़ाया। इसके बाद आपने देखा होगा, आपने पूरे राजस्थान में 2019-20 में 01 लाख 04 हजार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घरों को कनेक्शन दिया, जबकि ज्यादा कनेक्शन देने के लिये आपके पास पैसा पड़ा था। मैं सोचता हूं उसके बाद आपने देखा होगा 2020-21 के बजट में केन्द्र सरकार ने आपको 2 हजार 522 करोड़ रुपया दिया। आपकी उपलब्धि न होने के बाद भी आपको पैसा दिया, लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या? उसमें से केवल अभी 2021 तक के मेरे पास आंकड़े हैं, 513 करोड़ रुपया, 2500 करोड़ में से उपयोग कर पाये। इसका मतलब पैसा आपके पास है, आप उपयोग कर सकते हो। आप यह देख रहे हो कि हमको 60:40 नहीं चाहिए, हमको तो 10:90 चाहिए। वह जब मिलेगा, तब मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जो है उसमें अपन ज्यादा से ज्यादा लेकर उसका लाभ उठाएं। आपको लम्बा एरिया फैलाना हो, जहां ज्यादा खर्चा होता हो, उसको छोड़ो। पर जो कोम्पैक्ट बस्ती है, मान लो अब शहर का ही कोई वार्ड है और उसमें 200 घर ऐसे हैं, जिनके भाग्य में अभी तक नल से पानी का नहीं लिखा तो कम से कम उसके घर तक तो नल कनेक्शन जा ही सकता है, उसको तो पूर्ति कर सकते हो। मैं सोचता हूं कि आप 2021 तक 17 लाख 62 हजार 169 घरों तक ही नल पहुंचा पाये और 2024 तक आपको पहुंचाना है 83 लाख 40 हजार 105 घरों पर। मैं सोचता हूं इसके बारे में आपको देखना चाहिए कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं।

अब आप सब लोगों को प्रधान मंत्री खराब लगते हैं, कोई बात नहीं। जैसा आपको लगे, वैसा देखो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री ने उस गांव, गरीब और छोटे व्यक्ति को संवारने का प्रयास किया और मैं सोचता हूं, मुझे भी राजनीति में इतने साल हो गये, आप भी 54 साल तक दिल्ली में रहे और इस हिन्दुस्तान की जनता का खजाना है, यह गुलाब चन्दजी का नहीं है, गहलोत साहब का नहीं है। यह खजाना किसका है? यह हिन्दुस्तान की जनता का है, जो टैक्स से भरती है। वह दिल्ली का हो चाहे यहां का हो, हम जो खर्चा करते हैं किसी पर मेहरबानी नहीं करते हैं, हमारी ड्यूटी है पर दुर्भाग्य यह है कि हमने इस लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है। मैं सोचता हूं वही पैसा दिल्ली में जाता है, वही पैसा राजस्थान में आता है। हम विकास के इतने काम कर सकते हैं और आप विकास के काम नहीं कर सकते हो, इसका दर्द आपको होना चाहिए।

मैं आपको बताता हूं। यह जो पीएम किसान सम्मान निधि है, क्या आप 54 साल में किसान की कोई इस प्रकार की परमानेंट मदद नहीं निकाल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकते थे? क्या नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे कि 70 साल के बाद यह आएंगे तभी हमारा किसान सम्मानित होगा? यह किसान सम्मान निधि क्या है? मैं सोचता हूं कि मैं उस गांव में रहता हूं जिसमें जब बुवाई होती है बारिश होती है तो किसान बीज के लिए मक्की भी सेठ जी से जाकर मांग कर लाता है और यह वादा करके आता है कि जब पैदा होगी तब दोगुनी वापस दूंगा। उस देश में अगर किसान को छह हजार रुपये बिना किसी कटिंग के, जो आपकी अधिकृत लिस्ट है जो वैरीफाई लिस्ट है, उसको बिना पूछे ताछे हर 4 महीने में दो हजार रुपए उसके पास जा रहे हैं, संपूर्ण देश में 9 करोड़ लोगों को एक लाख 14 हजार करोड रुपये अब तक जा चुके हैं। अब इसकी भी आप आलोचना करोगे? मैं सोचता हूं कि अकेले राजस्थान में 64 लाख 40 हजार 687 किसानों को लाभ और 5965 करोड़ रुपये। राजस्थान के किसान को 5965 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के तहत।

एक माननीय सदस्य ने कहा पहली किश्त, दूसरी किश्त, तीसरी में इतनी बाकी है, भाई, अगर आप रिकार्ड ही पेश नहीं करोगे तो आपकी चौथी किश्त की पहली किश्त हो जाएगी, जिसकी पहली है उसकी पहली रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट है, अगर आप अपना रिकार्ड ही सब्मिट नहीं करते हो, ऑनलाइन पेमेंट है तो इसमें तो हमारी गलती है, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो कम से कम रिकार्ड तो सही बनाएं।

जिस नरेगा की आप पीठ थपथपा रहे हो नरेगा नरेगा, उससे आपका क्या लेना-देना? राम धर्म से बोलना, जवाब दे देना कि नरेगा में आपका कितना पैसा है? जिस पैसे के आधार पर आप बार-बार अपनी तारीफ के पुल बांधते जा रहे हो, यह नरेगा केंद्र सरकार की मनमोहन जी के समय, उस समय जो योजना प्रारम्भ हुई थी। उस योजना के तहत गरीब आदमी को रोजगार मिले, इसके लिए योजना बनाई और इस योजना में इस मद में आपको 5354 करोड़ रुपये मिले कि नहीं मिले, मिले? इस नरेगा की मजदूरी पहले 182 रुपये थी, आज 202 किया कि नहीं किया? 20 रुपये प्रति दिन के हिसाब से किसके लिए बढ़ाई? उस गरीब आदमी को मदद करने के लिए पहुंचाई लेकिन आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते, आप तो कमियां निकालने की कोशिश करो ताकि आपका डिबेट अच्छा बन जाए। हां, भाषण में तो आपको नम्बर मिल जाएंगे पर सच्चाई से बहुत दूर हट जाओगे, यह मैं सोचता हूं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उज्ज्वला योजना है, क्या इतने सालों तक 54 साल तक आपको ध्यान नहीं आया क्या कि गरीब की बहन और बेटी किस प्रकार से खाना बनाती है? मैंने भी अपने जीवन में बचपन में यह सब चीजें देखी थीं। आज कम से कम देश का प्रधान मंत्री किसी योजना के तहत आठ करोड़ मां-बहनों को मुफ्त गैस का कनेक्शन देता है। गुलाब चन्द कटारिया को पहला गैस का कनेक्शन 1977 में एम.एल.ए. कोटे में मिला, बाकी नूतन गैस से रोटी बनाता था। मैं आपको सही कह रहा हूं। (व्यवधान) भैया, बढ़ गया। कोई बात नहीं आपको मौका मिले तब कम कर देना। आपको तो कम से कम इतने सालों तक दिमाग में ही नहीं आया, उसने तो महंगा दिया, सस्ता दिया, दिया तो है और यह तो उससे पूछो, जिसे मिला वो बताएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। आपने देखा कि राजस्थान में आपने अभी अगस्त के महीने में केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मिल करके दो कालेजों का उद्घाटन किया कि नहीं किया, किया था न? और तीन सुपर स्पेशियलिटी, जिसमें मेरे उदयपुर का भी है। इसके तहत 828 करोड़ रुपए केंद्र से मिले कि नहीं मिले? राम धर्म से बता देना।

प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं सोचता हूं कि पहले भी यह कल्पना तो थी कि गरीब का आवास बनना चाहिए, उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इतने माननीय सदस्य बैठे हैं, आपके एरिया में जितने इंदिरा आवास बने हैं उनको आज जाकर के पेंसिल से रगड़ कर आ जाना, वे इंदिरा आवास आज की तारीख में खण्डहर आवास हैं। लेकिन इस देश के प्रधान मंत्री ने दिमाग लगाया कि गरीब आदमी चाहे उसके खेत में बनाना चाहे, चाहे पुराना घर तोड़कर बनाना चाहे, चाहे कैसे भी बनाए, मैं तो एक लाख 48 हजार रुपये उसके खाते में डाल दूंगा, उससे वह बनाए। क्या यह अच्छा नहीं था? उसके बारे में भी आप में से किसी बंदे का नहीं निकला। मैं उस आदिवासी एरिये में घूमता हूं जहां 250-300, जिसके बच्चे ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी इस पक्के मकान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारूंगा, उसमें मकान बने हैं लेकिन उसके बारे में भी नहीं। राजस्थान को लक्ष्य कितना दिया, 15 लाख 71 हजार 213 मकान बनाने का लक्ष्य दिया। उसके अगेंस्ट में जो स्वीकृति मिली वह 13 लाख 9 हजार 128 मकान को मिला और राजस्थान में

9 लाख 24 हजार 228 मकान पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और उसमें आपको 19 हजार 184 करोड़ रुपये, इसमें आपका कुछ पैसा हो तो बोल देना कि आपका कितना पैसे इसमें लगा हुआ है, वो भी बोलना तो कम से कम हिसाब से ही बन जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड। (व्यवधान)

इसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना है। यह इस दीनदयाल ज्योति योजना के कारण से, मैं उस ट्राइबल एरिया में घूमता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि उस पहाड़ के टापरे पर भी 8 खंभे खींच करके वहां तक लाइट पहुंची है, यह शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे घर में लाइट जलेगी और इसको पूरा करने के लिए 43 हजार 264 गांव में अपने राजस्थान में विद्युतीकरण हुआ है।

स्वच्छ भारत के तहत, जो हम शौचालय की कल्पना ही नहीं कर सकते कि कभी बन सकते हैं, वो एक दो नहीं, 72 लाख 17 हजार 288 शौचालय राजस्थान में बने हैं।

अब यह जो आपका डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन फंड है, मैं सोचता हूं इसमें से आपको जो पैसा मिला है वह या तो आप इसका कोविड में उपयोग करो और जो आपकी जिला लेवल पर कमेटी बनी हुई है, पहले वहां का जो जिला प्रमुख होता था तो वह चेयरमैन होता था, बाद में कभी एम.पी. हुआ, फिर अभी कोई कलेक्टर हुआ, अब और कोई जो आपका अधिकृत प्रभारी मिनिस्टर है वह है, कोई भी हो, कम से कम इसकी मीटिंग करके जो उस जिले की आमदनी है वह जिले के आवश्यक कामों के लिए खर्च करो तो सही।

फसल बीमा योजना, आप लोगों ने 54 साल तक राज किया लेकिन आपने कभी इस बारे में दिमाग नहीं लगाया कि यह किसान इस कारण से बरबाद हो रहा है कि आए दिन इसकी फसल कभी नष्ट होती है, कभी कुछ होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरू किया, प्रधान मंत्री जी ने इसमें चेंजेज किये और केवल डेढ़ पैसा और दो पैसा रबी और खरीफ में डाल करके आपको कवर करने का, 4 परसेंट राज्य सरकार मिलाती है 4 परसेंट केंद्र सरकार मिलाती है, वह किसान सुरक्षित हुआ और उसमें भी लोगों की थी कि नहीं, इसको अनिवार्य नहीं करो तो आपको यह भी कर दिया कि इसकी अनिवार्यता नहीं है, जो इसमें करना चाहे तो वह इसमें से कराए। आपको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सुनकर आश्चर्य होगा कि 2019 में रबी की फसल में राजस्थान के 41.78 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 40 लाख किसानों को 18 हजार 596 करोड़ रुपये रबी की फसल में मिले हैं और खरीफ की फसल में राजस्थान के 26 लाख किसानों को 46 हजार 431 करोड़ रुपये इस फसल योजना के तहत मिले।

इसी तरह से आयुष्मान भारत के बारे में हम आपको बार-बार आग्रह कर रहे थे, अब 30 तारीख को महात्मा गांधी जी का दिन है, बहुत अच्छी बात है, हम भी उनका स्वागत करते हैं लेकिन यह दो साल इंतजार क्यों किया? अगर आपने भामाशाह को बंद किया या स्लोडाउन किया या उसमें पैसा देना बंद किया तो कम से कम यह केंद्र की आयुष्मान योजना थी, इसका लाभ ले करके तो अपने यहां के गरीब आदमी को, जो उनकी सीमा में आता है, आपने कुछ सीमा बढ़ाई होगी, कुछ और लोगों को उस योजना के तहत जोड़कर एक करोड़ 10 लाख किया होगा, शायद पहले 59 लाख लोग ही हमारी सूची में कवर हो रहे थे, कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया। उसकी हम भी तारीफ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मन से देश के प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, 40 साल से मैं राजनीति में हूं लेकिन इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो किया, राजीव गांधी ने उदयपुर के गांधी ग्राउंड में भाषण दिया था, उसमें मैं उपस्थित था कि हम केंद्र से सौ रुपया भेजते हैं उस गरीब तक जाते-जाते 15 रुपये रह जाते हैं, 85 रुपये लोग बीच में कटिंग कर जाते हैं लेकिन इस देश के प्रधान मंत्री ने जब लाल किले से घोषणा की खाते खोलो, खाते खोलो, तब हमारे समझ में नहीं आया कि क्यों आग्रह करते हैं लेकिन यह 38 करोड़ खाते खुलाने के बाद अब उस गरीब का हर पैसा सीधा उसके खाते में जाता है, कोई कटिंग नहीं मार सकता है। इस भ्रष्टाचारी राक्षस को समाप्त करने का सबसे मजबूत पायदान कोई है तो ये जन धन खाते हैं। मंत्री जी, मैं आपदा राहत मंत्री रहा हूं, मैंने स्वयं ने आपदा राहत का इतना पैसा बांटा लेकिन जब जैसलमेर और बाड़मेर में जहां किसानों को पैसा, तो पैसा लेने वाला ही नहीं था आपका क्योंकि वो फर्जी खाते तैयार कर रखे थे। अब आपने ऑनलाइन किया तो वे फर्जी खाते सब निकल गये तो उसके कारण से एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हुआ।

इसी तरह से रेल प्रोजेक्ट में मिला है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आज उस बात पर आना चाहता हूं जिस किसान कानून के बारे में आपका इतना जबरदस्त विरोध है। मैं कृपा करके आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस किसान को मदद करने के लिए हम लोगों ने भी तो कुछ किया होगा?

(16.00 बजे)

मैं सोचता हूं कि भैरोंसिंह जी पहले थे जिन्होंने लगान माफ किया था। 1977 में जब एमएलए बनकर आया। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे ऊपर 14 कलम का जो टैक्स लगता था, धनिये, मिर्ची पर सरचार्ज लगता था। उसको उस आदमी ने खतम कर दिया। लेवी तुलती थी। हम तो जेल में थे। किसान की लेवी तुलती थी, उसको उस आदमी ने आकर खतम किया। हम लोगों ने कुछ काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया।

अब आप कह रहे हो, देश के प्रधान मंत्री ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया है? राम धर्म से बताओ। आपने 54 साल तक किया न? 54 साल में जो आपका लास्ट छूटा हुआ था धान का समर्थन मूल्य वह 1410 रुपये था। अभी जो उस धान का सपोर्ट प्राइस मिलता है वह 1868 रुपया मिलता है। गेहूं का 1525 पर आपने छोड़ा था, आज वह 1925 और अभी तो रबी की और आएगी, उसमें और बढ़ेगा। मूंगफली आप 4030 में खरीदते थे, आज की तारीख में 5225 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है। सोयाबीन 2600 रुपये में मिलती थी, आज 3880 रुपये में मिलती है। चना जो आपका 3500 रुपये था, आज 4875 रुपये मिलता है। इसका मतलब देश के प्रधान मंत्री ने इस किसान को बढ़ाने का काम किया है।

अब आपकी जो स्थिति है, वह थोड़ी-सी मैं बताता हूं। आप कर्जे में तेजी से आगे जा रहे हैं। इस कर्जे की स्थिति को संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। पहली तिमाही में आपका 18 हजार का एक तरह से घाटा था, 6 महीने के अंदर आपका 33 हजार हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं बता दूं ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह क्या कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या है ...(व्यवधान) हम बोलेंगे तब आप बोलने नहीं दोगे? हम डिस्टर्ब करेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। गलत है। आप क्यों

करोगे? आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? मेरा काम है। मेरा काम भी आप करोगे ...(व्यवधान) हां, आप बुलाओ। रोको इनको, रोको। रोको आप इनको ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप इजाजत दे दो। कानून का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सदस्य होकर के अपने हाथ में लेते हैं। गोविन्द जी, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। मैं बार-बार कह रहा हूं। आप सीनियर हैं। सभी सीनियर हैं। मदन जी और राठौड़ साहब, आपको जरूरत नहीं है मेरे को सपोर्ट करने की। मैं सक्षम हूं। मैं सक्षम हूं। आप अपनी भावनाओं को, नेतृत्व की क्षमताओं को रोको। इससे नेतृत्व की क्षमता प्रदर्शित नहीं होती है। जब आपका लीडर खुद काम्पिटेंट है तो आपकी जरूरत कहां पड़ रही है। आपकी आवश्यकता ही नहीं है मदन जी। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको यह कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन समय के हिसाब से वाइंडअप करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): चलो, मैं बाकी चीजें, जिस किसान को लेकर के आंदोलन आप सब लोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा-सा आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि यह कानून एक दिन में नहीं बना है। इस सच्चाई को आप भी जानते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो।

मैं सोचता हूं कि 2004 में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधान मंत्री थे। यह जो स्वामीनाथन आयोग बना, वह आपकी सरकार में बना। उसने 2006 में रिपोर्ट दे दी थी। उस रिपोर्ट में कई रिकमंडेशंस थीं। मैं 3 विशेष का उल्लेख करता हूं, जो इस कानून से संबंधित हैं। अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि मंडियों के उपलब्ध अधो संरचना के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज लिया जाना चाहिए। यह उसकी रिकमंडेशन थी। फिर इसकी दूसरी रिकमंडेशन थी कि एक राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए, जो कि अभी इस कानून में है। स्वामीनाथन आयोग की है। आपने और मैंने भाषण दिए। वर्षों से इस बुक में लिखा होगा। चाहे आप खड़े हुए, चाहे मैं खड़ा हुआ। स्वामीनाथन आयोग लागू करो, यह करो। उसके बारे में कहा। फिर इनकी तीसरी थी कि संविदा खेती के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माध्यम से मार्केट लिंकेज स्थापित किए जाने चाहिए।

उसके बाद आपने देखा होगा कि शरद जोशी, जो कि उस समय किसानों के सबसे बड़े शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रहे, किसानों के हित के लिए लड़ते रहे। उस आदमी ने भी, शरद जोशी जी ने ईसी एक्ट और एपीएमसी एक्ट खतम कर देना चाहिए, यह उसकी रिकमंडेशन हैं। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने 9 अप्रैल, 2005 दिल्ली में जो कृषि मीट हुई थी, उसमें उनका भाषण है। कृषि उत्पादों के लिए पूरे देश को एक कामन तथा सिंगल मार्केट बनाना, एक राष्ट्र एक मार्केट की बात जो इस बिल में है, उसे मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में उद्धृत किया था। उसी को इसमें समाहित किया है, लेकिन आप उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हैं।

2007 में जो यूपीए बनी थी, उस समय पर भी आप संविदा खेती के पक्षपाती रहे। कई राज्यों को आपने पत्र लिखकर के, शरद पवार जी ने पत्र लिखकर के संविदा खेती के लिए कई राज्यों को कहा। यह महाराष्ट्र में 2006 में कानून इसी में बना। हरियाणा में 2004 में बना। इसी तरह से 19 राज्यों में बना। यह जो आपका पंजाब है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, इनमें संविदा के तहत आज भी खेती होती है कि नहीं होती है? मुझे जब आप जवाब दें तब दे देना।

पंजाब विधान सभा के 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में इसको माना। 2019 में आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 पर क्रमांक 11 में और क्रमांक 21 में यही रिकमंडेशन है या नहीं है? है। मैं आपके घोषणा-पत्र से लाया हूं। मेरे घर से नहीं बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं। इसके बाद आपने देखा कि 2015, जून 2019 में यह पांचवीं गवर्निंग कौंसिल जो हुई थी नीति आयोग की, उसमें इन लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसमें से मुख्य मंत्री महाराष्ट्र, कुमार स्वामी कर्नाटक, मुख्य मंत्री हरियाणा, मुख्य मंत्री अरुणाचल, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ, कृषि मंत्री और सदस्य नीति आयोग थे। बाद में इसमें संशोधन करके कर्नाटक के मुख्य मंत्री के स्थान पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी मुख्य मंत्री, पंजाब और मुख्य मंत्री, उड़ीसा को भी शामिल किया गया। उन सबके दस्तखत इस रिपोर्ट पर अंकित हैं। अगर कोई चाहे तो उस रिकार्ड को देख सकता है कि वास्तव में अंकित है कि नहीं है।

मैं सोचता हूं कि और भी, लेकिन एक विषय जो मैं विशेष रूप से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं। पता नहीं अगली बार हम आएंगे कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं आएंगे, कह नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत दु:खी मन से कहना चाहता हूं कि इस सदन में जिस तरह से गिरावट आ रही है, उसके बारे में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हम सबको इस पर बहुत संतोष से विचार करना चाहिए। यह जनता हमको और आपको, उसके हित की रक्षा के लिए भेजती है। अगर आप सरकार चलाते हो तो खजाने की चाबी मुनीम के रूप में आपको देते हैं कि ठीक ढंग से हिसाब रखना। हम लोगों का काम है कि अगर उसमें कोई कमी, खामी हो तो उसको निकालना। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने आपको और मुझे भेजा है, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि कोई आता है ओर कोई नहीं आता है। साल में 30 दिन तो कुल ही चलता है। कोई 2 घंटे आता है। उन 30 दिन में से भी हमारी उपस्थिति कोई अंकित करे तो आपको और मुझे दु:ख नहीं होगा? जिस जनता ने आपको इसी काम के लिए भेजा है, उस जनता के प्रति आप न्याय करो।

मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए, आपका भी इस सदन में बैठने का जो क्रम है और क्रमांक है वह आप बढ़ाओ। आपके बैठने से सदन की गरिमा भी बढ़ती है और डिबेट का भी कुछ मानस बनता है। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा जरूरी काम एक लोकतंत्र के प्रहरी के लिए नहीं हो सकता है, जिसको सदन के बारे में चिंता करनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि आपकी उपस्थिति मात्र से हर विषय ठीक प्रकार से ठीक स्थान पर जाएगा। मुझे बहुत दु:ख है कि पिछले इतने समय से यह जो गैलेरी में बैठते हैं, आज आप बोलोगे इसलिए सुनने आए हैं। हम बोलते हैं तो एक भी आदमी नहीं रहता। इन दीवारों को सुनाते हैं या कुर्सी को सुनाते हैं। क्या दशा है? मैं सोचता हूं कि अगर यह परिपाटी डाली तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। कौन किस दल से आता है वह अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम जिस जनता ने आपको और मुझे उसकी हिफाजत के लिए भेजा है और जिसने इतने मन से अपने खजाने की चाबी आपको दी है, उसकी देखभाल ठीक प्रकार से हो।

यह आपके जितने भी अधिकारी हैं, अभी तो समय नहीं है, बाकी तो कुछ काम करना ही नहीं चाहते। क्या काम करें, आउटपुट क्या है? कौन इसको देखता है? साल में कोई इनका विश्लेषण करता है कि सैक्रेटरी रहने के बाद इतने कागज और इतनी पैंडिंग फाइलें पड़ी हुई हैं। कौन देखता है? कोई नहीं देखता। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में सीरियसली विचार करना चाहिए।

राजस्थान की 7 करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी हिफाजत के लिए, हमारी बहबूदी के लिए, हमारे विकास के लिए हैं। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने खुलकर के अपने विचार रखे, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह कहना चाहूंगा कि जो भी आपने विचार प्रकट किए हैं, मैं नियमित रूप से उनको, चाहे मैं सदन में नहीं भी था, राहुल गांधी जी आ गए थे, मैं 2 दिन चला गया और वैसे भी मैं अगर सदन में रहूं या नहीं रहूं पूरी रिपोर्ट, कौन, क्या बोला, मेरे जेहन के अंदर है। मैं खुद पढ़ता हूं और प्रयास करते हैं। अभी माननीय नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे कि जनता जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनाती है उनके अनुरूप हम खरे उतरें, यह हमारा दायित्व है। यह भी मैं उनसे सहमत हूं कि एक-एक पैसा जो जमा होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे केन्द्र हो, चाहे राज्य हो, हमारी जिम्मेदारी है कि वह उचित प्रकार से खर्च हो। इसलिए शायद आपको मालूम होगा कि मैंने बहुत पहले, 20 साल पहले कहा था कि हम लोग

(श्री अशोक गहलोत)

जनता के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी हैं तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी क्या-क्या ड्यूटी है। अब कोई कम और कोई ज्यादा निभाता, यह बात अलग है, पर आज हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जीत कर आते हैं तो एक प्रकार से घर परिवार के अलावा पब्लिक प्रोपर्टी के रूप में होते हैं। पब्लिक का अधिकार सबसे पहले होता है और मैं विश्वास दिलाऊंगा नेता, प्रतिपक्ष को कि उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। हम कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार पक्ष-विपक्ष ने मिलकर कोरोना काल के अंदर प्रयास किया, मैनेजमेंट करने का, बीच-बीच में जैसा आपने अभी बताया कि कुछ कमी रही होगी, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा लेकिन वह इक्की-दुक्की जगह हुई होगी। ऐसा कोई सरकार का प्लान नहीं था कि विपक्ष के एमएलएज के नाम पर कोई सामग्री बांटी जा रही हो एमएलए फंड से तो उस पर नाम आए, फोटो आए या नहीं आए, यह ऐसा कोई आदेश नहीं था। जिला स्तर पर मैं समझता हूं इस प्रकार की व्यवस्था हुई होगी। जहां तक मुझे याद आता है उस वक्त चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी वही काम किया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, फोटो, नाम सहित किट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था। सही बात है, गुड, तो इसलिए आपकी बात जो है यहां खारिज हो जाती है, आपके खुद के उपनेता, उन्होंने अगर यह काम किया तो हमारे में से भी कुछ साथियों ने ऐसा काम किया होगा, सरकार की तरफ से आदेश नहीं थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति, स्वस्थ आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अगर आप उसको निभाते तो मुझे खुशी है, निभाना भी चाहिए पर दुर्भाग्य से आज देश में माहौल दूसरा है। आज तो जूडिशियरी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जिनका आपने जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जब चुनाव हुए वहां पर राज्य सभा के गुजरात के अंदर तो दो सीटें थीं, राज्य सभा चुनाव में हम 70 सालों से देखते हैं, एक सीट कांग्रेस जीतती और एक सीट बीजेपी जीतती। कभी ऐसा हुआ 70 साल में जिसका जिक्र आप बार-बार कर रहे थे, अलग-अलग डेट डिक्लेयर की गई जिससे दोनों सीटें बीजेपी जीत जाए। यह आपकी सोच जो है एनडीए की, प्रधान मंत्रीजी की और अमित शाहजी की यह सोच है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कभी हुआ है आज तक? इलेक्शन कमीशन ने दो सीटों पर अलग-अलग तरीके से चुनाव

(श्री अशोक गहलोत)

कराया। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी थी कर्नाटक के बाद में, मालूम था कि सरकार गिर रही है और कोरोना आ चुका था मार्च के अंदर, फरवरी में ही आने की दस्तक दे दी थी, कोई लॉकडाउन नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन क्यों किया प्रधान मंत्रीजी ने, हमने पहले किया, इक्की-दुक्की बातें कभी निकल जाती होगी कभी, और क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर किया भी था पर प्रधान मंत्रीजी ने लॉकडाउन किया, उसको लेकर हमने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। जिस प्रकार से दो दिन बाकी थे राज्य सभा चुनाव के अंदर, क्योंकि होर्सट्रेडिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गुजरात के चुनाव चल रहे थे, राजस्थान के चुनाव चल रहे थे। अचानक ही इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया पर दबाव पड़ा और दो दिन पहले यह कहकर कि कोरोना का भयंकर संकट आ गया है इसलिए हम लोग चुनाव पोस्टपोन करते हैं। बताइए आप। आप राजस्थान इलेक्शन कमीशन की बात करते थे, उसको माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने Clear कर दिया। हमने नहीं कहा, हमें इस बात का दु:ख है यह जो सिस्टम इस बार हुआ, उसको किसी ने पसन्द नहीं किया, हम जानते हैं कि आपकी भावना क्या है? पर यह इलेक्शन कमीशन का काम है, जिस तरह के दबाव में उन्होंने पोस्टपोन कर दिए इलेक्शन दो दिन पहले। एक दिन पहले तो शिवराज सिंहजी महाराज साहब का प्रोसेशन निकलता है, जुलूस निकलता है मुख्य मंत्री बनने पर, तब कोराना नहीं था, फिर एक दिन में कोराना आ गया?

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बार-बार हमें सुनना पड़ता है नेता प्रतिपक्ष महोदय से कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो माननीय इसमें तो आपका और मेरा दोष नहीं है। मेरे ख्याल से आप भी आजादी के आस पास ही पैदा हुए होंगे, मैं भी आजादी के बाद पैदा हुआ हूं, मोदीजी भी आजादी के बाद पैदा हुए हैं। अगर आजादी के पहले के नेताओं ने सैक्रिफाइस किए, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अगर मान लीजिए उस वक्त में जंग लड़ी गई और उसके बाद में पचास-साठ साल तक एकछत्र राज रहा कांग्रेस का, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए 1971 में, 90 हजार सैनिकों को सरेण्डर करवा दिया, जनरल, कर्नल, मेजर सब उसके अंदर थे। शहादत दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, शहादत दे दी, पीछे नहीं हटीं। राजीव गांधी शहीद हुए। अब अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई है तो विचारधारा के आधार पर तो

आई नहीं है। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, बचपन से सुनता था, गौमाता का नाम लेकर आप आंदोलन करते थे, आपको तो याद होगा, आप तो टीचर से आए हो उठकर के,...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब भी लेते हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हम भी लेते हैं, आपने कुछ नहीं किया। आप नाम लेते हो, हम काम करते हैं। आप नाम लेते हो, हम काम करते हैं। आप नाम लेते हो गौमाता का राजनीति करने के लिए। हमने गौमाता को गौमाता समझा और पहली बार मैंने गौशालाओं को अनुदान देना प्रारम्भ किया है। पहली बार हमने निदेशालय बनाया है गायों के लिए, आपने नहीं बनाया। आपकी सरकार तो 1978 में आ गई थी, आपकी सरकार 1991 में आ गई थी, 1993 में आ गई थी, आपकी सरकार 2004 में आ गई थी, बनाया आपने? यह हमारी सोच थी क्योंकि हम राजनीति नहीं करते हैं। हम जो भावना है हिन्दुओं की उसका मान सम्मान हमने किया। इस प्रकार से कहने और करने में अंतर है। अब बताइए चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, आपके बहुत बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, दीनदयाल उपाध्याय का तो फ्रीडम मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं था, न जनसंघ न बीजेपी, पर दु:ख इस बात का होता है, फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि वास्ता आपका नहीं है, किसके नाम से स्कीम लाएं, बताइए आप? किसके नाम से लाएंगे? हम लाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? लाकर क्या करते हैं, अगर इंदिरा गांधी नाम लिखा तो आने वाली पीढ़ियों को लगेगा कि इंदिरा गांधी वह नेता थी, जिसने हरित क्रांति की, गरीबी हटाओ की बात की, 20 पाइंट प्रोग्राम दिया एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा मिलेगी। राजीव गांधी, आज महिलाओं को आरक्षण, एससी, एसटी को आरक्षण, गांव का सरपंच बन सकता है वह आपसे पूछना चाहता हूं। आप तो गांव के आदमी हो, आज गांव में पंच बनते हैं, सरपंच बनते हैं, मेयर बनते हैं, महिलाएं बनती हैं, ...(व्यवधान) महिलाएं बनती हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बाकी नेताओं ने कुछ नहीं किया?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): श्रीमान्, आप सुनने का माद्दा रखो,

(श्री अशोक गहलोत)

आप इतनी जल्दी क्यों घबरा गए, अभी तो मैंने शुरू किया है। 73वां और 74वां अमेंडमेंट, क्रांतिकारी काम हुआ, एंटी डिफेक्शन बिल लाए तो राजीव गांधी लाए, दलबदल खतम करने के लिए, उनकी मंशा साफ थी। आईटी का, आज मोबाइल फोन सबके हाथ में है, कम्प्यूटर है, सुपर कम्प्यूटर है, भामाशाह सेन्टर, आपकी सरकार के वक्त में, वसुन्धराजी के वक्त में जो प्रोजेक्ट बनाया, वह बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। पता नहीं आप लोग उसके बारे में क्या कमेंट करोगे, मुझे पता नहीं, पर वास्तव में शानदार काम किया। आप सोच सकते हैं, बहुत एडवांस थे वे। यह किसकी बदौलत है? यह सैम पित्रोदा, राजीव गांधी की सोच का परिणाम है जो देश को इतनी बड़ी आईटी की सौगात मिली। दुनिया मुट्ठी में हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, आज यू-ट्यूब है, दुनिया देख सकती है कि असैम्बली में कौन क्या बोल रहा है। यह कोई कम बात है क्या? आप कान्ट्रीब्यूशन कैसे भूल सकते हो? पण्डित जवाहर लाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे, कभी ढाई साल, कभी तीन साल, कभी चार साल। सावरकर तो माफी मांगने 6 बार आये थे, पर आपके लिए वे आदर्श हैं। इतना ही फर्क है।

मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधान मंत्री जी की आपने बहुत तारीफ की, तारीफ करनी भी चाहिए आपको, पता नहीं वे कल क्या फैसला कर दें। पता ही नहीं पड़ता उनका, पर मैं कहना चाहूंगा आपको, प्रधान मंत्री जी ने पूरे 6 साल में क्या पण्डित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया? इन्दिरा गांधी जी के योगदान को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये, राजीव गांधी की शहादत का कोई जिक्र किया? भूल से भी, भूल से भी, कई बार भूल से भी हो जाती है पर वे इतने कान्शियस हैं, भूल से भी इन्दिरा गांधी का, राजीव गांधी का नाम नहीं आना चाहिए। भूल से भी पण्डित जवाहर लाल नेहरू का नाम नहीं आना चाहिए और पण्डित जवाहर लाल नेहरू के बारे में, यह तो मोतीलाल नेहरू के खानदान का बेटा, अमीर बाप का बेटा, सब कुछ छोड़कर...। आनन्द भवन देखा आपने, नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा कभी जाकर के, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गर्व होगा आपको, उस जमाने में मोतीलाल नेहरू ने दे दिया गांधी जी को और देश को समर्पित कर दिया था। उन जवाहर लाल नेहरू के बारे में आपकी पार्टी, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले क्या-क्या कमेंट करते हैं, क्या-क्या कमेंट करते हैं, मैं इस सदन को अपने मुंह से बता

(श्री अशोक गहलोत)

नहीं सकता। आप बताइए, क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रथम प्रधान मंत्री, दूरदृष्टा देश के, कितने बड़े-बड़े कल-कारखाने, बड़े-बड़े बांध बनाये उन्होंने, आईआईटी, एम्स, आईआईएम्स, सीएसआईआर, जितनी भी संस्थाएं बनीं साइंटिफिक, उनकी देन थीं। क्या उनके बारे में दो अच्छे शब्द नहीं बोल सकते?

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कद बढ़ता कि ये स्टेट्समैन हैं। क्या दुर्भाग्य है देश का? आप इस लेवल पर जाकर राजनीति कर रहे हैं देश में? हिन्दू धर्म के नाम पर सत्ता में आना बड़ा आसान काम है। हिन्दुत्व के नाम पर आ जाओ, जो कोई असहमति व्यक्त करे, आप देशद्रोही हो। पत्रकारों को जेल हो रही है, एक्टिविस्ट्स को जेल हो रही है। क्या हो रहा है देश के अन्दर? डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है? आपने ठीक कहा, आने वाली पीढ़ी के बारे में हमें सोचना चाहिए। यह बात सोचनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी, इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालात बड़े गम्भीर हैं देश के। बहुत गम्भीर हैं। कोई माने या नहीं माने, आज मन में यह सब मानते हैं, विपक्ष भी मानता है और सत्ता पक्ष भी मानता है। टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते, फेसटाइम पर बात करो, व्हाट्सएप पर आ जाओ, बंद करो फोन को। जिस मुल्क में आम लोगों के दिमाग में ये बातें आ जाएं, भय पैदा हो जाए, वहां डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं हम लोग? क्या होगा देश का? चिंता आप जैसे व्यक्ति को भी करनी चाहिए। आप आरएसएस के हैं, कुछ भी एजेण्डा आपका है, पर आप जब बात बोलते हैं तो लगता है कि यह आदमी दिल से बोलता है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, जैसे ही कोई कैमरा वाला सामने आ गया, आपा खो देते हैं आप, पता नहीं क्या बोलते हैं आप, आपको खुद को नहीं मालूम पड़ता। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके परिवार के लोग भी कहते हैं। कृपा करके बाइट देते वक्त भी शांति, संयम रखें जिससे कि विवेक काम करे, विवेक काम करे। खाली आरएसएस की विचारधारा पर काम नहीं करें, वह देश हित में नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये, सबका जवाब देना तो मेरे लिए सम्भव नहीं होगा, पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि

(श्री अशोक गहलोत)

जो बिजली के बारे में कहा गया। किसानों के बारे में कहा गया, डीजल-पैट्रोल के बारे में कहा गया, एक तरफ तो आर्थिक स्थिति जो कोविड में बिगड़ी है और कोविड के अन्दर जो प्रबंधन हुआ है, मैं उस पर आना चाहूंगा। आपने कह दिया, कमेंट कर दिया और मैंने शुरू से ही विपक्ष के साथियों को, धर्म गुरुओं को, एक्टिविस्ट्स को, एनजीओज को साथ में लिया और आखिरी तक मैं उस पर कायम रहा। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी आलोचना नहीं की विपक्ष की कि वे हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु फिर भी कभी-कभी ध्वनि निकलती है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो अभी बाहर चले गये हैं, ये कहते हैं कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत तो ग्लास के पीछे बैठकर कोविड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, यह हमें सुनना पड़ता था। फिर भी हमने कभी कमेंट नहीं किया, हमने कहा कि नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के साथ भी वीसी हुई हो, जाकर बैठकर हमने बात की, फोर्मल-इनफोर्मल, हम सब लोगों ने मिलकर कोविड का मुकाबला किया। क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए पूरे प्रदेशवासियों को जिस प्रकार से मिलकर इसका मुकाबला किया? हमने कहा, एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। आप सबके सहयोग से, पक्ष-विपक्ष, एनजीओ, आम जनता ने वही धर्म निभाया। वह धर्म निभाना चाहिए था। आज उसके कारण पूरे देश में वाहवाही हुई।

कोरोना का भीलवाड़ा का मॉडल, रामगंज का मॉडल पूरी दुनिया में गया। इसी प्रकार से मैंने कहा, "नो एन्ट्री विदाउट मास्क", यूके के अन्दर, लंदन के अन्दर हास्पिटलों में वही कोटेशन लिखा गया। डब्ल्यूएचओ तारीफ करता है। नीति आयोग के डा. पॉल हैं, वे तारीफ करते हैं यहां आकर। डब्ल्यूएचओ कहता है, वैक्सीन के अन्दर भी राजस्थान सबसे आगे है, तमाम पैरामीटर्स पूरे कर रहा है। मृत्यु दर हमारे यहां कम रही, इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने आप सब के सहयोग से बढ़ा दिया। 2-2 करोड़ रुपये हमने एमएलए फण्ड से भी लिये। आपके खुद के क्षेत्र में आपकी चॉइस थी सीएचसी बनेगी मॉडल के रूप में। इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो मेडिकल का, इस पर हमारा पूरा फोकस है।

मुझे दु:ख इस बात का है कि हमारे पाली से आने वाले साथी हैं, जो हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं इसके अन्दर और जिनकी रुचि भी है कि किस प्रकार से मैं गरीबों की मदद करूं मेडिकल के अन्दर, जब सरकार की

(श्री अशोक गहलोत)

नीति वही है, किस प्रकार से मदद हो, उसके बाद में उनके सम्बोधन में जो कमेंट आये हैं, वे मुझे थोड़ी तकलीफ देने वाले थे। जिस प्रकार से हमने व्यवस्था की है, आज उसका लोहा सब मानते हैं, परंतु जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं, जिस प्रकार से कोविड और उसके प्रबंधन को लेकर मैं समझता हूं कि राजस्थान में तो एक प्रकार से एक इतिहास बन गया। आज कोरोना मुक्त झुंझुनूं हो गया हनुमानगढ़ हो गया, चूरू जिले कोरोना मुक्त हो गया है। जीरो से शुरू करके 70 हजार टैस्ट तक हमारी कैपेसिटी हो गयी है और 2781 लोग जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, हमारे विधायक कैलाश त्रिवेदी जी और किरण माहेश्वरी जी चली गयीं। मुझे इसका दु:ख है, पर जहां तक व्यवस्था की बात थी, मैं समझता हूं कि जब दुनिया तारीफ कर रही है, साइंटिस्ट्स तारीफ कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ तारीफ कर रहा है, डा. वी.के. पॉल तारीफ कर रहे हैं और हम भी विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं कि सबने साथ दिया हमारा, तब भी आप हम से शिकायत करेंगे, यह हमारी समझ के परे है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमा के ऊपर बहुत बात की जा रही है कि हमने समाप्त कर दिया।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने क्या बुराई की आपकी, मैंने तो तारीफ की व्यवस्था की। आप बताएं तो सही, क्या बुराई की?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कोई बात नहीं। आपको अलग से बता दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आयुष्मान भारत, मैं चाहूंगा माननीय सदस्य इस बात को जरा ध्यान से सुनें, क्योंकि यह ऐसी योजना है जो आने वाले वक्त में गरीब तक पहुंचेगी तो इसका लाभ मिलेगा। कई बार गरीब तक बात पहुंचती नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यहां पर भामाशाह योजना थी जो कि एनएफएसए के जो बैनिफिशियरी हैं, उन तक ही मिलती थी। हमने कुछ नहीं किया, उसको बढ़ाकर जो सरकार का सैन्सस है- सोशियो इकोनोमिक एण्ड कास्ट सैन्सस, जिसके अंतर्गत केवल 59 लाख 71 हजार परिवारों को लाभ मिलता है। हमने सिर्फ यह किया कि उसको और एनएफएसए (NFSA) को, जो यहां पर योजना चल रही थी, दोनों को मिलाकर हमने लागू किया है इसको। उसकी संख्या बढ़ गई है।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रीमियम होता है बीमा कम्पनी का उस पर भी भारत सरकार कैप लगा देती है कि उससे ज्यादा हम प्रीमियम नहीं देंगे तो आप सोचियेगा कि 1052 रुपये प्रति परिवार के 60 परसेंट भुगतान केन्द्र सरकार करती थी। जब इसके 1800 रुपये हो गये हैं तो कहां तो 1052 और कहां 1800 रुपये और कैप उनका अलग लगा हुआ है तो इस प्रकार से जब संख्या बढ़ गई है तो हमने उसकी परवाह नहीं की और हमने उस संख्या को मिलाते हुए एक करोड़ दस लाख परिवारों को मंजूर किया 3 लाख 30 हजार के बजाय 5 लाख रुपये। 5 लाख का बीमा हुआ है। उससे बड़ी बात यह है कि अभी आपने आशंका व्यक्त की कि आपने बीमा बन्द कर दिया और लोग मारे गये, यह आपको गलतफहमी है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार के कदम उठाये कि आप जवाब क्या दो। 1 सितम्बर, 2019 से 29 जनवरी, 2021 तक जब तक यह हमारी योजना लागू नहीं हुई तब तक 10 लाख 13 हजार 837 पेशेंट का इलाज हुआ है जिसमें 935 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आपने कह दिया कि वह योजना बन्द हो गई, बन्द कुछ नहीं हुई थी, इसको हमने नया प्रोसेस करके दिया जिससे कोई आदमी तकलीफ नहीं पाये। (व्यवधान) आप बैठ जाएं, बीच में नहीं। प्लीज।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, नो-नो। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हमने अगर मान लीजिये 40 हजार का इंजेक्शन फ्री दिया, सीटी स्कैन फ्री की लोगों की, रेमडेसिविर फ्री दी 1 लाख 97 हजार 247 लोगों के इंजेक्शन लगे हैं, यह कोई मामूली बात नहीं थी।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैंने तो तारीफ ही की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तारीफ की है तो आप सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 45 करोड़ रुपये खर्च हुए। माननीय कटारिया जी का कहना कि मैंने कोविड प्रबन्धन किया वह ग्लास के पीछे बैठकर किया। मैंने आपसे बात भी ग्लास के पीछे बैठकर की थी जब आप मेरे निवास पर आये थे? तब मैंने पीछे बैठकर बात की थी? जब मैंने वीडियो कान्फ्रेंस की, आठ महीने हम लोग घरों में बन्द रहे तो आप में से काफी लोगों के सामने खड़ा होकर बोल सकता हूं। किसको कोरोना कब लग जाए पता नहीं तो क्या प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री का कर्तव्य नहीं है कि खुद की भलाई की

(श्री अशोक गहलोत)

साथ में पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए वह अपने आपको सेफ रखे? उसमें आपको तकलीफ इस बात की हुई कि मैं कांच के पीछे बैठकर प्रबन्धन कर रहा हूं। आपको किस बात की तकलीफ हो रही थी, यह समझ के परे है। बाकी मैं जितना कहूं उतना कम है कि किस प्रकार से फ्री मेडिसिन की स्कीम शानदार चल रही है, छोटी-मोटी कमी तो होती रहती है यह अलग बात है। टैस्ट फ्री हो रहे हैं, जांचें फ्री हो रही हैं आपके सीएचसी, पीएचसी, सब सैंटर तक। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया कि किस प्रकार हम लोग सिक्योर करें। हम तो चाहते हैं कि राइट टू हैल्थ बिल आपके सामने लेकर आएं प्रदेश के अन्दर और राजस्थान का कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, प्रिवेंशन आफ मेडिसन कैसे हो। नीरोगी राजस्थान का नारा हम लोगों ने दिया था उसमें हम आगे बढ़ना चाहेंगे, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल-डीजल की बात बहुत होती है। यहां पर यह कहा गया कि रेट काफी ज्यादा है। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि रेट ज्यादा है इसका सबसे दोष जाता है केन्द्र सरकार को। केन्द्र सरकार को राज्यों को जो इमदाद देनी चाहिए थी, यह कौन कहता है कि हमें इमदाद दी और हम लोग कोई बात ही नहीं करते हैं पर इमदाद दी तो कोई एहसान किया क्या? संविधान के अन्दर लिखा हुआ है, फाइनेंस कमीशन रिकमंडेशन देगा, सरकार किसी की भी हो, आपको हर राज्य को उतना पैसा देना पड़ेगा, उस परसेंटेज के अन्दर पैसा हमें मिलता है। पर जो उन्होंने गलत काम किये, गलत फैसले किये हैं, तमाम स्कीमें जो 90:10, 80:20, 70:30 थीं, सबको 50:50 कर दिया। जीएसटी का लिखित में समझौता किया हुआ है पर उस पैसे में 10 हजार करोड़ रुपये काट लिये। मुझे आप बताइये क्योंकि राज्य सरकारों के पास तो कोई साधन नहीं होते हैं, पैसा इकट्ठा करने का विकल्प नहीं होता है जबकि केन्द्र के पास तो सब कुछ होता है। जहां तक डीजल के दाम की बात की जाती है तो आप बताइये कि जो बीजेपी राज्य हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, मणिपुर है, वहां पर रेट क्या है? अगर आप खाली हरियाणा की तुलना करेंगे तो यह कोई नई बात नहीं है, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे हमारी रही हो, हमेशा हरियाणा के अन्दर, पंजाब में और राजस्थान में फर्क रहता है। मध्य प्रदेश भी हमारे बोर्डर पर है पर वहां हमसे ज्यादा रेट हैं तो आप सोच सकते हैं कि यह स्थिति क्यों बनती आ रही है। अभी हमने दो

(श्री अशोक गहलोत)

परसेंट कम किया तो एक हजार करोड़ का उसमें राजस्व कम आयेगा, ठीक है पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मेरा कर्तव्य कहता है कि मैं आपको समझाऊं जिससे कि आपकी एक गलतफहमी दूर भी हो कि केन्द्र किस प्रकार से फैसले कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी होती है केन्द्र की। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 135-140 डालर प्रति बैरल दाम हो गये थे पर मनमोहन सिंह जी सरकार के वक्त देश में 70-75 रुपये से कम रेट रही। आज 90 रुपये, 100 रुपये क्यों पहुंच रही है जबकि दाम 40 डालर प्रति बैरल हो गये? कहां 140 से 40 डालर पर अन्तरराष्ट्रीय कीमतें आ गईं और रेट बढ़ती क्यों जा रही है? मैं बताऊं, क्यों बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती इसलिए जा रही हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जो 9 रुपये 48 पैसे थी 2016 के अन्दर, वह इस सरकार ने 1 रुपये 40 पैसे कर दी है जिसमें सभी राज्यों को हिस्सा मिलता है और वह कम कर दी। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो 6 रुपये थी उसको बढ़ाकर 11 रुपये कर दिये, इसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये थी वह 18 रुपये कर दी। जो हिस्सा नहीं मिलता वह बढ़ाते जा रहे हैं और जो हिस्सा मिलता है उसको कम करते जा रहे हैं तो राज्यों को पैसा कम मिल रहा है और राज्यों को मजबूरी में टैक्स बढ़ाना पड़ता है भरपाई करने के लिए। यह हमारी मजबूरी है। डीजल के अन्दर भी यही हुआ। 11 रुपये 33 पैसे थे एक्साइज ड्यूटी के जिसमें से राज्यों को हिस्सा मिलता था, उसको 1 रुपये 80 पैसे पर लेकर आ गये। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जिसमें हिस्सा नहीं मिलता है वह 1 रुपये से 8 रुपये पर लेकर आ गये। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये से 18 रुपये पर लेकर आ गये। अब आप बताइये कि केन्द्र सरकार के खजाने भरते जा रहे हैं, उनके पास विकल्प भी है, आरबीआई उनके पास में है, नोट छापने की मशीन उनके पास में है और वह बढ़ाते जा रहे हैं।

अभी उन्होंने इस बजट के अन्दर एक नया सैस लगा दिया एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट सैस। उसमें सैस लगाया और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी मामूली कम कर दी बताने के लिए तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें गहराई में जाना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, क्यों लगाया जा रहा है, हमने सब असैसमेंट कर लिये जिस प्रकार से आपका पैसा लगा है। जो डीजल सस्ता मिलता है हरियाणा में यह सरकार की जानकारी में है पर उसके बावजूद भी हम इसलिए कम नहीं कर पा रहे हैं कि कम करेंगे तो पूरा रेवेन्यू

(श्री अशोक गहलोत)

हमारा कम हो जाएगा और कोविड के अन्दर वैसे भी हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई थी, तब भी हमने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए, पब्लिक की भावना को देखते हुए दो परसेंट कम करने की कोशिश की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की कर्जा माफी को लेकर सुनना पड़ता है कि वादाखिलाफी कर दी। वादाखिलाफी की हमने? हमने पूरा वादा निभाया। जो हमारे राज्य की खुद की बैंक थीं, सीसी बैंक हो चाहे भूमि विकास बैंक हो, सबके हमने पूरे कर्जे माफ किये और नेशनलाइज बैंक के लिए हमने शुरू से ही प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखे, वित्त मंत्री को पत्र लिखे कि आरबीआई के कंट्रोल में हैं बैंक तो आप इसमें वन टाइम सैटलमेंट करवा दीजिये। अगर 8 लाख करोड़ रुपये बड़े-बड़े उद्योगपतियों के माफ हो सकते हैं, अगर उनके एनपीए का हो सकता है तो क्या किसानों के लिए जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने किया था और 72 हजार करोड़ के कर्जे माफ किये थे। क्या वे नहीं किये जा सकते? पर प्रधान मंत्री जी की सोच, उनकी सरकार की सोच, जो मैं आपको कहना चाहूंगा क्या है? बता देता हूं आपको मैं। मोदी सरकार से केरल से हमारे सांसद एंटो एंटनी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या मोदी सरकार की किसानों का कर्ज माफ करने की कोई मंशा है? इसमें 24 जुलाई, 2018 को तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोक सभा में जवाब दिया। वह देश और प्रदेश के किसानों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार की किसानों के लिए क्या सोच है। वे कहते हैं "The Union Government, at present, is not considering any loan waiver Scheme for farmers, as such, waivers may impact the credit culture of a State by incentivising the defaulters, even if they are in a position to repay the loan, and thus, create/amplify the moral hazard by discouraging those borrowers who have been regular in repaying their loans. Further, each waiver granted makes it even more difficult to reject any future similar demand." इसका मतलब है भारत सरकार किसानों के लिए किसी तरह की कर्ज माफी के बारे में नहीं सोच रही है क्योंकि ऐसी कर्ज माफी द्वारा डिफाल्टर इनाम देने से क्रेडिट कल्चर यानी उधार देने की व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे समय पर कर्ज चुकाने वाले लोग भी हतोत्साहित होते हैं। साथ ही इस तरह की कर्ज माफी से आगे, इस तरह की और मांगें खड़ी होती हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

सरकार ने कहा कि अगर ऐसे कर्ज माफी की जाती है, किसान जान बूझकर लोन नहीं चुकांएगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू से ही उनकी सोच रही है। किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि वापस जान बूझकर चुकाएंगे नहीं, हैबिट गलत पड़ जाएगी इन लोगों की तो क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बिना सोचे समझे ही माफ कर दिया था? जबकि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा 'सब चीजें इंतजार कर सकती हैं, कृषि इंतजार नहीं कर सकती है'।

आप सोच सकते हैं। आप तो धर्म की राजनीति करते हैं। ऋग्वेद में भी लिखा है 'क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि'। जिसका बड़े मायने में अर्थ होता है, किसान के हित से ही हम सबका कल्याण होता है, बताइये आप। अब उनको गद्दार कहना, देशद्रोही कहना, खालिस्तानी कहना, क्या हो रहा है? 80 दिन हो गये, ठंड के अंदर पड़े हुए हैं बेचारे, बाल-बच्चों सहित, बुजुर्गों सहित, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर तीन कानून हमने पास किये, राज्यपाल महोदय के यहां पर पड़े हुए हैं। इतना दबाव है सरकार का, बताइये आप जुडिशियरी पर, वह सब बता दिया मैंने आपको। पर राष्ट्रपति महोदय से मैंने वक्त मांगा, चार मुख्य मंत्री मिलने का कांग्रेस के मुख्य मंत्री, अच्छे व्यक्ति हैं वे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं व्यक्तिशः वे, दबाव इतना कि वे टाइम ही नहीं दे पाए।

राज्यपाल महोदय को हमने चार कानून बनाकर भेजे। पांच एकड़ की बात चली, पांच एकड़ भूमि की, अभी तक कुर्की हो रही है। आपमें से किसी सदस्य ने पूछा था सवाल, इसलिए हो रही है। वह कानून भी राज्यपाल महोदय के यहां राजभवन में पड़ा हुआ है, भेज नहीं पा रहे हैं वे, इतने दबाव के अंदर हैं। आप सोचिए क्या हो रहा है? आप भेज दीजिए, राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे, बात खतम हो जाती पर, राज्यपाल महोदय पर दबाव हो और भेज नहीं पाएं, यह तो अच्छी बात नहीं है। हमने कोशिश की किस प्रकार से कानून आगे बढ़े, किसानों का भला हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पावर को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप भी सरकार में रहे हैं और आपने देखा कि किसी प्रकार से पावर को लेकर हमेशा इश्यू बनता है। 'उदय योजना' भी आ गई, कर्जे सरकार ने ओढ़ लिए, परन्तु एक गलती कर दी, ब्याज उनके ऊपर छोड़ दिया, कम्पनियों पर आज बढ़ते-बढ़ते, अभी आप आंकड़े बता रहे थे, बिलकुल

(श्री अशोक गहलोत)

सही आंकड़े थे, 80 हजार करोड़ के कर्जे वापस हो गये उनके ऊपर, क्योंकि ब्याज-ब्याज-ब्याज बढ़ते-बढ़ते स्थिति बन गई तो आप सोच सकते हैं। जहां तक हम कम्पेयर करें, लम्बा चार्ट है। मैं समय नहीं लेना चाहूंगा आपका, आपको मैं भिजवा दूंगा चार्ट को कि महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब में, यूपी में किस प्रकार का टेबल है, जो राजस्थान से कम्पेयर करें। इन तमाम राज्यों में हमसे ज्यादा रेट हैं। ये स्थिति है। पंजाब में तो नहीं है, कृषि को लेकर वहां तो जीरो हैं, बाकी जो रेट्स हैं अलग-अलग तरह की, मैं आपको चार्ट अलग से भिजवा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नेता, प्रतिपक्ष ने जो मामले उठाये हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार हर क्षेत्र के अंदर जो कहा गया, वह करके दिखाया हम लोगों ने और आप निश्चिंत रहें।

जो आवास योजना की बात आपने कही, प्रधानमंत्री आवास योजना की, आंकड़े बता दें, इतने करोड़ आपको मिले हैं तो आपने यह नहीं बताया कि 60:40 का रेशो होता है। पूरा पैसा केन्द्र सरकार नहीं देती कोई योजना के अन्दर और उसी रूप में आज हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार अपनी स्थिति मजबूत करते हुए चाहती है कि जो स्कीम बनी है, भारत सरकार की, उसको हम लागू करें। इसलिए बन पाए मकान कि इसे हमने प्रायोरिटी दी है। इसलिए 60:40 रेशो से पैसा खर्च होता है।

आपने कहा कि सारा केन्द्र सरकार खर्चा करती है। मैं कहना चाहूंगा कि जब कोरोना चल भी रहा था तो पीडीएस से अप्रैल से जून, अगस्त से नवम्बर, 2020 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के यहां चयनित परिवार हैं। उन्हें नि:शुल्क गेहूं वितरण किया गया क्योंकि उनके नोर्म्स थे ज्यादा मना कर दिया तो हमने 243 करोड़ रुपये खर्च किये, अतिरिक्त लोगों को गेहूं पहुंचाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, मैं कहना चाहता हूं। जयपुर के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहां 22 परसेंट ही थे एनएफएसए के अंदर, हमने उनके बाद में भी पूरे जयपुर को, हमारे खुद की व्यवस्था करके हम लोगों ने, इस प्रकार से हमने व्यवस्था की, जिससे कि कोई आदमी भूखा नहीं सोये। इसमें तकलीफ किस बात की है। अगर मैंने कह दिया तो कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया और कह ही नहीं दिया, आप सबके सहयोग से हमने करके दिखाया उसको, पब्लिक ने साथ दिया, पड़ोसियों ने साथ दिया, एनजीओ ने साथ दिया,

(श्री अशोक गहलोत)

एक्टीविस्ट ने साथ दिया, धर्म गुरुओं ने किया अपने-अपने तरीके से, इसमें बुरा क्या है? अगर हमने एक आह्वान किया पब्लिक को राजस्थान सतर्क है, कोई भूखा नहीं सोये, क्या बुरा कर दिया, पर आपकी तो फितरत के अंदर, पहली बार चार अकाल पड़ गये थे, 1998 और 2003 के बीच में तो आपके नेता कहने लगे कि लोग भूखे मरेंगे, वसुन्धरा जी ने कहा। मैंने कहा 'वसुन्धरा जी भूखे मरने की बात छोड़ो, मेरे रहते हुए एक आदमी को भूखा सोने नहीं दूंगा', उस वक्त मैंने कहा और हमने करके दिखाया, करके देखा। आपको समझ जाना चाहिए था कि जो इस बार कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा तो पुराना अनुभव मेरे काम आएगा। यह आपको विश्वास होना चाहिए था, लगता है आपको विश्वास नहीं था कि भूखा नहीं सोएगा और वास्तव में भूखा कोई नहीं सोया, यह मैं कह सकता हूं।

हमने 37 विशेष श्रेणी के परिवारों को सर्वे करवाकर 10 किलो गेहूं, 2 किलो चना अलग से दिया। हम लोगों ने और एनएफएसए के परिवारों की, क्योंकि सीलिंग है उसके अन्दर, आपको शायद मालूम होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सीलिंग बना रखी है भारत सरकार ने, शहरों और गांवों की और सेंसस कौन सा है, 2011 का सेंसस है। भाई, आज तो 2021 हो गई, 10 साल हो गये। इसको हमने कहा लेटेस्ट सर्वे के आधार पर स्कीम लागू करो, यह मैंने प्रधान मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है। पर हमने 80 करोड़ रुपये खर्च करके, उनका ध्यान भी रखा, सीलिंग में जो नहीं आते थे, 34 लाख चयनित परिवारों को हमने इस प्रकार से गेहूं खरीदकर निशुल्क बांटा उस वक्त में, और तो और हमने 33 लाख लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनका पूरा सर्वे करवाया गया और डेस्टीट्यूट भी थे, उसके अंदर रेहड़ी वाले थे, पटरी वाले थे 33 लाख लोगों को हमने एक हजार, एक हजार, पन्द्रह सौ रुपये, साढ़े तीन हजार रुपये दिये। करीब 1 हजार 155 करोड़ रुपये बाटें हमने उस वक्त में, तो इसमें हमने कोई गलती की क्या? भूखा नहीं सोये, तभी भूखा नहीं सोये आदमी, उसको लगे कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। यह दिखाने का मैंने प्रयास किया।

पेंशन में लगभग आठ सौ, नौ सौ करोड़ खर्च होता है। हमने एडवांस देना शुरू किया करीब 80 लाख लोगों को, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना की बात आपने की और मैं कहना चाहूंगा कि उसमें फटाफट ऐसा माहौल बनाया और प्रधान मंत्री जी ने खुद ने आरोप लगा दिया कि राजस्थान सरकार सहयोग नहीं कर रही है। बाकी राज्यों ने तो हमें दे दिये हैं आंकड़े और उनको हम पैसा भेज रहे हैं 2-2 हजार रुपये किस्तों में। उस वक्त मैंने कहा कि

(श्री अशोक गहलोत)

टाइम इसलिए लग रहा है कि हम बायोमैट्रिक करके भेजेंगे जिससे कि कोई आरोप नहीं लगे बाद में और वही हुआ बाद में। राजस्थान ने बायोमैट्रिक सत्यापन कराकर पूरी तरह से हमने लिस्ट भेजी आराम से उनको डीबीटी हो रही प्रधान मंत्री जी के यहां से 2-2 हजार की। कोई शिकायत राजस्थान की नहीं है जबकि जिन राज्यों ने पहले जल्दबाजी की, वहां पर शिकायत आने लग गयी थी। हमारे यहां नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में हमने जो प्रयास किया है, आप कहते हैं कि नौकरियों की बात करने लग गये। अभी तक तो हम लोगों ने विकास में भी कोई कमी नहीं रखी है। कालेज खोलने की बात हो, 88 कालेज खोल दिये हैं। मेडिकल कालेज आपके वक्त में 8 थे, हम लोगों ने 15 में शुरू किया है काम को। सामाजिक सुरक्षा में मैंने अभी बताया कि 14,693 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 10 हजार नहीं हुए, 10 हजार बोल गये आप। नये बिजली कनेक्शन 1 लाख 76 हजार दिए हैं। अनुदान 27,487 करोड़ रुपये जा रहा है। महानरेगा में जो 80 करोड़ मानव दिवस से ज्यादा के काम हुए हैं जो एक इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। सिंचाई परियोजना में लगातार काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो ईआरसीपी है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, मैं चाहूंगा कि यह इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 13 जिले कवर होंगे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। यह सब जगह प्राब्लम इतनी भारी आ रही है कि कितनी ही कोशिश कर लें, बीसलपुर से कर लें और कहीं से कर लें पर जब तक यह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूरी नहीं होगी तब तक यह प्राब्लम बनी रहेगी। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी कहना चाहूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं हो, जिस प्रकार रिफाइनरी के लिए हमने दबाव बनाया था केंद्र सरकार पर। सरकार हमारी थी उस वक्त वहां पर। यूपीए गवर्नमेंट थी, तभी बनाया था, बनाना पड़ता है और जब आप सरकार में यहां आ गये राजस्थान में तब तो आपने उसको, यह सौदा गलत कर दिया है। तेल हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी और 26 परसेंट भागीदारी क्यों की। यह आपके मुख्य मंत्री महोदय बोलते थे। 5 साल बरबाद कर देते तो हमने पीछा नहीं छोड़ा आपका। ऐसा पीछे किया कि अल्टीमेटली आपको बुलाना पड़ा प्रधान मंत्री जी

(श्री अशोक गहलोत)

को और उसका शिलान्यास कराने लग गये। मैंने कहा भले आदमी, प्रधान मंत्री जी को क्यों गुमराह करते हो। मैंने पत्र लिखा प्रधान मंत्री जी को कि वहां पर शिलान्यास हो चुका है। आप काहे के लिए आ रहे हो, और किसी काम के लिए आओ हम स्वागत करेंगे आपका। अल्टीमेटली कार्ड-वार्ड सब खतम हो गया, नया कार्ड छपा। कहा कि रिफाइनरी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आ रहा हूं। वह प्रोग्राम किया आप लोगों ने। अब बताइये वह कितना शानदार काम चल रहा है, 40 हजार करोड़ की योजना है। वहां पेट्रोकैमिकल कॉम्प्लैक्स बनेगा। जमीनें लेनी हमने शुरू कर दी वहां आसपास, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कल्पना कीजिए समय किसी का इंतजार नहीं करता है। न आपका, न हमारा, परंतु आप लोगों ने किया है, इसको गफलत में रखा है।

मैं निवेदन करूंगा आपको, मार्मिक अपील करूंगा आपसे क्योंकि 25 सांसद दिए हैं आपको जनता ने, 25 के 25 सांसद बीजेपी की झोली में डाल दिये हैं। अब मुझे बताओ एक बार भी आपके एमपीज ने जाकर कहा प्राइम मिनिस्टर को कि ईआरसीपी को जो आपने वादा किया था राजस्थान के अंदर 7 जुलाई, 2018 को जयपुर में और 6 अक्टूबर को अजमेर के अंदर, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे? वादा क्यों भूल गए? क्यों भूल रहे हैं वे? अगर 16 परियोजनाएं चल रही हैं देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही हैं, यह परियोजना मध्य प्रदेश से पानी आएगा, इंटर स्टेट मामला भी है, अगर आप इसको लागू करते हैं तो 13 जिलों को कितना बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को। यह इश्यु बनाना पड़ेगा आपको और हम सबको मिलकर के। आप कहोगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं दिल्ली के अंदर प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए। आप अपने मैंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछियेगा। अगर वह कहेंगे तो हम लोग, आप नेता प्रतिपक्ष, उप नेता, आपकी पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, कैलाश मेघवाल जी तो बहुत सीनियर हो गये हैं अब, ये तो कोरोना को हराकर आये हैं यहां पर। सही बात है। कोरोना की जंग जीत कर आए हो आप। आपको बहुत-बहुत बधाई। हम सब चलते हैं वहां पर जाकर कहेंगे। यह सराफ साहब बैठे हैं यह कोई कम है क्या माया, यह बड़ी माया है तो हम लोग चलेंगे, सब लोग मिलकर कहेंगे प्रधानमंत्री जी को कि यह तो काम करो। देवनानी जी, आप भी कोई कम नहीं हो। कुछ कम नहीं हो, जो भी बैठे हैं वह। मदन दिलावर जी, बताइए आप। वह बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है तो यह हम सब मिलकर चलें यह काम तो कम से कम करें। प्लीज, मेरा साथ

(श्री अशोक गहलोत)

दीजिए आप लोग, प्लीज। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी।

अब जल जीवन मिशन बहुत शानदार योजना है। घर-घर पानी पहुंचाना किसे कहते हैं। राजस्थान में आप देखते हो कि अकाल, सूखे पड़ते रहते हैं यहां पर। रेगिस्तानी इलाके हैं और पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य बन गया है राजस्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूभाग तो 10 परसेंट है देश का लेकिन पानी एक परसेंट ही है यहां पर तो आप सोच सकते हो कि जल जीवन मिशन तब कामयाब होगा जब सोर्स कहीं से आयेगा। अभी पहले डार्क जोन बना रखे थे, लोग सब शिकायत करते थे अपन से चाहे सरकार आपकी हो, चाहे हमारी हो। ट्यूबवैल नहीं खोद सकते थे वहां पर क्योंकि डार्क जोन था पानी का लेवल नीचे जा रहा था। अब भारत सरकार ने कहा कि नहीं, आप डार्क जोन नहीं रखोगे। खतम कर दो तो खतम कर दिया। लोग सब खुश हो गए। अभी खुश हो गए लेकिन आने वाले वक्त में तकलीफ पाएंगे क्योंकि डार्क जोन तो डार्क जोन है। पानी की क्वालिटी नहीं रहेगी, नीचे जा रहा है पानी। बिजली ज्यादा खर्च होगी पर जो भी है वह अलग बात है, पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इसमें आप हमारा साथ दीजिये क्योंकि परवन नदी बड़ा प्रोजेक्ट है झालावाड़, बारां, कोटा के लिए। ईआरसीपी, मैंने बताया कि 13 जिलों के लिए है और यह योजना जो आई है जल जीवन मिशन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो रेगिस्तानी इलाके आप तो जानते हो, घूमते हो राजस्थान भर में कि यह कोई यूपी तो नहीं है कि एक गांव खतम हुआ और दूसरा गांव आ गया। राजस्थान में तो 1 गांव से दूसरा गांव 15-20 किलोमीटर है। ढाणियां और 8 किलोमीटर। छितरी हुई आबादी है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वहां पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, कुछ भी करना हो, कई गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है तो क्यों नहीं मतलब हम लोग मांग करें उनसे आप 90:10 करो इसके अंदर, जैसे कि नोर्थ ईस्ट में हमने कर रखा है, हिमाचल में कर रखा है, पहाड़ी इलाकों में कर रखा है। ये रेगिस्तानी इलाके हैं इसमें भी आपको इस काम को करना चाहिए जिससे कि हम समय पर, 2024 टारगेट है इसका और कितना आनंद आएगा अगर घर-घर में पहुंच जाता है तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सदियों तक लोग तड़पते रहे हैं, खारा पानी पीते रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी आप जरा गौर फर्माएं और मेरा साथ दें आप लोग।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध नियंत्रण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक बात मैं पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से क्योंकि हमने कुछ ऐसे फैसले किये हैं जिसके कारण से आप सोच सकते हो कि एक नवाचार है यह एफआईआर को कंपलसरी करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। थानों से लोग भगा देते थे आप जानते हो फरियादी को। बदतमीजी होती थी अलग से। मिसबिहेव होता था। हमने कल्चर बदलने का प्रयास किया है, कितना कामयाब होंगे यह वक्त बतायेगा पर प्रयास तो किया है हमने उसको तो आपको कम से कम एप्रिशिएट करना चाहिए और जब प्रयास किये तो मैंने मीडिया को कहा कि इससे संख्या बढ़ सकती है एफआईआर की क्योंकि कंपलसरी किया है और थानेदार नहीं करेगा तो एसपी करेगा और आज स्थिति यह है कि आप यह शिकायत कर सकते हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि अमुक थाने के अंदर फरियादी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी होनी चाहिए। पहले तो इतने लोग थे, आप क्या कहते उसके बारे में। अब संख्या बढ़ गई तो एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें आंकड़े बढ़ कर आ गए तो हम लोग नंबर वन हो गए क्राइम के अंदर लेकिन यह कोई नहीं देखता कि हमने कितना बड़ा न्याय दिलाया लोगों को कि कंपलसरी कर दिया गरीब आदमी, एससी/एसटी, ओबीसी कोई जाओ, महिला जाओ कंपलसरी है, उसको तो आपने तवज्जो दी नहीं है पर मैं कहना चाहूंगा आप को कि जो एनसीआरबी ब्यूरो है उसने एक अपनी किताब जो छापी है जिसके आंकड़े उठाकर आप मुझे बता रहे हो। पहला पैरा मैं पढ़कर सुनाता हूं-

(17.00 बजे)

"Crime is manifestation of myriad complex factors. The differences in procedures over large geographical regions and styles of functioning inherent between organizations also create wide variances. Hence, doing comparison among States/ districts/regions/social groups etc. on the basis of these published data alone will be too simplistic and is best avoided.

'Rise in crime' and 'increase in registration of crime by police' are clearly two different things, a fact which is often confused." इसका मतलब होता है कि अपराध, समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना

(श्री अशोक गहलोत)

करने से बचना चाहिए, जो आप नहीं बच रहे हो। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। मैं वापस रिपीट करता हूं, अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है और कुछ लोग दोनों को एक मानकर गलती कर देते हैं, जो आप कर रहे हैं। कृपा करके यह गलती मत करो, सच्चाई पर आओ। अगर मैंने गलत काम किया तो मैं वापस विदड्रा कर लूंगा। अगर आप सब कहोगे, पूरा हाउस कहेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। कम्पलसरी करना किसे कहते हैं? उससे तो संख्या बढ़ेगी। इस बारे में आप जो बार-बार बोलते रहते हैं, इसलिए मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे ये जो प्रयास हुए हैं, उसे देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 156(3) में सीधे मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाते थे, उसमें कमी आयी है, क्योंकि एफ.आई.आर. होने लग गयी है। 2018 में मुकदमों की संख्या 17% पर थी, वह 11% पर आ गयी है। मतलब 17% से 11% पर आ गये हैं, एफ.आई.आर. करने वाले। इसको आप क्या कहें? यह बड़ी उपलब्धि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला अत्याचारों के अंदर हमने डीवाई. एस.पी. रैंक के आफिसर की हर जिले में यूनिट बनायी है। कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तफ्तीश टाइम पर होने लगी है। इस कारण से 2019 के अंत में पुलिस अनुसंधान के स्तर पर मात्र 9 प्रतिशत ही प्रकरण ही लंबित हैं। यानी 91 प्रतिशत अपराधों पर पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है जबकि 'क्राइम इन इण्डिया, 2019' की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लंबित प्रकरणों का प्रतिशत 47 परसेंट है, उत्तर प्रदेश में 20 है, मध्य प्रदेश में 16 है और पूरे देश का एवरेज 34 परसेंट है। हमारे यहां हम लोग 9 परसेंट पर लेकर आ गये हैं। इस प्रकार से जो नवाचार किया है, वह आपके सामने है। जो हीनियस क्राइम है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधाओं के लिए A Special Investigation Unit for Crimes Against Women (SIUCAW), जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बनने के बाद बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में औसत अनुसंधान का समय घटकर 274 दिन से 126 दिन हो गये हैं। इसको आप क्या कहेंगे? आप तो गृह मंत्री रहे हैं। तफ्तीश का टाइम 274 डेज था, वह 126 दिन रह गया है, इसको आप क्या कहेंगे? आप सोच सकते हो। आप कम से कम इस नवाचार की तारीफ तो करें। हीनियस क्राइम के मामलों में मानिटरिंग आई.जी. स्तर पर की जा रही है और इसमें

(श्री अशोक गहलोत)

हमने लीगल आफिसर को साथ में लगाया है जिससे कि अपराधी बच नहीं सके लीगल पाइंट निकालकर। 341 थानों में स्वागत कक्ष बन गये हैं और 188 में निर्माण जारी है। कम से कम फरियादी के साथ ढंग से बैठकर बात कर सके।

कोरोना के अंदर पुलिस ने जो काम किया, वह एक्स्ट्रा आर्डिनरी था। लोग भयभीत थे, पता नहीं क्या होगा? कितने लोग मरेंगे? कहीं मेरे खुद कोरोना नहीं हो जाए, ऐसे वक्त में भी पुलिस ने काम किया। मैं समझता हूं कि तारीफ करनी चाहिए, जिससे उनकी हौसला अफ़ज़ाई हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत सारी बातें हैं। मैंने बहुत समय ले लिया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आपने आधा भाषण जो दिया, वह तो आप पत्र लिख देते तो आपका काम चल जाता, पर आप कोई पत्र मुझे नहीं लिखते हो। आप कमियां बताओ, रेगुलर बताओ, आपकी ड्यूटी है। आप यहां आंकड़े, केंद्र सरकार से, आप मान नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग तो पक्ष विपक्ष में हैं। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों का ऐम एक होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। यह भी मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी नाम लेते हैं। अभी मैंने कहा कि किस प्रकार से बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं लिया जा रहा है। खुशी है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं, अच्छी बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लो, महात्मा गांधी जी का नाम लें, सरदार पटेल जी का नाम लो, डा. अंबेडकर का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग महापुरुष हुए हैं, परंतु इनके जो विचार हैं। अगर कोई इन लोगों की जीवनी पढ़े, चाहे सुभाष चन्द्र बोस की पढ़ लो, टैगोर की पढ़ लो। इनका कहना था कि मानवता सबसे ऊपर है। राष्ट्र से ऊपर भी मानवता है, टैगोर ने कहा था। सुभाष चन्द्र बोस उस जमाने में जंग के अंदर हिंदू महासभा के खिलाफ थे। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, गांधी जी की हत्या पर और महात्मा गांधी का नाम आपने कभी लिया नहीं। आपके आरएसएस ने 50 साल तक देश के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आप क्या बात करते हो? अब लहराने लगे हो, सत्ता इतनी प्यारी हो गयी आप लोगों कि आप सब कुछ भूलकर, कोई विचारधारा, न नीति है, न कार्यक्रम, बस हिंदुत्व की बात करो, सत्ता में कैसे आओ? इसलिए प्रधान मंत्री

(श्री अशोक गहलोत)

जी नाम लेते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन तमाम महापुरुषों के विचार मोदी जी के विचारों से बिल्कुल उलटे हैं, तब भी नाम लेते हो। कैसे देश में काम चलेगा? अड़े रहो, अपनी बात पर। गुजरात में किसी ने कहा कि बीजेपी को खत्म कर दो तो राहुल गांधी जी ने कहा था - नो, नो बीजेपी-आरएसएस रहेगी, रहनी चाहिए, उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। आप लोगों में यह भावना होनी चाहिए। आप लोग तो, सरकारें गिराओ, इनकम टैक्स के छापे पड़वाओ, ईडी को घरों में भेजो, आप लोग यह धंधा कब तक करते रहोगे? इससे बचो। दिल्ली के अंदर अपने नेताओं को समझाओ कि पब्लिक क्या सोचती है वरना पब्लिक आने वाले वक्त में आपको माफ नहीं करेगी। आपको जिस प्रकार फर्श से अर्श पर ले गयी, अर्श से फर्श पर टिकवा देगी। धन्यवाद, जय हिन्द, धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

शान्ती कुमार धारीवाल, श्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ कुछ आरोप लगाये गये, उसके स्पष्टीकरण के बाबत मैं बात करना चाह रहा हूं। आपने मेरे खिलाफ दो आरोप लगाये। एक तो यह कि मेरा अपराधियों के साथ फोटो है और मैं अपराधियों को संरक्षण देता हूं। इन अपराधियों को, जो रामगंज मंडी के थे। दूसरा लगाया कि वे मेरी गाड़ी में घूमते हैं। कटारिया साहब, मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप इनकी जांच करवा लो और जांच करवाकर रिपोर्ट सदन में रख लो। अगर मैं कसूरवार पाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना मदन दिलावर से माफी मंगवा देना, इस्तीफा नहीं चाहिए। यहां पर माफी मंगवा देना, आपको अधिकार देता हूं। ये देखिए ये हाल है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्लीज बैठें ...(व्यवधान) कटारिया साहब...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये देखिए, अपराधियों के साथ तो गुफ्तगू हो रही है। Home Minister of India गुफ्तगू कर रहे हैं कि 26 जनवरी को क्या करना है? ये देखिए, मोदी जी के साथ अपराधी खड़े हैं, बड़े आराम से फोटो आये हैं, ये देखिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कहना क्या चाहते हो। ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपको अधिकार देता हूं कि अगर आप में ईमानदारी है तो मेरे खिलाफ दोनों आरोपों की जांच कर लो। मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप जो जांच करोगे, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा। I'll name you. नीचे बैठिए। संसदीय मंत्री है, बोलने का अधिकार है। Let him speak.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठिए आप। आपको क्या सुनें? आपको सुन चुके हैं। आपकी बात हो गई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पिछले 2008 से लेकर 2013 तक जब गहलोत साहब की सरकार थी तो एक आरोप मेरे पर लगाया था कि मैं कारतूस लेकर दिल्ली गया था। तब भी मैंने आपको जांच दी थी कि मैंने कहा आप जांच कर लो इस बात की, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई मेरे पास। ...(व्यवधान) मेहरबानी करके इस तरह के आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कम से कम सच.. (व्यवधान)...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको शोभा नहीं देता कि मैं अपराधियों का संरक्षण, मेरे खिलाफ आज तक ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें आप। Mr. Dilawar, I'll name you. I'll name you, Mr. Dilawar. Mr. Dilawar, I'll name you. I'll not allow this.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप रुकिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गये हैं। एक केस नहीं है मेरे खिलाफ कि मैंने कोई रास्ता भी रोका हो, कभी कोई जाम भी करवाया हो। ...(व्यवधान) एक केस नहीं है मेरे खिलाफ।

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कहते हैं कि मैं अपराधियों को संरक्षण देता हूं। जांच कीजिए, मैं अपराधियों को गाड़ियों में घुमाता हूं। अब कीजिए जांच। मैं करता हूं विश्वास।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना जोर से बोलने की जरूरत कहां है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जोर से बोलने की बात नहीं है। दर्द होता है। झूठी बात सुनने का दर्द होता है और वह भी आपके मुंह से। मैं कभी विश्वास नहीं करता था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मदन दिलावर को तो मैं गंभीरता से कभी लेता ही नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप बाद में बोल लेना। आप बैठ जाइए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये बताओ कि मैंने ये बात कब कही। आप बता दो मैंने ये कब कही, आप वह टाइम बता दीजिए। रिकॉर्ड पड़ा है, इसमें मेरे द्वारा यह आरोप कब लगा? निकाल कर बताइए।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप बैठिए। अंकित नहीं होगा। आप सीनियर हैं। आपको बोलने का मौका दूंगा। मदन दिलावर जी, last

time I'm warning you. I'll name you. मंत्री जी, बात हो गई आपकी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, अभी तो बहुत है साहब। क्या बात कर रहे हैं? ये जांच को स्वीकार करें। ये स्वीकार करें कि हां, मैं जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बात हो गई आपकी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): टाइम बता दें कि कितने दिनों में जांच करेंगे। आठ-नौ साल हो गये, वह पहली जांच रिपोर्ट भी नहीं आई अभी तक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बात हो गई? प्लीज। फिर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मदन जी कागज बताने से नहीं है। नियम और कानून से विधान सभा चलती है। आपके पास आरोप है, लिखकर दें। Please. Otherwise, I'll name you. I'll not allow it. सीनियर आदमी होकर आप कर रहे हैं। आपके पास पूरा अधिकार है। आपके आरोप हैं, लिखकर दीजिए। कोई मना कर रहा है क्या? आपकी बात हो गई माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी, कोटा वाले संदर्भ में आपका प्रश्न था, माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन जो स्थगन प्रस्ताव लगाया था, वह एक तो कानून व्यवस्था का लगाया और उसमें मैंने दो घटनाओं को समाहित किया था। उसमें कोटा की भी थी और एक चूरू की भी थी। मैं सोचता हूं कानून की स्थिति कैसी है ये न तो आपसे छिपी है, न मुझसे छिपी है। आप कहने के लिए भले ही कह सकते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसलिए बढ़ा। फ्री रजिस्ट्रेशन में किसमें बढ़ता है, बलात्कार में चाहे आप की सरकार हो, चाहे मैं मंत्री हूं, चाहे कोई भी हो, क्या उसकी एफआईआर ना कर सकता है? लूट की घटना हुई कोई ना कर सकता है? मैं आपको कह रहा हूं ये जो आप तर्क लेकर बता रहे हैं कि केस इसलिए बढ़े कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन दिया। मैं मानता हूं लेकिन..

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अगर आपने मुझे पूछा, अगर आपने मैंने जो जवाब दिया है धन्यवाद प्रस्ताव पर, उस पर अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं तो मेरे पास अभी आधे घंटे का मैटीरियल और है। मुझे फिर वापस उस पर बोलना पड़ेगा। खाली आपको धारीवाल जी ने कहा, उसका जवाब दीजिए खड़े होकर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो केवल ..

श्री अध्यक्ष: सदन में जिस तरह का वातावरण बना, उसमें स्पेसिफिक इश्यू था कि कोटा के मामले के संदर्भ में, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कोटा के संदर्भ में बोलें जिससे मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह सकें। जनरल डिबेट का स्कोप जब डिमांड होगा तब डिस्कस करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उस दिन की घटना में मुख्य रूप से शान्ती धारीवाल जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो मैंने मना किया कि इस सवाल का जवाब आपसे हम नहीं सुनेंगे। कारण क्या है कि जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह की बात हो रही है, उसमें मुख्य मंत्री ही इस बात का जवाब देंगे।

घटना रामगंज मंडी की थी, 9 तारीख की थी। 9 तारीख को 3 लोग एक मोटर साइकिल पर आते हैं और उन्होंने अयोध्या के लिए, मंदिर के लिए कलेक्शन कर रहे थे डोर टू डोर, दुकान टू दुकान, उस समय वहां के जो संघ चालक जी थे, उन संघ चालक जी के ऊपर फायरिंग हुआ। तीन लोग मोटर साइकिल पर बैठकर आये थे, फायरिंग हुआ। इसके पहले भी इन्हीं व्यक्तियों के साथ 7 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में उन्होंने जिस तरह से बात हुई, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, लोग पकड़े गये और जिसके खिलाफ केस बनना था, 307 का केस बना और वह जेल में बंद था। यह घटना क्यों हुई? क्योंकि उसी दिन उसकी जो जेल से जमानत होनी थी, वह जमानत नहीं हुई। उस कारण से ये तीनों जिस प्रकार के लोग थे, ये अपराधी किस्म के लोग हैं। ये आप भी जानते हैं, रिकार्ड भी जानता है, पुलिस भी जानती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन तीनों के खिलाफ ये जो आशू पाया है और इसका जो भाई है बाबू पाया और इसके पिताजी है, इनके खिलाफ कितने-कितने मुक़दमे हैं, थोड़ा-सा बता दें। इस प्रकार का एक अभियुक्त किस्म का और इसके स्वयं के ऊपर जिसने गोली चलाई है, इसके ऊपर भी चार मुकदमे हैं। उस मुकदमे की जो बात है कि उसके ऊपर जो फायरिंग हुआ उस फायरिंग के कारण जो विषय पैदा हुआ, वह यह हुआ कि उसका फोटो धारीवाल जी के साथ है। फोटो तो कई बार मेरे साथ भी कोई खड़ा होकर फोटो ले लें, इस कारण से मैंने उस दिन भी कहा इनको, परंतु ये तो गुस्से में सोचते हैं कि पाक साफ तुम ही हो, हम तो कोई दागी हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आवासन मंत्री): नहीं कहा आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, ये रिकार्ड बताएगा।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, प्लीज। आप सुनिए, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपको फोटो इसलिए दिखाया कि वही व्यक्ति जो आपके साथ बाजू में फोटो ले रहा है, वही व्यक्ति एक कार में जो फोल्डिंग है, ऊपर खुलकर के वह कांग्रेस का प्रचार कर रहा है और उस गाड़ी के आगे हाथ का सिंबल बना हुआ है। इस कारण से संदेह यह हुआ कि जो व्यक्ति कांग्रेस का इतना प्रोमिनेंट आदमी है, जो पार्टी के प्रचार के लिए गाड़ी फोल्डिंग में खड़े होकर के जिस प्रकार से उसने किया और वही फोटो आपके फोटो से मिल रहा था। सौ प्रतिशत इस कारण से जो व्यक्ति कांग्रेस का प्रचारक होकर, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर उस क्षेत्र में प्रचार कर रहा है, वह गाड़ी भी उसके बाजू में ही खड़ी है। हमने आपको ये दोनों फोटो दिखाया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं दिखाया। एक फोटो दिखाया आपने। ये वाला दिखाया आपने। ये आप जानते हैं किस तरीके से लिया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मदन दिलावर जी, आधी सूचना देकर मत कीजिए। हमको भी यहां दिखाया आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसी फोटो पर, जो हमारे पास था, उसी फोटो के बाजू में एक गाड़ी है, जिस पर कांग्रेस के हाथ का निशान गाड़ी के बोनट पर बना हुआ, उसी गाड़ी में फोल्डिंग में वह खड़ा होकर कांग्रेस के प्रचार के लिए काम कर रहा है और सेम फोटो वही आपके साथ फोटो में खड़ा है। यह हमने दोनों आपको दिखाया। चूंकि अभियुक्त है, एक तरह से इस पर कई मुक़दमे हैं। किसी प्रकार का कोई काम धंधा करता हो तो मुझे बता देना। यह केवल और केवल जिस प्रकार का काम करता है, एक तरह से कोई भी सज्जन आदमी वह काम नहीं कर सकता। इसके पास जिस प्रकार की गाड़ियां हैं, यह अपराधी किस्म का आदमी है। इस अपराधी किस्म के आदमी को कांग्रेस की छाप लगी हुई गाड़ी का, अभी भी अगर कहीं है तो उसको आप देख लेना और देखकर के उसके साथ आपका फोटो था और इसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से था। चूंकि हो सकता है, यह व्यक्ति आपके साथ पार्टी के नाते या और किसी नाते से नजदीक से जुड़ा रहा है तो हमें इस केस में न्याय नहीं मिलेगा। मैं यह सोचता हूं कि किसी सज्जन व्यक्ति पर इस प्रकार से भरे बाजार में, अगर 7 दिन पहले भी झगड़ा होकर हमला हो और उसके बाद 7 दिन बाद भी उस पर गोली चले, यह तो सौभाग्य था कि गोली पैर में लगी। वह दूसरी जगह लग सकती थी। इस प्रकार के अभियुक्त लोग, जिनके बारे में आप जानते हैं या मैं जानता हूं, मेरा भी हो सकता था, कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जो इस किस्म का आदमी हो लेकिन मेरी जानकारी में अगर इस प्रकार का अभियुक्त टाइप का व्यक्ति है तो हम राजनीति में रहते हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से अपनी दूरी बनी रहे। मुख्य मंत्री जी, आपसे बात करने के पीछे यही मामला था।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, बोलने दें, अभी आप बैठिए। आप बैठिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि वास्तव में इस प्रकार का व्यक्ति, कांग्रेस के प्रमुख प्रचारक के रूप में, बोनट के ऊपर से खुलती है ऐसी गाड़ी उसके पास है, उसके अंदर खड़ा होकर, सिम्बल लगा हुआ हाथ है, उसी व्यक्ति की इनके पास बाजू में खड़ा होकर फोटो है, अगर है तो निश्चित रूप से यह विषय गंभीर किस्म का बनता है। आप उस एरिया में रहते हो, उस एरिया को जानते हो, इन लोगों को जानते हो जिनका इस प्रकार का रिकार्ड है। रिकार्ड सब लोग जानते हैं क्योंकि पुलिस के पास भी, उनके पास जो मुक़दमे दर्ज हैं, वह रिकार्डेड हैं। उनके पिता जी के खिलाफ 12 मुक़दमे हैं। उसके भाई के खिलाफ 12 मुक़दमे हैं। उसके स्वयं के खिलाफ 4 मुक़दमे हैं। फिर इस प्रकार का अभियुक्त एक संघ चालक पर गोली चलाए, तो हमने यह कहा कि इसके लिए मुख्य मंत्री जी इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर इतना भरोसा तो आपको और मुझे भी है कि किसी अच्छे अधिकारी को देकर, इसके सारे बैक ग्राउण्ड के आधार पर पता करें कि यह किस प्रकार का काम करता है, क्या व्यवसाय करता है, इसके व्यवसाय क्या हैं। वहां फील्ड पर तो किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं दिखता है। इस प्रकार सब प्रकार की हेराफेरी के धंधे में लिप्त है। इस प्रकार का अपराधी है तो उसके खिलाफ, वैसे मेरी वहां के एस.पी. से रात को बात हुई थी, उसने सुबह मुझे रिंग किया था कि मैंने दो अभियुक्त पकड़ लिए हैं, एक और बाकी है। वह तीसरा अभियुक्त पकड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिया गया? उसके खिलाफ आपने केस बनाया, वह किन धाराओं में बनाया? उस केस को आप चालान कब कर देंगे? इस प्रकार के अभियुक्त को, पार्टी चाहे आपकी हो या मेरी हो, ऐसे नेताओं के साथ अगर वह मिलकर भी फोटो खिंचवाता है और जानकारी है, तो जानकारी के बाद तो हमको निश्चित रूप से ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। आप जोश में ज्यादा बोलते हो, तो बोलने की ताकत मेरे में है, मैं इतना कमजोर नहीं हूं पर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठी बात नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, आप सुन लीजिए पहले। प्लीज, उनको बोलने दें। आपको मौका देंगे ...(व्यवधान) वह बैठेंगे तब बोलेंगे न आप। बैठेंगे तब बोलेंगे कि पहले बोलेंगे आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे पास उस समय जो आया वह यह फोटो है। यह गाड़ी वाला फोटो भी साथ में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यही व्यक्ति यहां खड़ा है। यही व्यक्ति का हाथ का निशान बना हुआ है गाड़ी के आगे, यही व्यक्ति है, इसी की शक्ल से आपके पास खड़े हुए फोटो की शक्ल मिलती है। इसलिए यह आपसे सुनेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मुख्य मंत्री जी से कहा कि आप इस बारे में बताएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह फोटो सेन्ट्रल पार्क का है। मैंने दो बिन्दु आपको जांच के लिए दिए हैं, यह तीसरा बिन्दु आप और रख लो कि मैं कभी रामगंज मण्डी चुनाव में गया क्या। मुझे रामगंज मण्डी गए हुए सात साल हो गए। अभी भी वहां नगरपालिका के चुनाव हुए मुझे बुलवाने के लिए आदमी भेजे गए, पर मैं नहीं गया, एक बात। दूसरी बात यह कि, यह फोटो है, इसकी आप अच्छी तरह से जांच कर लो। आपने यह कहा कि इसके बाप के पास, मैं मानता हूं कि इसका बाप हिस्ट्रीशीटर रहा है, मैंने भी मालूम किया। यहां जो चर्चाएं हुईं, उसके बाद मैंने पुलिस से मालूम किया, इसका बाप हिस्ट्रीशीटर है। इसका भाई भी हिस्ट्रीशीटर है पर पुलिस वाले कहते हैं कि इसके खिलाफ कोई केस नहीं है। आपने कहा कि इसके खिलाफ 4 केस हैं और मालूम कर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

लीजिएगा, हो सकता है। मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं हूं। यह तो चलते रस्ते, आप इसका बैक ग्राउण्ड देख लो, यह जयपुर के सेन्ट्रल पार्क का है। कोई भी आदमी वहां पर आकर कहता है कि आपकी मुझे एक सेल्फी चाहिए, ऐसे सेल्फी कोई भी ले लेता है। आपसे भी ले ली होगी, हज़ारों से ले ली होगी। अब अगर सेल्फी लेकर उसने मेरे साथ फोटो खिंचवा लिया, आप कह रहे हो कि हाथ का निशान गाड़ी पर है, तो उस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं क्या? नहीं हूं। नहीं हूं तो फिर बात क्या है फिर बात क्या है? यह क्या है, बैठे हुए तो यह हैं। (व्यवधान) अमित शाह के साथ।

श्री अध्यक्ष: माननीय धारीवाल साहब, हो गया। बैठो न आप, हो गया। आप बैठो न, हो गई बात।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अमित शाह के साथ। (व्यवधान) होम मिनिस्टर आफ इंडिया।

श्री अध्यक्ष: बात हो गई, आप बैठो। माननीय सदस्य ...(व्यवधान) I'll not allow you. I'll name you. I'm telling you. आप गलत इन्फोर्मेशन लेकर आएंगे तो। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, उसकी निंदा करनी चाहिए। यदि किसी ने फायरिंग किया तो निंदा करनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। जब तक तथ्य पूरे रूप में सत्य नहीं हों या पूरी तरह जानकारी नहीं हो, तब तक अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हाउस में आरोप लगाएंगे तो अच्छी परम्परा नहीं रहेगी, चाहे कोई भी हो। मैंने कहा कि हम सब पब्लिक प्रोपर्टी के रूप में हैं। कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर फोटो खिंचवा सकता है। नरेन्द्र मोदी जी जब पहले-पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मुझे याद है कि वह काठमांडू गए थे, काठमांडू में वह जब पशुपतिनाथ जी के मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में भीड़ के अंदर उतर गए। लगातार सेल्फी लेते गए, सेल्फी लेते हुए वहां पहुंचे। अब सेल्फी जिसके साथ ली, मान लीजिए, पता नहीं उसमें कौनसा क्रिमिनल हो जाए, क्या पता पड़े, तो फोटो के आधार पर हम लोग आरोप लगाने लगेंगे तो उसका कोई अंत नहीं होगा। धारीवाल जी आपको फोटो बता रहे हैं गृह मंत्री जी के साथ में, यह प्राइम मिनिस्टर के साथ में है, जिसको बाद में आपने अरेस्ट कर लिया, आपकी सरकार ने अरेस्ट कर लिया जो लाल किले पर चढ़े

(श्री अशोक गहलोत)

थे। यह प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। यह वहां चुनाव के अंदर प्रचार कर रहे हैं। इसके आधार पर हम पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधान मंत्री, गृह मंत्री पर आरोप लगाए, तो कैसे काम चलेगा। मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा इससे बचना भी चाहिए कि बिना किसी पुख्ता जानकारी के। हां, यह बात है, पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है तो आपका हक बनता है कि आप कहो कि इसमें तफ्तीश पूरी नहीं हो रही है या ऊपर से कोई दबाव है, तो आप आरोप लगाओ, हम उस रूप में आपको जवाब देंगे। यह कोई आरोप हो तो अलग बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बहस यहां पर हो चुकी है, उसके बाद में भी कोई वक्तव्य देने की जरूरत है क्या? आपने कहा कि मुख्य मंत्री खुद बात बोले, तो मैंने आपको अभी जो बात कही, उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो बता दीजिए मुझे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमको जो शंका थी, कारण क्या है कि इस सवाल का जवाब स्थगन प्रस्ताव के रूप में, उस दिन आप मौजूद नहीं थे, धारीवाल जी मौजूद थे क्योंकि धारीवाल जी से यह घटना जुड़ रही थी, इसका संदेह था। यह जो कह रहे हैं, फोटो तो मेरे बाजू में भी, कोई भी, कहीं भी, आकर खिंचवा लें, उसके कारण से मैं अभियुक्त नहीं बनता। पर आपका यह फोटो है,यह माला पहनाते हुए, इसी आदमी का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, नीचे बैठें। (व्यवधान) नीचे बैठें प्लीज।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.27 बजे बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

50. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के कितने प्रकरण लम्बित हैं?

(2) क्या यह सही है कि कई मामलो में शहीद के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति मिलने में दो साल से अधिक का विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो क्यों व किन-किन प्रकरणों में?

(3) सरकार शहीद के सम्मान में क्या-क्या कार्य और योजनाएं संचालित करती है?

(4) विगत दो वर्षों में शहीद सैनिकों के सम्मान में कौन-कौन से कार्य किये गये तथा कौन-कौन सा कार्य किया जाना अभी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला बारां के शहीद राजमल मीना के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने और उनके नाम से सरकारी संस्थान के नामकरण में देरी के क्या कारण रहे? सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है?

(6) सरकार अतिवृद्ध पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) वर्तमान में शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के 82 प्रकरण लम्बित हैं।

(2) जी हां। शहीद सैनिक राजमल मीणा के आश्रित पुत्र श्री धनराज मीणा, निवासी गडिया कालोनी, निगम आफिस के पास, झालावाड़ रोड, बारां को जिला कलेक्टर, बारां द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग से नियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के कारण विलम्ब हुआ है।

(3) सरकार द्वारा शहीद के सम्मान में किये जाने वाले कार्य और योजनाओं की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(सैनिक कल्याण मंत्री)

(4) विगत 2 वर्षों में शहीद सैनिकों के सम्मान में शहीद के नाम से विद्यालय नामकरण किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(5) जिला बारां के शहीद राजमल मीना के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रकरण में जिला कलेक्टर, बारां द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग से नियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के कारण विलम्ब हुआ है। शहीद सैनिक राजमल मीणा के आश्रित पुत्र श्री धनराज मीणा को कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

शहीद के नाम से राजकीय जिला चिकित्सालय, बारां का नामकरण करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) अतिवृद्ध पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है।

(सूची एवं आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

51. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों के कितने भवन सरकारी हैं तथा कितने केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किराये के भवनों के स्थान पर स्वयं के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक उक्त भवनों का निर्माण करवा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आगनबाड़ी केन्द्रों में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहयोगिनी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमशः बस्सी एवं चाकसू संचालित हैं, जिनमें बस्सी परियोजना के 316 एवं चाकसू परियोजना के 26 सहित कुल 342 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना बस्सी में 58 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 164 सरकारी स्कूलों में 12 अन्य सरकारी भवनों में, 78 किराये के भवनों में, 4 अन्य सामुदायिक एवं नि:शुल्क भवनों में संचालित हैं तथा बाल विकास परियोजना चाकसू में 17 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 7 सरकारी स्कूलों में 1 किराये के भवन में, 1 अन्य सामुदायिक एवं नि:शुल्क भवन में संचालित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(3) उक्त क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी के कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

परियोजना	**आंगनबाड़ी कार्यकर्ता**			**आशा सहयोगिनी**		
	स्वीकृत	**कार्यरत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
बस्सी	316	312	4	290	287	3
चाकसू	26	26	0	22	22	0
योग-	**342**	**338**	**4**	**312**	**309**	**3**

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

रिक्त पदों को समय-समय पर जिला उप निदेशक के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भरने की कार्यवाही की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

52. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रताप लाल भील (गमेती)

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं?

(2) ग्राम इसवाल पंचायत समिति बडगांव में स्वीकृत औद्योगिक संस्थान को अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है?

(3) गोगुन्दा एवं सायरा पंचायत समिति हेतु स्वीकृत उक्त केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि विगत बजट सत्र में सरकार द्वारा उक्त सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शीघ्र प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उक्त सभी केन्द्रों के कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने हेतु कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल तीन आईटीआई स्वीकृत हैं, क्रमश: गोगुन्दा, सायरा व बडगांव। परिशिष्ट-01

(2) वर्तमान में राजकीय आई.टी.आई. बडगांव का एक व्यवसाय इलैक्ट्रीशियन के प्रशिक्षण का संचालन राजकीय आईटीआई, उदयपुर में प्रशिक्षण सत्र 2019-20 से किया जा रहा है। इसवाल ग्राम में निर्मित राजकीय भवन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। संस्थान से संबंधित समस्त मशीनरी/औजार/उपकरण भवन में स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। सिविल कार्य के अन्तर्गत मुख्य द्वार से पोर्च तक सम्पर्क सडक एवं समस्त शेष क्षेत्र का समतलीकरण कार्य बकाया है। साथ ही पानी व्यवस्था हेतु लगाई गई बोरवेल की फिटिंग का कार्य बकाया है तथा पूर्व में विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाने के कारण प्रशिक्षण का कार्य इस भवन में संचालित नहीं हो पा रहा था। अब विद्युत कनेक्शन हो गया है।

(3) निर्माण एजेन्सी रूडसिको द्वारा राजकीय आईटीआई, गोगुन्दा का चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य भवन के निर्माण कार्य हेतु रूडसिको के पत्रांक 1499 दिनांक 17.02.2020 द्वारा कार्यादेश जारी कर दिया गया है। कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 23.08.2021 है। परिशिष्ट-02 संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

राजकीय आईटीआई, सायरा के निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी रूडसिको द्वारा कार्यादेश 186 दिनांक 03.05.2018 व 1050 दिनांक 30.08.2018 द्वारा जारी किये गये। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ करने पर स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। जिला कलेक्टर द्वारा आबंटित भूमि पर हाई कोर्ट जोधपुर, केस संख्या 565/2004 के क्रम में स्टे दे रखा है, जिसके कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका। (परिशिष्ट-03) सायरा हेतु नये स्थान पर जमीन आबंटन करने हेतु जिला कलेक्टर उदयपुर को पत्रांक 3134, 3238 व 3406 दिनांक क्रमशः 12.03.2020, 01.07.2020 व 15.09.2020 द्वारा प्रेषित किये गये परन्तु अभी तक नई भूमि का आबंटन नहीं हुआ है।

नवसृजित राजकीय आईटीआई सायरा हेतु पूर्व जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आबंटित जमीन हाई कोर्ट में केस चलने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है, व इसके स्थान पर तहसीलदार ने दो जमीनों को आईटीआई सायरा हेतु चिन्हित किया :

1. कांजी का गुडा, ग्राम पंचायत जेमली (सायरा से 04 कि.मी. दूर)
2. सामल की घाटी ग्राम उमरोद (सायरा से 14 कि.मी. दूर)

यदि उक्त जमीन में से कोई भी जमीन सायरा आईटीआई हेतु अनुकूल पाई जाती है तो उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा जमीन आबंटित करवा कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(4). आईटीआई बडगांव का निर्माण कार्य अभी पूर्ण हुआ है।

राजकीय आईटीआई गोगुन्दा का चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य भवन के निर्माण कार्य हेतु रूडसिको के पत्रांक 1499 दिनांक 17.02.2020 द्वारा कार्यादेश जारी कर दिया गया है। कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 23.08.2021 है। परिशिष्ट-2 संलग्न है। नींव का कार्य आरम्भ कर दिया गया है लेकिन लॉकडाउन के कारण 5 माह कार्य बन्द रहा। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

आईटीआई सायरा, आईटीआई की भूमि आबंटन न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। इस हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आधुनिक एवं उन्नत खेती को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

53. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में आधुनिक एवं उन्नत खेती की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार के संज्ञान में है कि सरहदी जिले बाड़मेर, जैसलमेर में विशेषतया बालोतरा, सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी दो फसलीय क्षेत्र में किसानों द्वारा उत्कृष्ट नस्ल के खजूर, अनार आदि फलदार पौधे के साथ ही अब इमारती लकड़ी सागवान, चन्दन आदि के बगीचे भी लगाये जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त मरुस्थलीय क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण एवं किसान सेवा केन्द्र खोलने के साथ ही उत्पादनों हेतु क्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में आधुनिक एवं उन्नत खेती की दिशा में विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं:-

1. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की आधुनिक एवं उन्नत खेती को बढावा देने हेतु उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, प्रमोशन आफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्रोग्राम एवं खजूर परियाजना), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पी एम कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान), फर्टीगेशन, फोलियर उर्वरीकरण, आटोमेशन योजना एवं राज्य योजना संचालित की जा रही हैं। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।
2. सरकार द्वारा आधुनिक एवं उन्नत खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य में फसल विशेष के 9 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन उत्कृष्टता केन्द्रों एवं इन्टरनेशनल हार्टिकल्चर इनोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर पर कृषकों को उन्नत खेती के प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाते हैं तथा कृषकों को उत्कृष्टता केन्द्रों एवं राजहंस की नर्सरियों के द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त पौधरोपण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है।

(कृषि मंत्री)

3. प्रति इकाई क्षेत्र से फसल उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से फसलों में संतुलित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अन्तर्गत किसानों से मात्र 5/- प्रति मिट्टी नमूना शुल्क लेकर मिट्टी नमूनों की जांच की जा रही है। मिट्टी नमूनों की जांच उपरांत सॉयल हैल्थ कार्ड के माध्यम से विभिन्न फसलों हेतु खाद एवं उर्वरकों की सिफारिश किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है।सॉयल हैल्थ कार्ड की उपयोगिता को किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सॉयल हैल्थ कार्ड योजना अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में सॉयल हैल्थ कार्ड सिफारिश आधारित पोषक तत्व प्रदर्शन एवं कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं।
4. प्रदेश में आधुनिक एवं उन्नत खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत जल के कुशलतम उपयोग हेतु डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत दलहनी फसलें, गेहूं, मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज एवं वाणिज्यिक फसल (कपास) के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु फसल प्रदर्शन, उन्नत एवं हाईब्रिड बीज वितरण समन्वित कीट प्रबंधन, समन्वित पोषक तत्व प्रबधंन, कृषि यंत्र, फव्वारा, सिंचाई पाइप लाइन, जैव उर्वरक, सूक्ष्म तत्व आदि पर अनुदान दिया जा रहा है।
5. कीटनाशी रसायनों पर निर्भरता को कम करने हेतु समन्वित नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में राज्य में समन्वित नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली (आईपीएम) के 222 किसान खेत पाठशालाओं का आयोजन कर 6660 कृषकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। फसलों में कीट-व्याधियों के नियंत्रण हेतु कृषकों को बायो एजेंट एवं बायो पेस्टीसाइड पर लागत का 50 प्रतिशत या 500 रुपये जो भी कम हो, प्रति हैक्टर अनुदान दिया जा रहा है।
6. सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों पर कृषक श्रेणीवार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा

(कृषि मंत्री)

रहा है। प्रदेश के किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों का लाभ पहुंचाने हेतु सब-मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (कृषि यंत्र किराया केन्द्र) की स्थापना की जा रही है। इन सेन्टर्स के माध्यम से किसान अपनी आवश्यकतानुसार उन्नत कृषि यंत्र किराये पर प्राप्त कर सकते हैं।

(2) जी हां। बाड़मेर जिले के बालोतरा, सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी क्षेत्र में कृषकों द्वारा अनार, नीम्बू एवं खजूर के बगीचों की स्थापना की जा रही है। इमारती लकड़ी, सागवान, चन्दन आदि के बगीचों हेतु जिले की जलवायु अनुकुल नहीं है तथा विभागीय योजनाओं द्वारा जिले में इनके बगीचा स्थापना पर किसी प्रकार की सलाह या अनुदान नहीं दिया जाता है।

(3) प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र के किसानों को बागवानी क्षेत्र की गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु इस जिले में सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि (विस्तार) का कार्यालय खुला हुआ है तथा बागवानी गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु कृषि/उद्यान विभाग के स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। साथ ही मरुस्थलीय क्षेत्र में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों यथा दांता (बाड़मेर) एवं गुडामालानी में भी संस्थागत प्रशिक्षण का आयोजन कर कृषकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नये किसान सेवा केन्द्र उपलब्ध वित्तीय संसाधन के आधार पर वहां खोले जाते हैं जहां कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग दोनों मुख्यालय स्वीकृत हों एवं पूर्व में कोई राजकीय भवन नहीं हो। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में स्वीकृत किसान सेवा केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के कृषकों के कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय हेतु उक्त जिलों में कृषि उपज मण्डी समिति बालोतरा, बाड़मेर एवं जैसलमेर संचालित हैं। कृषि उपज मण्डी समिति बालोतरा, बाड़मेर एवं जैसलमेर के मुख्य मण्डी प्रांगणों में ही फल व सब्जी का कारोबार भी होता है। बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में स्थित मण्डियों एवं गौण मण्डी यार्डों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकलाय में रखे गये)

अलवर जिले में डी.एम.एफ.टी. में जमा राशि

54. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के जिला अलवर में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कितनी-कितनी राशि जमा हुई एवं उक्त वर्षों

(श्री कान्ति प्रसाद)

में किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत कितनी राशि जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में निम्नानुसार राशि जमा हुई है-

वर्ष	**डी.एम.एफ.टी. के तहत जमा राशि**
2017-18	472.24 लाख
2018-19	416.47 लाख
2019-20	871.92 लाख
कुल जमा राशि	1760.63 लाख

उक्त वर्षों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से कार्यवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-01 पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत निदेशालय उदयपुर के केन्द्रीय खाते में 250.49 लाख व जिला अलवर के पी.डी. खाते में दिनांक 31.01.2021 तक 2060.19 लाख जमा है। इस प्रकार डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 2310.68 लाख दिनांक 31.01.2021 तक जमा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा में गोदामों का निर्माण

55. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में करीब एक हजार चार सौ सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनके पास स्वयं के गोदाम की व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में स्कूलों को समायोजन के बाद रिक्त हुए स्कूलों के भवनों को अब गोदाम के रूप में काम लेने का प्रस्ताव

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

है? यदि हां, तो इसके अंतर्गत कितने स्कूलों के भवन गोदाम के लिए प्राप्त हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम का निर्माण किया जाना है? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा में उक्त योजना के अंतर्गत कितने गोदामों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में 571 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्वयं के गोदाम की व्यवस्था नही है।

(2) जी हां। कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति की गणेशगंज ग्राम सेवा सहकारी समिति को स्कूल का भवन गोदाम के रूप में उपयोग हेतु प्राप्त हो चुका है।

(3) जी हां। राज्य की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में राज्य सरकार की बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत समिति के पास भूमि उपलब्ध होने एवं समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2020-21 में भीलवाड़ा जिले में 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जालौर में निजी वाहनों द्वारा वसूले जा रहे मनमाने किराये पर कार्यवाही

56. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को वर्तमान सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार ग्रामीण परिवहन बस सेवा को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) ग्रामीण परिवहन सेवा को बन्द करने से पूर्व जिला जालोर में कौन-कौन से मार्गो पर कितनी-कितनी ग्रामीण परिवहन सेवा की बसों का संचालन किया जा रहा था? विधान सभावार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण परिवहन बस सेवा के बन्द होने से निजी वाहन चालकों द्वारा मनमाना किराया और निर्धारित यात्रीभार से अधिक सवारियां वाहन में बिठाई जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? जिला जालोर में विगत दो वर्षों में कितने वाहनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर ग्रामीण परिवहन के संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जालौर जिले में संचालित ग्रामीण परिवहन सेवा की बसों की मार्गवार समय-सारणी का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) विगत 2 वर्षों में ग्रामीण परिवहन सेवा के बन्द होने से निजी वाहन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जालौर जिले में विगत 2 वर्षों में क्षमता से अधिक यात्री परिवहन करने वाले 41 वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

यूरिया खाद की आपूर्ति

41. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में यूरिया खाद की किल्लत है? यदि हां, तो किल्लत दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन माह में सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कितना यूरिया आबंटन की मांग की गई और केन्द्र सरकार द्वारा कितना यूरिया आबंटित किया गया? मांग व आपूर्ति का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में वर्तमान में यूरिया खाद की मांग अनुसार पर्याप्त उपलब्धता है। दिनांक 01 फरवरी, 2021 को राज्य में 2 लाख 10 हजार 105 मै.टन यूरिया उपलब्ध है।

(2) विगत तीन माह में यूरिया की कुल मांग 9 लाख 90 हजार मै.टन थी, जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने 10 लाख 8 हजार मै.टन यूरिया आबंटित किया। माहवार मांग एवं आबंटन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं उक्त अवधि में यूरिया की जिलेवार मांग व आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों के लम्बित बीमा क्लेम

42. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों की रबी 2017-18, खरीफ 2018, रबी 2018-19, खरीफ 2019-20 व रबी 2019-20 की फसल के क्लेम बीमा कम्पनी के पास लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने किसानों के कितनी-कितनी राशि के क्लेम लम्बित हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि खरीफ 2019 व रबी 2019-20 में चूरू, तारानगर, सादुलपुर के किसानों से ली गई प्रीमियम राशि सम्बधित बैंकों द्वारा बीमा कम्पनी के पोर्टल पर निश्चित समयावधि में अपलोड नहीं किये जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खरीफ 2019 व रबी 2019-20 व खरीफ 2020 में चूरू तहसील के कुल कितने ऋणी व अऋणी किसान बीमित थे तथा बीमित किसानों के कितनी राशि के प्रीमियम काटे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों के रबी 2017-18 व खरीफ 2018 के कोई बीमा क्लेम बीमा कम्पनियों के पास लम्बित नहीं हैं। रबी 2018-19, खरीफ 2019 तथा रबी 2019-20 के लम्बित बीमा क्लेमों का विवरण तहसीलवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। खरीफ 2019 व रबी 2019-20 में चूरू, तारानगर, सादुलपुर के किसानों सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न हितधारियों, वित्तीय संस्थानों तथा जन प्रतिनिधियों से निश्चित समयावधि में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं होने संबंधी सूचना तथा बीमा पोर्टल को डेटा प्रविष्टि हेतु पुनः खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ। अनुरोध के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीमा पोर्टल पर अपलोड होने से लम्बित हुये डेटा की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया गया। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर खरीफ 2019 के लिये बीमा पोर्टल दिनांक 09 से 31 अक्टूबर, 2019, 16 मार्च से 26 मार्च 2020 एवं 02 से 10 नवम्बर, 2020 को तथा रबी 2019-20 के लिये 20 से 27 अप्रैल, 2020 को पुनः खोला गया और विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टियां दर्ज की गईं।

(3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत चूरू तहसील के खरीफ 2019, रबी 2019-20 व खरीफ 2020 में बीमित ऋणी व अऋणी किसानों तथा कृषक प्रीमियम का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

मौसम सत्र	कृषक संख्या		काटी गई प्रीमियम राशि
	ऋणी	अऋणी कृषक	
खरीफ 2019-20	62435	-	29982262
रबी 2019-20	21924	2	29515968
खरीफ 2020	73698	617	29459686

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सूरजगढ़ में कृषि यंत्रों हेतु देय अनुदान

43. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जल हौज, डिग्गी, पाइप, फव्वारा कृषि यंत्र के लिए किसानों को वित्तीय वर्ष 2019-20 का अनुदान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो लम्बित आवेदकों को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा भारत सरकार से बजट के संबंध में पत्राचार किया गया है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जलहौज, डिग्गी, सिंचाई पाइप लाइन, फव्वारा एवं कृषि यंत्र कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2019-20 का कोई भी आवेदन अनुदान हेतु लम्बित नहीं है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा भारत सरकार से बजट के संबंध में किया गया पत्राचार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर में किसानों को लाभान्वित करने की कार्ययोजना

44. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को किन-किन कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है? अनुदान प्राप्ति हेतु किसान को क्या-क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हाकम अली खां)

(2) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में गत पांच वर्षों में किस-किस योजना के तहत कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? योजनावार, ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग के अधीन किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं? उक्त में से किस-किस श्रेणी के पद कहां-कहां रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत चयनित कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार एवं उद्यान विभाग द्वारा उद्यानिकी यंत्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

अनुदान प्राप्ति हेतु कृषकों को वांछित दस्तावेजों सहित नजदीकी ई-मित्र कियोस्क अथवा मोबाइल/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। पात्र कृषकों को विभागीय लक्ष्यानुसार ऑनलाइन वरीयता के क्रम में लाभान्वित करते हुए अनुदान राशि को सीधे ही उनके बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से जमा किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में गत पांच वर्षों में अनुदान पर कृषि यंत्र दिये जाकर लाभान्वित किये गये किसानों का योजनावार एवं ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कृषि विभाग के अधीन स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं	**पद का नाम**	**स्वीकृत पद**	**रिक्त पद**
1.	सहायक कृषि अधिकारी	3	3
2.	कृषि पर्यवेक्षक	17	9

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा जिले में सिलिकोसिस से पीड़ित परिवारों का पुनर्वास

45. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में सिलिकोसिस से निपटने के लिए व्यापक रूप से नीति तैयार कर लागू की गई है? यदि हां, तो नीति के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में सिलिकोसिस के चिन्हिकरण, नियंत्रण एवं रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए विगत दो वर्षों में क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नीति के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में पीड़ित व्यक्तियों एवं प्रभावी परिवारों के पुनर्वास की क्या-क्या व्यवस्थाएं की गईं? विगत दो वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा न्यूमोकोनियोसिस नीति जिसमें सिलिकोसिस भी सम्मिलित है, दिनांक 03.10.2019 को लागू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में गत दो वर्षों में सिलिकोसिस पीड़ितों के चिन्हिकरण, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु खान एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त चिकित्सा कैम्प, वेट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क का उपयोग आदि हेतु खान श्रमिकों को जागरूक करने बाबत कुल 49 शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार श्रम विभाग द्वारा दिनांक 26.06.2019 को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया एवं कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग द्वारा भी 34 कारखानों का पंजीकरण किया गया तथा दिनांक 31.08.2020 से 02.02.2021 तक कुल 16 कारखानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण, सुरक्षा पुस्तिका का वितरण एवं स्वास्थ्य जांच कराई गई। साथ ही कारखाना प्रबंधकों को सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत पालना हेतु पाबन्द करने के संबंध में परिपत्र दिनांक 31.08.2020 जारी किया गया है जो परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 के अन्तर्गत सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों एवं प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं:-

सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित को आर्थिक सहायता राशि रुपया

(खान मंत्री)

3.00 लाख, मृत्यु होने पर आश्रितों को राशि रुपया 2.00 लाख का भुगतान करने का प्रावधान।

पीड़ित व्यक्ति/विधवा को राशि रुपया 1500/- प्रतिमाह पेन्शन दिये जाने का प्रावधान।

पीड़ित की विधवा पत्नी/आश्रितों को पालनहार योजना का लाभ देने का प्रावधान।

पीड़ित की मृत्यु पर अंत्येष्टि हेतु राशि रुपया 10,000/- की तत्काल सहायता का प्रावधान।

पीड़ित/मृतक के आश्रितों के जीवन-यापन व कौशल विकास हेतु विशेष योजनाओं का लाभ देने का प्रावधान।

पीड़ित परिवार को आस्था कार्डधारक के तहत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने का प्रावधान।

भीलवाड़ा जिले में गत 2 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20) में सिलिकोसिस बीमारी से 326 पीड़ित श्रमिकों को राशि रुपये 504.00 लाख एवं 269 मृतक श्रमिकों के आश्रितों को राशि रुपये 787.50 लाख की सहायता प्रदान की गई।

श्रम विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में पुनर्वास हेतु प्राप्त 125 आवेदन पत्रों में से 52 प्रकरणों (16 मृतक सम्मिलित) में कुल 87 लाख रुपये स्वीकृत किये गये तथा सहायता हेतु प्राप्त 8 आवेदनों में 2 आवेदकों (1 मृतक सम्मिलित), पिछले आवेदकों सहित 21 लाख रुपये वितरित किये गये।

पेंशन विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों में कुल 1791 पीड़ितों एवं 494 विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गई। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पीड़ित माता/पिता के बच्चों को पालनहार योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में पीड़ित पालनहार कुल 590 एवं बच्चे कुल 1204 को राशि रुपये 79.63 लाख की राशि वितरित की गई।

(परिपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सांगोद के ग्रामों में स्वीकृत एस.टी.पी.

46. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(1) क्या विभाग को किसी भी ग्राम पंचायत में खनिज कार्य हेतु बिना पंचायत से लिखित स्वीकृति प्राप्त किये एस.टी.पी. जारी करने का अधिकार है? इस संबंध में सरकार की क्या गाइडलाइन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में सरकार द्वारा विगत दो वर्ष में किस-किस ग्राम में एस.टी.पी. किस-किस कार्य हेतु जारी की गई है एवं क्या उनकी पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खनिज विभाग को किसी भी ग्राम पंचायत में खनन कार्य हेतु बिना पंचायत से लिखित स्वीकृति प्राप्त किये एस.टी.पी. जारी करने का अधिकार है। एस.टी.पी. की स्वीकृति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-51 के तहत जारी की जाती है, जिसकी प्रति **परिशिष्ट-1** पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद मे विभाग द्वारा गत दो वर्षो मे जारी एस.टी.पी. का विवरण एवं पर्यावरण स्वीकृति का विवरण **परिशिष्ट-2** पर उपलब्ध है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बस्सी में अवैध खनन

47. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किस-किस क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है तथा कौन-कौन व्यक्ति उक्त कार्य में लिप्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, बस्सी के ग्राम हरड़ी, हरध्यानपुरा, बैनाड़ा एवं दयारामपुरा अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्र हैं। उक्त क्षेत्र राजस्व रिकार्ड अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जयपुर विकास प्राधिकरण

(खान मंत्री)

द्वारा हरड़ी, हरध्यानपुरा, बैनाड़ा, दयारामपुरा में स्थित पहाड़ों (अवैध खनन स्थलों) की तलहटी तक आवासीय कॉलोनी डेलिनियेट कर डामर की सडकें बनाई जा चुकी हैं। विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र की निगरानी रखी जाकर अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। क्षेत्र में अवैध खनन के जनवरी, 2018 से अब तक कुल 8 प्रकरण बनाये जाकर राशि रु. 85,95,364/- की वसूली की जा चुकी है तथा संबंधित थानों में 4 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, जिनका विवरण **परिशिष्ट-1** पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। अवैध खनन के विरुद्ध विभाग द्वारा क्षेत्र की निगरानी की जा रही है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से भी समय-समय पर क्षेत्र की निगरानी कर अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध खनन के जनवरी 2018 से अब तक कुल 8 प्रकरण बनाये जाकर राशि रु. 85,95,364/- की वसूली एवं 4 प्रकरणों में संबंधित थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त अवैध निर्गमन के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 82 प्रकरण बनाये जाकर राशि रु. 27,45,850/- की वसूली तथा 5 प्रकरणों में संबंधित थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पिंडवाडा की जनापुर नदी में बजरी का अवैध खनन

48. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा-आबू): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा पिंडवाड़ा की जनापुर नदी के पास बजरी खनन हेतु एक खेत आवंटित किया गया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जनापुर नदी से अवैध बजरी खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिला सिरोही के राजस्व ग्राम जनापुर तहसील पिण्डवाड़ा में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017, संशोधन अधिसूचना दिनांक 25.06.2018 व निदेशालय द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक

(खान मंत्री)

08.08.2018 व शासन पत्र दिनांक 08.01.2019 के तहत आवेदक स्वयं की खातेदारी भूमि, खसरा संख्या 733/2 व 733/4 रकबा 6.0 बीघा मे वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक सिरोही द्वारा खनिज बजरी की उपलब्धता प्रमाणित करने पर **(परिशिष्ट-01)** खनन पट्टा संख्या 33/2019, क्षेत्रफल 1.37246 हैक्टेयर, श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हरचन्द राम निवासी छोटी विरोल, तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.) के पक्ष मे समयावधि दिनांक 24.01.2020 से 5 वर्ष हेतु आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 व चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 (माह जनवरी तक) निकट ग्राम जनापुर के समीप नदी क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के कुल 3 प्रकरण बनाये गये जिसमें शास्ति राशि रूपये 80,250/- वसूल की गयी **(परिशिष्ट-02)**। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में नदी क्षेत्र (पश्चिम बनास) व पिण्डवाड़ा तहसील क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के कुल 115 प्रकरण बनाये जाकर, शास्ति राशि रुपये 44,06,634/- वसूल किये। एक प्रकरण में एफ.आई.आर. पुलिस थाना पिण्डवाड़ा में दर्ज करायी गयी **(परिशिष्ट-03)**। इस प्रकार पिण्डवाड़ा तहसील क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के कुल 118 प्रकरण बनाये जाकर शास्ति राशि रुपये 44,86,884/- वसूल की गयी।

कुल 118 प्रकरणों में से वाहन के पंजीयन के आधार पर उदयपुर जिले के कुल 24 वाहन हैं, 4 प्रकरण अवैध खनन/स्टॉक तथा शेष 90 प्रकरण जिला सिरोही के पंजीकृत वाहनों के अवैध निर्गमन के है। अतः स्थानीय एवं अन्य जिलों के अवैध निर्गमन के प्रकरणों मे समान रूप से नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मावली में नवगठित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

49. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर पृथक ग्राम सेवा सहकारी समिति व उसका गोदाम नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की नवगठित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के संबंध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में कुल 59 ग्राम पंचायत हैं जिनमें से 38 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं होने के कारण गोदाम नहीं है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त बजट घोषणा 2020-21 के अन्तर्गत राज्य में आगामी चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2 हजार नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी में वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक रोडवेज बसों का संचालन

50. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 20 ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसों की सुविधा उपलब्ध है तथा शेष 37 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रोडवेज अथवा ग्रामीण परिवहन बस सेवाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की रोडवेज बसों की सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उक्त बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी की राजस्थान राज्य पथ परिवहन

(परिवहन मंत्री)

निगम की बस सेवा से जुड़ी हुई ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र की निगम सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को फिलहाल निगम बस सेवा से जोड़ने का कोई विचार नहीं है।

सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

51. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारी की दुर्घटना, साधारण मृत्यु पर मृतक आश्रित को नौकरी देने के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो ब्यावर आगार में कार्यरत कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में अथवा साधारण मृत्यु होने पर उनके किस-किस आश्रित को नौकरी दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार परिवहन निगम में कार्यरत चालक व परिचालकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन प्रदान किये जाने हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम 2010 प्रभावी है (परिशिष्ट "1")।

ब्यावर आगार में सेवारत कार्मिकों के मृत्यु उपरान्त 8 कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालक व परिचालकों की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। चालकों का समय-समय पर आगार स्तर से नेत्र परीक्षण कराया जाता है। कार्मिकों के मार्ग पर संचालन पर जाने से पूर्व ब्रीथ एनेलाइजर से जांच कराई जाती है। साथ ही निगम द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। नवीनतम जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "3" से परिशिष्ट "6" पर संलग्न है।

(सूची व दिशा-निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का पुन: संचालन

52. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की पूर्व में संचालित बसों का पुन: संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मालपुरा में राजस्व विभाग द्वारा वक्फ बोर्ड को भूमि का आबंटन

53. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में सरकार के माध्यम से राजस्व विभाग द्वारा अब तक वक्फ बोर्ड को कितनी-कितनी भूमि किस-किस स्थान पर आवंटित की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी भूमि कहां-कहां पर है जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में तो दर्ज है, किन्तु राजस्व विभाग में दर्ज नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

(2) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र की तहसील मालपुरा व तहसील टोडारायसिंह की वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में कुल 159 वक्फ सम्पत्तियां दर्ज हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उपरोक्त 159 वक्फ सम्पत्तियों में से संबंधित तहसीलदारान से प्राप्त सूचना अनुसार 118 वक्फ सम्पत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि

54. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जयपुर जिले में किन-किन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कितना-कितना वेतन एरियर अथवा अन्य भुगतान कब से किस कारण से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में की गई मानदेय वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जयपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय एरियर का भुगतान बकाया नहीं है। अन्य भुगतान में कुल 746 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बकाया है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

परियोजना का नाम	बकाया मानदेय का माह	बकाया मानदेय वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या
पावटा	अक्टूबर 2020 नवम्बर 2020	139
जालसू	नवम्बर 2020 दिसम्बर 2020	177
विराटनगर	नवम्बर, 2020 दिसम्बर 2020	7
सांभरलेक	दिसम्बर 2020	423

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथा आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बालोतरा में खण्ड परियोजना कार्यालय की स्थापना

55. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् क्षेत्र बालोतरा एवं आसपास के गांवों में कई बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं होने के कारण महिला एवं बालक सरकारी योजना के लाभ से वंचित हैं? यदि हां, तो वंचित क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वंचित स्थानों पर नवीन आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बालोतरा शहर में खण्ड परियोजना कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बालोतरा परियोजना में शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में कुल 246 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। बालोतरा नगर परिषद् क्षेत्र के पूर्व में 35 वार्ड में कुल 59 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। नगर परिषद् का परिसीमन होने के फलस्वरूप 10 वार्ड अतिरिक्त बनाये गये। इस प्रकार वर्तमान में कुल 45 वार्ड हैं, जिसके अनुसार संचालित किये जा रहे केन्द्रों पर कोई लाभार्थी समेकित बाल विकास सेवाएं योजना से वंचित नहीं है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) नई आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने संबन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाती है। बालोतरा शहर में खण्ड परियोजना कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर में आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वीकृत पद

56. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु क्या-क्या मानदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कुल कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं इन पर कितने कार्मिक कार्यरत हैं? आंगनबाड़ी एवं कार्मिक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रत्येक राजस्व गांव एवं शहर में वार्डवार आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार द्वारा मानदंड निर्धारित हैं। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: बाड़मेर शहर एवं बाड़मेर ग्रामीण संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

परियोजना	स्वीकृत केन्द्र/मिनी केन्द्र	कार्यरत कार्यकर्ता	कार्यरत सहायिका	कार्यरत आशा सहयोगिनी
बाड़मेर शहर	240	226	206	193
बाड़मेर ग्रामीण	257	246	179	162
योग	497	472	385	355

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

मानदेय कार्मिकों का केन्द्रवार नाम सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.04.2007 द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति देने के उपरान्त राजस्व ग्राम एवं शहर में वार्डवार आंगनबाड़ी स्वीकृत किये जाते हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति पर रोक है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद में खेल मैदानों की स्वीकृति की कार्य योजना

57. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में विभाग के अधीन खेल मैदानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार धरियावद, मूंगाणा, पारसोला, जैताना, झल्लारा तथा लसाड़िया में खेल मैदान स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग/राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् के अधीन/स्वामित्व में धरियावद विधान सभा क्षेत्र में कोई खेल मैदान चिन्हित नहीं है।

(2) वर्तमान में विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल मैदान स्वीकृत करने का निर्णय किया जाता है।

पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

58. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक लाहोटी)

(1) प्रदेश में 31 दिसम्बर 2020 तक कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? उक्त के लिये कितने फार्म प्राप्त हुए तथा कितने स्वीकृत व अस्वीकृत किये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपनी बजट घोषणा के अनुसार समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पंजीकृत बेरोजगारों को वर्तमान में भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय हो रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागीय पोर्टल पर 31 दिसम्बर, 2020 को विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 14,81,878 बेरोजगार आशार्थी राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। रोजगार कार्यालयों में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले तथा किसी भी उम्र तक के आशार्थी द्वारा रोजगार हेतु पंजीयन कराया जा सकता है। अत: कोई भी ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाता है, सभी आवेदन स्वीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सरकार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले समस्त पंजीकृत स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है। योजनान्तर्गत एक समय में अधिकतम 1 लाख 60 हजार लाभार्थियों की सीमा निर्धारित की गई है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बन्द किये जाने पर लाभान्वितों की अधिकतम सीमा तथा लाभ प्राप्त कर रहे लाभान्वितों के अन्तर को शेष रहे वेरिफाई किये जा चुके आवेदनों में से वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(3) जी हां। योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बेरोजगार आशार्थियों को नियमानुसार भत्ता दिया जा रहा है। योजना प्रारम्भ तिथि 01 फरवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल राशि रुपये 786.54 करोड़ का व्यय हुआ है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आमेर में पंजीकृत बेरोजगार

59. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनी महिलाओं तथा कितने पुरूषों को जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2021 तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है तथा कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना शेष है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभागीय पोर्टल पर विधान सभा क्षेत्र आमेर के वर्तमान में विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 10902 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत पात्र स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 7546 बेरोजगार आशार्थियों ने बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन किया। उक्त में से कुल 7377 आशार्थियों को भत्ता प्रदान किया गया जिनमें 4026 पुरूष तथा 3351 महिला आशार्थी हैं। जांच में सही पाये गये शेष 169 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं।

लघु उद्योगों पर कार्यरत बाल श्रमिकों की रोकथाम

60. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, हाईवे पर बने ढाबों, घरों में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग व्यवसाय में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाए जाने के प्रकरण प्रकाश में आए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा दिसंबर, 2018 से 25 जनवरी 2021 तक उक्त की रोकथाम करने के लिए क्या उपाय किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में दिसंबर, 2018 से 25 जनवरी, 2021 तक कुल कितने बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाया गया? कितनी एफआईआर दर्ज करवाई गई तथा कितने प्रकरण लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, राजमार्गों पर बने ढाबों, घरों में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग व्यवसाय में नाबालिग बच्चों

(राज्य मंत्री, श्रम)

से बाल श्रम करवाये जाने के 1713 प्रकरण दर्ज हुए हैं एवं 4399 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। (दिसम्बर 2018 से जनवरी 2021 तक) जिलेवार संख्यात्मक विवरण (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाकर विभिन्न विभागों की भूमिकांए तय की गई हैं। इस क्रम में श्रम विभाग द्वारा राज्य के समस्त जिलों में कलक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल श्रम टास्क फोर्स का गठन करवाया जा चुका है, जिसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

बालश्रम संबंधी शिकायत/सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों यथा बाल अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस, श्रम व बाल कल्याण समिति सदस्य, चाइल्डलाइन 1098 प्रतिनिधि, स्वयसेवी संस्था प्रतिनिधि आदि के संयुक्त दल द्वारा मौके पर जाकर बाल श्रमिक को मुक्त कराया जाकर जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उक्त प्रकरणों में पुलिस (गृह विभाग) द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 व बाल एवं कुमार(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत वाद दायर किया जाता है। श्रम विभाग द्वारा प्रकरणों के संबंध में न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में बालश्रम की रोकथाम हेतु निम्न कार्य किये गयेः-

1. जिलों की बाल श्रम टास्क फोर्स द्वारा समय-समय पर सभी सरकारी/प्राइवेट विद्यालयों के बाहर चाइल्ड हैल्पलाइन नं. 1098 के स्लोगन लिखवाने हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं।

2. विभाग द्वारा राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर बाल श्रमिक रखना अपराध है, के स्लोगन ऑनलाइन अंकित करवाये गये हैं।

3. पुलिस विभाग द्वारा बालश्रम की रोकथाम हेतु निम्न अभियान चलाये गये-

(क) ऑपरेशन खुशी प्रथम (18.02.2019 से 08.03.2019 तक) चलाया।

(ख) ऑपरेशन खुशी द्वितीय (18.03.2019 से 15.04.2019 तक) चलाया।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(ग) ऑपरेशन खुशी तृतीय (06.06.2019 से 05.07.2019 तक) चलाया।

(घ) ऑपरेशन आशा (15.10.2019 से 15.11.2019 तक) चलाया गया।

(ड़) वर्ष 2020 में ऑपरेशन आशा प्रथम, विशेष अभियान ऑपरेशन आशा द्वितीय संचालित किये गये तथा फरवरी, 2021 से ऑपरेशन मिलाप जारी है।

4. विभाग द्वारा बालश्रम की रोकथाम हेतु सघन अभियान संचालित किया गया जिसमें माह जून से नवम्बर 2020 तक 5629 संस्थानों का सर्वे/ निरीक्षण किया जाकर 5089 नियोक्ताओं से बाल श्रम नहीं करवाने के वचन-पत्र भरवाये गये।

5. विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में बालश्रम के उद्देश्य से हो रही बाल तस्करी को रोकने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राज्य के समस्त जिला कलक्टर, महानिदेशक-रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली एवं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा राज्य के श्रम सचिवों को पत्र दिनांक 01.07.2020 जारी किया गया।

6. विभाग के आदेश दिनांक 07.10.2020 की अनुपालना में राज्य के जिला श्रम कार्यालयों द्वारा बालश्रम के संबंध में जागरूकता हेतु प्रकाशित जागरूकता पोस्टर्स/प्रचार-सामग्री को समुचित जगहों पर प्रदर्शित करवाया गया।

7. विभाग के पत्र दिनांक 04.11.2020 के माध्यम से राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स को राज्य में बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए बाल श्रम से जुड़े कानूनों की सख्ती से पालना हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गये।

(3) दिसम्बर, 2018 से जनवरी, 2021 तक 4399 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। 1713 एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी तथा शून्य प्रकरण लंबित है। विवरण (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर जिले में संनिर्माण श्रमिकों के बच्चों को सहायता

61. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2015 से 2020 तक कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, दुर्घटना के समय सहायता, श्रमिकों को साइकिल व काम करने के औजार आदि दिए जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2015 से 2020 तक जिला जयपुर के कितने श्रमिकों को योजना का लाभ दिया गया? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2018 से 2020 तक किसी भी श्रमिकों को कोई सहायता नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? वर्ष 2019 व 2020 में तहसील चौमूं के कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015 से 2020 तक प्रदेश में कुल 25.62 लाख श्रमिकों का पंजीयन तथा विधान सभा क्षेत्र चौमूं में 8025 श्रमिकों का पंजीयन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	**पंजीकृत श्रमिक**
2015	1670
2016	1629
2017	3648
2018	625
2019	130
2020	323
कुल	**8025**

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) जी हां। पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जिसमें छात्रवृत्ति एवं दुर्घटना सहायता योजना भी शामिल है। औजार हेतु मण्डल के पात्र श्रमिकों को अधिकतम रुपये 2000/- तक राशि का पुनर्भरण किया जाता है। साइकिल सहायता योजना वर्ष 2013-14 के पश्चात् बन्द कर दी गई थी। दिनांक 31.03.2014 तक पंजीयन का एक वर्ष पूर्ण करने वाले हिताधिकारियों को उक्त योजना का लाभ आगामी वर्षों में भी दिया गया था। 2015 से 2020 तक जयपुर जिले के कुल 76611 हिताधिकारियों को मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2018 से 2020 तक प्रदेश में कुल 533969 श्रमिकों के आवेदन स्वीकृत किये गए। वर्ष 2019 व 2020 में चौमूं तहसील के कुल 371 हिताधिकारियों को मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)